आय-कर विधान तथा खाता

(INCOME-TAX LAW AND ACCOUNTS)

[भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० तथा एम० कॉम० कक्षाओं के विद्यार्थियों के हेतु एक विस्तारपूर्वक अध्ययन]

लेखक

एस० एम० शुक्ल, एम० ए०, एम० कॉम०, एल-एल० बी०,

वाणिज्य विभाग, डी० ए० वी० कॉलिज, कानपुर ।

षष्ठम संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

१९६०

आगरा

नवयुग साहित्य सदन,

उच्च कोटि के शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक

मूल्य : ६।) या ६ रुपये २५ नये पैसे

प्रथम संस्करण की भूमिका

आय कर विधान तथा खाता की यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयो के बी० कॉम० के पाठ्य क्रम के अनुसार लिखी गई है, परन्तु यह पुस्तक निश्चित रूप से उन सब लोगो को अत्यन्त सहायक होगी जो इस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं। पुस्तक के विषय का प्रतिपादन इतने सरल व स्पष्ट रूप मे किया गया है कि इस विषय के नये छात्र को भी कोई कठिनाई अनुभव न होगी और पुस्तक स्वय शिक्षक का काम देगी। विषय-वस्तु को हृदयगम कराने के लिये अधिक से अधिक उदाहरण दिये गये हैं व रोचक भाषा का प्रयोग किया गया है। यथास्थानो पर विधान की धाराओ की सख्या तथा सम्बन्धित न्यायाधीशो के निर्णयो का उल्लेख किया गया है।

सन् १९५७ के फाइनेन्स एक्ट (न० २) द्वारा आय कर अधिनियम मे किये गये सशोधनो के आधार पर ही इस पुस्तक की विषय सामग्री लिखी गई है और इसी फाइनेन्स एक्ट की आय कर से सम्बन्धित प्रमुख धाराओ का पुस्तक के अन्त मे उल्लेख किया गया है।

पुस्तक मे आगरा विश्वविद्यालय व अन्य विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० परीक्षा मे पूछे गये प्रमुख क्रियात्मक प्रश्नो को भी हल किया गया है, ताकि विद्यार्थियो को परीक्षा मे पूछे गये प्रश्नो के बारे मे उचित ज्ञान हो सके।

आशा है कि यह पुस्तक विद्यार्थियो तथा अन्य पाठको के लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी। प्रत्येक सुझाव का हृदय से स्वागत किया जायेगा।

कानपुर
३१ अगस्त, १९५७

—लेखक

SOME JUDICIAL OBSERVATIONS

("Income-Tax, if I may be pardoned for saying so, is a tax on income. It is not meant to be a tax on anything else It is one tax, not a collection of taxes essentially distinct."

—Per Lord Macnaghten, London County Council *v* Attorney-General 1901 A C. 26, 35/6 (H. L) 4 T. C 265, 293

("There are three stages in the imposition of a tax. there is the declaration of liability, that is the part of the statute which determines what persons in respect of what property are liable Next, there is the assessment. Liability does not depend on assessment. That ex. hypothesis has already been fixed. But assessment particularises the exact sum which a person liable has to pay. Lastly, come the methods of recovery, if the person taxed does not voluntarily pay.")

—Per Lord Dunedin, Whitney *V*. I. R. 10 T C 88 110 (H L), approved by the Federal Court, Chatturam *V* C I. T 1947 I T.R 302, 308, and by the Supreme Court Chatturam Horiram Ltd, *V*. C I T [1955] 27 I. T R. 709 716

विषय सूची

अध्याय १

विषय प्रवेश

(Introduction)

आय-कर (Inome tax) का आशय आय (Income) पर सरकार द्वारा कर लगाने से है।* यह कर मुख्यतया दो उद्देश्यो से लगाया जाता है :—

(i) सरकार की आय प्राप्त करने के लिए, जो कि प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न मदो पर व्यय की जाती है।

(ii) आय की असमानताओ को दूर करने के लिए।

भारतवर्ष मे कुछ व्यक्ति बहुत धनवान हैं और कुछ व्यक्ति बहुत निर्धन, अतः यह कर धनवान व्यक्तियो पर इसलिए भी लगाया जाता है कि उनकी आय कम हो और देश की आय की असमानतायें दूर हों।

ऊपर लिखे दोनो उद्देश्यों मे से वास्तव मे प्रथम उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है। आय कर भारतीय सरकार की आय का ही महत्त्वपूर्ण साधन नहीं है वरन् यह कर दुनियां के अन्य देशो म भी लगाया जाता है, जैसे इ ग्लैंड, अमेरिका आदि। इ ग्लैंड मे यह कर सर्व प्रथम सन् १७९९ म लगाया गया था।

आय कर का विस्तृत अध्ययन करने से पहले यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि यह कर सर्व प्रथम भारतवर्ष म कब और क्यो शुरू हुआ? क्या जिस दशा म आजकल आय-कर लगाया जाता है, उसी दशा मे यह उस समय भी था जबकि आय कर प्रथम बार भारत मे शुरू हुआ और यदि नहीं, तो प्रारम्भ से अब तक इसमे क्या क्या और कब कब मुख्य परिवर्तन हुए? इन सब प्रश्नो का उत्तर देने के लिए यह अधिक अच्छा होगा कि हम आय कर क इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन करें। सुविधा के हिसाब से इस इतिहास को नीचे लिखे ८ भागो मे बाँटा गया है :—

(१) सन् १८६० से सन् १८६५ तक,

(२) सन् १८६७ से सन् १८७३ तक,

(३) सन् १८७७ से सन् १८८६ तक,

(४) सन् १८८६ से सन् १९०३ तक,

(५) सन् १९०३ से सन् १९२२ तक,

---

* Incme tax if I may be pardoned for saying so, is a tax on income. It is not meant to be a tax on anything else. It is one tax, not a collection of taxes essentially distinct

—Per Lord Macnaghten, London County Council V. Attorney General 1901 A. C. 26 35/6 (H L), 4 T. C. 265, 293.

(६) सन् १९२२ से सन् १९३९ तक,
(७) सन् १९३९ से सन् १९५३ तक,
(८) सन् १९५३ से आज तक।

सन् १८६० से सन् १८६५ तक—

सन् १८५७ के गदर में सरकार को बहुत रकम व्यय करनी पड़ी थी। उस पर इतना आर्थिक बोझा आ गया था कि इसको साधारण तरीकों से उठाना असम्भव प्रतीत हुआ, अतः प्रथम बार सन् १८६० में सर जेम्स विल्सन (Sir James Wilson) के प्रयत्नों के कारण आय-कर की पद्धति आर्थिक बोझा हल्का करने के लिए अपनाई गई, जो कि ३१ जुलाई सन् १८६५ तक चलती रही और इसके बाद बन्द कर दी गई। यह कर पद्धति इस प्रकार थी :—

(अ) २०० रुपये से कम आय वालों पर कोई कर नहीं लगता था।

(ब) २०० रुपये से ४९९ तक की आय वालों पर २ रुपये प्रति सैंकड़ा कर लगता था।

(स) ४९९ रुपये से जिन लोगों की अधिक आय होती थी उन पर ४ रुपया प्रति सैंकड़ा कर लगता था।

सन् १८६७ से सन् १८७३ तक—

सन् १८६५ से सन् १८६७ के दो वर्ष की अवधि में किसी प्रकार का आय-कर भारतवर्ष में नहीं रहा, परन्तु इन दो वर्षों के बाद सन् १८६७ में आर्थिक कठिनाइयों ने भारतीय सरकार को लाइसेन्स टैक्स लगाने के लिए बाध्य किया, यह कर एक साल तक चलने के बाद कुछ संशोधनों के उपरान्त सर्टीफिकेट टैक्स (Certificate tax) में बदल दिया गया, परन्तु रिचर्ड टेम्पिल (Sir Richard Temple) के प्रस्ताव के अनुसार सर्टीफिकेट टैक्स के स्थान पर आय-कर १ अप्रैल सन् १८६९ से लगाया गया। सन् १८७३ में लार्ड नार्थब्रुक (Lord Northbrook) ने देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के बाद यह तय किया कि आय कर बन्द कर दिया जाय, परन्तु सर रिचर्ड टेम्पिल ने इसका विरोध किया। उनका विचार था कि राजस्व की स्थिरता के लिए ऐसा करना अनुचित होगा। परन्तु अन्त में यह कर सन् १८७३ में ही समाप्त कर दिया गया।

सन् १८७७ से सन् १८८६ तक—

सन् १८७३ के चार वर्ष बाद सर जान स्ट्रेची (Sir John Strachey) ने फिर आय-कर लगाया, परन्तु उस समय यह कर लाइसेन्स टैक्स (License Tax) कहलाता था। इस कर को लगाने का प्रमुख कारण सन् १८७६-७७ के अकाल में होने वाले व्ययों की पूर्ति करना था।

सन् १८८६ से सन् १९०३ तक—

सन् १८८६ मे लाइसेन्स टैक्स के स्थान पर आय कर अधिनियम पास किया गया। यह कर पद्धति इस प्रकार थी :—

(अ) ५०० रुपये से कम आय वाले व्यक्तियो पर कोई भी कर नही लगाया जाता था।

(ब) ५०० रुपये से १,९९९ रुपये तक की आय वाले व्यक्तियो पर ४ पाई प्रति रुपया कर लगाया जाता था।

(स) १,९९९ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियो पर ५ पाई प्रति रुपया के हिसाब से कर लगाया जाता था।

इस अधिनियम मे प्रथम बार आय को भिन्न भिन्न शीर्षको (Heads of Income) मे बाँटा गया। ये शीर्षक इस प्रकार थे :—

(अ) वेतन और पेन्शन,
(ब) कम्पनियो का लाभ,
(स) प्रतिभूतियो पर ब्याज,
(द) अन्य साधनो से आय।

सन् १९०३ से सन् १९२२ तक—

सन् १९०३ के बाद भी सन् १८८६ वाला ही आय कर अधिनियम चलता रहा, परन्तु इसमे एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पुराने अधिनियम में ५०० रुपये से कम आय वालो पर कोई आय-कर नही लगता था, परन्तु अब यह सीमा ५०० रु० से बढाकर १,००० रुपए कर दी गई, अर्थात् सन् १९०३ के सशोधन के अनुसार १,००० रुपये से कम आय वालो पर कोई भी आय कर नही लगता था। सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध के शुरु हो जाने पर सरकार को बहुत रुपयो की आवश्यकता हुई। इन आर्थिक कठिनाइयो को दूर करने के लिये सन् १९१७ मे प्रथम बार अधि-कर (Super tax) ५०,००० रुपये से अधिक आय वालो पर लगाया गया और सन् १९१८ में एक नया अधिनियम पास किया गया, जिसके अनुसार पुराने अधिनियम के अधिकाशतः दोषो को दूर किया गया। यह सघनित अधिनियम (Consolidating Act) यद्यपि बड उत्साह व बुद्धिमता के साथ बनाया गया था, परन्तु फिर भी कुछ ही समय में अपर्याप्त सिद्ध हुआ। सन् १९२१ मे एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना आय कर के प्रश्न पर विचार करने के लिये हुई। इसी कमेटी की सिफारिशो के आधार पर भारतीय आय कर अधिनियम सन् १९२२ (Indian Income-tax Act, 1922) पास किया गया। यह अधिनियम वास्तव में भारत के आय-कर के इतिहास मे प्रमुख आय-कर अधिनियम माना जाता है।

सन् १९२२ से सन् १९३९ तक—

सन् १९२२ के आय-कर अधिनियम के आधार पर ही आजकल भी कर

लगाये जाते है, यद्यपि इस अधिनियम का संशोधन कई बार हो चुका है। मोटे तौर पर हम यह कह सकते है कि आय-कर का इतिहास भारतवर्ष में सन् १९२२ से शुरू होता है। यह अधिनियम ब्रिटिश आय कर अधिनियम के आधार पर बनाया गया था। सन् १९२४ मे सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। इसी वर्ष आय कर की जांच करने के लिये सरकार ने टौडहन्टर कमेटी की स्थापना की। इसी कमेटी की सिफारिशो पर सन् १९२६ मे आय कर अधिनियम मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुये। सन् १९३१ मे आय कर और अधि कर (Super-tax) पर सरचार्ज (Surcharge) लगाये गये। सन् १९३५ मे इस अधिनियम की जांच करने के लिये एक ऐय्यर कमेटी (Ayyer Committee) नियुक्त की गई। इस कमटी की सिफारिशो के आधार पर सन् १९३९ मे इस अधिनियम मे बडे बड संशोधन हुए।

सन् १९३९ से सन् १९५३ तक—

सन् १९३९ मे एक संशोधित आय कर अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार आय कर में बहुत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।

सन् १९३९ के आय कर अधिनियम में सबसे मुख्य परिवर्तन यह किया गया था कि पुराने आय कर लगान क Step System के स्थान पर Slab System शुरू किया गया। इन दोनो विधियो का विस्तृत वर्णन अध्याय १६ मे किया गया है। सन् १९४४ मे 'जैसे कमाओ वैसे ही भुगतान करो' (Pay as you earn) योजना शुरू की गई। सन् १९४५ मे उपार्जित आय की छूट की योजना भारत में शुरू की गई अर्थात् उपार्जित आय और अनुपार्जित आय मे अन्तर किया जाने लगा। १ अप्रैल सन् १९४६ मे ३१ मार्च सन् १९४९ तक व्यापार के लाभ के ऊपर व्यापार लाभ कर (Business Profit Tax) लगाया गया। सन् १९४७ मे पूंजी लाभ (Capital Gains) पर भी कर लगाया गया, परन्तु गहरे विरोध के कारण, भूतपूर्व अर्थमन्त्री डा० जोन मथाई के प्रयत्नो द्वारा सन् १९४९ मे हटा लिया गया। सन् १९४७ में आय कर की न्यूनतम् सीमा २,००० रुपय के स्थान पर २,५०० रुपये कर दी गई। आय कर संशोधित बिल सन् १९५१ मे पास कराने की कोशिश की गई, परन्तु वह पास न हो सका। सन् १९५२ मे फिर इस बात के प्रयत्न किये गये कि आय कर संशोधित बिल पास किये जायें।

सन् १९५३ से आज तक—

इस बिल की जाच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इसी समिति की सिफारिशो के आधार पर सन् १९५३ में भारतीय आय कर संशोधित अधिनियम (Indian Income tax Amendment Act) पास किया गया। कुछ संशोधन सन् १९५४ मे किये गये। सन् १९५५ मे संशोधन इस आधार पर किये गये ताकि धनी लोगो पर अधिक कर लगे और गरीबो को कर देने से छूट मिले। आय कर

अधिनियम की कई धारायें इस वर्ष परिवर्तित की गई। इस अधिनियम मे विवाहित और अविवाहित पुरुषो की आय पर आय-कर लगाने के नये नियम बनाये गये। वित्त अधिनियम सन् १९५६ के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म को दी हुई बहुत सी सुविधाए हटा ली गई। करदेय वर्ष सन् १९५७-५८ से पूंजी लाभ पर धारा १२ B के अनुसार फिर कर लगने लगा है।

भारत मे कुल आय, जिस पर कि कर लगना चाहिए, भारतीय आय-कर अधिनियम के द्वारा निश्चित की जाती है, परन्तु जिस दर पर कर लगना चाहिए वह उस वित्त अधिनियम द्वारा निश्चित की जाती है, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष पास किया जाता है। वित्त अधिनियम सन् १९५८ (Finance Act, 1958) पर प्रैसीडेन्ट ने अपनी स्वीकृति २८ अप्रैल सन् १९५८ को दी थी। यह एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमे उन्नति छूट (Development Rebate) की दरो में महत्त्व पूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिनका वर्णन अध्याय ११ मे दिया गया है और भी जो परिवर्तन इस विधान म किये गये है उनका वर्णन भी इस पुस्तक में यथास्थान दिया गया है।

वित्त अधिनियम सन् १९५९ (Finance Act of 1959) पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति २८ अप्रैल सन् १९५९ को प्राप्त हो गई थी। इस अधिनियम के अनुसार निवासियो की करदेय प्रदेश मे न लाई हुई आय पर ४,५०० रुपए की मिलने वाली छूट को बन्द कर दिया गया है। लाभाश को सकल (gross) करना भी बन्द कर दिया गया है।

वित्त अधिनियम सन् १९६० मे भी कई परिवर्तन किये गये हैं, जिनमें से प्रमुख परिवर्तन सम्पत्ति पर दिये जाने वाले म्यूनिसपल व स्थानीय करो के दायित्व का है—उस सम्पत्ति के सम्बन्ध मे जिसका बनना १ अप्रैल सन् १९५० के पहिले समाप्त हो गया था, म्यूनिसपल व स्थानीय करो की पूरी रकम व अन्य प्रकार की सम्पत्तियो मे इन करो की आधी रकम ही किरायेदार का दायित्व मानी जायेगी।

इस विधान के अनुसार हुये सभी परिवर्तनो को समझने के लिये वित्त अधिनियम सन् १९६० को परिशिष्ट मे दिया गया है और इन परिवर्तनो को पुस्तक के अन्दर भी यथास्थान दिया गया है।

आय-कर अधिनियम का विस्तृत रूप में अध्ययन करने से पहले यह उचित प्रतीत होता है कि आय कर अधिकारियो के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय।

आय-कर अधिकारी

- शासन-सम्बन्धी अधिकारी
  - सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
    - आय कर व अधि कर
    - आवकारी कर
    - आगम शुल्क इत्यादि
- न्याय-सम्बन्धी अधिकारी
  - न्याय सम्बन्धी आय-कर अधिकारी
  - सुप्रीम कोर्ट
  - हाई कोर्ट
  - अपेलेट ट्रिबुनल
  - अपेलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर
  - इनकम टैक्स ऑफीसर

इस बोर्ड का एक सदस्य आय कर विभाग का अधिकारी होता है, जिसके नीचे

- कमिश्नर
- असिस्टेन्ट कमिश्नर
  - १. इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर
  - २. अपेलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर
- इनकम टैक्स ऑफीसर
- इनकम टैक्स इन्सपेक्टर

इनमे से प्रत्येक का वर्णन नीचे दिया जाता है :—

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू—

इस बोर्ड की स्थापना सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट सन् १९२४ के अनुसार हुई थी। यह वित्त मन्त्री के अधिकार मे होता है। इसमें कुछ सदस्य होते हैं, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सबसे सीनियर सदस्य बोर्ड का चेयरमैन होता है। सम्पत्ति कर, व्यय कर, दान कर के अतिरिक्त यह विभाग आय कर, अधि कर, आवकारी कर (Excise duty) और आगम शुल्क (Custom duty)

पर नियन्त्रण करता है। इसे आय कर अधिनियम की धारा ५६ के अनुसार नियम (Rules) निर्गमित करने का अधिकार है। इसके एक सदस्य के अधिकार मे आय-कर विभाग होता है और इस विभाग के उच्च अधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सिफारिशो पर नियुक्त किये जाते हैं।

आय-कर के कमिश्नर—

ये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और अधिकतर एक राज्य के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, परन्तु केन्द्रीय सरकार को पूरा अधिकार है कि वह जितने कमिश्नर चाहे नियुक्त कर सकती है। उस क्षेत्र के इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफीसर इसके नियन्त्रण मे काम करते है। इसे द्वितीय विभाग के इनकम टैक्स ऑफीसर और आय कर के निरीक्षको को भी नियुक्त करने का अधिकार है। धारा ३३ (२) के अनुसार वह अपेलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के आर्डर के विरोध मे अपेलेट ट्रिबुनल मे अपील करने की आज्ञा आय कर अधिकारी को दे सकता है। धारा ३३ A और धारा ३३ B के अनुसार उसे अपने से नीचे आय-कर अधिकारियो के आदेशो को रिवीजन करने का अधिकार है। धारा ६६ में भी इसके कुछ अधिकारो का वर्णन है। उसे यह भी अधिकार है कि वह एक मामले को एक आय-कर अधिकारी से दूसरे आय-कर अधिकारी के पास हस्तान्तरित कर सकता है।

इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर—

ये आय कर कमिश्नर के नियन्त्रण मे रहते है और इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। आय-कर कमिश्नर राज्य को कई क्षेत्रो में बांट देता है और हर एक क्षेत्र के लिए एक इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर होता है। इसके क्षेत्र के इनकम टैक्स ऑफीसर इसी के नियन्त्रण मे काम करते हैं। यदि इनकम-टैक्स ऑफीसर कोई आर्थिक दण्ड धारा २८ के अन्तर्गत लगाना चाहता है तो बिना इसकी स्वीकृति के नही लगा सकता है। धारा ५ (५) के अनुसार वह उन क्षेत्रो मे वे कार्य करते हैं जो आय-कर कमिश्नर द्वारा निर्देशित किये जाते हैं। कमिश्नर उसे यह भी आज्ञा दे सकता है कि वह एक निश्चित मामले मे आय-कर ऑफीसर के अधिकारो का भी प्रयोग कर सकता है। वह धारा ३८ के अनुसार सूचनायें प्राप्त कर सकता है और धारा ३६ के अनुसार कम्पनी के सदस्यो के रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है। इसके अन्य अधिकारो का वर्णन धारा ५ (७ B), १० (५) (a) Proviso १, १२ B (२) (ii) Proviso १, १७ (१) (b) Proviso २, २३ A (८), २८ (६) और धारा ५३ में किया गया है।

इनकम-टैक्स ऑफीसर—

इसकी नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जाती है। आय-कर निर्धारण करना और वसूल करना इसका मुख्य काम होता है। आय-कर इन्सपेक्टर इसके नियन्त्रण मे काम करते है। वास्तव में आय कर विभाग मे व्यवहारिक दृष्टि से सबसे

महत्वपूर्ण अधिकारी यही होता है। इसके अधिकारों व कर्त्तव्यों का वर्णन आय कर अधिनियम की धाराओं १२ A, १३, १८, २२, २३, २३ A, २३ B, २४ A, २४ B, २५, २५ A, २६ A, २७, २८, २६, ३४, ३५, ३७, ३८, ३६, ४२, ४३, ४५, ४६, ४८ और ६४ (४) मे किया गया है।

इन्सपेक्टर ऑफ इनकम टैक्स—

ये आय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करते हैं, जैसे नये करदाताओं का पता लगाना। ये इनकम टैक्स ऑफीसर को दी गई भिन्न भिन्न सूचनाओं की जाच उसकी आज्ञानुसार करते हैं। इनकी नियुक्ति इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा की जाती है। यदि इनको किसी अन्य आय कर अधिकारी के नीचे कार्य करने के लिये रखा गया है तो ये उस अधिकारी की आज्ञा पालन करते हैं।

डाइरेक्टर ऑफ इन्सपेक्शन—

शासन सम्बन्धी विभाग में केन्द्रीय सरकार द्वारा कमिश्नर की बराबरी का एक और ऑफीसर नियुक्त किया जाता है जिसे डाइरेक्टर ऑफ इन्सपेक्शन (Director of Inspection) कहते है। केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह जितने डाइरेक्टर ऑफ इन्सपेक्शन की नियुक्ति करना उचित समझे, कर सकती है। इसके कार्यक्षेत्र की सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, परन्तु इसे यह अधिकार होता है कि वह इनकम टैक्स ऑफीसर को आय कर निर्धारण करने से सम्बन्धित आज्ञाएं दे सकता है।

न्याय सम्बन्धी अधिकारी (Judicial Officers)—

अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर—

जब कर दाता इनकम टैक्स ऑफीसर के निर्णय से सतुष्ट नही होता है तो वह इनके यहाँ अपील करता है। इनके दिए हुए निर्णय के विरुद्ध अपेलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) मे ही अपील की जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर या डाइरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को इनके काम मे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इनके कर्त्तव्यों का वर्णन धारा २८, ३०, ३१, ३५, ३७, ३८ और ३६ मे किया गया है।

अपेलेट ट्रिब्यूनल—

धारा ५ अ के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपेलेट ट्रिब्यूनल की नियुक्ति करती है। केन्द्रीय सरकार जितने सदस्यों को चाहे इस ट्रिब्यूनल के लिए नियुक्त कर सकती है, परन्तु कम से कम दो सदस्य अवश्य होने चाहिये, जिनमें एक सदस्य न्याय सम्बन्धी (Judicial Member) तथा दूसरा सदस्य हिसाब किताब (Accountant Member) सम्बन्धी होता है। अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा दिये हुये निर्णय से यदि कर दाता या इनकम टैक्स ऑफीसर में से कोई भी असन्तुष्ट हो, तो इस न्यायालय मे अपील कर सकता है। कर दाता को ऐसा करने के

लिए १०० रुपये जमा करना आवश्यक है, परन्तु आय कर विभाग को अपील करने के लिए इस प्रकार की कोई रकम जमा करने की आवश्यकता नही है। यह अपील अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर के फैसले के ६० दिन के अन्दर हो सकती है। इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय तथ्य के विषय में अन्तिम निर्णय माना जाता है, परन्तु यदि कोई कानून के विषय के निर्णय से असन्तुष्ट हो तो इसकी अपील हाईकोर्ट में की जा सकती है।

हाई कोर्ट—

यदि अपेलेट ट्रिब्यूनल के कानून के विषय मे दिए हुये निर्णय से कोई पक्ष असन्तुष्ट होता है, तो ६० दिन के अन्दर इस न्यायालय मे अपील कर सकता है। करदाता को यहाँ भी १०० रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है, परन्तु आय कर विभाग को यहाँ अपील करने के लिए कोई रुपये जमा करने की आवश्यकता नही होती है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इस न्यायालय मे अपील करने के लिए अपेलेट ट्रिब्यूनल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। यदि अपेलेट ट्रिब्यूनल अपनी स्वीकृति न दे तो दोनो पक्षो को अधिकार है कि हाईकोर्ट मे प्रार्थना पत्र पेश करें कि ऐसी स्वीकृति प्रदान की जावे और हाई कोर्ट इस प्रकार की स्वीकृति तभी प्रदान करेगा जबकि वह इस प्रार्थना को नियमानुसार उचित समझेगा।

सुप्रीम कोर्ट—

यदि कोई पक्ष हाई कोर्ट के निर्णय से असन्तुष्ट हो, तो हाई कोर्ट की स्वीकृति लेकर इस न्यायालय मे अपील कर सकता है। इस न्यायालय द्वारा दिया हुआ निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता है। धारा ६६ A के अनुसार इस कोर्ट मे अपील की जा सकती है।

QUESTIONS

1. (a) What were the circumstances in India due to which Income tax was imposed first time in this country
   (b) Give brief history of Income tax in India
2. Write short notes on —
   Various Income tax authorities of India
   (Agra, B Com, 1953)
3. Write a note on Central Board of Revenue, Income-tax Commissioners, and Inspecting Assistant Commissioners
4. Describe the various authorities entrusted with the work of administering the law of Income tax in India.
   (Raj., B. Com, 1959)

अध्याय २

परिभाषाएँ

(Definitions)

करदाता (Assessee)—

करदाता की परिभाषा—

इसकी परिभाषा आय-कर अधिनियम की धारा २ (२) में इस प्रकार की गई है—
"करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा आय-कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अन्दर देय (Payable) हो और इसमें वे सब व्यक्ति शामिल हैं जिन पर इस अधिनियम के अनुसार उनकी आय पर कर लगाने के लिए या उनकी हानि की गणना के लिए या उनको कर वापस देने के लिए कोई कार्यवाही की गई हो।"

इस अधिनियम के अन्दर नीचे दिए हुए व्यक्ति भी राशि देने वाले होते हैं, जिन पर वास्तव में कर नहीं लगता, परन्तु उन्हें दूसरे व्यक्ति पर लगे हुए कर की राशि देनी पड़ती है। इन व्यक्तियों को भी करदाता कहते हैं :—

(अ) एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसका कानूनी उत्तराधिकारी धारा २४ (B) के अनुसार उस कर को देने के लिए उत्तरदायी है जो कि उस मरे हुए व्यक्ति को देना चाहिए था, इसलिए उसे करदाता माना जाता है।

(ब) धारा ४० के अनुसार एक अवयस्क और पागल का सरक्षक या ट्रस्टी करदाता की तरह समझा जाता है।

(स) धारा ४२ (१) के अनुसार एक करदेय प्रदेश के लिए विदेशी (Non resident) द्वारा दिये जाने वाले कर के लिए उसका अभिकर्त्ता (Agent) करदाता की तरह समझा जाता है।

(द) एक व्यक्ति, जिसे धारा १८ के अनुसार दूसरे व्यक्ति को राशि देने के पहिले कर काटने का अधिकार था, कर नहीं काटता है या कर काट लेता है, लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं करता है तो धारा १८ (७) के अनुसार वह करदाता माना जायेगा।

परिभाषा का महत्त्व—

आय कर अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति से आय-कर वसूल नहीं कर सकते हैं। वे केवल करदाताओं से ही आय-कर वसूल कर सकते हैं, अतः करदाता की परिभाषा

ठीक प्रकार न समझी जाय तो सारा आय-कर अधिनियम व्यर्थ हो जायगा। यही कारण है कि करदाता की परिभाषा को इस अधिनियम मे महत्त्वपूर्ण माना गया है।

करदाताओं का वर्गीकरण (Classification of Assessees)—

करदाताओ के महत्त्वपूर्ण होने के कारण, जैसा कि ऊपर समझाया जा चुका है, आय-कर अधिनियम मे इनका नीचे लिखा वर्गीकरण किया गया है :—

(अ) एक व्यक्ति (Individual),
(ब) हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu undivided family),
(स) फर्म (Firm),
(द) स्थानीय सरकार (Local Authority),
(य) कम्पनी (Company),
(फ) व्यक्तियो के अन्य सघ (Other Association of Persons)

व्यक्ति (Person)—

'व्यक्ति' की परिभाषा—

आय-कर अधिनियम की धारा २ (९) के अनुसार "व्यक्ति मे हिन्दू अविभाजित परिवार और स्थानीय सरकार सम्मिलित है।"

अधिनियम की दी हुई यह परिभाषा स्पष्ट नही है। वास्तव मे व्यक्ति का आशय एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, स्थानीय सरकार, व्यक्तियों का सघ और कम्पनी से है। स्थानीय सरकार का आशय म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट आदि से है।

आय कर अधिकारी एक पागल व्यक्ति को भी व्यक्ति की परिभाषा मे लेते हैं, क्योकि यदि पागल व्यक्ति आय-कर अधिनियम मे व्यक्ति न माना जाय तो बहुत से करदाता कर देने के समय पर अपने को पागल बना लेंगे।

अवयस्क (Minor) भी आय-कर अधिनियम में व्यक्ति माना जाता है। एक पागल और अवयस्क दोनो ही आय कर के लिए व्यक्ति माने गये हैं। यह निर्णय Rex Vs. New Market Commissioners के मामले मे सन् १९४९ मे दिया गया था।

सूक्ष्म मे, *हम व्यक्ति की परिभाषा को इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी* व्यक्ति, जिसकी आय आय कर अधिनियम के अनुसार कर देने योग्य होगी, वही व्यक्ति करदाता मान लिया जायगा, चाहे वह अवयस्क हो या पागल या अन्य प्रकार का उसमें कोई दोष हो।

परिभाषा का महत्त्व—

करदाता की परिभाषा समझने के लिए 'व्यक्ति' की परिभाषा समझना अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि करदाता की परिभाषा मे व्यक्ति शब्द का प्रयोग

हुआ है, जो कि बहुत महत्त्वपूर्ण है। आय-कर अधिनियम में व्यक्ति की परिभाषा नही की गई है, बल्कि यह बताया गया है कि व्यक्ति मे कौन-कौन से लोग सम्मिलित हैं।

करदेय प्रदेश (Taxable Territory)—

करदेय प्रदेश की परिभाषा—

इसकी परिभाषा आय कर अधिनियम की धारा २ (14-A) मे की गई है, जो कि बहुत विस्तृत है। सूक्ष्म में, 'करदेय प्रदेश' का अर्थ सम्पूर्ण भारतवर्ष से है।

जहाँ जहाँ के व्यक्तियो को भारतीय आय-कर अधिनियम के अनुसार आय कर देना पडता है वे सभी स्थान करदेय प्रदेश कहे जाते हैं। इसकी परिभाषा मे कई बार परिवर्तन किये गये है। यह नीचे दिये हुए विवरण से स्पष्ट हो जायेगा—

१ अप्रैल सन् १६५० से १२ अप्रैल सन् १६५० तक करदेय प्रदेश का आशय जम्मू, काश्मीर, पटियाला और पूर्वी पजाब राज्य सघ को छोडकर शेष सारे भारतवर्ष से था।

१३ अप्रैल सन् १६५० से १२ अप्रैल सन् १६५४ तक करदेय प्रदेश का आशय जम्मू और काश्मीर को छोडकर सारे भारतवर्ष से था।

१२ अप्रैल सन् १६५४ के बाद से करदेय प्रदेश का आशय सारे भारतवर्ष से हो गया है।

परिभाषा का महत्त्व—

आय कर विधान के लिए यह परिभाषा बहुत महत्त्वपूर्ण इसलिए बन गई है, क्योंकि आय कर व्यक्तियो पर उनके करदेय प्रदेश के अनुसार लगता है। हमारी सर कार कर निर्धारण के लिए यह जानना आवश्यक समझती है कि करदाता करदेय प्रदेश का है कि करदेय प्रदेश के बाहर का।

गत वर्ष (Previous year)—

गत वर्ष की परिभाषा—

इसकी परिभाषा आय कर अधिनियम की धारा २ (११) मे की गई है—

'गत वर्ष' का आशय अधिकतर उन १२ महीनो से होता है जो उस ३१ मार्च को समाप्त होते हैं जो कि चालू वर्ष या कर निर्धारण वर्ष के पहिले आती है। चालू वर्ष १ अप्रैल से शुरु होती है।

गत वर्ष को पिछले आर्थिक वर्ष मे किसी न किसी दिन समाप्त होना चाहिए।

किसी भी मद की आमदनी के लिए गत वर्ष का मतलब इस प्रकार है :—

जिस वर्ष के लिए कर लगना है उस वर्ष से पहले ३१ मार्च को जो १२ महीने पूरे होते हो या करदाता का हिसाब इसके पहले किसी तारीख को बन्द होता हो तो वहाँ तक के १२ महीनो को गत वर्ष कहा जाता है।

साराश यह है कि सन् १६६० ६१ करदेय वर्ष के लिए गत वर्ष, जिसकी आय पर कर लगेगा, १-४ ५६ से ३१-३ ६० तक होगा।

प्रायः लोगों के बही खाते ३१ मार्च को न बन्द होकर दशहरा, दिवाली या असाढ मे बन्द होते हैं। ऐसी हालत मे १-४-५६ से ३१-३-६० के बीच जो दशहरा, दिवाली या असाढ पडा हो वहां तक का एक वर्ष सन् १९६०-६१ करदेय वर्ष के लिए गत वर्ष होगा। इसी वर्ष को एकाउन्टिङ्ग वर्ष (Accounting year) भी कहते है।

गत वर्षों के समझने के लिए नीचे दी हुई समय सारिणी को देखिये—

Accounting Periods with reference to Income-tax Year

Income-tax year or assessment year	Income year or (Previous year)	*Calender year*
1955—56	1-4-54—31-3-55	1-1-54—31-12-54
1956—57	1-4-55—31-3-56	1-1-55—31-12-55
1957—58	1-4-56—31-3-57	1-1-56—31-12-56
1958—59	1-4-57—31-3-58	1-1-57—31 12-57
1959—60	1-4-58—31-3 59	1-1-58—31-12-58
1960—61	1-4-59—31-3-60	1-1-59—31-12-59

एक बार गत वर्ष निश्चित कर लेने के बाद बार-बार बदली नही जा सकती है और यदि बदलना आवश्यक हो तो आय कर ऑफीसर से स्वीकृति लेनी पडती है।

यदि एक व्यक्ति को भिन्न-भिन्न साधनो से आय प्राप्त होती है तो यह उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वह सब साधनो के लिए एक ही गत वर्ष रखे या प्रत्येक साधन के लिए अलग-अलग गत वर्ष रखे, लेकिन सब वर्षों की अन्तिम तारीखें ३१ मार्च के पहले अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए। किसी फर्म के साझेदार का गत वर्ष फर्म से प्राप्त होने वाली आय के लिए वही होता है जो कि फर्म का, यदि फर्म पर स्वय कर निर्धारण किया जा चुका है।

नये स्थापित किये हुए व्यापारो के सम्बन्ध मे गत वर्ष ३१ मार्च को ही समाप्त किया जा सकता है या अन्य किसी तिथि पर, परन्तु यह समय १२ महीने से अधिक नही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापार १ सितम्बर सन् १९५५ को प्रारम्भ होता है तो सन् १९५६-५७ करदेय वर्ष के लिए इसकी गत वर्ष ३१ मार्च सन् १९५६ को समाप्त हो सकती है, परन्तु यदि व्यापार का स्वामी चाहे तो अपनी गत वर्ष को ३१ अगस्त सन् १९५६ को भी समाप्त कर सकता है, परन्तु इस दशा में

सन् १९५६-५७ मे उस व्यक्ति की आय पर कोई आय कर नही लगेगा, परन्तु सन् १९५७-५८ मे आय-कर अवश्य लगेगा।

गत वर्ष सदैव ३१ मार्च को या इससे पहले ही समाप्त होता है, परन्तु यदि किसी करदाता का गत वर्ष ३१ मार्च के कुछ दिनो बाद समाप्त होता हो तो क्या उस वर्ष को गत वर्ष माना जा सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर के लिए नीचे एक उदाहरण *दिया गया है :—*

यदि करदाता का वर्ष ४ अप्रैल सन् १९५४ से आरम्भ होता है और ३ अप्रैल सन् १९५५ को समाप्त होता है तो गत वर्ष की परिभाषा के अनुसार सन् १९५४-५५ को सन् १९५५-५६ करदेय वर्ष के लिये गत वर्ष नही मानना चाहिये, क्योकि गत वर्ष ३१ मार्च के तीन दिन बाद समाप्त होती है। इस आय पर कर सन् १९५६-५७ मे लगना चाहिये। इस कठिनाई को दूर करने के लिये सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी को इन मामलो में यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी वर्ष को गत वर्ष मान सकते है, जोकि ११ महीने से कम व १३ महीने से अधिक न हो और ऐसा भी वर्ष गत वर्ष माना जाता है जो कि आर्थिक वर्ष समाप्त होने के एक माह के अन्दर समाप्त हो जाता है। इस अधिकार के अनुसार ऊपर दिये हुए उदाहरण मे सन् १९५४-५५ को सन् १९५५-५६ करदेय वर्ष के लिये गत वर्ष माना जा सकता है। यह निर्णय Nanak Chand Fateh Chand Vs. C. I. T. के मामले मे दिया गया था।

परिभाषा का महत्व—

आय-कर गत वर्ष की आय पर लगता है, अतः आय-कर देने के लिए गत वर्ष की परिभाषा समझना अत्यन्त आवश्यक है।

आय-कर गत वर्ष की आय पर लगता है। इस नियम के निम्न अपवाद (Exceptions) हैं :—

(१) *यदि कोई व्यापार साल के मध्य मे ही समाप्त हो जाय तो उसकी* आय पर तुरन्त कर लगा दिया जायगा। जो व्यक्ति व्यापार बन्द करते हैं उन्हे व्यापार बन्द करने के १५ दिन के अन्दर आय-कर अधिकारी को व्यापार बन्द करने की सूचना दे देनी चाहिये। यदि यह सूचना नही दी जाती है तो इस व्यक्ति पर व्यापार बन्द होने के समय तक की आय पर लगने वाले कर के बराबर तक *जुर्माना किया जा* सकता है। [धारा २५]

(२) यदि कोई व्यक्ति भारत को सदैव के लिए छोड रहा हो, तो उसकी इस वर्ष की आय पर इसी वर्ष कर लग जायगा। [धारा २४ अ]

(३) कुछ विशेष प्रकार के समुद्री जहाजो के मालिको पर उसी वर्ष कर लगता है जिस वर्ष कि आय पैदा की जाती है। ये धारायें ऐसे विदेशी

समुद्री जहाजो के मालिको पर लगती है जिनका कोई एजेन्ट भारत में नहीं है। इन जहाजो के बन्दरगाह छोडने के पहिले, इनके मालिक को इनकी भारतीय प्राप्ति के $\frac{1}{2}$ पर कर देना पड़ता है। यह कर चुका देने के बाद ही Port Clearance प्रमाण पत्र दिया जाता है।

[धारा ४४ अ, ४४ ब]

कृषि आय (Agricultural Income)—

कृषि आय की परिभाषा—

इसकी परिभाषा आय-कर अधिनियम की धारा २ (१) मे दी हुई है। कृषि आय उस भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं जोकि खेती के काम के लिए प्रयोग की जाती हो और जिस पर सरकार को भूमि कर या स्थानीय कर देना पड़ता हो, अर्थात् कृषि आय उस भूमि की आय को कहते हैं जो इन दोनो नियमो का पालन करे :—

(अ) यह भूमि कृषि काय के लिए प्रयोग की जाती हो और

(ब) इस भूमि पर भूमि-कर या स्थानीय कर लगता हो।

उदाहरण (१)—माना कि अ एक ऐसी भूमि का मालिक है जो कि कृषि काम के लिए प्रयोग की जाती है और जिस पर भूमि कर लगता है तो इस भूमि से जो आय प्राप्त होगी, वह अ के लिए कृषि आय होगी, परन्तु यदि अ इस भूमि की पैदावार को ब को बेच देता है और और ब उस पैदावार को कटवा कर स को बेच कर आय प्राप्त करता है तो ब के लिए यह कृषि आय नही कही जायगी।

(C. I T. Vs. Maddi Venkatsubbayya 1951)

उदाहरण (२)—एक जमीदार के पास कुछ जमीन है, जिस पर पेड अपने आप उगते हैं। वह इन पेडो की लकडी काट कर बेचता है। इस लकडी से जो आय प्राप्त की जायगी वह कृषि आय नहीं होगी, क्योकि इस भूमि के ऊपर जमीदार को कोई भूमि-कर नही देना पडता है और इस भूमि पर खेती का कार्य नही होता है।

(अ) कृषि कार्य के लिए भूमि का प्रयोग करना (Land used for Agricultural purposes)—

यह वाक्य कृषि आय की परिभाषा मे प्रयोग हुआ है। इसे समझने के लिए नीचे दिया हुआ वर्णन महत्वपूर्ण है :—

इस सम्बन्ध में कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स बनाम राजा विनयकुमार साहसरॉय सन् १९५७ (C. I. T Vs. Raja Benoy Kumar Sahas Roy 1957) मे उच्चतम् न्यायालय के दिए हुए निर्णय को सर्वमान्य माना गया है। न्यायाधीश श्री भगवती ने इस मामले में कृषि भूमि और कृषि कार्य का पूरा वर्णन

करने के पश्चात् खेती के कार्य के लिए भूमि को प्रयोग करने के बारे में निम्नलिखित चार सिद्धान्तों पर जोर दिया है :—

(१) प्रारम्भिक क्रियाएँ—पौधा निकलने के पहले की कुछ आवश्यक क्रियायें, जिनमें मनुष्य अपना श्रम व बुद्धि केवल भूमि की पैदावार पर ही नहीं वरन् भूमि पर भी प्रयोग करता है, कृषि के अन्तर्गत आती है। इन आवश्यक क्रियाओं के उदाहरणों में भूमि का जोतना, भूमि में पानी लगाना और बीज बोना आदि है।

(२) बाद की क्रियाएँ—इनमें वे क्रियाएँ शामिल है जो भूमि से पौधा निकलने के बाद की जाती है। जैसे—निराई करना, गुड़ाई करना, सिंचाई करना और पौधों को कीड़ों व अन्य जानवरों से रक्षा करना आदि। ये क्रियाएँ प्रारम्भिक क्रियाओं के साथ कृषि की क्रियाएँ हैं।

(३) कृषि का सम्बन्ध मनुष्य व जानवरों के लिये अनाज और खाद्य सामिग्री पैदा करने से ही नहीं है, बल्कि सब व्यापारिक फसलें, जैसे—चाय, कॉफी, तम्बाकू, कपास, गन्ना, रबर, जूट आदि के पैदा करने से भी है।

(४) जो क्रियाएँ भूमि पर कोई आवश्यक कार्य नहीं करेंगी, उन्हें कृषि की क्रियाएँ केवल इसीलिए ही नहीं कहा जायगा कि इनका भूमि से सम्बन्ध है। जैसे जानवरों का पालना, डेरी (Dairy) का काम करना, मुर्गी पालना आदि स्वतः कृषि कार्य नहीं है।

सन् १९५७ में उच्चतम् न्यायालय ने कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स बनाम ज्योतीकना चौधरानी और सर कामेश्वरसिंह बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (C. I T. Vs. Jyotikana Chowdhurani & Sir Kameshwar Singh Vs. C. I. T. 1957) में ऊपर लिखे हुए सिद्धान्तों के आधार पर ही निर्णय दिया था कि एक जंगल में न तो भूमि जोती जाती है और न बीज बोया जाता है, वरन् सब पेड़ अपने आप उगते हैं। इसलिए जंगल के पेड़ों की रक्षा करने के लिये व उनकी तरक्की करने के लिये किये गये काम, जो कि 'बाद की क्रियाओं' के अन्तर्गत आते है, कृषि की क्रियाएं नहीं माने जावेंगे। लेकिन सन् १९५८ में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम राजा विनयकुमार साहसरॉय के मामले में जहाँ जङ्गल के साफ किए हुये भाग पर नए रूप से वृक्षारोपण किया गया था और पेड़ों को बढ़ाने व उनकी रक्षा करने के लिए बाद की क्रियाएँ भी की गई थीं वहाँ इस प्रकार से दुबारा लगाये गये पेड़ों से प्राप्त होने वाली आय को कृषि की आय माना गया है।

जंगली घास या बाँस से, जोकि अपने आप उगे हों, प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नहीं है। (Rani Tara Kumari Devi Vs. C. I. T. 1946)

भूमि जो कि ऐसे जानवरों को चराने के लिए पट्टे पर दी जाती है जिन्हें कृषि के काम में प्रयोग किया जाता है, तो घास के चराने से प्राप्त होने वाली इस पट्टे की

आय को कृषि आय कहा जायगा। चाहे वह घास भूमि पर अपने आप जमी हो या भूमि जोत कर उगाई गई हो।

(C. I. T. Vs. Rai Shamsherjang Bahadur 1953)

यदि एक डेरी जोकि ऐसे जानवरो द्वारा चलाई जाती है जिन्हे अपनी स्वय की कृषि भूमि पर चराया जाता है तो इसकी आय कृषि आय मानी जायगी।

(C I. T. Vs. Vankataswamy Naidu 1956)

कृषि शब्द का मुख्य अर्थ भूमि को जोतने से है। Agri का अर्थ खेती है और Culture का अर्थ जोतना है, अतः Agricultural का अर्थ खेत जोतना व इससे सम्बन्धित कार्य करना है।

(ब) भूमि जिस पर भारतवर्ष में भूमि-कर या स्थानीय-कर लगता हो—

यह वाक्य भी कृषि आय की परिभाषा मे प्रयोग हुआ है। कृषि आय का अर्थ समझने के लिए इसे भी भली भाति समझ लेना चाहिये।

यदि भूमि भारतवर्ष के बाहर स्थित है और इस पर किसी विदेशी सरकार द्वारा लगान लिया जाता है तो इस भूमि से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नही कही जायगी।

(Kumar Jagadish Chandra Sinha Vs C. I. T. 1955)

कृषि आय की परिभाषा मे स्थानीय-कर का आशय उस कर से है जोकि सरकार के किसी अफसर द्वारा स्थानीय सरकार के लाभ के लिए निर्धारित एव एकत्रित किया जाता है। यदि स्थानीय कर स्थानीय सरकार जैसे म्युनिसिपैलिटी द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसी के द्वारा वसूल किया जाता है तो ऐसी भूमि की आय को कृषि आय नही कहा जायगा, चाहे उस पर पूर्णतया कृषि कार्य ही क्यो न किया जाता हो।

(Hulas Narain Singh Vs. Prov. of Bihar 1942)

कृषि आय को समझने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये हुए हैं :—

(१) मकान से प्राप्त होने वाली आय—एक ऐसे मकान से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय कही जायेगी जोकि कृषि के कार्य में मदद देने के लिए कृषि भूमि के पास बनाया गया हो। कृषि काम में मदद देने से आशय गल्ला रखना, बीज रखना, कृषि के औजार रखना और कृषि मे प्रयोग होने वाले जानवरो आदि को रखने से है।

(२) कृषि आय मे से एक कम्पनी के द्वारा दिया हुआ लाभांश—उच्चतम् न्यायालय ने सन् १९५५ मे Bacha Guzdar Vs. C. I. T. के मामले में यह निर्णय दिया था कि यदि एक कम्पनी ने अपनी कृषि आय मे से लाभांश दिया

है तो अंशधारियो को यह लाभांश कृषि आय के रूप में नही मिलेगा, परन्तु पाकिस्तान मे लाहौर उच्च न्यायालय ने सन् १९५६ में C. I. T. Vs. Mrs Miller के मामले मे इसी विषय पर भारतीय दृष्टिकोण के विरुद्ध विचार प्रकट किये है।

(३) मछलियो से आय—समुद्रो मछलियो या सरकारी तालाब आदि से मिलने वाली मछलियो से आय कृषि आय नही कही जाती है।

(४) *गिरवी रखी हुई भूमि से आय—यदि कोई भूमि साधारण गिरवी* (Mortgage) रखी जाती है तो इस गिरवी से प्राप्त होने वाली आय को कृषि आय नही कहा जाता है।

(५) दुग्धशाला से आय—जिन दुग्धशालाओ के जानवरो को मोल लेकर चारा (Fodder) खिलाया जाता है, उन दुग्धशालाओ की आय कृषि आय नही कही जाती है।

(६) भवन से आय—जो भवन खेती करने वाली भूमि के पास होते हैं, परन्तु खेती के काम मे मदद नही पहुँचाते हैं, उनकी आय भी कृषि आय नही कही जाती है।

(७) पत्थर की खानो से प्राप्त होने वाली आय—इस आय को कृषि आय नही कहा जाता है। यह निर्णय Shiv Lal Ganga Ram Vs. C I.T. के मामले मे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सन् १९५० मे दिया था।

(८) भूमि पर लगने वाले मेलो व नुमायशो की आय को भी कृषि आय नही कहा जाता है।

(९) खानो के अधिकार-शुल्क (Royalties) की आय कृषि आय नही है।

(१०) ईट बनाने के लिए बेची हुई जमीन की आय कृषि आय नही है।

(११) खरीदी हुई पैदावार के स्टोर करने के लिए जो भूमि प्रयोग मे लाई जाती है, उससे प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नही है।

(१२) कोयला, मैंगनीज और माइका (Mica) से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नही है।

(१३) बाजारो और तालाब के सिंघाड़ो से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नही है।

(१४) समुद्री पानी से Sodium Chloride निकालने से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नही होती है। यह निर्णय C. I T. Vs. Linga Reddi के मामलों में दिया गया था।

(१५) सिंचाई के लिए दिये गये पानी से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नही होती है।

(१६) लाख की खेती से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय नही होती है। यह

निर्णय Beohar Singh Raghubir Singh Vs. C. I. T. के मामले में सन् १९४८ में दिया गया था।

अंशतः कृषि आय (Partly Agricultural Income)—

नीचे लिखी आय अशतः कृषि आय होती है :—

(१) करदेय प्रदेश के विक्रेता द्वारा पैदा की हुई चाय से प्राप्त आय अशतः कृषि आय होती है। इस आय का ६०% कृषि आय माना जाता है और ४०% आय पर कर लगता है।

(२) यदि कोई गन्ने की फैक्टरी का मालिक स्वय अपने खेतो पर गन्ना पैदा करता है और इसी गन्ने को अपनी फैक्टरी मे शक्कर बनाने के लिए प्रयोग करता है तो इस फैक्टरी की आय अशतः कृषि आय कही जायेगी।

कृषि आय का महत्व—

कृषि आय का ज्ञात करना इसलिए बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योकि इस आय के ऊपर कर नही लगता है और यह आय कुल आय मे भी नही जोडी जाती है।

आय (Income)—

यह एक विचित्र बात है कि आय कर अधिनियम मे आय की परिभाषा नही दी हुई है। केवल धारा २ (६ सी) मे यह दिया हुआ है कि आय में क्या-क्या सम्मिलित किया जाता है। यह धारा इस प्रकार है :—

"आय में नीचे लिखे शामिल हैं—

(१) लाभांश।

(२) धारा ७ मे समझाये हुए अनुलाभ या वेतन के बदले में मिले हुए लाभ का मूल्य।

(३) एक सचालक या अन्य किसी व्यक्ति, जिसका कि कम्पनी मे पर्याप्त हित है, के द्वारा कम्पनी से प्राप्त हुए लाभ या अनुलाभ का मूल्य (पर्याप्त हित का आशय उस कम्पनी मे कम से कम २०% मत देने का अधिकारी होना है) और ऐसी राशि जिसे कम्पनी ने इन लोगो की ओर से अदा किया हो और यदि इसे कम्पनी न चुकाती तो इन्हे ही चुकाना पडता।

(४) धारा १० (२) clause (vii) के द्वितीय भाग मे माने जाने वाले लाभ और धारा १० (2A) के अनुसार माने जाने वाले लाभ या धारा १२ (५) के अनुसार माने जाने वाले लाभ।

(५) धारा १० (५ A) के अनुसार जो रकम व्यापार पेशा या व्यवसाय की लाभ मानी जाती है।

(६) धारा १२ B के अनुसार पूँजीगत लाभ।

(७) बीमा कम्पनी से प्राप्त हुए लाभ, जो कि पारस्परिक बीमा सघ द्वारा

चलाई जाती हो या अनुसूची के ६ वें नियम के अनुसार बनी हुई सहकारी समिति के द्वारा चलाई जाती हो।"

आय-कर अधिनियम के अनुसार, जो 'आय' की परिभाषा दी हुई है और जिसे ऊपर समझाया गया है, वास्तव में पूर्ण परिभाषा नहीं है।

आय की परिभाषा Sir George Lowndes ने C I. T. Vs. Shaw Wallacis & Co. के मामले में इस प्रकार दी थी—

"इस अधिनियम में आय से तात्पर्य उस सामयिक मौद्रिक आय (Periodical Monetary Return) से है जो कि कुछ नियमितता के साथ या सम्भावित नियमितता के साथ निश्चित साधनों से प्राप्त होती है।"[1] इन्हीं महाशय ने आय की एक पेड़ के फलों से और एक खेत की फसल से तुलना की है।[2]

Lord Russell of Killowen ने Gopal Saran Narain Singh Vs C I T. के मामले में आय के सम्बन्ध में यह निर्णय दिया था :—

"कोई वस्तु जिसका उचित रीति से आय की तरह वर्णन किया जा सकता है, इस अधिनियम के अन्दर करदेय है, जब तक कि वह स्पष्टतया कर मुक्त न हो।"[3]

आय के सम्बन्ध में नीचे लिखे हुए नियम महत्त्वपूर्ण हैं :—

(१) आय को पूँजी से भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि आय पर कर लगता है, पूँजी पर नहीं।

(२) प्रत्येक आय कर लगता है, जब तक कि वह स्पष्टतया कर-मुक्त (Exempt) न हो।

(३) आय स्थाई पूँजी की बढ़ोतरी से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि अस्थाई पूँजी की बढ़ोतरी से प्राप्त होती है।

(४) आय मुद्रा में भी हो सकती है और वस्तुओं में भी। यह निर्णय Tennant Vs. Smith के मामले में दिया गया था, अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा में ही प्राप्त हो। अन्य किसी चीज में प्राप्त आय, जो कि मुद्रा में नापी जा सकती है, आय मानी जायगी।

(५) आय के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी न किसी साधन से प्राप्त

---

1 "Income in this Act connotes a periodical monetary return 'coming in' with some sort of regularity or expected regularity from definite sources "—Sir George Lowndes.

2 "Income has been likened pictorially to the fruit of a tree or the crop of a field "—Sir George Lowndes

3 "Anything which can be properly described as income is taxable under the Act unless expressly exempted."

की जाय। जो आय किमी भी साधन से प्राप्त नही की जाती वह आय नही होती है।

(६) आय चाहे ईमानदारी से पैदा की गई हो या बेईमानी से, दोनों पर कर लगता है।

(७) यह आवश्यक नही है कि आय नियमित रूप से मासिक, त्रैमासिक, छमाई या अन्य किसी समय के बाद प्राप्त हो, तभी आय कही जायगी। यदि इकट्ठी आय प्राप्त होती है और उसके नियमित रूप से प्राप्त होने की आशा नही है तो भी यह आय-कर की दृष्टि से आय मानी जायगी।

(८) जो आय प्राप्त होते समय आय के रूप मे नही होती है और बाद में आय बन जाती है, उसे आय कर के लिए आय नही माना जाता है।

(९) यदि एक देनदार पर कुछ रकम छोड दी जाती है तो वह उसकी आय नही मानी जाती है।

(१०) *यदि किसी व्यक्ति को किमी व्यय से छुटकारा मिल जाता है तो यह उसकी आय नही मानी जाती है।*

(११) *आय अपने आप प्राप्त नही की जाती, बल्कि बाहर से आनी चाहिए, जैसे—क्लब के सदस्यो से प्राप्त होने वाली पारस्परिक आय पर कोई आय-कर नही लगता, परन्तु यदि यह क्लब अपनी आय को विनियोग मे लगा दे तो इन विनियोगो से प्राप्त होने वाली आय क्लब की आय मानी जायगी।*

(१२) एक करदाता को यदि अपनी कमाई हुई आय प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है तो वह उसकी आय मानी जाती है, चाहे करदाता ने उसे वास्तव मे प्राप्त न किया हो, जैसे—यदि किसी कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट को कम्पनी के लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन दिया जाता है तो वर्ष के अन्त में लाभ पर निकाले हुए कमीशन की रकम मैनेजिंग एजेन्ट की उस वर्ष की आय मान ली जायेगी और इस पर कर भी लगेगा, चाहे उसे यह कमीशन उस समय तक न भी प्राप्त हुआ हो।

(१३) यदि किसी आय के स्वामित्व पर दो पक्षो मे मतभेद है तो इस मतभेद के कारण कर निर्धारण नही रुकेगा, चाहे इस आय के स्वामित्व का झगडा अदालत तक मे क्यो न पहुँच गया हो।

परिभाषा का महत्त्व—

आय-कर की सब परिभाषाओं मे सबसे महत्त्वपूर्ण परिभाषा आय की है, क्योंकि आय कर आय के ऊपर ही लगता है, अतः जब तक आय की परिभाषा स्पष्ट न होगी तब तक आय कर किस प्रकार लगाया जायगा।

उपार्जित आय (Earned Income)—

इसकी परिभाषा आय कर विधान की धारा २ (6 AA) में की गई है। वह आय, जोकि शारीरिक परिश्रम व मानसिक परिश्रम व दोनों के द्वारा पैदा की जाती है, उपार्जित आय कहलाती है। उदाहरण के लिये, नीचे लिखी हुई आय उपार्जित आय हैं :—

(अ) एक प्राध्यापक की आय,
(ब) एक डाक्टर की आय,
(स) सचालक की आय,
(द) पेन्शन, जोकि रिटायर होने के बाद मिलती है,
(य) पुस्तक लिखने पर मिलने वाला अधिकार शुल्क,
(फ) वह आय जोकि वेतन शीर्षक में शामिल की जाती है,
(र) वह आय जोकि व्यापार, पेशा और व्यवसाय से प्राप्त होती है, जहाँ व्यापार, पेशा और व्यवसाय कर दाता द्वारा स्वय किया जाता है,
(ल) अन्य साधनो से आय वाले शीर्षक मे आने वाली वह सब आयें, जिनमें कि वैयक्तिक (Personal) परिश्रम किया जाता है।

नीचे लिखी हुई आय उपार्जित आय नही हैं —
(क) प्रतिभूतियों से आय,
(ख) लाभाश,
(ग) पूँजी आय।

उपार्जित आय का महत्व—

इस आय का आय कर में महत्त्व इसलिए है कि इस पर कर लगाते समय एक विशेष प्रकार की छूट दी जाती है, जिसे उपार्जित आय की छूट (Earned Income Relief) कहते हैं, *परन्तु Finance Act सन् १९५७ के अनुसार उपार्जित आय की छूट बन्द कर दी गई है* और इसके स्थान पर उपार्जित आय और अनुपार्जित आय के कर निकालने मे भेद कर दिया गया है, जिसे आगे समझाया जायगा।

उपार्जित आय की छूट (Earned Income Relief)—

यह छूट उपार्जित आय पर दी जाती थी। जिस प्रकार व्यापार मे प्रयोग होने वाली मशीनो आदि पर आय कर की छूट दी जाती है। ठीक उसी प्रकार उपार्जित आय पैदा करने में शरीर का ह्रास होता है। यही कारण है कि शारीरिक व मानसिक परिश्रम द्वारा पैदा की हुई आय पर छूट दी जाती थी। इसी छूट को उपार्जित आय की छूट कहते थे।

यह छूट केवल आय-कर निकालते समय ही दी जाती थी, अधि कर निकालते

समय नही दी जाती थी। यह छूट स्थानीय सरकार, रजिस्टर्ड फर्म व कम्पनी को छोड कर बाकी सबको दी जाती थी।

सन् १९५६-५७ के करदेय वर्ष के लिए व इसके पहिले के वर्षों के लिए, सभी शीर्षकों की उपार्जित आय पर यह छूट दी जाती थी, परन्तु सन् १९५७-५८ के करदेय वर्ष मे केवल 'वेतन' पर ही उपार्जित आय की छूट दी गई थी। अब किसी आय पर उपार्जित आय की छूट नही दी जाती है। इसी छूट को नीचे समझाया गया है।

उपार्जित आय की छूट की दर—

(१) जब उपार्जित आय २५,००० रु० तक है।

(२) जब उपार्जित आय २५,००० रु० से अधिक और ४५,००० रु० से कम है।

(३) जब उपार्जित आय ४५,००० रु० है या इससे अधिक है।

(१) जब उपार्जित आय २५,००० रु० तक है तो उपार्जित आय की छूट की राशि उपार्जित आय का $\frac{1}{5}$ या ४,००० रु० से अधिक नही होगी, जैसे—यदि मान लिया कि उपार्जित आय २२,००० रु० है तो इसका $\frac{1}{5}$ भाग ४,४०० रु० हुआ। इस दशा मे उपार्जित आय की छूट कुल ४,००० रु० ही होगी और यदि $\frac{1}{5}$ भाग ४,००० रु० से कम आता है तो उतनी ही उपार्जित आय की छूट होगी।

(२) जब उपार्जित आय २५,००० रु० से अधिक और ४५,००० रु० से कम है तो उपार्जित आय की छूट इस प्रकार निकाली जायेगी। कुल उपार्जित आय मे से २५,००० रुपये घटाये जायेंगे, बची हुई राशि के $\frac{1}{5}$ भाग को ४,००० रुपये में से घटाया जायेगा और जो कुछ घटाने से बचेगा वही उपार्जित आय की छूट होगी, जैसे—मान लिया कि उपार्जित आय ३५,००० रु० है तो उपार्जित आय की छूट निकालने के लिए ३५,०००—२५,०००=१०,००० रुपये। इस १०,००० रुपये का $\frac{1}{5}$=२,००० रुपये। इस २,००० रुपये को ४,००० में से घटाने पर २,००० रु० बचता है, अतः यही २,००० रु० उपार्जित आय की छूट हुई। फार्मूला इस प्रकार है :—

४,००० रु०—{ (कुल उपार्जित आय—२५,०००) का $\frac{1}{5}$ }

(३) यदि कुल उपार्जित आय ४५,००० रुपये है या इससे अधिक है तो कोई उपार्जित आय की छूट नही दी जाती है।

करदेय आय निकालने के लिए कुल आय मे से उपार्जित आय की छूट घटा दी जाती थी। आय-कर के लिए कुल आय मे से उपार्जित आय की छूट घटा दी जाती थी, परन्तु अधि-कर के लिये ऐसा नहीं किया जाता था। उदाहरण के लिये, यदि एक करदाता (Assessee) की उपार्जित आय २५,००० रु० होती थी तो वह २१,००० रु० पर आय कर देता था, क्योंकि २५,००० रु० में से ४,००० रु० उपार्जित आय

की छूट घटा दी जाती थी, लेकिन उसी करदाता पर अधि-कर (Super-tax) २५ ००० रु० पर ही लगता था।

सन् १९५८-५९ के करदेय वर्ष में व आगे के वर्षों में किसी भी आय पर उपार्जित आय की छूट नहीं दी जाती है, वरन् उपार्जित आय व अन्य प्रकार की आय में कर निकालने में भेद किया जाता है।

वर्तमान काल में उपार्जित आय की छूट—

उपार्जित आय की छूट के सम्बन्ध में जो नियम १ अप्रैल सन् १९५७ के पहिले थे, वे समाप्त कर दिये गये है। अब उपार्जित आय की छूट का आशय उपार्जित आय पर अनुपार्जित आय की तुलना मे कम सर-चार्ज लगाना है और यह छूट आय-कर व अधि-कर दोनो पर मिलती है। जनरल सरचार्ज ५% तो सब प्रकार की आय पर निकाला जाता है, चाहे वह उपार्जित हो या अनुपार्जित; पर अनुपार्जित आय पर १५% स्पेशल सरचार्ज और लगाया जाता है। इस प्रकार अनुपार्जित आय पर कुल सरचार्ज २० प्रतिशत लगता है, जबकि उपार्जित आय पर केवल ५ प्रतिशत ही सरचार्ज लगता है। यही छूट उपार्जित आय की छूट है।

फर्म और उपार्जित आय की छूट—

रजिस्टर्ड फर्म को उपार्जित आय की छूट इसलिए नही मिलती है कि इसकी आय पर कर फर्म न देकर इसके साझेदार देते हैं। इसलिए यह छूट फर्म को न मिल कर साझेदारो को मिलती है, परन्तु यदि रजिस्टर्ड फर्म का कोई साझेदार विदेशी (Non-resident) है तो फर्म के आय व लाभ मे से उसे मिलने वाले भाग पर फर्म पर कर-निर्धारण होता है। इस पर फर्म को उपार्जित आय की छूट मिलती है यदि यह विदेशी साझेदार फर्म में सक्रिय रूप से कार्यकर्ता हो।

एक अनरजिस्टर्ड फर्म को अपनी उपार्जित आय की छूट मिलती है, परन्तु *यदि अनरजिस्टर्ड फर्म की आय इतनी कम है कि उस पर कोई कर नही लग सकता* तो इस आय को साझेदारो की आय में जोड दिया जाता है और उन पर कर लगाते समय उन्हे इस फर्म के मिलने वाले भाग पर उपार्जित आय की छूट दी जाती है। यदि यह साझेदार फर्म मे सक्रिय रूप से भाग ले रहा हो।

यदि किसी फर्म मे एक साझेदार की स्त्री व उसके अवयस्क बच्चे भी उसके अतिरिक्त साझेदार हैं, तो इन स्त्री और बच्चो की फर्म से *प्राप्त होने वाली आय उस* साझेदार की आय मे जोड दी जायगी और उसे इस पर उपार्जित आय की छूट मिलेगी। यदि वह सक्रिय रूप से फर्म मे कार्य कर रहा हो, चाहे उसके स्त्री और बच्चे फर्म मे सक्रिय रूप से कार्य नही कर रहे हो। इसके विपरीत यदि साझेदार स्वय सक्रिय रूप से फर्म मे कार्य नही करता है और उसके स्त्री और बच्चे फर्म मे सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, तो स्त्री और बच्चो को फर्म से *मिलने वाली आय साझेदार को मिलने वाली* आय मे जोड़ दी जायगी, परन्तु इस पर कोई उपार्जित आय की छूट नही दी जायेगी।

साराश यह है कि साझेदार को उपार्जित आय की छूट का लाभ उठाने के लिए फर्म में सक्रिय रूप से भाग लेना अत्यन्त आवश्यक है।

QUESTIONS

1. Write short notes on the following —
   (a) Agricultural Income (Agra, B Com, 1948 55, 57, 60, Raj, B. Com 1950, 52, 59)
   (b) Previous Year (Agra, B Com, 1949, 51, 55, 56, 59, 60, Alld, B Com, 1953, Raj, B Com, 1959 52)
   (c) Person
   (d) Taxable Territory (Raj., B Com, 1951)
2. Explain the following terms —
   (a) Earned Income (Agra, B Com, 1956)
   (b) Earned Income Relief (Agra, B Com, 1959)
   (c) Income
   (d) Assessee
3. What will be the Previous Years for the following assessment years ? —1956 57, 1957 58 1958 59 1959 60 and 1960 61
4. What will be the Calender years for the following assessment years ? —1957 58 1958 59, 1959 60, 1960 61

अध्याय ३

पूँजी और आय

(Capital and Revenue)

पूँजी और आय में अन्तर करने की आवश्यकता—

आय कर अधिनियम के अनुसार केवल आय पर ही आय कर लगता है, पूँजी पर नही, इसलिए प्रत्येक प्राप्त की हुई राशि में यह जानना आवश्यक है कि वह पूँजीगत प्राप्ति है या आयगत। बिना इन दोनो के अन्तर को समझे हुए आय कर की रकम ठीक-ठीक नही निकाली जा सकती है। यही कारण है कि इन दोनों का अन्तर यहाँ समझाया गया है।

पूँजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति में अन्तर (*Distinction between* Capital Receipts and Revenue Receipts)—

पूँजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति मे अन्तर करना कठिन कार्य है, क्योंकि एक राशि एक परिस्थिति मे पूँजीगत हो जाती है और वही राशि दूसरी परिस्थिति में आयगत हो जाती है। इन दोनो मे अन्तर करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं *बनाये गये हैं और न बनाये ही जा सकते है। जो भी इनसे सम्बन्धित नियम भिन्न*-भिन्न स्थानो पर मिलते हैं वे केवल मार्गदर्शक के रूप मे कार्य करते है, अर्थात् उनका ज्ञान इन दोनों का अन्तर मालूम करने मे सहायता पहुँचाता है। भिन्न भिन्न न्यायालयों द्वारा दिये हुए निर्णयो के आधार पर भी इनमे अन्तर किया जाता है।

Pollock M. R. के विचार मे : "मेरे विचार मे बहुत से लेखापालो के लिए यह परेशानी का विषय है कि कौनसी प्राप्ति पूँजी है और कौनसी प्राप्ति *आय है* और जहाँ तक मै समझता हूँ, इनके अन्तर के लिए एक सन्तोषजनक परिभाषा बनाना असम्भव है।

"*एक प्राप्ति आय है या नही, यह एक तथ्य का प्रश्न है, कानून का नही,* क्योकि आय और पूँजी का अन्तर एक निजी सुविधा का प्रश्न है और इसमें कोई विशेष सार नही है।"*

कम्पनी अधिनियम के पूँजी और आय से सम्बन्धित निर्णय आय कर के मामलो मे पूर्णतया नही लगाये जा सकते हैं, यद्यपि Lord Atkinson ने कम्पनी के आय-कर से सम्बन्धित मामलो मे ऐसा करने मे कोई आपत्ति नही की है।

---

* Per the Lord President in I. D. Laird Vs. C. I. R. 14 T. C. 395

नीचे कुछ ऐसे नियम दिये जाते हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौनसी प्राप्ति पूँजीगत है और कौनसी प्राप्ति आयगत। इन नियमों के साथ साथ व्यापार की परिस्थितियों को ध्यान मे रखना अत्यन्त आवश्यक है।

इन दोनों में अन्तर करने के नियम—

पूँजीगत प्राप्ति	आयगत प्राप्ति
(१) स्थायी पूँजी पर मिली हुई आय, जैसे—एक फर्नीचर का व्यापारी जब भवन बेचकर आय प्राप्त करता है तो यह आय पूँजीगत आय मानी जायेगी। स्थायी सम्पत्तियाँ पूँजी सम्पत्तियाँ कही जाती हैं।	(१) चालू पूँजी पर मिली हुई आय, जैसे—एक फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बेचने पर प्राप्त हुई राशि आयगत प्राप्ति मानी जाती है। चालू सम्पत्तियों को व्यापारिक सम्पत्तियाँ भी कहते हैं।
(२) यदि किसी आय प्राप्त होने वाले साधन के छोडने पर कुछ राशि मिलती है तो वह पूँजी प्राप्ति कही जाती है, जैसे–एक भट्टे के व्यापारी को कुछ जमीन से ईंटें न निकालने के बदले मे हर्जाना दिया जाता है तो यह हर्जाना पूँजीगत प्राप्ति माना जायेगा। सूक्ष्म में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी आय के साधन को बन्द करने का हर्जाना पूँजीगत प्राप्ति है।	(२) मिलने वाली आय के बदले मे मिले हुए हर्जाने को आयगत प्राप्ति कहा जाता है। जैसे—एक भट्टे के व्यापारी से एक व्यक्ति ने ईंटों के क्रय करने का प्रसंविदा किया। यह व्यक्ति ईंटें क्रय न करके यदि भट्टे के व्यापारी को हर्जाना देता है तो यह हर्जाना आयगत प्राप्ति कही जायेगी।
(३) यदि एक व्यक्ति किसी सम्पत्ति को विनियोग की तरह रखता है तो इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली आय पूँजी आय कही जाती है, जैसे—यदि एक व्यक्ति के पास कुछ अंश हैं, जिनको कि वह विनियोग के उद्देश्य से अपने पास रखे हुये था तो इन अंशो को बेचने से जो लाभ प्राप्त होगा। वह पूँजी आय कही जायेगी।	(३) यदि एक व्यक्ति किसी सम्पत्ति को पुनः बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने पास रखता है तो इस प्रकार की सम्पत्ति को बेचकर प्राप्त हुआ लाभ आयगत माना जाता है, जैसे—यदि एक व्यक्ति अंशो का सट्टा करने की दृष्टि से क्रय करता है तो इन अंशो के बेचने से प्राप्त हुआ लाभ आयगत माना जाता है।
(४) यदि किसी व्यक्ति को कोई राशि	(४) यदि किसी व्यक्ति को कोई राशि

पूंजी के रूप मे मिलेगी तो वह पूंजी आय मानी जायेगी।	आय के रूप मे मिलेगी तो वह आय प्राप्ति मानी जायेगी, चाहे भले ही दूसरे व्यक्ति ने इसे पूंजी मे से दिया हो, जैसे—यदि कोई कम्पनी अपनी पूंजी मे से किसी कर्मचारी को वेतन देती है तो उस कर्मचारी के लिए यह आयगत प्राप्ति ही मानी जायेगी।
(५) यदि कुछ अधिकारो को छोडने पर कोई राशि मिलती है तो वह पूंजी प्राप्ति कही जाती है।	(५) भविष्य मे होने वाले लाभो के हर्जाने के रूप मे एक प्रसविदा के अनुसार मिली हुई राशि आयगत प्राप्ति मानी जाती है।

पूँजी व्यय और आय व्यय
(Capital Expenditure and Revenue Expenditure)

पूँजी व्यय और आय व्यय में अन्तर करने की आवश्यकता—

आय कर अधिनियम के अनुसार करदेय आय (Taxable Income) निकालने के लिये केवल आय व्यय को ही घटाया जा सकता है, पूंजी व्यय को नही, अतः जब तक आय व्यय और पूंजी व्यय में अन्तर न किया जाय तब तक सही करदेय आय नही निकाली जा सकती है। यही कारण है कि इन दोनो का अन्तर यहाँ समझाया गया है।

पूँजी व्यय और आय व्यय में अन्तर—

इन दोनो में अन्तर करना उतना ही कठिन है जितना कि पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति मे। एक ही राशि एक परिस्थिति मे पूंजीगत व्यय हो सकती है और वही राशि दूसरी परिस्थिति में आय व्यय हो सकती है। इन दोनो मे अन्तर करने के लिए पूर्णतया निश्चित नियम नही बनाये जा सकते हैं। कभी-कभी इस अन्तर को समझने के लिए इस सम्बन्ध मे न्यायालयो द्वारा दिये हुये निर्णयो का सहारा लेना पडता है।

इन दोनो के अन्तर समझने के लिये नीचे लिखी बातो को ध्यान मे रखना चाहिए :—

(१) व्यापार का स्वभाव।
(२) सौदे का सही रूख।
(३) व्यय करने का उद्देश्य।
(४) सम्बन्धित न्यायालयो के निर्णय।

(५) व्यय किये हुए धन की मात्रा।
(६) कुछ सामान्य सिद्धान्त।

इन सामान्य सिद्धान्तो को नीचे समझाया गया है :—

पूँजी व्यय और आय व्यय में अन्तर करने के नियम

पूँजी व्यय	आय व्यय
(१) एक स्थायी सम्पत्ति के क्रय करने में *किया गया व्यय*, जैसे—एक सूती मिल खोलने के लिए क्रय किए गए भवन का व्यय पूँजी व्यय माना जाता है।	(१) एक व्यापारिक सम्पत्ति के क्रय करने मे किया गया व्यय, जैसे—एक व्यापारी जिस वस्तु मे व्यापार करता है उस वस्तु के क्रय मे किया गया *व्यय आय व्यय माना जाता है*।
(२) एक क्रय की हुई स्थायी सम्पत्ति *के लाने व लगाने के व्यय*।	(२) व्यापारिक चिह्न के पंजीकृत कराने *का व्यय*।
(३) वह व्यय जो कि स्थायी सम्पत्ति के *लाभ पैदा करने की शक्ति को बढाता* है।	(३) वह व्यय जो कि स्थायी सम्पत्ति की दशा को *सम्हाले* रखने के लिए किया जाता है।
(४) पूँजी दायित्व से छुटकारा पाने के लिए दी जाने वाली रकम।	(४) आय दायित्व से छुटकारा पाने के लिए दी जाने वाली रकम।
(५) लाभ कमाने के साधन को प्राप्त करने का व्यय।	(५) लाभ को प्राप्त करने का व्यय।

नीचे न्यायालय के कुछ निर्णय पूँजी आय व व्यय और आयगत प्राप्ति और व्यय के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए दिए जाते है। इन निर्णयो को केवल उदाहरण रूप मे मानना चाहिये।

(१) अगर विक्रेता एक साधारण विनियोगी है, तो अंश और प्रतिभूतियो की बिक्री से मिली हुई आय पूँजी होगी, परन्तु यदि वह अंशो एव प्रतिभूतियो में व्यापार करता है तो इसे आयगत प्राप्ति माना *जायगा*।

(Oriental Investment Co. Ltd. Vs. C.I.T 1957)

(२) एक खान के सम्बन्ध मे खनिज पदार्थ निकालने के लिए एक नये गड्ढे बनाने का व्यय पूँजी व्यय माना गया था।

(In re Addie and Sons. Vs. I T. C.)

(३) एक तेल के आयातकर्त्ता ने विदेश के तेल के एक सौदागर को इसलिए रुपया उधार दिया था कि वह उससे तेल बेचने की एजेन्सी

पूँजी हानि और आय हानि में अन्तर—

किसी भी हानि के बारे मे यह जानने के लिए कि वह पूँजी हानि है या आय हानि, नीचे लिखी बातो को ध्यान मे रखना चाहिए :—

(अ) व्यापार की दशा और स्वभाव,
(ब) न्यायालयो के इससे सम्बन्धित निर्णय,
(स) कुछ सामान्य नियम ।

आय हानि से सम्बन्धित सामान्य नियम नीचे दिये हुये हैं :—

(१) दिन प्रति दिन के व्यापार मे किसी हानि का होना ।
(२) माल की कीमत का कम हो जाना ।
(३) स्टॉक का आग द्वारा जल जाना या अन्य किसी प्रकार से नष्ट हो जाना ।
(४) किसी मिलने वाली आय की रकम का न मिलना ।
(५) किसी कर्मचारी द्वारा व्यापारिक समय मे व्यापारिक माल या रकम को चुरा लेना ।

पूँजी हानि—

जो हानियाँ आय हानिया नही होती हैं वे सब पूँजी हानियाँ कही जाती है, जैसे—किसी व्यापारी की स्थायी सम्पत्ति के नष्ट होने से होने वाली हानि पूँजी हानि कही जाती है ।

आय हानि और पूँजी हानि के सम्बन्ध मे न्यायालयो के कुछ निर्णय नीचे दिये हुए हैं :—

(१) एक कर्मचारी के गबन (Embezzlement) द्वारा हुई हानि को पूँजी हानि नही माना गया है, बल्कि व्यापार से सम्बन्धित हानि मानी गई है ।
(Lord Dairy Farm Ltd. Vs. C. I. T. 1955)
(Jagarnath Therani Vs. C.I.T., Bihar & Orissa)

(२) एक व्यापार का कर्मचारी व्यापार के रुपये को बैंक लिए जा रहा था। रास्ते मे कुली ने रुपये को चुरा लिया । इस हानि को व्यापारिक हानि नही बताया गया है, क्योंकि यह हानि लाभ उपार्जन करने के सम्बन्ध मे नही हुई है ।
(Mul Chand Hira Lal Vs. C. I. T.)
(Bihar & Orissa High Court)

(३) यदि एक व्यक्ति अपने लाभ को प्राप्त करता है और उस लाभ को घर लाते समय रास्ते मे लूट लिया जाता है या घर मे रखने के बाद लूट लिया जाता है तो इस हानि को व्यापार से सम्बन्धित हानि नही कहा जायेगा ।

(४) बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी व्यावहारिक हानि है या नहीं—यदि व्यापार का स्वभाव इस प्रकार का है कि कर्मचारियों द्वारा बहुमूल्य वस्तुएं इधर उधर ले जाई जाती हैं तो इस प्रकार बहुमूल्य वस्तुओं की होने वाली हानि को व्यापारिक हानि कहा जायेगा।

(Madras High Court)

(५) एक व्यापारी के रिश्तेदार ने, जो कि उसके यहां उत्तरदायी कर्मचारी भी था, दूकान बन्द हो जाने के बाद दुकान से रुपया चुरा लिया। इस हानि को उड़ीसा हाई कोर्ट ने व्यापारिक हानि नहीं बताया है।

(६) एक उत्तरदायी क्लर्क ने अपने व्यापारिक कर्तव्यों को निभाते हुए कुछ रुपयों का गबन किया और झूठे खाते बनाकर दे दिये। इस हानि को व्यापारिक हानि माना गया था।

(Venkatachalapatery Iyer Vs. C I. T. Madras 1951)

(७) एक व्यापारी के बैंक के चालू खाते का रुपया इसलिए नहीं मिला था कि बैंक दिवालिया हो गई थी। यह हानि व्यापारिक हानि मानी गई थी।

(८) महाजनी व्यापार मे हस्तस्थ रोकड मे खाते बन्द करते समय कमी पाई गई। इस कमी को पूंजी हानि नहीं माना गया, क्योंकि महाजनी व्यापार मे रुपये का लेन देन ही मुख्य व्यापार होता है।

(Banshi Lal Abir Chand Vs. C I. T., C. P.)

QUESTIONS

1. How will you make a distinction between Capital receipt and Revenue receipt and why is such distinction necessary in Income-tax ?
2. How will you make a distinction between Capital and Revenue expenditure and why is such distinction necessary in Income tax ?
3. What important factors are taken into consideration in making a distinction between Capital loss and Revenue loss ? Give few examples of both types of losses

अध्याय ४

करदाता

(Assessee)

करदाता के निवास स्थान के अध्ययन की आवश्यकता—
आय-कर अधिनियम के अनुसार आय कर लगाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि करदाता का निवास स्थान क्या है। निवास को जानने के पश्चात् ही यह ज्ञात किया जाता है कि उसकी किस आय पर आय-कर लगेगा और किस पर नही, अतः करदाता के निवास स्थान का अध्ययन करना आय-कर का एक आवश्यक अंग है।

निवास स्थान के अनुसार करदाता के भेद (Classes of assessees according to residence)—

निवास स्थान के अनुसार करदाता को तीन भागों में बांटा गया है :—

(१) निवासी (Resident)।

(२) साधारण निवासी (Ordinary Resident)।

(३) विदेशी (Non-Resident)।

यह जानने के लिए कि एक व्यक्ति (Individual) निवासी है या साधारण निवासी या विदेशी, नीचे बनी हुई तालिका देखनी चाहिये :—

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
आय कर अधिनियम की धारा 4—A (a) मे दी हुई शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करने वाला व्यक्ति निवासी कहा जाता है। यह शर्त इस प्रकार है:—	आय-कर अधिनियम की धारा 4—B (a) में दी हुई शर्तों को जो व्यक्ति पूरी करता है वह साधारण निवासी कहा जाता है। यदि एक व्यक्ति निवासी होने वाली चार शर्तो मे से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है और नीचे लिखी हुई दोनों शर्तों को पूरा करता है तो साधारण निवासी कहा जाता है :—	भारतीय आय-कर अधिनियम विदेशी की व्याख्या नही करता है, अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि जो व्यक्ति निवासी या साधारण निवासी नहीं है, वह विदेशी कहा जाता है, अर्थात् जो निवासी होने के लिए पहले खाने मे दी हुई चार शर्तों मे से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता वह विदेशी है।

(१) वह कुल मिला कर कम से कम १८२ दिन तक या इससे अधिक गत वर्ष मे करदेय प्रदेश में रहा हो, या

(२) उसने कर लगने के क्षेत्र मे अपना रहने का स्थान कम से कम १८२ दिन या उससे अधिक के लिए उस वर्ष मे रखा हो और कर देय प्रदेश में उस वर्ष किसी भी समय के लिये रहा हो, या

(३) वह उस वर्ष से पहिले वाले चार वर्षों मे कम से कम ३६५ दिन या उससे अधिक कर लगाने वाले क्षेत्र में रहा हो और उस वर्ष में कम से कम एक दिन या इससे अधिक के लिए रहा हो, परन्तु यह रहना आकस्मिक न हो, या

(४) वह करदेय प्रदेश मे किसी भी समय आया हो, परन्तु आय कर अधिकारी (Income tax officer) को यह विश्वास हो कि वह

(१) वह उस वर्ष के पहिले वाले दस वर्षों मे से कम से कम नौ वर्षों तक 'निवासी' रहा हो और

(२) उस वर्ष से पहले वाले सात वर्षों मे कुल मिला कर कम से कम २ वर्षों से अधिक समय तक करदेय प्रदेश मे रहा हो।

अपने आने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष तक करदेय क्षेत्र मे अवश्य रहेगा।

इस प्रकार यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि किसी व्यक्ति को निवासी मानने के लिए उस व्यक्ति का करदेय प्रदेश मे उस वर्ष मे स्वय रहना या आना आवश्यक हो जाता है।

ऊपर समझाई हुई निवासी की चारों शर्तों का स्पष्टीकरण—

(१) पहली शर्त के अनुसार व्यक्ति को १८२ दिन या इससे अधिक गत वर्ष मे कर-देय प्रदेश में रहना आवश्यक है। "रहने" का आशय यह नही है कि वह व्यक्ति लगातार एक ही जगह पर रहे। वह अपने रहने के स्थानो को यदि चाहे तो बराबर बदल सकता है, कभी एक होटल मे कभी दूसरे होटल मे या धर्मशाला मे रह सकता है, परन्तु कर देय प्रदेश मे उसके रहने के कुल दिन १८२ से कम नही होने चाहिए।

(२) रहने का स्थान (Dwelling Place)—दूसरी शर्त रहने के स्थान के बारे मे है। यहाँ रहने के स्थान का आशय यह नही है कि कोई पक्का या कच्चा बना हुआ मकान हो। यदि एक छप्पर पडी हुई जगह मे ही रहता है तो वही उसका रहने का स्थान मान लिया जायेगा। रहने के स्थान का वह मालिक या किरायेदार हो सकता है, परन्तु मुख्य बात यह है कि उसमे रहने का इसे अधिकार होना चाहिए और उसे यह घर की तरह प्रयोग कर सके।

(३) तीसरी शर्त मे "३६५ दिन या इससे अधिक" कर लगाने वाले क्षेत्र मे गत वर्ष के पहले रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति लगातार इन ३६५ दिनो रहा हो, उसका चार सालो मे कुल मिलाकर ३६५ दिन या इससे अधिक रहना होना चाहिए और वह कम से कम एक दिन के लिए गत वर्ष मे करदेय प्रदेश मे अवश्य आया हो, परन्तु यह आना आकस्मिक न हो। आकस्मिक आने का आशय सयोगवश, अचानक व बिना किसी निश्चितता के आने से है, जैसे किसी जहाज के उतरने के कारण करदेय प्रदेश मे रुकना या किसी डाक्टर की राय लेने पर करदेय प्रदेश मे आना आकस्मिक आना कहा जाएगा, परन्तु शिकार के लिए प्रति वर्ष आना आकस्मिक आना नही कहा जाएगा।

(४) चौथी शर्त में ३ साल का समय उस व्यक्ति के करदेय प्रदेश में आने की तिथि से गिना जाना चाहिए।

सम्मिलित हिन्दू परिवार का निवास

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
(१) हिन्दू सम्मिलित परिवार के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण का यदि कोई भी भाग करदेय प्रदेश से होता है तो यह परिवार 'निवासी' समझा जाता है।	(१) यदि इस प्रकार का कर्त्ता या प्रबन्धक करदेय प्रदेश का साधारण निवासी है तो यह परिवार भी साधारण निवासी माना जाता है।	(१) यदि इस परिवार का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश के बाहर से होता है तो वह परिवार विदेशी माना जाता है।
(२) ऊपर दी हुई शर्त आय-कर अधिनियम की धारा 4—A (b) मे दी हुई है।	(२) ऊपर दी हुई शर्त आय-कर अधिनियम की धारा 4—B (b) मे दी हुई है।	(२) ऊपर दी हुई शर्त आय कर अधिनियम की किसी भी धारा में दी हुई नहीं है, अनुमान द्वारा निकाली गई है।

फर्म तथा व्यक्तियों के अन्य संघ का निवास स्थान
(Residence of firm or other Association of Persons)

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
(१) फर्म तथा व्यक्तियो के अन्य सघ के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण का यदि कोई भी भाग करदेय प्रदेश से होता है तो यह फर्म तथा व्यक्तियो के अन्य सघ 'निवासी' समझे जाते हैं।	(१) जो फर्म तथा व्यक्तियो के अन्य सघ 'निवासी' होते हैं वही 'साधारण निवासी' भी माने जाते हैं।	(१) यदि इनका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश के बाहर से होता है तो वह परिवार विदेशी माना जाता है।
(२) ऊपर दी हुई शर्त आय-कर अधिनियम की धारा 4—A (b) मे दी हुई है।	(२) ऊपर दी हुई शर्त आय कर अधिनियम की धारा 4—B (c) मे दी हुई है।	(२) ऊपर दी हुई शर्त आय कर अधिनियम की किसी भी धारा मे दी हुई नही है। अनुमान द्वारा निकाली गई है।

कम्पनी का निवास

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
(१) एक कम्पनी करदेय प्रदेश मे हमेशा निवासी कम्पनी है। यदि यह एक भारतीय कम्पनी है या जिस वर्ष में कम्पनी का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश मे हो तो ऐसी कम्पनी को उस वर्ष का निवासी माना जाता है।	(१) जो कम्पनी 'निवासी' होती है वही 'साधारण निवासी' भी मानी जाती है।	(१) यदि इनका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश के बाहर से होता है तो वह कम्पनी विदेशी मानी जाती है।
(२) ऊपर दी हुई शर्त आय-कर अधिनियम की धारा 4—A (c) मे दी है।	(२) ऊपर दी हुई शर्त आय-कर अधिनियम की धारा 4—B (c) में दी हुई है।	(२) ऊपर दी हुई शर्त आय कर अधिनियम की किसी भी धारा मे दी हुई नही है, अनुमान द्वारा निकाली गई है।

निवास स्थान से सम्बन्धित कुछ मुख्य नियम (Some important rules regrading Residence)—

(१) कर निर्धारण के लिए एक व्यक्ति एक वर्ष निवासी और दूसरे वर्ष विदेशी हो सकता है या इसके विपरीत (Vice Versa)।

(२) आय कर लगाते समय करदाता के 'गत वर्ष' के निवास स्थान को देखा जाता है, अर्थात् वह गत वर्ष 'निवासी' था या 'साधारण निवासी' या 'विदेशी'।

नीचे दिये हुए चार्ट द्वारा एक व्यक्ति (Individual) के बारे में ऊपर दी हुई 'निवासी', 'साधारण निवासी' व विदेशी की विभिन्न शर्तों को समझाया गया है :—

करदेय प्रदेश मे आने का समय	करदेय प्रदेश से जाने का समय	गत वर्ष	करदेय वर्ष	करदेय प्रदेश में ठहरने का समय	निवासी या साधारण निवासी या विदेशी	निवासी या साधारण निवासी या विदेशी कहे जाने का कारण
२५-९-१९३४	३१-५-१९३५	१९३४-३५	१९३५-३६	१८८	निवासी	क्योंकि १८२ दिन से अधिक ठहरा है।
		१९३५-३६	१९३६-३७	६१	विदेशी	क्योंकि १८२ दिन से कम ठहरा है।
		१९३६-३७	१९३७-३८	—	"	बिल्कुल ही नही रहा।
१५-२-१९३८	१-११-१९३८	१९३७-३८	१९३८-३९	४५	"	क्योंकि १८२ दिन से कम ठहरा है।
		१९३८-३९	१९३९-४०	२१५	निवासी	क्योंकि १८२ दिन से अधिक ठहरा है।
१-१०-१९३९	३०-६-१९४०	१९३९-४०	१९४०-४१	१८३	"	" " " "
		१९४०-४१	१९४१-४२	९१	"	यद्यपि १८२ दिन से कम ठहरा है, परन्तु पिछले चार वर्षों मे ३१-३-१९४० तक ३६५ दिनो से अधिक ठहरा है और कुछ समय के लिए उस वर्ष मे भी रहा है।
१०-८-१९४१	३१-१०-१९४२	१९४१-४२	१९४२-४३	२३४	"	क्योंकि १८२ दिन से अधिक ठहरा है।
		१९४२-४३	१९४३-४४	२१४	"	" " " "
१-१-१९४४	३०-६-१९४४	१९४३-४४	१९४४ ४५	९१	"	यद्यपि १८२ दिन से कम ठहरा है, परन्तु पिछले चार वर्षों मे ३१-३-१९४३ तक ३६५ दिनो से अधिक ठहरा है और उस वर्ष मे भी रहा है।

		१९४४-४५	१९४५-४६	९१	निवासी	यद्यपि १८२ दिन से कम रहा है, परन्तु पिछले चार वर्षों मे ३१-३-१९४४ तक ३६५ दिन से अधिक रहा और उस वर्ष मे भी रहा है ।
१-१२-१९४५	३०-४-१९४७	१९४५-४६	१९४६-४७	१२१	"	१८२ दिन से कम ठहरा है, परन्तु पिछले चार वर्षों मे ३१-३-१९४५ तक ३६५ दिन से अधिक रहा है और उस वर्ष मे भी रहा है ।
		१९४६-४७	१९४७-४८	३६५	"	१८२ दिन से अधिक रहा है ।
		१९४७-४८	१९४८-४९	३०	निवासी तथा साधारण निवासी	१८२ दिन से कम रहा है, परन्तु पिछले चार वर्षों मे ३१-३-१९४७ तक ३६५ दिन से अधिक रहा है और उस वर्ष भी रहा है । पिछले दस वर्षों में से जो ३१-३-१९४७ को समाप्त होती हैं, ९ वर्ष तक निवासी रहा और पिछले सात वर्षों में ३१-३-१९४७ तक २ वर्षों से अधिक रहा है ।

करदेय आय (Taxable Income)—

करदेय आय करदाता के निवास स्थान के अनुसार निकाली जाती है, अर्थात् एक निवासी की करदेय आय एक साधारण निवासी और विदेशी की करदेय आय से भिन्न होगी । नीचे दी हुई तालिका भिन्न-भिन्न निवासियों की करदेय आय प्रगट करती है ।

भिन्न-भिन्न निवासियों की करदेय आय

निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
(१) करदाता द्वारा करदेय प्रदेश मे गत वर्ष मे पाई हुई आय, चाहे वह करदेय प्रदेश में या करदेय प्रदेश के बाहर उपार्जित की गई हो।	(१) निवासी के अनुसार	(१) निवासी के अनुसार
(२) करदाता द्वारा करदेय प्रदेश मे गत वर्ष में उपार्जित की हुई आय, चाहे वह करदेय प्रदेश मे या करदेय प्रदेश के बाहर प्राप्त की गई हो।	(२) निवासी के अनुसार	(२) निवासी के अनुसार
(३) वह आय जो करदेय प्रदेश के बाहर गत वर्ष मे उपार्जित की गई हो और बाहर ही प्राप्त की गई हो, परन्तु उसी वर्ष करदेय प्रदेश मे लाई गई हो।	(३) निवासी के अनुसार	नोट—विदेशी की ओर किसी आय पर आय कर नहीं लगता है।
(४) आय, जो कि गत वर्ष मे करदेय प्रदेश के बाहर ऐसे व्यापार से उपार्जित की गई हो, जिसका कि सचालन करदेय प्रदेश से होता है,	(४) आय, जो कि गत वर्ष में करदेय प्रदेश के बाहर उपार्जित की गई हो, परन्तु करदेय प्रदेश में लाई न गई हो या प्राप्त न की गई हो।	

परन्तु करदेय प्रदेश में लाई न गई हो या प्राप्त न की गई हो।		
(५) वह आय जो कि १ अप्रैल सन् १९३३ के बाद और गत वर्ष से पहले करदेय प्रदेश से बाहर उपार्जित की गई हो तथा उस पर कोई कर न दिया गया हो और करदेय प्रदेश में गत वर्ष लाई गई हो।	(५) निवासी के अनुसार।	
नोट—ऊपर लिखी हुई शर्तें आय-कर अधिनियम की धारा ४ (१) मे दी हुई हैं।	**नोट**—ऊपर लिखी हुई शर्तें आय-कर अधिनियम की धारा ४ (१) मे दी हुई है।	**नोट**—ऊपर लिखी हुई शर्तें आय-कर अधिनियम की धारा ४ (१) में दी हुई है।

भिन्न-भिन्न निवासियों की करदेय आय के सम्बन्ध में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण नियम —

(१) निवासी को जिस-जिस आय पर कर देना पड़ता है, साधारण निवासी को भी उसी आय पर कर देना पड़ता है। केवल एक ही अन्तर है कि निवासी को विदेश से न लाई हुई उस आय पर कर देना पड़ता है जिसका कि प्रबन्ध भारत से होता है, परन्तु साधारण निवासी को विदेश में उपार्जित की हुई सब आय पर कर देना पड़ता है, चाहे उसका प्रबन्ध भारत से होता हो या अन्य कही से।

(२) धारा ४ (२) के अनुसार एक निवासी स्त्री द्वारा अपने विदेशी पति की बिना कर लगी हुई विदेशी आय से प्राप्त की हुई रकम को कर लगाने के लिये उसकी आय में जोड दिया जायेगा।

(३) उपार्जित आय, प्राप्त हुई आय और लाई हुई आय मे अन्तर समझना अत्यन्त आवश्यक है :—

(अ) उपार्जित आय—जो आय पैदा की जा चुकी हो, उपार्जित आय कही जायेगी, चाहे प्राप्त की गई हो या न की गई हो।

(ब) प्राप्त आय—वह आय जो कि कर दाता को या उसके एजेन्ट को मिलती है, प्राप्त आय कही जाती है। यदि किसी करदाता को विदेश मे कुछ आय मिलती है, जिसे वह भारत मे ले आता है तो यह आय विदेश मे प्राप्त हुई कही जायेगी। आय को रुपये, चैक, बिल या हुण्डी आदि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

(स) लाई हुई आय—जो आय विदेश मे प्राप्त करने के बाद भारत में लाई जाती है, उसे 'लाई हुई आय' कहा जाता है।

उदाहरण—

श्री देवकीनन्दन की नीचे लिखी हुई रकमें हैं :—

(अ) उसके बम्बई के व्यापार से प्राप्त हुए	१०,००० रुपये
(ब) उसकी स्वय की खेती से प्राप्त हुए	३,००० रुपये
(स) उसके इटली के व्यापार से, जिसका कि प्रबन्ध भारत से होता है, लाए गए	५,००० रुपये
(द) उसके अमेरिका के व्यापार से, जिसका कि प्रबन्ध अमेरिका से ही होता है, जो कि भारत नही लाये गए हैं	८,००० रुपये

(य) उसकी विदेशी आय १५,००० रुपये, जिसमे से ५,००० रुपये भारत में लाए गए हैं, जिसका प्रबन्ध भारत से होता है।

ऊपर दी हुई आयो को ध्यान मे रखते हुए देवकीनन्दन की करदेय आय क्या होगी ? यदि देवकीनन्दन निवासी या साधारण निवासी या विदेशी है।

हल—

जबकि देवकीनन्दन निवासी (Resident) है—

(अ) उसके बम्बई के व्यापार से	१०,००० रुपया
(स) उसके इटली के व्यापार से, जिसका कि प्रबन्ध भारत से होता है (लाई हुई रकम)	५,००० रुपया
(य) भारत मे लाई हुई विदेशी आय	५,००० रुपया
भारत में न लाई हुई विदेशी आय	१०,००० रुपया
कुल करदेय आय	३०,००० रुपया

Note–Finance Act, 1959 के द्वारा ४,५०० रुपये की छूट बन्द कर दी गई है।

जबकि देवकीनन्दन साधारण निवासी (Ordinary Resident) है—

(अ) बम्बई के व्यापार से प्राप्त हुई आय	१०,००० रुपया
(स) उसके इटली के व्यापार से, जिसका कि प्रबन्ध भारतवर्ष से होता है लाए गए	५,००० रुपया
(य) भारत मे लाई हुई विदेशी आय	५,००० रुपया
(द+य) विदेशी आय जो भारत नही लाई गई (८,०००+१०,०००)	१८,००० रुपया
कुल करदेय आय	३८ ००० रुपया

जबकि देवकीनन्दन विदेशी (Non Resident) है—

(अ) उसके बम्बई के व्यापार से प्राप्त हुई आय	१० ००० रुपया
कुल आय	१०,००० रुपया

Illustration No 2—

Following are the incomes of X —

(a) Received Rs 1 000 in India which accrued in England

(b) Rs 2 000 earned in India but received in England

(c) Rs 10 000 were earned in Africa received in Africa but brought in India

(d) Rs 8 000 were earned and received in Japan from a business which was controlled and managed in Japan and this amount was not brought in India

(e) Rs 6 000 was untaxed foreign income of 1936 which was brought into India in previous year

Which of the above incomes are taxable when X is Resident or Ordinary resident or Non resident ?

Solution No 2—

When X is Resident—

		Rs
(a)	Income received in India where ever accrued	1 000
(b)	Income earned in India where ever received	2 000
(c)	Income earned outside and received outside the taxable territory but brought in India	10 000
(e)	All untaxed foreign Income brought in India, which was earned outside after 1st April 1933 and before previous year	6 000
	Total Rs	19 000

When X is Ordinarily Resident—

		Rs
(a)	Income received in India where ever accrued	1 000
(b)	Income earned in India where ever received	2 000
(c)	Income earned outside and received outside the taxable territory but brought in India	10 000
(d)	Income earned outside received outside and not brought in India	8 000
(e)	All untaxed foreign income brought in India which was earned outside after 1st April 1933 and before previous year	6 000
	Total Rs	27 000

When X is Non resident—

(a)	Income received in India where ever accrued	1 000
(b)	Income earned in India where ever received	2 000
	Total Rs	3 000

Illustration No 3—

Following are the incomes of a wife who is resident in India —

(a) She gets a salary of Rs. 2 000 in Kanpur

(b) She received a remittance of Rs 3 000 from her husband s untaxed foreign income *who is non resident*

(c) Her agricultural income from China Rs 10 000 This agricultural business is controlled from India but this income has not been brought in India

Find out taxable income of wife

Solution No 3—

Statement of wife s taxable income

	Rupees
Salary	2 000
Remittance from her husband (this will be treated as income accuring in India for wife)	3 000
Income from China (this agricultural income is treated as foreign income because it is not subject to land revenue to Government of India)	10 000
Total Rs	*15 000*

Illustration No 4—

Whether the following persons are resident or ordinary resident or non resident

(a) X lived in taxable territories continuously for a period of 11 years but in Dec. 1959 he went to Pakistan and did not return upto 31st March 1960

(b) Mr Y maintained a dwelling house in India for a period of 200 days in the previous year but did not come in India for a single day during the previous year

(c) Mr Z has been in the taxable territory for a period of 400 days during the last 4 years prior to previous year but did not come to India even for a single day in the previous year

(d) Mr M an Australian came to India in the month of January 1960 for serving as manager of a compay in Bombay for a period of 5 years

Solution No 4—

(a) During 1958 59 he was physically present within taxable territory for more than 182 days and further he was resident for nine years during preceeding ten years and was also present for more than two years within 7 years therefore he is a resident and ordinary resident

(b) Mr Y is not resident because for becoming resident only maintaining of dwelling house for a period of more than 182 days is not sufficient he must have also lived in the taxable territory at least for a day in that year

(c) Mr Z is not resident because he has not been in the taxable territory even for a single day in the previous year

(d) Mr M is resident because he has been in the taxable territory in the previous year in the month of January February and March As his appointment is for 5 years Income tax officer will be satisfied

that he has to stay for a period of more than 3 years.

QUESTIONS

1. Write short notes on the following —
   (a) Non resident (Agra, B Com. 1942, 47, 50 57, Raj, B. Com, 1953)
   (b) Resident (Agra, B Com 1945, 46 51)
   (c) Ordinary Resident (Agra, B Com. 1945, 46, 51, Raj, B Com. 1951)
2. Explain how you would decide the question of Residence of an assessee for Income tax purposes Give illustrations. (Allahabad, B. Com 1954 59)
3. What are the different categories into which the assessees are divided with regard to residence ? Give a brief account of each of them (Agra, B Com, 1956, Alld, B Com., 1955)
4. How is residence of Assessees determined for Income tax purposes ? Explain the incidence of Residence on tax liability. (Raj., B Com, 1955)
5. The residence of an assessee is determined according to the provisions of section 4 A and 4 B of the Income tax Act. Discuss these provisions as briefly and clearly as possible (Agra B Com, 1953)

अध्याय ५

कर मुक्त आय

(Exempted Income)

आकस्मिक आय (Casual Income)—

मरे (Murray) के नये अगरेजी शब्द कोष के अनुसार 'आकस्मिक' का अर्थ ' सयोग से प्राप्त होना, सयोग पर निर्भर होना, अनिश्चित समय पर मिलना' ....है।"*

आकस्मिक आय वह आय है जो कि बिना किसी नियम (Stipulation), प्रसविदा या यों कहिये कि बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त होती है।

Ryall Vs. Hoare (8 T. C. 521) के मामले मे नीचे लिखे हुए उदाहरण न्यायाधीश Rowlatt ने आकस्मिक आय समझाने के लिए दिये थे :—

(अ) दान,

(ब) मुद्रा का पडा हुआ मिलना,

(स) दाँव (Bet) जीतने पर मिलने वाली रकम,

(द) ऐसी वस्तु के बेचने से प्राप्त हुआ लाभ, जिसका कि व्यापार से सम्बन्ध न हो।

आय कर अधिनियम की धारा ४ (३) (vii) के अनुसार वही आय आकस्मिक आय कही जाती है, जो कि नीचे लिखी हुई शर्तो को पूरा करे —

(१) वह आय ऐसी पूँजी लाभ न हो, जिस पर कि धारा १२ (B) के अनुसार कर लगाया जाता है।

(२) वह आय किसी व्यापार, कारोबार, व्यवसाय या किसी पेशे से उपार्जित न हुई हो।

(३) वह आय आकस्मिक हो व बार-बार आने वाले स्वभाव की न हो।

(४) वह आय किसी भी कर्मचारी के पारिश्रमिक मे जुडने वाली न हो।

आय-कर अधिनियम के अनुसार ऊपर दी हुई आकस्मिक आय की परिभाषा को समझने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :—

---

* According to Murray's new English Dictionary, 'casual' means "subject to, depending on or produced by chance accident, fortuitous, accruing or coming at uncertain time, not to be calculated on, uncertain, unsettled, occuring or brought about without design or premeditation, coming up or presenting itself as it chances."

(१) कम्पनी के सचालक को स्तीफा न देने से रोकने के लिए दी गई एक थोक रकम, आकस्मिक आय नही मानी गई है।

(२) आध्यापको को पर्चा बनाने और परीक्षा की कापियो के जाँचने के लिए मिली हुई फीस आकस्मिक आय नही है।

(३) अपराधियो का पता लगाने के लिए या पकड़वाने के लिये घोषित किये गये इनाम उन व्यक्तियो के लिए आकस्मिक आय होंगे जिनका कि ऐसा करना कर्त्तव्य नही था, परन्तु यदि यह इनाम किसी पुलिस अफसर को दिया जाय तो वह उसकी आकस्मिक आय नही मानी जायगी।

(४) यदि दान बार बार नियमित रूप से दिये जाते हैं तो आकस्मिक नही माने जायेंगे। यह निर्णय Kedar Narain Singh Vs. C. I. T., U. P. के मामले मे दिया गया था, परन्तु जो दान कभी-कभी दिये जाते है, यदि सयोग से उनकी दोबारगी हो जाय तो भी वे 'आकस्मिक आय' माने जायेंगे। यह निर्णय Rani Amrit Kaunwar Vs. C. I. T., U. P. 1946 मे दिया गया था।

(५) एक व्यक्ति जोकि लगातार घुड़दौड़ो में बाजी लगाता है, उसके लाभ पर कर लगाया जा सकता है और उसकी यह आय आकस्मिक आय नही है। यह निर्णय Partridge Vs. Mallandaine के मामले मे दिया गया है।

(६) मोहन अपने रहने के लिये मकान खरीदता है और बाद में इसे लाभ पर बेच देता है। इस लाभ पर कोई कर नही लगेगा, क्योकि मकान खरीदना और बेचना मोहन का पेशा नही है।

(७) एक महाजन, जिसका कि पेशा लोगो को रुपया उधार देना है, यदि अपने देनदारो से रुपया न मिलने पर उनकी जमीन ऋण के बदले मे लेता है और इस जमीन को लाभ पर बेचता है तो यह लाभ 'आकस्मिक आय' नही माना जायगा।

(८) यदि एक व्यक्ति को लॉटरी मे इनाम मिलता है तो इस आय पर आय-कर नही लगेगा।

(९) यदि कम्पनी के किसी सचालक को कम्पनी के अशो के अभिगोपन (Underwriting) का कमीशन मिलता है तो यह उसकी 'आकस्मिक आय' नही मानी जायगी।

(१०) यदि किसी व्यक्ति के जन्म दिवस पर उसके मित्रो व सम्बन्धियो से भेंटें (Gifts) मिलती हैं तो यह आकस्मिक आय मानी जायगी।

(११) यदि एक व्यक्ति सट्टे का व्यापार करता है तो सट्टे से प्राप्त आय आकस्मिक आय नही कही जायगी, परन्तु एक दूसरा व्यक्ति कभी सयोग से एक सट्टे का सौदा करके आय प्राप्त करे तो इस आय पर आय-कर नही लगेगा।

(१२) किसी कम्पनी के कर्मचारी को मिला हुआ बोनस उसकी आकस्मिक आय नहीं मानी जायगी।

एक फर्म को जो कि बिजली का समान क्रय व विक्रय करने का काम करती थी, फिलिप बिजली कम्पनी द्वारा एक निश्चित क्षेत्र मे फिलिप कम्पनी द्वारा बने हुये बल्व बेचने का एकाधिकार (monopoly) दिया गया। कुछ समय बाद फिलिप कम्पनी ने इस एकाधिकार को छीन लिया और फर्म के साझेदारो को २०,००० रुपये हर्जाने के रूप मे मिले, यद्यपि फर्म अपना वह बिजली का काम करती रही जोकि एजेन्सी मिलने के पहिले करती थी। न्यायाधीशो ने इस २०,००० रुपये को करदेय आय माना और इसे धारा ४ (३) (vii) के अन्तर्गत कर मुक्त नही माना।

[P. H. Divecha And other V, C. I. T. Bombay city June 23, 1959]

आकस्मिक आय का महत्त्व—

आकस्मिक आय का आय-कर के दृष्टिकोण से बहुत महत्त्व है, क्योकि इस आय पर—

(अ) आय-कर नही लगता, और

(ब) यह आय कुल आय मे नही जोडी जाती है।

यही कारण है कि आकस्मिक आय की परिभाषा धारा ४ (३) (vii) में दी हुई है, परन्तु यह आवश्यक है कि इसकी परिभाषा समझने के लिए न्यायालयो के निर्णय को व उस व्यक्ति की प्रकृति को ध्यान मे रखा जाय जिसे यह आय प्राप्त हुई हो।

आकस्मिक आय के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण नियम—

आय-कर अधिनियम के अनुसार उस आय पर आय कर नही लगता है जोकि आकस्मिक हो और जिसकी बार-बार होने की प्रकृति न हो (It should be casual and of non recurring nature)। जो आय केवल आकस्मिक है और Non-recurring नही है उस पर आय-कर लगेगा, अतः आय-कर से मुक्ति पाने के लिये आय का आकस्मिक और Non recurring होना आवश्यक है।

पुण्य के लिए दिये हुये दान (Donations for Charitable Purposes)—

आय-कर अधिनियम की धारा १५-B के अनुसार एक कर-दाता द्वारा १ अप्रैल सन् १९५२ के बाद दिये हुए दानो पर आय-कर नही देना पडता है, परन्तु इन दानों को कर मुक्त होने के लिए नीचे लिखी शर्तें पूरी होनी चाहिए:—

(१) यह दान किसी ऐसी पुण्यार्थ सस्था या फण्ड मे दिया जाय, जो कि कर लगाने वाले क्षेत्र मे स्थापित हो।

(२) इस संस्था की आय धारा ४ (३) (i) के अनुसार आय-कर से मुक्त हो।

(३) यह संस्था एक प्रन्यास या पञ्जीकृत संस्था या कम्पनी या सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा चलाई जाती हो या एक विश्वविद्यालय या एक प्रमाणित शिक्षा संस्था हो।

(४) यह अपने आय व्यय का नियमित लेखा रखती हो।

(५) यह किसी विशेष जाति के लाभ के लिए स्थापित न की गई हो।

(६) इस संस्था को सरकार द्वारा या स्थानीय सरकार द्वारा पूर्णतया या कुछ अंश तक आर्थिक मदद मिलती हो।

(७) दान किया हुआ रुपया २५० रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

(८) यह दान की रकम १,५०,००० रुपये या उसकी कुल आय के ७½ प्रतिशत में से, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यहाँ उसकी कुल आय का आशय उस आय से है जोकि उसकी कर मुक्त आय घटाने के बाद बचती है।

(९) दान की रकम कुल आय में दर निकालने के लिये जोड़ी जाती है।

(१०) कम्पनी द्वारा दिया हुआ दान केवल आय कर से मुक्त होता है, परन्तु अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ दान आय कर व अधि कर दोनों से मुक्त होता है। [धारा १५-B]

आय कर से सर्वथा मुक्त आयें (Incomes totally exempt from tax)–

आय कर अधिनियम की धारा ४ (३) के अन्तर्गत वे आयें दी हुई हैं जोकि आय कर से मुक्त हैं और कर की दर निर्धारण करने के लिए कुल आय में भी शामिल नहीं की जाती हैं :—

(१) धार्मिक या पुण्यार्थ सम्पत्ति की आय—उस सम्पत्ति की आय जोकि प्रन्यास या अन्य वैधानिक दायित्वों के द्वारा धार्मिक या पुण्य कार्यों के लिए रखी जाती है, परन्तु यह आवश्यक है कि इन सम्पत्तियों से प्राप्त हुई आय उन धार्मिक व पुण्य कार्यों में लगनी चाहिए जोकि करदेय प्रदेश में हो और यदि इस सम्पत्ति की कुल आय इन कार्यों में व्यय नहीं की जाती है बल्कि उस आय का एक भाग ही इन कार्यों के लिए रखा जाता है तो केवल वह भाग ही कर मुक्त होगा।
[धारा ४ (३) (i)]

(२) पुण्यार्थ संस्था के लिये किये हुये व्यापार की आय–यदि कोई आय ऐसे व्यापार से प्राप्त की जाती है, जोकि धार्मिक और पुण्यार्थ संस्था के लिए किया जाता है और वह आय पूर्णतया इसी संस्था के लिए प्रयोग की जाती है तो वह आय आय कर से मुक्त होगी। [धारा ४ (३) (i) (b)]

(३) धार्मिक या पुण्यार्थ संस्था द्वारा प्राप्त चन्दा—यदि कोई धार्मिक या पुण्यार्थ संस्था अपनी आय स्वेच्छा चन्दे से प्राप्त करती है और इस चन्दे की

रकम को पूर्णतया धार्मिक और पुण्यार्थ कामो मे प्रयोग करती है तो आय कर से मुक्त होगी। [धारा ४ (३) (ii)]

(४) स्थानीय सरकार की आय—किसी स्थानीय सरकार (Local Authorities) की अपने क्षेत्र के अन्दर प्राप्त हुई आय, परन्तु इस सस्था की वह आय आय कर से मुक्त नहीं है जोकि इसे अपने क्षेत्र से बाहर कोई व्यवसाय करने से प्राप्त होती है। [धारा ४ (३) (iii)]

(५) प्रॉवीडेन्ट फन्ड की प्रतिभूतियो का ब्याज—ऐसे प्रॉवीडेन्ट फन्ड की रकम से क्रय की हुई प्रतिभूतियो के ब्याज पर कर नही लगता है, जोकि प्रॉवीडेन्ट फन्ड एक्ट सन् १९२५ के अनुसार रखा जाता है। [धारा ४ (३) (iv)]

(६) कार्यालय से सम्बन्धित कर्त्तव्यो को पूरा करने के लिए मिला हुआ भत्ता—यदि किसी कर्मचारी को अपने कार्यालय से सम्बन्धित कर्त्तव्यो को पूरा करने के लिए कोई भत्ता मिलता है तो उस भत्ते की वह रकम कर मुक्त होगी जिसको कि वास्तव मे व्यय किया गया है। इस भत्ते से आशय कर्मचारी को मिले हुये मनोरंजन के भत्ते या अनुलाभ (Perquisite) से नहीं है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भत्ते की रकम, जोकि व्यय नही हुई है, करदेय आय मे जोड दी जाती है।

[धारा ४ (३) (vi)]

(७) विदेशी का यात्रा व्यय—किसी ऐसे कर्मचारी को जोकि भारतवर्ष का नागरिक न हो, छुट्टी पर भारत से घर जाने के लिए अपने मालिक से मिला हुआ यात्रा व्यय। [धारा ४ (३) (vi-a)]

(८) भारत के नागरिक का यात्रा व्यय—यदि कोई मालिक अपने कर्मचारी को जोकि भारत का नागरिक है, छुट्टी पर अपने भारत मे स्थित घर पर जाने के लिये कोई यात्रा व्यय देता है तो यह यात्रा व्यय उस कर्मचारी की आय अवश्य है, पर इस आय पर न तो कर ही लगेगा और न यह आय कर्मचारी की कुल आय मे ही जोडी जायगी। [धारा ४ (३) (vi b)]

(९) आकस्मिक आय—आकस्मिक आय, जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका है, कर मुक्त होती है। [धारा ४ (३) (vii)]

(१०) धारा ४ (३) (viii) के अनुसार कृषि आय।

(११) प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फन्ड की आय—एक प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फन्ड (Recognised Provident Fund) के अभ्यासियो को इस फन्ड से मिली हुई आय कर मुक्त होती है। इस फन्ड की परिभाषा धारा ५८–A (a) मे की गई है।

[धारा ४ (३) ix]

(१२) (अ) किसी देशी राज्य के महाराजा को विधान की धारा २९१ के अनुसार निजी व्यय (Privy Purse) के लिए मिली हुई आय।

(ब) किसी विदेश के अम्बेसेडर, हाईकमिश्नर या अन्य इसी प्रकार के अधिकारियो व इनके सेक्रेट्री व सलाहकार को उस राज्य से इन ओहदो से सम्बन्धित कार्य करने के लिए मिले हुए पारिश्रमिक की आय।

(स) किसी विदेशी सरकार के वाणिज्य दूत को उसके ओहदे मे सम्बन्धित किये हुये कार्यों के लिए मिले हुये पारिश्रमिक की आय।

(द) किसी विदेशी राज्य के ट्रेड कमिश्नर या अन्य इसी प्रकार के प्रतिनिधि, जोकि अवैतनिक (Honorary) काम नही कर रहे है, के द्वारा प्राप्त हुए पारिश्रमिक की आय। इन अधिकारियो को यह छूट तभी दी जायेगी जबकि हमारे देश के इस प्रकार के अधिकारियो को इस तरह की छूट उन देशो मे मिलती हो जिन देशो से ये अधिकारी आये है।

(य) ऊपर के (ब), (स) और (द) के अन्तर्गत लिखे हुए अधिकारियो के कार्यालय के सदस्यो को मिलने वाले पारिश्रमिक की आय कर मुक्त है, यदि नीचे लिखी हुई शर्तें पूरी हो :—

(i) वह उसी देश का रहने वाला हो जहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आया हो।

(ii) वह अपने ओहदे से सम्बन्धित काय के अलावा भारत मे कोई व्यापार, पेशा या व्यवसाय न करता हो और यदि ये कर्मचारी (द) में लिखे हुए अधिकारी के यहाँ कार्य करते है तो इनकी आय तभी करमुक्त होगी जबकि इस प्रकार की छूट भारत के कर्मचारियो को उनके देशो में मिलती हो।

[धारा ४ (३) (x)]

(१३) भारतीय नागरिको का विदेशी भत्ता—सरकार के द्वारा भारत के नागरिक को करदेय प्रदेश के बाहर कार्य करने के लिए दिया हुआ भत्ता या अनुलाभ (allowances or perquisites)।

[धारा ४ (३) (xa)]

(१४) नैपाली सेना के सैनिक की आय—नैपाली सेना के सैनिक की आय, जोकि भारत सरकार का सेना मे काम कर रहा हो।

[धारा ४ (३) (xi)]

(१५) रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की आय—यदि कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट सन् १९२६ के अनुसार है और मुख्यत. श्रमिका व

मालिकों में और श्रमिकों व श्रमिकों में उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बनी है तो ऐसी ट्रेड यूनियन की प्रतिभूतियों पर ब्याज, सम्पत्ति से आय और अन्य साधनों से आय कर मुक्त है। [धारा ४ (३) (x a)]

(१६) एक विशेष प्रकार की सम्पत्ति की आय—यदि एक मकान १ अप्रैल सन् १९४६ तथा ३१ मार्च सन् १९५६ के बीच मे बना हो तो इसका बनना समाप्त होने के बाद की तारीख मे २ वर्षों की आय।

[धारा ४ (३) (xii)]

(१७) अनुमोदित साइन्स रिसर्च एसोसिएशन की आय—किसी अनुमोदित (approved) साइन्स रिसर्च ऐसोसिएशन की वह आय जो ३१ मार्च सन् १९४६ के बाद उत्पन्न हुई हो और उसी ऐसोसिएशन के काम में लाई जाती हो।

[धारा ४ (३) (xiii)]

(१८) विदेशी उद्यम के कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय—विदेशी उद्यम (enterprise) के कर्मचारी द्वारा प्राप्त की हुई आय, जो कि कुल मिलाकर भारतवर्ष मे ९० दिन से अधिक न रहे और जिसे ऐसी विदेशी संस्था ने भेजा हो जो भारत मे कोई व्यापार न करती हो। [धारा ४ (३) (xiv)]

(१९) विदेशी तान्त्रिक का वेतन—एक ऐसे विदेशी के वेतन पर कर नही लगता है जोकि भारत मे तांत्रिक की तरह सरकार के या स्थानीय सरकार के या भारत मे किसी व्यवसाय के या किसी ऐसे कॉरपोरेशन के अन्तर्गत काम करता हो जो किसी विशेष कानून द्वारा बनाया गया हो, परन्तु इस कर मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत आने वाले वर्ष के पहिले ४ वर्षों में कभी भी भारत का 'निवासी' न रहा हो। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वह जिस वर्ष भारतवर्ष मे आया है, उस वर्ष की आय और अगले वर्ष की आय कर मुक्त होती है।

यदि यह तान्त्रिक भारत आने वाले वर्ष व अगले वर्ष मिलाकर ३६५ दिन से अधिक वेतन प्राप्त करता है तो केवल ३६५ दिन का ही वेतन कर मुक्त होता है।

परन्तु यदि इस तान्त्रिक का नौकरी का प्रसविदा सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया ह तो यह कर की छूट भारत आने वाले साल में व अगले दो साल तक मिलती है।

[धारा ४ (३) (xiv-a)]

नोट—तान्त्रिक (Technician) की परिभाषा इस एक्ट की धारा ४ (३) (xiv a) के अन्त में दिए हुए Explanation में दी गई है।*

---

* "Technician" means a person having specialised knowledge and experience in constructional or manufacturing operations, or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power, who is employed in India in a capacity in which such specialised knowledge and experience are actually utilised".

(२०) विदेशी सरकार से मिलने वाला पारिश्रमिक—यदि कोई व्यक्ति सहकारी तान्त्रिक सहायता के प्रोग्राम के सम्बन्ध मे विदेश से आया हो तो उसको विदेशी सरकार से मिलने वाला पारिश्रमिक कर मुक्त है, यदि भारत सरकार व विदेशी सरकार में पारस्परिक समझौते के अनुसार उसकी नियुक्ति हुई हो। वेतन के अलावा उसकी अन्य आय भी कर से मुक्त हो सकती है, यदि उसकी आय विदेश में उपार्जित की गई हो और उस पर उसे विदेशी सरकार को कर देना पडता हो।

[धारा ४ (-) (xv)]

(२१) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित किए हुए बोन्ड्स का व्याज—भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय नवनिर्माण तथा विकास बैंक के समझौते के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित किए हुए बोन्ड्स का ब्याज। यह छूट केवल उन्ही को दी गई है जो कि विदेशी हैं।

[धारा ४ (३) (xvi)]

(२२) दस वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपाजिट सार्टीफिकेट का व्याज—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए हुए दस-वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपाजिट सार्टीफिकेट का ब्याज या पन्द्रह-वर्षीय अन्यूटी सार्टीफिकेट पर मिले हुए ब्याज की मासिक रकम।

[धारा ४ (३) (xvii)]

(२३) डाकखाने के सेविंग बैंक की जमा पर ब्याज—डाकखाने के सेविंग बैंक की जमा पर ब्याज, डाकखाने के कैश सार्टीफिकेट व नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट व दस वर्षीय नेशनल प्लान सार्टीफिकेट का ब्याज।

[धारा ४ (३) (xvii a)]

(२४) (अ) सरकार व स्थानीय सरकार द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति या सस्था से उधार ली हुई रकम पर दिया गया ब्याज।

(ब) भारत की औद्योगिक इकाइयो द्वारा ऋण प्रसविदे के अन्तर्गत विदेशी वित्त सस्था से लिए हुए ऋण पर दिया गया ब्याज, यदि इस समझौते को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत कर लिया है।

(स) भारत की औद्योगिक इकाइयो द्वारा विदेशों में पूंजी माल क्रय करने के हेतु लिये गए ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, यदि इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने सहमति दे दी है।

[धारा ४ (३) (xvii b)]

(२५) लका के केन्द्रीय बैंक के निर्गमन विभाग के पास की प्रतिभूतियो का व्याज—लका के मुद्रा अधिनियम सन् १९४९ (Monetary Law Act, 1949) के अन्तर्गत बने हुए लका के केन्द्रीय बैंक के निर्गमन (issue) विभाग द्वारा रखी हुई प्रतिभूतियो पर ब्याज।

[धारा ४ (३) (xviii)]

(२६) केन्द्रीय व प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों के दैनिक भत्ते—
केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों को मिले हुए दैनिक भत्ते।
[धारा ४ (३) (xix)]

(२७) १ अप्रैल सन् १९३८ के पहले निर्गमित हुये ऋण का ब्याज—
१ अप्रैल सन् १९३८ के पहले निर्गमित हुए ऋण का ब्याज, जोकि करदेय प्रदेश के बाहर विदेशी को देय हो। लेकिन यह आय उसकी कुल सामारिक आय मे जोड ली जायगी।
[धारा ४ (३) (xx)]

(२८) कुछ विशेष प्रकार के अछूतो की आय—भारतीय विधान की धारा ३६६ (२५) मे बताये हुए अछूतो की आय, यदि वे कुछ विशेष स्थानो के रहने वाले हों, लेकिन इन्हे सरकारी नौकर नही होना चाहिए। जैसे आसाम की पहाडी जातियाँ, चाहे वे जाति सम्बन्धी क्षेत्र (Tribal areas) मे रहती हो या मनीपुर व त्रिपुरा के राज्यो मे चली गई हो।
[धारा ४ (३) (xxi)]

(२९) केन्द्रीय या राजकीय सरकार द्वारा दिया गया बहादुरी का इनाम—केन्द्रीय सरकार या राजकीय सरकार द्वारा नकद या वस्तुओ मे दिया गया बहादुरी का इनाम।
[धारा ४ (३) (xxii)]

(३०) सम्मिलित हिन्दू परिवार के सदस्य की आय—एक सम्मिलित हिन्दू परिवार के सदस्य को सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय मे से मिला हुआ भाग।
[धारा १४ (१)]

उदाहरण के लिए, माना कि एक सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय १,६०० रुपये है। इस परिवार मे ४ सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले ४०० रुपयों पर न तो आय कर लगेगा और न ही ये रुपए उसकी कुल आय में शामिल किए जायेंगे।

(३१) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड (Approved Superannuation Fund) के निक्षेप (Deposit) की आय। [धारा ५८ आर]

इनामी बांड सन् १९६५ का ब्याज—

१ अप्रैल सन् १९६० से ५) और १००) की राशियो के इनामी बौंड सम-मूल्य पर सरकार द्वारा जारी किये गये हैं और १ अप्रैल सन् १९६५ को या इसके बाद सममूल्य पर भुगतान किये जायेंगे। ये इनामी बौंड बियरर बौंडो के रूप में होगे। इनाम की रकम भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत आय कर से मुक्त होगी और नकद दी जायगी।

आय जो आय-कर से मुक्त हैं, परन्तु सुपरटैक्स से मुक्त नहीं हैं और कुल आय में सम्मिलित होती हैं (Incomes which are exempt from Income-tax but not from Super-tax and are included in Total Income)—

नीचे लिखी हुई आयें आय-कर से मुक्त हैं, परन्तु सुपर-टैक्स से मुक्त नही है और कुल आय मे आय-कर की दर निकालने के लिये सम्मिलित की जाती हैं :—

(१) एक सरकारी कर्मचारी के वेतन मे से उसको स्थगित वार्षिकी (Deferred Annuity) देने के लिए या उसकी स्त्री और बच्चो की सहायता करने के लिए काटी हुई रकम, परन्तु यह उसके वेतन के १/५ से अधिक नही होनी चाहिये। [धारा ७ (१) Proviso 1]

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित की हुई कर-मुक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज। [धारा ८ Proviso 2]

(३) राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की हुई कर मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज। [धारा ८ Proviso 3]

(४) एक ऐसी अपंजीकृत फर्म (Unregistered Firm) व अन्य संस्थाओं के लाभ का भाग, जिस पर फर्म या अन्य संस्थाओं द्वारा आय-कर अदा कर दिया गया है। [धारा १४ (२)]

(५) करदाता ने अपने जीवन के लिये या अपनी स्त्री के जीवन के लिये या अगर करदाता स्त्री है तो अपने पति के जीवन के लिए या यदि सम्मिलित हिन्दू परिवार हो तो इस परिवार के किसी भी पुरुष या उसकी स्त्री के लिए दिया हुआ प्रीमियम। [धारा १५ (१)]

नोट—इस वार्षिक प्रीमियम को बीमा कराई हुई रकम के १० प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए।

(६) Provident Fund Act, 1925 के अनुसार रखे हुए प्रॉवीडेन्ट फण्ड मे एक कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा। [धारा १५ (१)]

(७) एक प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड मे कर्मचारी द्वारा दिया गया दान, लेकिन यह दान कर्मचारी के वेतन के $\frac{1}{5}$ या ८,००० रुपये मे से जो भी कम हो उससे अधिक नही होना चाहिए। [धारा ५८-एफ]

(८) एक कर्मचारी द्वारा अनुमोदित वार्षिकीय कोष (Approved Superannuation Fund) में दिया गया चन्दा। [धारा ५८ आर]

नोट—ऊपर दी हुई छूटो मे नं० १, ५, ६, ७, ८ का जोड़ एक व्यक्ति के मामले में उसकी कुल आय के १/४ या ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नही होना चाहिए, परन्तु एक सम्मिलित परिवार के मामले में यह

प्रीमियम कुल आय के १/४ या १६,००० रुपये मे से जो भी कम हो उससे अधिक नही होना चाहिए।

आय जो आय-कर व अधि-कर दोनों से मुक्त हैं, परन्तु आय-कर की दर निकालने के लिए कुल आय में जोड़ी जाती हैं (Incomes exempt form Income tax and Super-tax but included in the total Income for rate purposes only)—

नीचे लिखी हुई आयें आय-कर व अधि-कर दोनो से मुक्त हैं, परन्तु आय-कर की दर निकालने के लिए कुल आय में जोडी जाती हैं :—

(१) (i) एक सहकारी समिति द्वारा किये जाने वाले व्यापार के लाभ पर कर नही दिया जायेगा, यदि यह :—

(अ) एक ऐसी समिति है जो कि बैंकिंग का व्यापार या सदस्यो को साख की सुविधायें देने का काम करती है; या

(ब) एक ऐसी समिति है जो कि कुटीर उद्योगो में लगी है, या

(स) एक ऐसी समिति है जो अपने सदस्यो की कृषि की पैदावार के विपणन (Marketing) का कार्य करती है; या

(द) एक ऐसी समिति है जो कि अपने सदस्यो के लिए कृषि सम्बन्धी औजार, बीज और जानवर क्रय करती है; या

(य) एक ऐसी समिति है जो कि अपने सदस्यो की कृषि की पैदावार के Processing मे लगी हुई है; या

(फ) एक ऐसी समिति है जो कि अपने सदस्यो द्वारा एकत्रित किये हुये दूध को संयुक्त दूध सहकारी समिति को देने का काम करती है।

(ii) यदि एक सहकारी समिति ऊपर (Clause (i) के अन्तर्गत) समझाई हुई समितियो की भांति नही है तो इसका ऐसा लाभ जो कि १५,००० रुपये से अधिक न हो,

(iii) एक सहकारी समिति द्वारा अन्य सहकारी समितियो मे किये हुए विनियोगो पर प्राप्त ब्याज और लाभांश,

(iv) उन गोदामो से प्राप्त आय जो कि भण्डार के लिए, विपणन के लिए या Processing के लिए किराये पर दिये गये हैं,

(v) यदि एक ऐसी सहकारी समिति की कुल आय २०,००० रु० से अधिक नही है और समिति गृह समिति या नगर उपभोक्ता समिति या यातायात समिति या शक्ति के द्वारा कार्य करने वाली निर्माण समिति नही है तो इस समिति द्वारा प्राप्त किये हुए प्रतिभूतियो के ब्याज पर और सम्पत्ति की आय पर।

ऊपर वर्णन की हुई छूटें एक बीमा कम्पनी को व Sankatta Salt Owner's Society को प्राप्त नहीं हैं। [धारा १४ (३)]

नोट—यह धारा वित्त अधिनियम सन् १९६० द्वारा प्रतिस्थापित की गई है।

(२) एक करदाता जो कि सहकारी समिति का सदस्य है, इस समिति से प्राप्त होने वाले लाभांश पर कर नही देगा। [धारा १४ (४)]

(३) ऐसे करदाता की गोदामो या भण्डारखानो के किराये से प्राप्त आय पर कर नही लगता जो कि किसी कानून द्वारा वस्तुओं के विपणन करने का अधिकारी है। यह छूट तभी मिलेगी जबकि ये गोदाम वस्तुओं के विपणन मे सहायता देने के लिये या भण्डार करने के लिए किराये पर उठाये गये हो। [धारा १४ (५)]

आय जो कि आय-कर से मुक्त नहीं है, परन्तु अधि-कर से मुक्त है और कुल आय में जोड़ी जाती है (Incomes exempt from super tax but not from Income-tax and is included in total Income)—

(१) एक कम्पनी को अपनी कुल आय के उस भाग पर कोई सुपर टैक्स नही देना पडता है, जो कि एक ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभांश द्वारा प्राप्त की जाती है जो कि ३१ मार्च सन् १९५२ के बाद बनी हो और जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास हो जाय कि यह कम्पनी कुछ विशेष उद्योगो मे लगी हुई है, जैसे कोयला, लोहा एव स्पात, हैवी कैमीकल्स, हैवी मशीनरी, कागज, ट्रैक्टर्स, सीमेंट और लोकोमोटिव्ज आदि और धारा १५ C उस कम्पनी पर लगती हो।

[धारा ५६ A (१)]

(२) विनियोग ट्रस्ट कम्पनियों को लाभांश के रूप मे जो आय दूसरी कम्पनियो के उस लाभ मे से मिलती है जिस पर सुपर टैक्स लग चुका है। इस लाभांश पर विनियोग ट्रस्ट कम्पनियो को सुपर टैक्स नही देना पडता है। परन्तु इस छूट को प्राप्त करने के लिए विनियोग ट्रस्ट कम्पनी को एक विशेष प्रकार का होना चाहिए।

(३) यदि एक रजिस्टर्ड फर्म की आय ४०,००० रुपये से अधिक होती है तो इसे इससे अधिक आय पर आय कर देना पडता है, परन्तु सुपर-टैक्स नहीं देना पडता है।

नई स्थापित औद्योगिक कम्पनियाँ—

आय कर अधिनियम की धारा १५ C के अनुसार नीचे लिखी हुई सूचनायें दी हुई हैं :—

(1) इन कम्पनियो का लाभ, यदि इनकी पूँजी के ६ प्रतिशत से अधिक नही है तो इनके स्थापित होने के बाद के प्रथम ५ वर्षों मे, आय-कर व अधि-कर से मुक्त है। धारा १५ C, जिसमे कि यह छूट दी हुई है, नीचे लिखी हुई कम्पनियों पर लागू होती है :—

(i) जो किसी पूर्व स्थापित कम्पनी के तोड़ने (Splitting up) या पुनर्निर्माण (Reconstruction) से नहीं बनी है।

(ii) यह धारा ऐसी औद्योगिक कम्पनी पर लगती है जो कि १ अप्रैल सन्

१६४८ से १८ वर्ष के अन्दर किसी भी समय करदेय प्रदेश मे वस्तुओ का निर्माण शुरू करती है। यह समय का प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा बढाया भी जा सकता है।

(iii) जिसमे यदि शक्ति द्वारा निर्माण काय होता है तो कम से कम दस श्रमिक और यदि बिना शक्ति के निर्माण कार्य होता है तो २० या २० से अधिक श्रमिक काय करते हैं।

केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो किसी औद्योगिक कम्पनी को इस छूट का लाभ न लेने दे।

इस कम्पनी के लाभ आय-कर अधिनियम की धारा १० के अनुसार निकाले जायेंगे। इस लाभ मे से मिलने वाले लाभाश पर किसी भी अशधारी को कर नही देना पडेगा, परन्तु यदि इस कम्पनी का लाभ ऊपर समझाई हुई निश्चित सीमा से अधिक होता है तो उसमें से मिलने वाले लाभांश पर अशधारियो को कर देना पडेगा।

इस धारा के अनुसार कर मुक्त आय करदेय आय पर कर निकालने के लिए कुल आय मे जोडी जाती है।

QUESTIONS

1 (a) Certain classes of incomes are totally exempt (both Income tax and Super tax) and are not included in the total income of the assessee Give four instances of such income

(b) Give four instances of incomes which are exempt from income tax (not from super tax) but are to be included in the total income of an assessee

(Agra, B. Com 1960)

2 What are the classes of Income to which the Income tax Act does not apply?

(Agra, B Com, 1959)

3 The Indian Income tax Act confers absolute exemption in respect of certain incomes while some incomes are included in the total income for determining the rate only Explain these provisions fully.

(Agra, B Com, 1951)

4 Write short notes on —

(a) Casual Income (Agra, B Com, 1946, 50, 57)

(b) Charitable donations.

5 State the provisions of section 15 B (in respect of exemption of donations for charitable purposes) and section 15 C in respect of exemptions from tax on newly established industrial undertakings (Raj B Com, 1956)

6 What are the conditions to be satisfied by a charitable institution for obtaining exemption from income tax and super tax on its income ?

(Agra M Com 1960)

7 Enumerate with illustrations the classes of incomes which are exempt from both income tax and super tax

(Alld B Com 1953)

8 State the incomes which though exempt from income tax are never the less included in finding out the total income

(Alld, B Com 1958)

अध्याय ६

वेतन

(Salaries)

पिछले अध्याय मे हम उन आयो को पढ चुके हैं जिन पर कि आय-कर नही लगता है। आय-कर अधिनियम की धारा ६ में कर लगने वाली आयो को ६ भागो में बाटा गया है, जो इस प्रकार हैं—

(१) वेतन, (धारा ७);
(२) प्रतिभूतियो पर ब्याज, (धारा ८);
(३) सम्पत्ति से आय, (धारा ९);
(४) व्यापार, पेशे और व्यवसाय से आय, (धारा १०);
(५) अन्य साधनो से आय, (धारा १२);
(६) पूँजी लाभ, (धारा १२ B)।

न्यायाधीश Kania के शब्दों मे धारा ६ 'आय' की परिभाषा नही करती है, बल्कि यह तो केवल उन शीर्षकों को बताती है जिनके अन्दर करदाता द्वारा प्राप्त की हुई आयें लिखी जाती हैं।

प्रत्येक करदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी कुल आय निकालते समय अपनी भिन्न भिन्न आयो को धारा ६ में दिए हुए शीर्षकों के अनुसार बांटे। यदि कोई आय ऐसी हो जिसके शीर्षक के बारे मे सन्देह हो तो करदाता अपनी इच्छानुसार उसे उस शीर्षक मे ले जा सकता है, जिसमे ले जाने से उस पर कम बोझ पड़े। यह निर्णय Kothari Vs. C. I. T. (1951) मे दिया गया था। चूँकि आय-कर के अधिनियम के अनुसार करदाता की भिन्न आयो को उचित शीर्षकों (Heads) मे लिखना आवश्यक है, इसलिए ऊपर दिये हुए शीर्षकों मे से प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। इस अध्याय मे केवल वेतन का ही वर्णन किया गया है।

वेतन का अर्थ—

साधारण भाषा में—

वेतन का आशय उस रकम से है जोकि किसी कर्मचारी को प्रत्येक महीने अपने मालिक से प्राप्त होती है।

आय-कर अधिनियम के अनुसार—

धारा ७ के अनुसार एक कर-दाता को उस वेतन पर कर देना पड़ता है जोकि उसे अपने मालिक से देय (Due) हो, चाहे वह रकम उसे मिली हो या नही।

वेतन के सम्बन्ध की कुछ मुख्य बातें—

(१) वेतन का आशय वेतन और मजदूरी दोनो से है। ऊँचे अधिकारियो को दिया जाने वाला पारिश्रमिक 'वेतन' और मजदूरो व कारीगरो को दिये जाने वाला पारिश्रमिक 'मजदूरी' कहा जाता है। आय कर अधिनियम मे इन दोनो मे कोई अन्तर नही किया गया है। इन दोनो साधनो से प्राप्त हुई आय 'वेतन' शीर्षक मे लिखी जाती है।

(२) कर दाता और उसके मालिक मे, मालिक और नौकर का सम्बन्ध होना आवश्यक है। यह निर्णय C. I. T. Vs. Mills Stone Co. 1941 और David Mitchell Vs. C. I. T. 1956 के मामलो मे दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति कार्यालय के किसी पद पर है और उस पद पर होने के कारण पारिश्रमिक भी प्राप्त करता है, लेकिन उसमें और मालिक मे 'मालिक और नौकर' का सम्बन्ध नही है तो उसका पारिश्रमिक वेतन शीर्षक मे नही लिखा जायगा। Commissioner of Income tax Vs. Lady Navajbai Tata (1947) के मामले मे यह निर्णय दिया गया था। इस मामले में करदाता कम्पनी का सचालक था, उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ पारिश्रमिक न तो वेतन माना गया था और न मजदूरी, बल्कि उपहार (Gratuity), क्योकि मालिक और नौकर का सम्बन्ध स्थापित नही हो पाया था, अतः उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ पारिश्रमिक धारा ७ के अन्दर न आकर धारा १२ के अनुसार 'अन्य साधनो से आय' के अन्दर ले जाया गया था। किसी कम्पनी के सञ्चालक को मिलने वाला पारिश्रमिक 'वेतन' शीर्षक मे जाना चाहिए या 'अन्य साधनों से आय' वाले शीर्षक मे, यह तय करते समय कम्पनी के अन्तर्नियम व कम्पनी और सचालक के बीच हुए प्रसविदे को अवश्य देख लेना चाहिए।

(३) केवल मालिक और नौकर के ही सम्बन्ध का होना पारिश्रमिक को वेतन बनाने के लिए पर्याप्त नही है। यह निर्णय Commissioner of Income tax Bombay Vs. Durga Khote (1952), जोकि सिनेमा की अभिनेत्री है, के मामले मे दिया गया था। इस अभिनेत्री ने कई फिल्म कम्पनियो के प्रसविदे भरे थे और उन सबसे आय प्राप्त की थी। इस सब आय को धारा ७ के अनुसार वेतन शीर्षक मे न दिखाने का निर्णय दिया था। इस आय को 'व्यापार, पेशा और व्यवसाय' शीर्षक मे दिखाना उचित माना गया था। कोई आय वेतन है या नहीं, इसका निर्णय परिस्थितियो और तथ्यो को देखकर करना चाहिए।

(४) वेतन का अर्थ उस रकम से है जोकि भारतवर्ष मे उपार्जित की जाती है। अगर कोई व्यक्ति विदेश मे नौकरी करके वेतन प्राप्त करता है तो उसकी आय विदेशी आय मानी जायगी और वेतन के अन्दर शामिल नही की जायगी।

(५) यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से वेतन पैदा करने के बाद भी नही लेता है तो भी उसके ऊपर इस वेतन पर कर लग जायगा।

(६) वेतन भारतीय सरकार या भारत के किसी अन्य मालिक द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि कोई विदेशी सरकार वेतन का भुगतान करती है तो वह आय वेतन शीर्षक मे नही ले जाई जायगी, वरन् 'अन्य साधनो से आय' वाले शीर्षक मे ले जाई जायगी।

जो सरकारी नौकर भारत के नागरिक है और सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं उनके वेतन पर कर लगता है, चाहे वे जितने समय से विदेश मे ठहरे हो, परन्तु इस वेतन मे वे भत्ते शामिल नही किये जायेंगे जोकि उन्हे विदेश मे ठहरने की कीमत को सहन करने के लिये दिये जाते हैं।

[Explanation 2 A of Sec. 4 (1)]

[धारा ४ (३) (xa)]

यह नियम कर निर्धारण के लिये १ अप्रैल सन् १९६० से लागू होता है।

वेतन शीर्षक में शामिल होने वाली आयें—

वेतन शीर्षक में नीचे लिखी हुई आये शामिल की जाती हैं :—

(१) यदि कम्पनी के डाइरेक्टर को या ऐसे व्यक्ति को जो कम्पनी के प्रबन्ध से सम्बन्धित है और जिसे कम्पनी मे २०% वोट देने का अधिकार हो, कम्पनी द्वारा कोई वस्तु किफायत पर दी जाती है या कोई लाभ बिना कीमत लिए हुये दिया जाता है तो इसके मूल्य को उसके वेतन मे जोड दिया जायेगा।

(२) यदि कम्पनी के १८,००० रुपये से अधिक वार्षिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को (ऊपर न० १ मे समझाय हुये कर्मचारियों को छोडकर) बिना कीमत लिए हुए कोई लाभ या कम मूल्य पर कोई वस्तुयें या सेवायें दी जायें तो इनकी कीमत को वेतन मे शामिल किया जायेगा।

(३) मालिक के द्वारा अपने किसी कमचारी की देन को चुकाय जाने का मूल्य, जिसे यदि मालिक न चुकाता तो कर्मचारी को ही चुकाना पडता।

(४) यदि मालिक कोई रकम अपने कर्मचारी के जीवन बीमा कराने के लिए दे या एक प्रसंविदा के अन्तगत करदाता के जीवन की वार्षिकी (Aunuity) के लिये दे तो यह रकम उसके वतन मे शामिल कर ली जायेगी।

(५) एक करदाता द्वारा अपने मालिक मे या पहले के मालिक से प्राप्त हुआ या प्राप्त होने वाला हर्जाना (Compensation), जोकि या तो नौकरी से अलग करने के बदले मे या अन्य किसी प्रतिफल के रूप म प्राप्त हुआ हो, वेतन शीर्षक मे शामिल किया जाता है। इस दशा मे धारा ६० (२) के अन्तगत करदाता को केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त छूट दी जा सकती है।

(६) मालिक से लिया हुआ पेशगी वेतन—यह पेशगी वेतन उसी तारीख को वेतन माना जायगा जिसको प्राप्त हुआ है, परन्तु यह पेशगी यदि किसी मकान आदि बनाने के लिए ली जाय तो वेतन न मानकर ऋण मानी जायगी और इस पर उसी समय कर लगेगा जबकि वेतन देय होगा।

(७) यदि मालिक द्वारा कोई वार्षिकी, पेंशन, उपहार, फीस या कमीशन आदि कर्मचारी की हैसियत में मिला हो।

(८) यदि वेतन के बदले में या वेतन के अतिरिक्त कोई भी फीस, कमीशन या लाभ मालिक से मिला हो।

(९) कोई भी भुगतान, जो कि करदाता द्वारा अपने मालिक से या पहिले वाले मालिक से या अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड से प्राप्त हुआ हो, परन्तु इस फण्ड में उसके द्वारा दिया हुआ अंशदान (Contribution) और उसका ब्याज शामिल नहीं है।

(१०) अनुलाभ (Perquisites) भी वेतन की तरह करदेय माने जाते हैं। वेतन के अतिरिक्त मालिक द्वारा मिलने वाली लगभग सभी प्रकार की रकमें इसके अन्दर आती हैं, जैसे—बिना किराया रहने का स्थान, बिना कीमत या रियायत पर कर्मचारी को सामान देना आदि। वेतन में शामिल होने वाली शीर्षक के अन्दर नं० १, २, ३, ४ में लिखी हुई रियायतें या भत्तों की रकमें अनुलाभ (Perquisites) में शामिल की जाती है। मकान के किराये का भत्ता एक अनुलाभ है, जिसका विस्तृत वर्णन आगे किया गया है।

मालिक से पाये हुए अनुलाभ (Perquisites) वेतन में जोड़ जाते हैं और उन पर कर लगता है, परन्तु मालिक के अतिरिक्त अन्य लोगों से मिले हुए अनुलाभों पर धारा १२ के अनुसार कर लगेगा। वे वेतन में नहीं जोड़े जायेंगे।

वेतन के बदले में लाभ (Profits in Lieu of Salaries)—

वेतन शीर्षक में शामिल होने वाली आयों में जिन आयों का वर्णन उपर्युक्त (९) व (१०) में किया गया है, वे 'वेतन के बदले में लाभ' कही जाती है।

मकान के किराये का भत्ता (House Rent Allowance)—

(अ) एक कर्मचारी को मकान के किराये का भत्ता मिलता है तो भत्ते की पूरी रकम,

(ब) यदि किसी कर्मचारी को रहने के लिए मुफ्त मकान मिल जाता है तो यह देखना पड़ेगा कि वह मकान फर्नीचर आदि से सजा हुआ है या नहीं। यदि सजा हुआ है तो उसके वेतन का १२½% और यदि नहीं सजा हुआ है तो उसके वेतन का १०% 'वेतन' शीर्षक में जोड़ा जायेगा। परन्तु कर्मचारी को यह अधिकार है कि यदि वास्तविक किराये का मूल्य इन प्रतिशतों से कम हो तो वह कम हो मकान का भत्ता माना जायगा।

[Sub rule (ii) of clause (a) of sub rule (i) of Rule 24 A]

जहाँ बिना सजे हुए मकान के किराये का मूल्याकन वेतन के २० प्रतिशत से अधिक होता है और सजे हुए मकान मे किराये का मूल्याकन वेतन के २५ प्रतिशत से अधिक होता है तो २० व २५ प्रतिशतो से जितना अधिक होता है वह १० व १२½ प्रतिशतो मे क्रमशः जोड दिया जाता है।

[Sub rule (1) of clause (a) of sub rule (1) of Rule 24 A]

यह नीचे के उदाहरणो से स्पष्ट हो जायेगा :—

बिना सजा हुआ मकान (Unfurnished house)—

यदि वेतन १०,००० रुपये वार्षिक है और Fair Rent ८०० रुपये वार्षिक है तो ८०० रुपये ही मकान किराये का भत्ता माना जायेगा, क्योंकि यह वेतन के १० प्रतिशत से कम है।

यदि वेतन १०,००० रुपया वार्षिक है और Fair Rent १,२०० रुपये वार्षिक है तो मकान किराये का भत्ता १,००० रुपये ही माना जायेगा, क्योकि यह वेतन के १० प्रतिशत के बराबर है।

यदि वेतन १०,००० रुपये वार्षिक है और Fair Rent २,२०० रुपये वार्षिक है तो मकान किराये का भत्ता १,२०० रुपये होगा, क्योकि १०,००० रुपये का १० प्रतिशत १,००० रुपये होता है और २,२०० रुपये १०,००० रुपये के २० प्रतिशत से २०० रुपय अधिक है, इसलिए १,००० रुपये + २०० रुपये = १,२०० रुपये होता है।

सजा हुआ मकान (Furnished house)—

यदि सजे हुए मकान का Fair Rent वेतन के १२½ प्रतिशत से कम है तो कर्मचारी के इसी वास्तविक किराये को ही वेतन मे जोडा जायेगा। यदि Fair Rent वेतन की १२½ और २५ प्रतिशतो के बीच मे है तो १२½ प्रतिशत ही वेतन मे जोडा जायेगा और यदि Fair Rent वेतन के २५ प्रतिशत से अधिक है तो कर्मचारी के वेतन के १२½ प्रतिशत मे, वेतन के २५ प्रतिशत से जितना अधिक होगा उतना, जोडकर मकान के किराये का भत्ता निकाला जायेगा।

यदि मालिक ने अपने किसी कर्मचारी को रहने का मकान रियायती किराये (Concessional Rent) पर उठाया है तो इस मकान का वेतन में जोडे जाने वाला भत्ता इस प्रकार निकाला जायगा—

इस मकान का भत्ता पहले उस प्रकार निकाला जायगा, जैसा कि पुरन किराये के मकान के बारे मे समझाया जा चुका है। इस भत्ते मे से कर्मचारी द्वारा दिया गया वास्तविक किराया घटाने के बाद जो रकम शेष बचेगी वही इस मकान के किराये का भत्ता माना जायगा और वेतन मे जोड दिया जायगा।

उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी का वेतन १०,००० रुपये वार्षिक है और इस बिना सजे हुए मकान का Fair Rent २,००० रुपये वार्षिक है, परन्तु कर्मचारी

से रियायत के कारण कुल ६०० रुपये वार्षिक ही लिया जाता है। इस दशा मे किराये का भत्ता इस प्रकार निकाला जायगा :—

वेतन का १० प्रतिशत = $\frac{१०,००० \times १०}{१००}$

= १,००० रुपये

मकान का भत्ता = १,००० रु०—६०० रु०

= ४०० रु०

[Clause (b) of sub rule (1) of Rule 24 A]

ऊपर समझाई हुई दशाओ मे जहाँ कही Fair Rent प्रयोग हुआ है वह Fair Rent इस प्रकार निकाला जायगा :—

(अ) जहाँ सरकार द्वारा कोई रहने की जगह किसी सरकारी अफसर को दी जाती है, वहाँ इस रहने वाली जगह का किराया उन नियमो द्वारा ज्ञात किया जायगा जो कि सरकार द्वारा अपने अफसरो के रहने के लिए अलॉटमेंट करने के सम्बन्ध में बनाये जाते हैं।

[Sub clause (1) of clause (1) of the Explanation of Sub-Rule 1 of Rule 24 A]

(ब) अन्य दशाओ मे—जहाँ रहने का स्थान सजा हुआ नही है वहाँ उसी मोहल्ले में इस प्रकार के रहने के स्थानो का क्या किराया मिलता है या इन रहने के स्थानो का म्यूनिसिपल मूल्यांकन क्या है, इन दोनो मे से जो बडी रकम होगी वही उसका Fair Rent माना जायगा। जहा रहने का स्थान सजा हुआ है वहाँ इसका Fair Rent सर्व प्रथम उस प्रकार निकाला जायगा, जैसे बिना सजे हुए मकान का निकाला जाता है। इसके बाद इस प्रकार आई हुई रकम मे फर्नीचर का वास्तविक किराया जोड दिया जायगा। यदि यह फर्नीचर मकान मालिक का है तो फर्नीचर के प्रारम्भिक मूल्य पर १० प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से फर्नीचर का वास्तविक किराया माना जायगा और यदि फर्नीचर किराये पर लिया गया है तो इस पर दिया जाने वाला किराया ही वास्तविक किराया माना जायेगा।

[Sub clause (11) of clause (1) of the Explanation of Sub-Rule 1 of Rule 24 A]

मकान भत्ते की प्रतिशतें निकालने के लिए वेतन का मूल्य निकालना—

मकान के भत्ते के सम्बन्ध मे ऊपर दिये हुए विवरण मे कई जगह विभिन्न प्रतिशतो का प्रयोग हुआ है जो कि वेतन पर निकाली जाती है। वेतन का यहाँ आशय मासिक या अन्य प्रकार से दिए जाने वाले असली वेतन, भत्तो, बोनस या कमीशन से है। लेकिन इसमें निम्नलिखित रकमे उपर्युक्त उद्देश्य के लिए शामिल नही की जाती :—

(१) महगाई का भत्ता।

(ii) करदाता के प्रॉवीडेन्ट फण्ड खाते में मालिक द्वारा दिया हुआ अंशदान।

(iii) ऐसे भत्ते जो कर से मुक्त हैं।

[Clause (2) of the explanation of sub rule (1) of rule 24 A]

कार के व्यय—

यदि कार मालिक की है और मालिक ने इसे नौकर को कार्यालय के कार्य के लिए व उसके निजी प्रयोग के लिए दी है और दोनों ही दशाओं मे इस पर होने वाले व्यय मालिक सहन करता है तो कार के निजी प्रयोग के लिए अनुलाभ (Perquisite) का मूल्य करदेय होगा। इसी प्रकार यदि कार का मालिक कर्मचारी है और इसके व्यय मालिक द्वारा सहन किये जाते हैं तो वे अनुपातिक व्यय जो निजी प्रयोग से सम्बन्धित हैं, करदेय हैं।

गैस और बिजली के बिल—

यदि मालिक द्वारा उस मकान के गैस व बिजली के बिल जिसमे कि कर्मचारी रहता है, भुगतान किये जाते हैं तो यह कर्मचारी की करदेय आय होगी, परन्तु यदि इनकी पूर्ति मालिक के साधनों द्वारा की जाती है और मालिक को इन्हे किसी बाहरी एजेन्सी से क्रय नही करना पडता है तो इनका मूल्याकन शून्य माना जायेगा।

[Clause (D) of sub rule (1) of rule 24 A]

शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें—

यदि किसी कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य को मुफ्त शिक्षा की सुविधायें मालिक द्वारा दी जाती हैं तो इन पर मालिक द्वारा किया जाने वाला व्यय कर्मचारी का अनुलाभ माना जायगा, परन्तु यदि शिक्षा सस्था को कर्मचारियो के लाभ के लिये स्वय मालिक चला रहा है तो करदाता के अनुलाभ का मूल्याकन उस मोहल्ले के पास की उसी प्रकार की सस्थाओं मे शिक्षा प्राप्त करने के उचित कीमत के आधार पर निकाला जायगा।

हरिजनो और मालियों को दिया हुआ वेतन—

यदि मालिक के किसी ऐसे मकान मे कर्मचारी रहता है जिसकी देख-भाल करने के लिए हरिजन व माली रखे हुए हैं तो इनको दिये जाने वाले वेतन पर कर्मचारी को कोई कर नही देना पड़ेगा।

वेतन में से घटाने योग्य आयें (Deductions from Salaries)—

धारा ७ (२) के अनुसार नीचे लिखी हुई रकमे वेतन में से पहले घटा ली जायेंगी और बाद मे बची हुई रकमों पर आय-कर लगेगा :—

(१) अपने पेशे से सम्बन्धित कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारी द्वारा

किताबो व पत्रिकाओ के क्रय करने के लिए खर्च किया हुआ धन, परन्तु यह धन ५०० रुपये से अधिक नही होना चाहिए।

(२) मनोरजन का भत्ता अब आय कर से मुक्त नही है, इसलिए मनोरजन भत्ते को वेतन मे शामिल कर देना चाहिए और इसे शामिल करने के बाद नीचे लिखी हुई कटौतियाँ काटनी चाहिए :—

(अ) यदि कर दाता सरकार से वेतन पाता है तो उसके असली वेतन का $\frac{1}{5}$ या ५,००० रुपये मे से जो भी कम हो, वेतन मे से घटाया जायगा। १ अप्रैल सन् १९५५ से पहिले मनोरजन भत्ता न पाने वाले सरकारी कर्मचारियो को भी यह छूट दी जाती है।

(ब) अन्य करदाताओ (जो सरकारी नौकर न हो) के लिए उनके असली वेतन का $\frac{1}{5}$ या ७,५०० रुपये मे जो भी कम हो, परन्तु यह भत्ते की रकम से अधिक नही होनी चाहिए। यह भत्ता तभी घटाया जायगा जबकि वे इसे अपने वर्तमान मालिक से १ अप्रैल सन् १९५५ के पहिले से लगातार प्राप्त करते रहे हो।

(३) यदि कर्मचारी के पास कोई अपनी सवारी है, जिसे वह अपने कार्यालय से सम्बन्धित कर्त्तव्यो के पूरा करने के लिए प्रयोग करता है तो इसके सम्बन्ध मे हुए व्यय और ह्रास के लिए उचित रकम। यह रकम उचित है या नही, इसका निर्णय आय-कर अधिकारी करेगा। यह रकम तभी घटाई जाएगी जबकि करदाता को कोई सवारी भत्ता नही मिलता है।

(४) कोई रकम जो कि कर्मचारी ने अपनी नौकरी की शर्तों के अन्तर्गत पूर्णतया अपने कर्त्तव्यो के पालन करने में व्यय की हो।

Illustration No 1—

X, the professor of a college, gets Rs. 600/ per month. His salary for the month of Jan, Feb and March 1960 was not paid. What will be his total salary for the assessment year 1960 61.

Solution No 1—

	Rs.
Salary for Previous year ending 31st March, 1960	7 200

Illustration No. 2—

X, the professor of a College, gets Rs 700/- per month. He is examiner in university and gets 600 as fee for examining anwers books From Nov. 1959 he was given a dearness allowance of Rs 20/- per month. He got an allowance of Rs. 30/ per month for being incharge of games. In Jan. 1960 he took six month basic

salary in advance. Find out his total income under the head salary for the assessment year 1960 61.

Solution No 2—

	Rs.
Basic Salary for 9 months	6,300
Salary taken in Advance for six months	4,200
Dearness Allowance (Rs. 20×5)	100
Games Allowance (Rs 30×12)	360
Total Salary	Rs 10,960

Note—(1) Examiner's fee will be taken under the head "Income from other Sources"

(2) As *X* has taken only basic Salary in advance, hence allowances have not been added in it.

Illustration No 3—

X was appointed on 1st April 1959 at Kanpur, on Rs. 300/- per month. On 1st may, 1959 he was retrenched He got Rs 2,000 compensation for the termination of his service. On 1st Nov 1959 he got a job of Rs 200 as salary and Rs. 10 as dearness allowance per month On 1st Feb 1960 he took an advance of five month's salary. He also took a loan of Rs. 1,000 on 1st March 1960 for construction of his house What is his salary for the assessment year 1960 61 ?

Solution No. 3—

	Rs.
Salary at Kanpur (one month)	300
Compensation	2,000
Salary for three months (@ of Rs 200 per month)	600
Dearness Allowance (Rs. 10×3)	30
Advance Salary	1,050
Total Salary	Rs. 3,980

Note—(1) Loan for Construction of house will not be included in Salary.

(2) It is assumed that Dearness allowance of Rs. 10 per month too is included in Advance.

प्रॉवीडेन्ट फण्ड—

प्रॉवीडेन्ट फण्ड का अर्थ—

एक कर्मचारी के वेतन में से प्रति माह कुछ रकम एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार काटी जाती है और इस प्रकार काटी हुई रकम एक फण्ड में जमा की जाती

है। कभी कभी मालिक भी कुछ रकम इस फण्ड मे जमा करता है। इस प्रकार के फण्ड को प्रॉवीडेन्ट फण्ड कहते हैं।

प्रॉवीडेन्ट फण्ड रखने के उद्देश्य—

(१) कर्मचारियो में बचत की भावना पैदा होती है।

(२) अवकाश ग्रहण करने के बाद इस फण्ड की रकम से कर्मचारियों को काफी सहायता मिलती है।

(३) यदि सयोगवश नौकरी करते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्त्री, बच्चो व अन्य आश्रितो को इस फण्ड की रकम मिलने से कुछ सहारा होता है।

(४) जितनी ही इस फण्ड की रकम अधिक होती जाती है, उतना ही कर्मचारी के हृदय से अनिश्चित परिस्थितियो का डर हटता जाता है।

(५) जो कर्मचारी इस फण्ड को रखते हैं उन्हे मालिक के दान (Contribution) का लाभ अपने आप प्राप्त हो जाता है।

(६) इस फण्ड की रकम को विनियोग करके ब्याज प्राप्त करने का लाभ मिलता है।

प्रॉवीडेन्ट फण्ड के भेद—

प्रॉवीडेन्ट फण्ड तीन प्रकार के होते हैं :—

(१) वैधानिक प्रॉवीडेन्ट फण्ड (Statutory Provident Fund)।

(२) प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड (Recognised Provident Fund)।

(३) अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund)।

वैधानिक प्रॉवीडेन्ट फण्ड—

यह फण्ड प्रॉवीडेन्ट फण्ड एक्ट सन् १९२५ के द्वारा नियन्त्रित होता है। इसमे मालिक और कर्मचारी दोनो के द्वारा दान किया जाता है।

प्रॉवीडेन्ट फण्ड का प्रयोग—

(अ) सरकारी कार्यालयो मे,

(ब) रेलवे में,

(स) अर्द्ध सरकारी कार्यालयो में,

(द) स्थानीय सरकारी कार्यालयो मे,

(य) विश्वविद्यालयो मे,

(र) शिक्षा सस्थाओ मे, इत्यादि।

प्रॉवीडेन्ट फण्ड सम्बन्धी नियम—

(१) मालिक द्वारा दिया गया चन्दा कर्मचारी की कुल आय मे जोडा नही जाता है और यह चन्दा आय-कर से भी मुक्त होता है।

(२) कर्मचारी का चन्दा, जोकि उसके वेतन से काट कर लिया जाता है, कुल वेतन मे शामिल किया जाता है, परन्तु इस पर भी आय कर नही लगता है। कर्मचारी द्वारा दिया गया चन्दा और उसके द्वारा दिये हुए जीवन बीमा प्रीमियम की रकम आय-कर से मुक्त होती है। परन्तु इनका जोड कर्मचारी की कुल आय के ⅙ भाग या ८,००० रुपये मे से जो भी कम हो उससे अधिक नही होना चाहिये।

(३) दोनो के चन्दो से बने हुए प्रॉवीडेन्ट फण्ड के संचित धन का ब्याज कुल आय मे शामिल नही किया जाता है और कर मुक्त भी होता है।

(४) कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् या जब कभी भी इस फण्ड की कुल रकम मिलती है तो इस रकम को न तो कुल आय मे जोडा जाता है और न इस पर आय कर ही लगता है।

नोट—सूक्ष्म म. याद रखना चाहिये कि इस फण्ड से सम्बन्धित प्रश्न हल करते समय कर्मचारी के कुल मिलने वाले वेतन को लिखना चाहिए और 'कर मुक्त आय' के शीर्षक मे केवल कर्मचारी द्वारा दिया गया दान व उसके जीवन बीमा का प्रीमियम लिखना चाहिए, परन्तु इनका जोड उसकी कुल आय के ⅙ व ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नही होना चाहिए। मालिक के दान का और इस फण्ड के ब्याज का कही भी कोई लेखा नही किया जायेगा।

इस फण्ड का प्रभाव—

प्रॉवीडेन्ट फण्ड रखने से प्राप्त होने वाले साधारण लाभो के अतिरिक्त इस फण्ड का एक विशेष लाभ यह होता है कि मालिक द्वारा दिये गये दान और प्रॉवीडेन्ट फण्ड के संचित धन पर मिले हुए ब्याज का कोई लेखा आय कर निकालते समय नही किया जाता है।

प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड—

प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड की परिभाषा आय-कर अधिनियम की धारा ५८-A मे दी हुई है। इस धारा के अनुसार एक प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड वह फण्ड है जिसे आय-कर कमिश्नर द्वारा आय कर अधिनियम के अध्याय ६-A मे दिए हुए नियमो के अनुसार प्रमाणित किया जाता है।

इस फण्ड को प्रमाणिकता पाने के लिए व इस प्रमाणिकता को कायम रखने के लिए धारा ५८ C मे दी हुई शर्तों का पालन व अगर केन्द्रीय सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं तो उनका भी पालन करना आवश्यक है।

इस फण्ड का प्रयोग—

(अ) बीमा कम्पनी (अग्नि, समुद्री व अन्य),
(ब) बैंक,
(स) कारखानो के कर्मचारी,

(द) व्यापारिक संस्थाओं, आदि ।

ऊपर लिखे हुए स्थानो मे इस फण्ड का प्रयोग होता है ।

इस फण्ड सम्बन्धी नियम—

(१) कर्मचारी की कुल आय मे मालिक के प्रॉवीडेन्ट फण्ड मे अंशदान (Provident Fund Contribution) का वह भाग जोडा जायेगा जो कि कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से अधिक हो । यदि मालिक का प्रॉवीडेन्ट फण्ड मे अंशदान कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत तक है तो कर्मचारी की कुल आय में नही जोडा जायेगा ।

(२) कर्मचारी के प्रॉवीडेन्ट फण्ड खाते का व्याज, यदि कर्मचारी के वेतन के $\frac{1}{3}$ से अधिक है तो जितनी अधिक रकम है वह कुल आय मे जोड दी जाएगी या यदि कर्मचारी के प्रॉवीडेन्ट फण्ड के व्याज की दर ६ प्रतिशत से अधिक है तो यह अधिक व्याज भी कुल आय मे जोडा जाता है ।

(३) केवल कर्मचारी का प्रॉवीडेन्ट फण्ड मे दान ही कर-मुक्त आय (Exempted income) मे लिखा जाता है, परन्तु यह रकम भी उसके वार्षिक वेतन के $\frac{1}{5}$ या ८,००० रुपये मे से जो भी कम हो उससे अधिक नही होनी चाहिए ।

(४) कर्मचारी का प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे अंशदान व उसके द्वारा दिया गया जीवन बीमा प्रीमियम कर मुक्त है, परन्तु इन दोनो का जोड कुल आय के $\frac{1}{5}$ और ८,००० रुपये से जो भी कम हो उससे अधिक नही होना चाहिए ।

(५) यदि किसी कर्मचारी ने अपने मालिक के यहाँ लगातार ५ वर्ष तक नौकरी की है तो कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् मिलने वाली इस फण्ड की एकत्रित धनराशि न तो कुल आय मे ही जोडी जाती है और न इस पर आय कर ही लगता है । [धारा 58 G (2)]

यहाँ ५ वर्ष का यह प्रतिबन्ध आय-कर नियम की धारा ५८ [G (2) Proviso 1] के अनुसार लगाया गया है, परन्तु इसी धारा के अनुसार आय-कर कमिश्नर को यह भी अधिकार है कि वह इस छूट का लाभ उन कर्मचारियों को भी दे सकता है जिन्होंने अपने नियोक्ता के यहाँ लगातार ५ वर्षों से कम नौकरी की हो, परन्तु यह अधिकार वह तभी प्रयोग करता है जबकि उसके विचार मे नौकरी, कर्मचारी की बीमारी के कारण या नियोक्ता के व्यापार बन्द होने के कारण या अन्य किसी कारण से, जोकि कर्मचारी की शक्ति के बाहर है, छूट गई हो ।

इस फण्ड का प्रभाव—

वैधानिक प्रॉवीडेन्ट फण्ड की तुलना मे कर्मचारी के हिसाब से यह फण्ड कम अच्छा है, क्योकि इस फण्ड मे मालिक के दान और फण्ड के व्याज को भी एक निश्चित सीमा के बाद कुल आय मे शामिल किया जाता है, परन्तु वैधानिक प्रॉवीडेन्ट फण्ड मे

मालिक के दान और फण्ड के ब्याज को कुल आय मे बिलकुल शामिल नही किया जाता है।

अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड—

जो प्रॉवीडेन्ट फण्ड आय कर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित नही होता है और वैधानिक भी नही होता है तो उसे अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड कहते हैं।

इस फण्ड का प्रयोग—

यह फण्ड बहुत कम प्रचलित है और यदि है भी तो व्यक्तिगत सस्थायें इसका प्रयोग करती हैं।

इस फण्ड सम्बन्धी नियम—

(१) कर्मचारी द्वारा इस फण्ड मे दिया गया चन्दा कर मुक्त नही होता है और इस चन्दे को उसके मिले हुए वेतन मे जोडा जाता है।

(२) मालिक द्वारा दिए गये चन्दे और इस फण्ड के ब्याज पर प्रत्येक साल कर नही लगाया जाता है।

(३) जब कर्मचारी अवकाश ग्रहण करता है या जब कभी भी इस फण्ड की रकम उसे दी जाती है तो थोक मे मिली हुई इस रकम मे से, कर्मचारी के चन्दे और उस पर के ब्याज को घटा कर, बची हुई रकम को कुल आय मे जोड दिया जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि कर्मचारी के चन्दे पर प्रति वर्ष पहले ही कर लग चुका है और एक रकम पर दो बार कर नही लगता है।

(४) यदि कर्मचारी जीवन बीमा प्रीमियम देता है तो इस प्रीमियम की आय कर से मुक्त होनी है, परन्तु यह उसकी कुल आय के $\frac{1}{6}$ भाग या ८,००० रुपये मे से जो भी कम हो उससे अधिक नही होनी चाहिए।

इस फण्ड का प्रभाव—

यह फण्ड ऊपर समझाये हुए दोनो फण्डो की तुलना मे कर्मचारी के दृष्टिकोण से बुरा माना जाता है, क्योंकि इस फण्ड मे मालिक का चन्दा, कर्मचारी का चन्दा व इस फण्ड की सचित रकम के ब्याज मे से कोई भी कर-मुक्त नही होता है।

६ अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड का प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड में बदलना (Changing of Unrecognised P F into Recognised P F)—

जब किसी वर्ष अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड प्रथम बार प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड मे बदला जाता है तो इस दिन तक की कर्मचारी की प्रॉवीडेन्ट फण्ड की रकम मे से या तो सब रकम या इसका एक भाग प्रमाणित प्रॉवीडेन्ड फण्ड मे ले जाया जाता है। जो भाग प्रमाणित फण्ड मे ले जाया जाता है उसमे से कर्मचारी का उस

दिन तक का अंशदान घटाकर जो शेष बचता है, वेतन मे जोड दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कर्मचारी अपने अशदान पर उस समय कर दे चुका है, जबकि प्रॉवीडेन्ट फण्ड अप्रमाणित था।

Illustration No. 4—

Mr. *X*, an employee, gets Rs 800 per month. He and his employer both contribute to a Provident Fund at the rate of 12%. Interest credited to his Fund at the rate of 5% per annum is Rs 565. He has paid Rs 2,500 as life Insurance Premium. He gets house allowance of Rs 60 per month. During the year he got Rs 800 as bonus from his employer.

Find out his total income and exempted income for 1960-61 if he is member of (a) Statutory Provident Fund, (b) Recognised Provident Fund, and (c) Unrecognised Provident Fund.

Solution No. 4—

(*a*) **When X is the member of Statutory Provident Fund. Statement of the total income of Mr. X for 1960-61.**

		Rs.
Salary		9,600
House Allowance Rs. (60×12)		720
Bonus		800
Total Income	Rs.	11,120
Exempted Income ·		Rs.
P F. Contribution (By employee only)		1,152
Life Insurance Premium		1,628
	Rs.	2,780

Note—Full premium of Rs. 2,500 will not be exempted because employee's Contribution to P F. plus insurance premium should not be more than ¼ of total income or Rs 8,000 which ever is less.

(*b*) **When X is the member of Recognised P. F. Statement of total income of Mr. X for 1960 61.**

	Rs	Rs.
Salary		9,600
House Allowance		720
Bonus		800
Employer's Contribution in Excess of 10 P. C. of his Salary of Rs. 9,600 is	192	

Interest credited to P. F. in excess of ⅓ of his Salary and prescribed rate of 6 P. C per annum is	Nil	192
Total Income		Rs. 11,312

Exempted Income

	Rs.
P. F Contribution by Employee only	1,152
Life Insurance Premium	1 676
	Rs. 2,828

Note—P F. by employee and Premium are limited to ⅙ of total income or Rs. 8 000 which ever is less

(c) **When X is the member of Unrecognised Provident Fund Statement of total Income of Mr X for 1960 61.**

	Rs
Salary	9,600
House Allowance	720
Bonus	800
Total Income Rs.	11 120

Exempted Income

	Rs.
Insurance Premium	2,500

अनुमोदित सुपरएनुयेशन फण्ड (Approved Superannuation Fund)—

अनुमोदित सुपरएनुयेशन फण्ड वह फण्ड है जो धारा ५८ P में दी हुई शर्तों को पूरा करता है और सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवन्यू द्वारा स्वीकृत होता है।

इस फण्ड के सम्बन्ध में नियम—

(१) कर्मचारी जो चन्दा इस फण्ड में देता है, उस पर आय-कर नही लगता है, परन्तु यह चन्दा और जीवन बीमा प्रीमियम की रकम मिलकर उसकी कुल आय के ⅙ भाग व ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नही होना चाहिए।

(२) अवकाश ग्रहण करने पर या अन्य किसी दशा में जब इस फण्ड की रकम कर्मचारी को या उसके स्त्री बच्चो को दी जाती है, तो इस पर भी कोई कर नही लगता है।

जीवन बीमा प्रीमियम—

(१) जो प्रीमियम बीमारी, जोखिम या अन्य इस प्रकार के कामों पर दिया

जाता है उस पर छूट नही मिलती है। केवल जीवन बीमा के प्रीमियम पर ही छूट मिलती है।

(२) किसी ऐसी पॉलिसी पर दिये गये प्रीमियम पर छूट मिलती है जो कि अपने जीवन के लिए या अपनी स्त्री के जीवन के लिए, यदि करदाता स्त्री हो तो अपने पति के जीवन के लिए ली गई हो, परन्तु यह छूट और उसके प्रॉवीडेन्ट फण्ड की छूट मिल कर यदि करदाता वैधानिक प्रॉवीडेन्ट फण्ड या प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड का सदस्य हो तो उसकी कुल आय के ¼ भाग या ८,००० रुपये में से जो भी कम हो उससे अधिक नही होनी चाहिए।

(३) यदि करदाता सम्मिलित परिवार का सदस्य है तो इस परिवार के किसी पुरुष या उसकी स्त्री के लिए कराये गये प्रीमियम पर भी छूट मिलती है। यह प्रीमियम और उसके प्रॉवीडेन्ट फण्ड की छूट मिला कर, यदि करदाता वैधानिक प्रॉवीडेन्ट फण्ड या प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फण्ड का सदस्य हो, तो इस परिवार की कुल आय के ¼ भाग व १६,००० रुपये में से जो भी कम हो, उससे अधिक नही होनी चाहिये।

ऊपर दिये हुए (२) और (३) नियमों में यह ध्यान रखना चाहिए कि बीमा प्रीमियम की रकम बीमा की कुल रकम के १० प्रतिशत से अधिक न हो।

(४) यदि बीमा प्रीमियम ऐसे प्रॉवीडेन्ट फण्ड से लेकर दिया गया है जिस पर छूट मिलती हो तो इस पर कोई छूट नही मिलेगी।

(५) कुछ करदाता बच्चो की भलाई के लिए बीमा कराते हैं। इस बीमा प्रीमियम की छूट उसी हालत मे मिलेगी जबकि बच्चे इस प्रीमियम से लाभ उठायें, जैसे—बच्चो की शिक्षा के लिए बीमा कराना।

(६) यदि बीमा कम्पनी ने कोई बोनस दिया है और प्रीमियम उस बोनस मे से दिया गया है तो छूट नही मिलेगी।

(७) विदेशी आय से, जिस पर कि भारत मे कर नही लगता है, यदि कोई प्रीमियम दिया जाता है तो उस पर छूट नही मिलेगी।

(८) यदि बीमा प्रीमियम एसी रकम मे से दिया गया है जिस पर भारतीय आय-कर अधिनियम के अनुसार कर नही लगता है तो इस प्रीमियम पर कोई छूट नही मिलेगी।

कर की उद्‌गम पर कटौती (Deduction of tax at Source)—

(१) आय कर अधिनियम की धारा १८ (२) के अनुसार प्रत्येक मालिक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने कर्मचारी के वेतन मे से कर काट ले, यदि उस कर्मचारी का कुल वर्ष का वेतन आय कर की न्यूनतम् सीमा (Minimum Exemption Limit) से अधिक हो।

(२) कर्मचारी को वेतन कर काट लेने के बाद ही दिया जाता है।

(३) मालिक का यह भी कर्त्तव्य है कि वह इस प्रकार काटे हुये कर को

सरकारी खजाने में प्रति मास जमा करे और इसका एक नक्शा आय कर विभाग को भेजे।

(४) यदि कोई मालिक उद्गम पर कर काटने के सम्बन्ध मे दिये गये नियमो का पालन न करे तो उसे आय-कर अधिनियम के अनुसार करदाता माना जायेगा।

(५) आय-कर और अधि-कर उन दरो पर काटना चाहिए जोकि उस साल चल रही हो, जिस साल वेतन दिया जाता है।

(६) जहाँ धारा १८ के अनुसार उद्गम पर कर की कटौती होती है वहाँ करदाता को उस वेतन पर तब तक कर नही देना पडेगा जब तक कि उसने बिना कर कटा हुआ वेतन प्राप्त न किया हो।

[धारा ७ (१) Proviso 2]

QUESTIONS

1. What is the meaning of Salaries from Income-tax point of view? Explain the various rules regarding Computation of income from Salaries.
2. Explain the following .—
   (a) Perquisites
   (b) Profits in Lieu of Salary
3. What relief from Income-tax is allowed in respect of Life Insurance Premiums, Provident Fund Contribution and Interest and how is the amount of such relief calculated?
   (Agra, B. Com., 1941, 50, 57, Alld., B. Com, 1957)
4. State briefly the difference between Recognised Provident Fund and Unrecognised Provident Fund.
   (Agra, B. Com., 1947, 53, 57, 58)
5. (a) Write a full note on house rent allowance.
   (b) Explain Statutory P. F.

अध्याय ७

प्रतिभूतियों पर ब्याज

(Interest on Securities)

कुछ व्यक्ति अपने बचे हुए धन को भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रतिभूतियों (Securities) में विनियोग करते हैं। इन प्रतिभूतियों के ऊपर ब्याज मिलता है। साधारणतया इसी ब्याज को पाने के लालच से बचत को प्रतिभूतियों में लगाया जाता है।

इस अध्याय में प्रतिभूतियों के ब्याज पर कर लगाने के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम में दिये हुए नियमों का वर्णन किया गया है।

आय-कर अधिनियम की धारा ८ के अनुसार नीचे लिखी प्रतिभूतियों के ब्याज पर कर लगाया जाता है :—

(अ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का ब्याज।

(ब) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का ब्याज।

(स) स्थानीय सरकार द्वारा निर्गमित किये हुए ऋण-पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों का ब्याज।

(द) कम्पनी द्वारा निर्गमन किये हुए ऋण-पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों का ब्याज।

परन्तु नीचे लिखी दशाओं में प्रतिभूतियों के ब्याज पर कर नहीं दिया जाता है :—

(१) जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर से मुक्त हो।

(२) राज्य सरकार द्वारा आय-कर मुक्त प्रतिभूतियाँ निर्गमित करने पर कर-दाता को इन प्रतिभूतियों के ब्याज पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा, परन्तु यह कर राज्य सरकार से वसूल कर लिया जायेगा।

(३) किसी फर्म या अन्य संस्थाओं द्वारा निर्गमित की हुई प्रतिभूतियों के ब्याज पर धारा ८ के अनुसार 'प्रतिभूतियों के ब्याज' के शीर्षक में कर नहीं लगता है। यदि इस प्रकार की प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज मिलता है तो उसे 'अन्य साधनों से आय' वाले शीर्षक में ले जाया जाता है।

(४) पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का ब्याज, कैश सार्टीफिकेट, नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट और नेशनल प्लान सार्टीफिकेट के ब्याज पर भी कर नहीं लगता है।

(५) कम्पनी के अंशों पर मिला हुआ लाभांश भी धारा ८ के अनुसार

'प्रतिभूतियो पर ब्याज' वाले शीर्षक मे करदेय नही है । इस लाभाश को 'अन्य साधनो से आय' वाले शीर्षक मे ले जाया जाता है ।

(६) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो पर केवल आय कर की ही छूट होती है, अधि-कर की नही, परन्तु कुल आय निकालने के लिए इन प्रतिभूतियो के ब्याज को प्रयोग मे लाया जाता है ।

(७) यदि एक ऐसा व्यक्ति प्रतिभूतियो को बेच कर लाभ कमाता है जिसने प्रतिभूतियो को अपने पास विनियोग के उद्देश्य से रखा हो तो इस लाभ को पूँजी लाभ माना जाता है ।

(८) यदि एक ऐसा व्यक्ति प्रतिभूतियो को बेचकर लाभ कमाता है जिसने प्रतिभूतियो को अपने पास सट्टा करने के लिए रखा हो तो इस लाभ को आयगत लाभ माना जाता है और इस पर कर लगता है ।

(९) प्रतिभूतियो के वे सब ब्याज कर-मुक्त है जिनका कि वर्णन अध्याय ५ मे 'कर-मुक्त' आयों के सम्बन्ध मे किया गया है ।

करदाता एक रजिस्टर्ड फर्म थी, जो प्रतिभूतियो मे व्यापार करती थी और इसलिए प्रतिभूतियाँ उसका Stock-in-trade थी । फर्म अपने इस व्यापार के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम सन् १९१८ के अनुसार कर दे चुकी थी । ३० जून सन् १९४७ को फर्म समाप्त हो गई और इसने आय-कर अधिनियम सन् १९२२ की धारा २५ (३) का लाभ प्राप्त करने की आज्ञा माँगी, जो कि कर की मुक्ति से सम्बन्धित है । इस समय प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि क्या प्रतिभूतियो पर प्राप्त ब्याज इस करदाता के लिए करदाता की व्यापार की आय थी । न्यायाधीश एस० टी० देसाई व के० टी० देसाई ने कहा कि उन प्रतिभूतियो पर ब्याज, जो कि करदाता के व्यापार का Stock-in-trade का भाग है, व्यापार की आय है और करदाता पर धारा २५ (३) के अनुसार कर नही लगेगा ।

[C. I. T. Bombay City V. Chugandas & Co. Dec. 17, 1958.]

प्रतिभूतियों के भेद—

(१) कर-मुक्त प्रतिभूतिया (Tax Free Securities) ।
(२) कर-युक्त प्रतिभूतियाँ (Less Tax Securities) ।

कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ—

कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ सरकारी और गैर सरकारी दोनो ही हो सकती है । यदि सरकारी प्रतिभूतियाँ कर मुक्त है तो इसका आशय यह होता है कि वह आय कर से मुक्त है, अधि कर से नहीं और दर निकालने के लिए इनके ब्याज को कुल आय मे जोडा जाता है । यहा यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियो के ब्याज पर न तो आय-कर लगता है और न अधि-कर और इन ब्याजो को कुल आय में

भी शामिल नही किया जाता। इन प्रतिभूतियो का वर्णन आय-कर अधिनियम की धारा ४ (३) मे किया गया है, जिसे इस पुस्तक के अध्याय ५ में समझाया गया है। गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ कभी भी वास्तव मे कर-मुक्त नही होती है, क्योकि इनके ब्याज पर कर कम्पनी द्वारा सदैव दिया जाता है। हाँ, करदाता को चूंकि कर नही देना पडता है, इसलिए उसके दृष्टिकोण से प्रतिभूतियाँ कर मुक्त कही जाती हैं, लेकिन करदाता की कुल आय मे इन प्रतिभूतियो का ब्याज और उस आय कर की रकम को भी जोडा जाता है जोकि कम्पनी ने उस ब्याज पर दी है। जैसे यदि एक कम्पनी ने ७% कर-मुक्त ऋण पत्र निर्गमित किये हैं, तो ऋण पत्रधारी (Debentureholder) ब्याज की पूरी रकम प्राप्त करेगा, जोकि इन ऋण पत्रो पर मिलनी चाहिए। इस ब्याज मे से कम्पनी इस पर दिए हुए कर को नही काटेगी। इस उदाहरण मे ऋण पत्रधारी को १०० रुपये लगाने पर ७ रुपये ब्याज मिलेगा। यह ब्याज व इसके ऊपर कम्पनी द्वारा दिया हुआ आय कर करदाता की कुल आय मे जोडे जायेंगे, क्योकि कम्पनी द्वारा दिया हुआ आय कर ऋणदाता की ओर से दिया हुआ माना जाता है। गैर सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियो का ब्याज सदैव सकल (Gross) बनाया जायगा, परन्तु कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो के ब्याज को कभी भी सकल नही बनाया जायेगा। करदाता की कुल आय मे गैर सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियो के शुद्ध ब्याज को न जोड कर सकल ब्याज (Gross Interest) जोडा जाता है।

कर-युक्त प्रतिभूतियाँ—

कर युक्त प्रतिभूतियाँ सरकारी और गैर सरकारी दोनो ही प्रकार की हो सकती है, परन्तु करदाता की कुल आय निकालने के लिए दोनो के साथ एक ही नियम लगता है। करदाता को इन पर ब्याज देने वाली रकम मे से कर काट लिया जाता है और शेष रकम करदाता को दी जाती है। इसका आशय यह नही होता कि कर का भार ब्याज देने वाले पर पडेगा। यह भार वास्तव में ब्याज पाने वाले पर ही पडता है, अतः इस ब्याज की प्राप्त रकम मे कटे हुए ब्याज की रकम को जोड कर करदाता की कुल आय मे शामिल करना चाहिए, परन्तु यदि इन प्रतिभूतियो पर ब्याज की प्रतिशत दी हुई हो तो इनके ब्याज को सकल (Gross) नही बनाया जाता है। ब्याज को सकल बनाने के सम्बन्ध मे इस अध्याय के अन्त मे दिए हुए नियमो को देखिए।

उदाहरण—

(i) Rs 10 000 5% (Less tax) debentures of a company.
(ii) Rs 10 000 5% (Less tax) Government securities.
(iii) Rs 10,000 5% (Tax free) debentures of a company.
(iv) Rs. 10 000 5% (Tax free) Government securities

प्रथम उदाहरण मे ऋण पत्रो पर ५ प्रतिशत के अनुसार ५०० रुपये ब्याज के हुए। कम्पनी इन ५०० रुपयो मे से कर काटकर बाकी ब्याज की रकम ऋण पत्र धारी को देगी। इस ऋण पत्रधारी की कुल आय उसे मिलने वाला ब्याज+कम्पनी

द्वारा काटा हुआ कर जोड कर निकाली जायगी, अर्थात् ५०० रुपये कुल आय मे जोडे जायेंगे।

द्वितीय उदाहरण मे ऊपर दी हुई विधि के अनुसार ही कुल आय मे जोड़ने वाला ब्याज निकाला जायेगा।

तीसरे उदाहरण मे कम्पनी ऋण पत्रधारी को पूरा ५०० रुपया ब्याज का देगी, परन्तु जब इस ऋण-पत्रधारी की कुल आय निकाली जायेगी तो कम्पनी द्वारा दिया हुआ कर इसमे जोड दिया जायेगा। (i. e. Rs. 500+tax paid by the Co.)

चौथे उदाहरण मे सरकार द्वारा ५०० रुपये ब्याज दिया जायगा और विनियोगी की कुल आय निकालते समय ५०० रुपये ही जोडा जायगा। इसे सकल नही बनाया जायगा।

कर मुक्त प्रतिभूतियों व कर-युक्त प्रतिभूतियों का अन्तर—

कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ	कर-युक्त प्रतिभूतियाँ
(१) ये प्रतिभूतियाँ सरकारी व गैर सरकारी दोनो ही प्रकार की हो सकती है, परन्तु इन दोनों प्रकार की प्रतिभूतियो के ब्याज के सम्बन्ध मे आय कर के दृष्टिकोण से अलग अलग नियम लगते हैं। जैसे—गैर सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियो के ब्याज को सकल बनाया जाता है, परन्तु सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियो के ब्याज को सकल नही बनाया जाता।	(१) ये प्रतिभूतियां भी सरकारी व गैर सरकारी दोनो ही प्रकार की हो सकती है, परन्तु इन दोनो प्रकार की प्रतिभूतियो के ब्याज के सम्बन्ध मे आय-कर के दृष्टिकोण से एक से ही नियम लगते है। जैसे—दोनो ही प्रकार की प्रतिभूतियो के ब्याज को सकल नही बनाया जाता है।
(२) इन प्रतिभूतियो पर ब्याज प्राप्त करने वाले को पूरा ब्याज दिया जाता है।	(२) इन प्रतिभूतियो पर ब्याज पाने वाले को पूरे ब्याज मे से आय-कर काट कर शेष ब्याज दिया जाता है।
(३) प्राप्त हुए कुल ब्याज मे कपनी द्वारा इस ब्याज पर दिए हुए आय कर को जोड दिया जाता है।	(३) इनसे प्राप्त हुए ब्याज में कर की वह रकम जोड दी जाती है जिसे कम्पनी ने ब्याज देने के पहले काट लिया था।
(४) गैर सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियो में यदि प्रतिशत दी हुई है तो भी इस ब्याज को सकल बनाया जाता है।	(४) यदि प्रतिभूतियो मे ब्याज की प्रतिशत दी हुई है और शुद्ध ब्याज नही दिया हुआ है तो इनके ब्याज को सकल नहीं बनाया जाता है।

प्रतिभूतियों के करदेय ब्याज से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण नियम—

(१) प्रतिभूतियो के ब्याज को वसूल करने मे जो उचित व्यय करदाता को करना पडता है उसे ब्याज की रकम से घटा दिया जाता है।

(२) यदि करदाता कोई ऋण प्रतिभूतियो मे विनियोग करने के लिए उधार लेता है तो इस ऋण पर दिया गया ब्याज भी प्रतिभूतियो के ब्याज से घटा दिया जाता है, परन्तु यदि यह ब्याज किसी विदेशी को दिया गया है तो इसे तभी घटाया जा सकता है, जब उस विदेशी से उस पर आय कर काट लिया गया हो या उसका कोई एजेन्ट करदय क्षेत्र मे हो, जिससे कर वसूल किया जा सके।

(३) यदि सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए ऋण लिया जाता है तो इस ऋण का ब्याज कर मुक्त ब्याज मे से ही घटाया जायगा।

(४) प्रतिभूतियो के ब्याज पर आय कर उपार्जित होते समय नही लगाया जाता है, बल्कि उस समय लगाया जाता है जबकि ब्याज प्राप्त हो जाय।

(५) यदि प्रतिभूतियो पर किया गया खर्चा या उनके लिए उधार लिए गये रुपयो का ब्याज, प्रतिभूतियो के ब्याज से अधिक हो जाता है तो इस अधिक रकम को हानि समझकर उसी वर्ष की अन्य आय से अपलिखित करना चाहिए, परन्तु यदि उस वर्ष कोई अन्य आय न हो या यदि हो और अपर्याप्त हो, तो इस हानि को अगले वर्ष के प्रतिभूतियो के ब्याज से घटाना उचित होगा।

(६) प्रतिभूतियो के ब्याज को उपार्जित आय नही माना जाता है।

दिखावटी लेन देन (Bond Washing Transactions)—

ये लेन-देन कर बचाने के लिए करदाता द्वारा किये जाते हैं। इन्हे भली भाँति समझने के लिए नीचे लिखे नियमो को समझ लेना चाहिए :—

(१) प्रतिभूतियो का ब्याज प्रायः छमाही या वार्षिक दिया जाता है और इस छमाही और वार्षिक के दिन जिस व्यक्ति के पास प्रतिभूतिया होती है, उसी पर आय कर अधिकारी पूरे समय के ब्याज का कर लेते हैं।

(२) यदि कोई प्रतिभूति ब्याज देय तिथि (Due date of Interest) के पहले बेची जाती हैं तो बेचने वाले पर उस समय तक के ब्याज के लिए कोई आय कर नही लगता है और यदि बेचने वाले को प्रतिभूतियो के क्रेता से उस समय तक के ब्याज के लिए कोई प्रतिफल मिलता है तो इस पर भी कोई कर नही लगता है, क्योंकि इसे पूँजी लाभ माना जाता है।

ऊपर दिये हुए नियमो को व्यापारी लोग चालाकी से प्रयोग करते हैं, वे ब्याज देय तिथि के कुछ पहले प्रतिभूतियो को ब्याज सहित (Cum interest) बेच देते हैं और ब्याज मिलने की तारीख के कुछ दिनो बाद उन्ही प्रतिभूतियो को ब्याज रहित (Ex-interest) खरीद लेते हैं। ऐसा करने से ब्याज मिलने के समय व्यापारी के पास प्रतिभूतियाँ नही रहती है। यही कारण है कि आय कर अधिकारी उनसे इन प्रतिभूतियो के ब्याज पर कर वसूल नही कर पाते है।

इस प्रकार के लेन देनों को आय कर अधिनियम के अनुसार रोक दिया गया है और यह नियम बनाया गया है कि यदि इस प्रकार का लेन-देन किया जायेगा तो आय-कर उसी व्यापारी पर लगेगा जिसने कि यह चालाकी की है। आय कर अधिकारी को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि वह करदाताओ को इन लेन-देनो के बारे मे सूचना देने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि कोई करदाता आय कर अधिकारी की इस आज्ञा का उलघन करता है तो उस पर अधिक से अधिक ५०० रुपये तक प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना हो सकता है। [(धारा ४४ F) (5)]

प्रतिभूतियों को ब्याज सहित बेचना (Selling of Securities cum-interest)—

यदि एक व्यापारी ब्याज मिलने की तारीख आने के पहले ही प्रतिभूतियो को बेच देता है और ब्याज मिलने की तारीख पर मिलने वाले ब्याज के अधिकार को बेच देता है तो इस बिक्री को ब्याज सहित बिक्री (Cum interest Sale) कहा जाता है। वास्तव मे विक्रेता ने जितने दिन प्रतिभूतियो को अपने पास रखा था उसका ब्याज लेने का अधिकार उसे था, परन्तु वह इसके बदले में प्रतिफल लेकर बिक्री करता है। इस प्रकार की बिक्री के बाद ब्याज की तिथि पर पूरा ब्याज क्रेता को मिलेगा।

प्रतिभूतियों का ब्याज रहित बेचना (Selling of Securities Ex-Interest)—

यदि एक व्यापारी ब्याज मिलने की तारीख आने के पहले ही प्रतिभूतियो को बेच देता है, पर तु ब्याज मिलने की तिथि पर मिलने वाले ब्याज के अधिकार को नही बेचता है तो इस बिक्री को ब्याज रहित बिक्री (Ex-interest Sale) कहा जाता है। वास्तव मे विक्रेता को इस प्रकार की बिक्री कम मूल्य पर करनी पडती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बिक्री के बाद आने वाली पहिली ब्याज की तिथि पर विक्रेता को पूरा ब्याज मिलता है, परन्तु अन्य तिथियो पर क्रेता को पूरा ब्याज मिलता है।

कर की उद्गम पर कटौती (Deduction of Tax at Source)—

(१) ब्याज देने वाले व्यक्ति को, करदाता को ब्याज देने के पहले उच्चतम् दर पर कर काट लेना चाहिए।

(२) यदि करदाता की आय, आय-कर की न्यूनतम् सीमा से कम है तो

उसे आय-कर अधिकारी से 'आय-कर मुक्त' का प्रमाण पत्र लेकर जहाँ से उसे ब्याज मिलता है, वहाँ भेज देना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र के *आधार पर उद्गम के स्थान पर आय-कर नहीं काटा जायेगा।*

(३) जिन लोगो पर आय कर नीची दर से लगता है उन्हे आय-कर अधिकारी (I. T. O.) से इस बात का प्रमाण-पत्र लेकर ब्याज देने वाले के पास भेज देना चाहिए, ताकि उद्गम पर ब्याज नीची दर मे काटा जाय।

(४) ब्याज देने वाले व्यक्ति को करदाता के पास उद्गम स्थान पर काटे हुए कर का विवरण निश्चित फार्म पर भेजना चाहिए और इसी विवरण को उसे आय-कर अधिकारी के पास भी भेजना चाहिए।

Deduction of tax at Source and Finance Act, 1959—

इस अधिनियम के अनुसार सन् १९५९-६० मे उद्गम पर कर की कटौती करते समय नीचे लिखे हुए नियमो को ध्यान मे रखना चाहिए :—

(१) ब्याज देने वाले व्यक्ति को करदाता को ब्याज देने के पहिले निर्धारित दर (Prescribed Rate) पर कर काटना चाहिए।

(२) करदाता द्वारा आय-कर अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देने पर, यदि आय-कर अधिकारी को प्रार्थना पत्र की सत्यता पर विश्वास हो जाये तो, वह एक लिखित प्रमाण पत्र देता है कि करदाता की कुल आय, आय-कर की न्यूनतम् सीमा से कम है या इसकी कुल आय इतनी है कि इस पर निर्धारित दर से कम कर लगेगा, यदि करदाता को न्यूनतम् सीमा से कम आय का प्रमाण-पत्र मिला है तो ब्याज देने वाला व्यक्ति इस प्रमाण-पत्र के आधार पर कर बिल्कुल न काटेगा, परन्तु यदि करदाता *को इस बात का प्रमाण-पत्र मिला है कि उसकी आय, आय-कर की न्यूनतम् सीमा से* कम है तो ब्याज देने वाला व्यक्ति इस प्रमाण-पत्र के आधार पर उतनी ही कम दर पर कर काटेगा।

Illustration No. 1—

Mr. X of Agra took a loan for purchasing Rs. 10,000/- 3% debentures of District Board cum-int. during 1959-60 and paid Rs. 200 interest on it. His investments including the above in the same year were :—

(*a*) Rs 10,000 3% debentures of District Board,
(*b*) Rs. 6,000 3% Allahabad Municipal Debentures,
(*c*) Rs. 5,000 2% Free of tax Govt. Securities,
(*d*) Rs. 3,000 2% Preference Shares of a Company,
(*e*) Rs 30 were spent as collection charges for interest.

Find out the Taxable Income from Securities for assessment year 1960-61, assuming that the rates of declaration of Int. of 3%

Debentures of district board fall after the purchase and before 31st March 1960

Solution No 1—

Income from Securities —		Rs
(a) 3% Debentures of District Board		300
(b) 3% Allahabad Municipal Debentures		180
(c) 2% Free of Tax Govt Securities		100
		580
Less Admissible deductions —	Rs	
Collection charges	30	
Interest on Loan	200	
	230	230
Taxabl Income from Securities		Rs 350
Exempted Income —	Rs	
Free of tax Govt Securities	100	

Note—Rs 3 000 2% Preference Shares of a company have not been taken into consideration because the dividend of these shares will appear under the heading of Income from other sources

Illustration No 2—

Following are the particulars of the Incomes of Mr Surendra Bahadur of Etawah for the year 1959 60 Find out his taxable income from securities for the assessment year 1960 61

(a) Rs 10 000 3% Bombay Govt Loan
(b) Rs 15 000 2% Free of Tax Govt Securities
(c) Rs 8 000 2% Calcutta Port Trust Bonds
(d) Rs 6 000 2% Banaras Municipal Debentures.
(e) He purchased Rs 40 000 2% Government Bonds at Rs 94 cum dividend on 30th November 1959 Interest on these bonds was payable on First July and First January
(f) Rs 30 were the collection charges for interest
(g) Rs 10 000 3% Preference Shares in a Company
(h) Rs 10 000 4% Debentures of a Cotton Co
(i) He paid Rs 200 as Bank commission for purchase of 2% Government Bonds
(j) He paid Rs 300 as interest on a loan which he took for purchasing 2% Govt Bonds

Solution No 2—

Income from Securities —		Rs
(a) 3% Bombay Govt Loan		300
(b) 2% Free of Tax Govt Securities		300
(c) 2% Calcutta Port Trust Bonds		160
(d) 2% Banaras Municipal Debentures		120
(e) 2% Govt Bonds†		400
(f) 4% Debentures of a cotton Co		400
		1 680
Less Admissible deduction —	Rs	
Collection charges	30	
Interest on loan	300	
	330	330
Taxable income from securities	Rs	1 350

Exempted Income —

Free of Tax Govt Securities Rs 300

Note—(1)† Interest on 2% Govt Bonds has been calculated only for six months because the assessee will get only one instalment in the month of January before the close of the previous year

(2) 3% Preference shares of a company are not taken into consideration because the dividend on these shares will be taken under the heading of Income from other sources

(3) Rs 200 Banks Commission paid for purchase of 2% Govt Bonds will not be deducted because it is capital expenditure Only collection charges for Interest are allowed as deduction

Illustration No 3—

Surendra held the following securitie Find out his taxable income from securities for the assessment Year 1960 61

(a) 2% Govt Bonds for Rs 20 000
(b) 2% Development Trust Bonds of Rs 30 000
(c) 3% Debentures of a Sugar Mill Co for Rs 25 000
(d) On 1st Dec 1959 he sold his sugar Mill Debentures cum interest for Rs 25 500 and purchased 4% debentures of a cotton Mill Co for Rs 40 000 Interest is payable on all the securities at First Nov and First May
(e) He paid Rs 200 interest on a loan which he took for purchasing Securities from a foreigner from whose in

come, tax has not been deducted by Govt. of India so far.

Solution No 3—

Income from Securities		Rs.
(a) 2% Govt Bonds		400
(b) 2% Development Trust Bonds		600
(c) 3% Debentures of a Sugar Mill Co		750
	Total Rs.	1,750
Less admissible deduction —	Nil	
Exempted income —	Nil	

Note—(1) 4% Debentures of a Cotton Mill Co for Rs 40 000 are, no doubt purchased cum dividend but interest on them—has not been taken into consideration because the due date of interest falls after 31st March which is the last date of previous year

(2) Rs 200 interest paid on a loan for purchasing Securities has not been taken into consideration because this interest is paid to a foreigner from whose income the tax has not been deducted so far It is a rule that if interest is paid to a foreigner for a loan for purchasing security, it can not be deducted till the tax is not deducted from his income

ब्याज को सकल (Gross) करने के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण नियम—

(१) यदि शुद्ध (Net) ब्याज दिया हुआ हो तो उसे सकल बनाकर कुल आय में जोड़ा जाता है।

(२) गैर सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज सदैव सकल बनाया जाता है, परन्तु यदि सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज दिया हुआ हो तो उसे सकल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि केवल Tax free securities दी हुई हो और यह न दिया हो कि य सरकारी हैं या गैर सरकारी तो इन्हें सदैव गैर सरकारी मानना चाहिये और इनके ब्याज को सकल बनाना चाहिए।

(३) यदि प्रतिभूतियाँ कर युक्त (Less tax) दी हो तो इनके ब्याज को सकल नहीं बनाया जाता है, चाहे वे सरकारी हों या गैर सरकारी, परन्तु यदि कर-युक्त प्रतिभूतियों पर मिला हुआ शुद्ध ब्याज दिया हुआ है तो इसे सकल अवश्य बनाया जायेगा। इन नियमों को समझने के लिए नीचे दिये हुए उदाहरणों को देखिये।

(म) Surendra received Rs. 199 interest on less tax securities of Rs. 9,000 @ 3%.

इसमें शुद्ध ब्याज दिया हुआ है, अत इसे सकल बनाया जायेगा जोकि २७० रुपए होगा, क्योंकि ६ ००० रुपए पर ३% से २७० रुपए ब्याज के होते है ।

(ब) Surendra received interest @ 3% less tax securities of Rs 9 000 । इसका ब्याज २७० रुपये होगा और इसे सकल नहीं बनाया जायेगा ।

ऊपर दिए हुए दो उदाहरणों की मदद से हम नीचे दिये हुए आसान नियम बनाते है —

(१) कि यदि प्रतिशत दी हुई हो और ब्याज न दिया हो तो सकल नही बनायेंगे ।

(२) यदि प्रतिशत दी हुई हो और ब्याज भी दिया हुआ हो परन्तु दिया हुआ ब्याज प्रतिशत द्वारा निकाले हुए ब्याज से कम हो तो सकल किया जायेगा ।

(३) यदि प्रतिशत तो दिया हो किन्तु प्रतिभूतियो की रकम न दी हुई हो तो भी ब्याज को सकल बनाया जायेगा ।

(४) यदि यह पता न चले कि प्रतिभूतिया कर युक्त है या कर मुक्त तो उन्हे कर युक्त मानना ही उचित होता है ।

(५) गैर सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियो के ब्याज को सदैव सकल बनाया जायेगा ।

(६) सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियो के ब्याज को सकल नही बनाया जायेगा । इन पर आय कर की औसत दर से छूट मिलती है ।

प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल बनाने का फारमूला (Method of grossing Interest from Securities)—

सन् १९५९ ६० के लिये दिये हुये ब्याज का ¹⁰⁰/₇₀ करना चाहिये क्योकि प्रतिभूतियो के ब्याज पर २५ प्रतिशत से कर और ५ प्रतिशत से अधिकर ब्याज देने वाला काटता है ।

QUESTIONS

1 Write short notes on the following —
   (a) Bond washing transactions in securities (Agra B Com 1948 53 55 58 S Raj B Com 1951)
   (b) Less tax and free of tax (Agra B Com 1957 Alld B Com 1954 55)
   (c) Cum Int and Ex Int

2 Explain clearly the meaning of free of tax or less tax in connection with interest on security and dividend on shares for purpose of Income tax assessment (Agra B Com 1950 Raj B Com 1957)

अध्याय ८

सम्पत्ति की आय

(Income from Property)

सम्पत्ति की आय का अर्थ—

साधारण भाषा में सम्पत्ति की आय का आशय मकान, भूमि व अन्य प्रकार की सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली रकमों से होता है।

आय-कर अधिनियम की धारा ९ के अनुसार केवल उन्हीं मकानों के किराये पर आय कर लगता है जिनका कि करदाता स्वामी होता है, अर्थात् सम्पत्ति की आय *का आशय उन मकानों की आयों से है जिनका स्वामी करदाता होता है।*

सम्पत्ति की आय के कर सम्बन्धी नियम—

(१) करदाता को अपने मकानों के उचित वार्षिक मूल्य (Bonafide Annual Value) पर कर देना पड़ता है।

(२) यदि कोई मकान करदाता के पास पट्टे (Lease) का है और उस पर उसे किराया भी मिलता है तो इस किराये की आय 'सम्पत्ति की आय' वाले शीर्षक में नहीं लिखी जायेगी, क्योंकि करदाता पट्टे वाले भवन का मालिक नहीं है।

ऊपर दिये हुये विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि सम्पत्ति की आय वाले शीर्षक में उसी भवन की आय आयेगी जिसका कि करदाता स्वामी होगा।

(३) यदि भूमि का कोई भाग, जिस पर कि किराया मिलता हो, करदाता के मकान के साथ में लगा हुआ हो तो उसे भी मकान की आय माना जाता है।

(४) यदि एक किरायेदार ने शिकमी किरायेदार (Sub-tenant) को रख लिया है तो इस किरायेदार से प्राप्त हुआ किराया 'अन्य आय वाले शीर्षक' में जायेगा।

(५) यदि कोई भूमि भवन से जुड़ी हुई नहीं है और उस पर किराया प्राप्त होता है तो यह किराया भी 'अन्य साधनों से आय' वाले शीर्षक में लिखा जायेगा।

(६) १ अप्रैल सन् १९४६ और ३१ मार्च सन् १९५६ के बीच में बने हुए मकान के प्रथम दो वर्षों की आय पर आय कर नहीं लगता है। यदि यह मकान व्यापार के लिए प्रयोग नहीं होता है।

(७) यदि करदाता साधारण निवासी नहीं है तो उसकी विदेश में बनी हुई सम्पत्ति पर कर नहीं लगेगा, परन्तु यदि करदाता साधारण निवासी है तो उसकी विदेश में बनी हुई सम्पत्ति पर भी कर लगाया जायगा।

(८) यदि करदाता का मकान अपने किसी व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी आय पर आय-कर लगता है तो इस मकान के किराये की आय 'सम्पत्ति से आय' वाले शीर्षक मे नही लिखी जाएगी।

(९) यदि कोई भवन खेती करने वाली भूमि के पास है और खेती के कामों मे मदद देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसकी आय पर कर नही लगता है।

(१०) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सम्पत्ति के मालिक हो और प्रत्येक साझेदार का अंश निश्चित हो व निकाला जा सकता हो तो उस सम्पत्ति की आय पर सम्मिलित रूप से कर नही लगेगा, परन्तु प्रत्येक के भाग को उसकी निजी आय मे जोड़ कर उसकी कुल आय पर कर लगाया जायगा।

वार्षिक मूल्य
(Annual Value)

इसके अर्थ समझने का महत्त्व—

आय कर करदाता की सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर ही लगता है। यदि किसी सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य गलत निकाला जाय तो उस सम्पत्ति की आय का कर भी गलत होगा। यही कारण है कि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का ठीक-ठीक ज्ञान किया जाता है। इस मूल्य को तीन भागो मे बाटा गया है :—

(१) किराये पर उठे हुए मकान का वार्षिक मूल्य।

(२) उस मकान का वार्षिक मूल्य जिसमे कि करदाता स्वय रहता हो।

(३) ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य जिसके कुछ भाग मे करदाता रहता हो और कुछ भाग किराए पर उठा हो।

किराये पर उठे हुये मकान का वार्षिक मूल्य—

जितने किराये पर मकान उठा हुआ होता है इस किराये की रकम को उस किराए से मिलाया जाता है जिस पर मकान उठाया जा सकता है। इन दोनो प्रकार के किरायो में से जो किराया अधिक होता है वही मकान की आय मानी जाती है। जो मकान शहर में बने हुए होते है उनका मूल्याकन म्युनिसिपैलिटी द्वारा किया जाता है, अतः शहरो के मकानो के म्युनिसिपल मूल्याकन की तुलना मकानो के असली किरायो से करनी चाहिए और इनमे जो अधिक हो वही मकान की आय मानी जायगी। इस आय में से म्युनिसिपैलिटी या स्थानीय सरकार को दिए जाने वाले करो* का आधा घटा देना चाहिए। इस प्रकार बची हुई आय सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य कही जाती है, क्योकि धारा ९ (२) के तीसरे Proviso के (a) भाग मे यह नियम दिया हुआ है कि मालिक द्वारा दिये जाने वाले म्युनिसिपैलिटी या स्थानीय करो का आधा किरायेदार का दायित्व होता है। इसी Proviso के (b) भाग के अनुसार वार्षिक मूल्य निका-

* इन करों मे स्थानीय सरकार द्वारा लगाये हुए service taxes को भी शामिल किया जाता है।

लने के लिये करदाता के करो के दायित्व को वार्षिक किराये मे से घटा देना चाहिए। यही कारण है कि अभी तक वार्षिक किराये या म्यूनिसिपल मूल्याकन मे से जो भी अधिक होता है उसी मे से म्यूनिसिपल करो व स्थानीय करो का आधा घटा दिया जाता था। परन्तु वित्त अधिनियम सन् १९६० में इस सम्बन्ध मे कुछ परिवर्तन किया गया है, जो कि नीचे समझाया गया है।

करों के सम्बन्ध में किरायेदार का दायित्व व वित्त अधिनियम सन् १९६०—

वित्त अधिनियम सन् १९६० के अनुसार आय-कर अधिनियम की धारा ९ (२) के तीसरे Proviso के (a) भाग के स्थान पर नीचे लिखा हुआ नियम प्रति-स्थापन (Substitute) किया गया है—

उस सम्पत्ति के सम्बन्ध मे जिसका बनना १ अप्रैल सन् १९५० के पहिले समाप्त हो गया था, म्यूनिसिपल व स्थानीय करो की पूरी रकम व अन्य प्रकार की सम्पत्तियों में इन करो की आधी रकम ही किरायेदार का दायित्व मानी जायगी। अर्थात्—

ऐसी सम्पत्ति, जो १ अप्रैल सन् १९५० के पहिले बन कर तैयार हो गई हो, के बारे मे—

(i) सम्पत्ति का म्यूनिसिपल मूल्याकन या
(ii) सम्पत्ति का वार्षिक किराया
} इन दोनों में जो अधिक हो — (म्यूनिसिपल करो व स्थानीय करो की पूरी रकम) = वार्षिक मूल्य

अन्य प्रकार की सम्पत्तियों के बारे में—

(i) सम्पत्ति का म्यूनिसिपल मूल्याकन
(ii) सम्पत्ति का वार्षिक किराया
} इन दोनो मे जो अधिक हो — (म्यूनिसिपल करो व स्थानीय करो का आधा) = वार्षिक मूल्य

यदि करदाता के मकान का किरायेदार किराया देने के अतिरिक्त उस मकान के म्यूनिसिपल और स्थानीय कर को भी अदा कर देता है, जिसका भुगतान वास्तव में मालिक मकान को करना चाहिए था, तो किराएदार द्वारा दिये गए म्यूनिसिपल तथा स्थानीय कर को भी वार्षिक मूल्य निकालने के लिए किराए मे जोड लिया जाता है।

Illustration No. 1—

The annual rent received from a tenant amounts to Rs. 7,000. Municipal and local taxes payable by the assessee on that house amounts to Rs. 500, of which Rs 350 are paid by the tenant in addition to the rent of Rs 7,000

Find out the annual value of the property assuming that the house was constructed in 1953.

Solution No. 1—

	Rs.
Annual Rent	7,000
Local taxes paid by the tenant	350
	Rs. 7,350
Less ½ of Municipal and Local Taxes	250
Annual Value	Rs. 7,100

उस मकान का वार्षिक मूल्य जिसमें करदाता स्वयं रहता हो—

इस मकान का वार्षिक मूल्य पहले उसी प्रकार निकाला जायगा जिस प्रकार कि किराए वाले मकान का वार्षिक मूल्य निकाला जाता है। इस वार्षिक मूल्य में से इसके आधे या १,८०० रुपये में से जो कम होगा, घटा दिया जावेगा। इस प्रकार घटाने के बाद जो रकम बचेगी वही मकान का वार्षिक मूल्य मानी जायगी, परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह वार्षिक मूल्य करदाता की कुल आय के १/१० से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि यह मूल्य उसकी कुल आय के १/१० से अधिक है तो १/१० तक ही रकम वार्षिक मूल्य मानी जायगी।

जहाँ वार्षिक आय की तुलना कुल आय के १/१० भाग से करने का प्रश्न उठता है, वहाँ पर नीचे दिए हुए नियमों म से किसी भी एक का प्रयोग करना चाहिए :—

(१) [(सभी प्रकार की आय—स्वय रहने वाले वाले मकान में से वैधानिक तौर पर घटाने योग्य व्यय) × $\frac{१}{१०}$ × $\frac{१०}{९}$] = स्वय रहने वाले मकान का वार्षिक मूल्य, परन्तु इस मूल्य में से मरम्मत के लिए १/६ घटाना पड़ेगा, या

(२) [(सभी प्रकार की आय—मकान की वार्षिक आय से वैधानिक तौर पर घटाने योग्य व्यय) × $\frac{६}{५५}$*] = स्वय रहने वाले मकान का वार्षिक मूल्य, परन्तु इस मूल्य में से मरम्मत के लिए $\frac{१}{६}$ घटाना पड़ेगा, या

---

* $\frac{६}{५५}$ निकालने की विधि—

माना कि कुल आय १ है, इसलिए स्वय रहने वाले मकान का वार्षिक आय $\frac{१}{१०}$ हुई।
इसमें से उसका $\frac{१}{६}$ मरम्मत के लिए घटाया जाएगा ($\frac{१}{१०}$ × $\frac{१}{६}$ = $\frac{१}{६०}$)
स्वयं रहने वाले मकान की करदेय आय ($\frac{१}{१०}$ — $\frac{१}{६०}$) = $\frac{५}{६०}$ हुई
अन्य आय १ — $\frac{५}{६०}$ = $\frac{५५}{६०}$
अब यह देखना है कि $\frac{१}{१०}$ जोकि स्वय रहने वाले मकान का वार्षिक आय है, अन्य आय $\frac{५५}{६०}$ का कौनसा भाग है $\frac{१}{१०}$ — $\frac{५५}{६०}$ अर्थात $\frac{१}{१०}$ × $\frac{६०}{५५}$ = $\frac{६}{५५}$
अन्य आय $\frac{५५}{६०}$ में $\frac{६}{५५}$ का गुणा करने से $\frac{१}{१०}$ आता है। इसीलिए ऊपर दिए हुए फार्मूलों में $\frac{६}{५५}$ का गुणा किया गया है।

(३) [सभी प्रकार की आय—स्वय रहने वाले मकान मे से वैधानिक तौर पर घटाने योग्य व्यय] का $\frac{६}{५५}$ = स्वय रहने वाले मकान का वार्षिक मूल्य, परन्तु इस मूल्य मे से मरम्मत के लिए $\frac{१}{६}$ नही घटाना पडेगा।

Illustration No 2—

Mr X has a residential house. Its Municipal Valuation is Rs. 4,000 He pays Rs 30 Insurance Premium against the risk of fire in connection with this house. His total Income from other sources is Rs 13,000

Find out his total Income.

Solution No 2—

		Rs.
Income from other sources		13 000
	Rs.	
Income of residential house		
Municipal Value	4 000	
Less $\frac{1}{2}$ Statutory Allowance not exceeding Rs. 1,800/-	1,800	
Rs	2,200	

But this Rs 2,200 should not be more than $^1/_{10}$ of total Income, hence —

	Rs.	
$\left[(13{,}000-30)\times\frac{6}{55}\right]=$	1,415	
Less $\frac{1}{6}$ for repairs	236	
	1,179	
Less Expenses (premium)	30	1,149
Total Income Rs.		14,149

नोट—(अ) इस प्रश्न मे मकान का वार्षिक मूल्य २,२०० रुपये के स्थान पर १,४१५ रुपये माना गया है, क्योंकि यह कुल आय का १/१० है।

(ब) इस प्रश्न मे गुणन (Calculation) को निकटतम् रुपये तक किया गया है।

(स) बीमा प्रीमियम की छूट व मरम्मत के लिए छूट का वर्णन आगे किया जायगा।

(३) ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य जिसके कुछ भाग में करदाता रहता हो और कुछ भाग किराये पर उठा हो—

ऐसी परिस्थिति मे जो भाग किराये पर उठा है, उसका 'वार्षिक मूल्य' निकाल लेना चाहिए और इसी मूल्य के आधार पर उस भाग का भी वार्षिक मूल्य निकालना चाहिए, जिसमे कि करदाता स्वय रहता है, जैसे—यदि २/३ भाग मे किरायेदार

रहता है और १/३ भाग मे करदाता, तो २/३ भाग के 'वार्षिक मूल्य' के आधार पर पूरे मकान का वार्षिक मूल्य निकालना चाहिए और फिर इस पूरे वार्षिक मूल्य का १/३ करना चाहिए। इस प्रकार ⅓ करने से जो रकम आये उसमें से उसका १/२ या १,८०० रुपये में से जो भी कम हो, घटाने मे जो शेष बचता है वही स्वयं रहने वाले भाग का 'वार्षिक मूल्य' माना जाता है। किराये पर उठे हुए भाग के वार्षिक मूल्य मे रहने वाले भाग का इस प्रकार से निकाला हुआ वार्षिक मूल्य जोडने से उस पूरे मकान का वार्षिक मूल्य निकल आता है, जिसके कुछ भाग मे करदाता रहता है और कुछ भाग किराये पर उठा है।

नोट—यदि मालिक के पास एक ही मकान स्वयं प्रयोग करने के लिए हो और वह मालिक उस स्थान से बाहर काम करता हो, जहाँ कि उसका मकान बना हुआ है। यह मकान वर्ष भर तक खाली पडा रहा हो, अर्थात् न तो मालिक स्वयं इसमे रह रहा हो और न इसे किराये पर उठाया हो तो इस मकान का वार्षिक मूल्य कुछ भी नही माना जायगा। यदि यह मकान कुछ समय के लिए किराये पर उठा रहा है तो उसका वार्षिक मूल्य उस पर मिला हुआ किराया ही माना जायेगा, किन्तु यदि करदाता इसे कुछ समय के लिए प्रयोग करता है तो इसका वार्षिक मूल्य उसी के अनुपात से निकाला जायगा, परन्तु यह आवश्यक है कि ऐसे भवन से हानि नही होनी चाहिए।

सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटाये जाने वाली आये (Deductions From Annual Value)—

सम्पत्ति की 'वार्षिक आय' मे से नीचे लिखी हुई आयो को घटाना चाहिए :—

(१) यदि सम्पत्ति मालिक के अधिकार (Possession) मे है या यह किसी किरायेदार के पास है और मालिक ने इसकी मरम्मत का भार अपने ऊपर लिया है तो इसके 'वार्षिक मूल्य' का ⅙ मरम्मत के रूप में घटा दिया जायगा।

[धारा ६ (१) (i)]

नोट—⅙ मरम्मत के लिए सदैव घटाया जायगा, चाहे मरम्मत मे कम व्यय हुआ हो या अधिक या बिल्कुल भी न हुआ हो।

(२) यदि सम्पत्ति ऐसे किरायेदार के पास है जिसने किराया देने के अतिरिक्त मरम्मत कराने का भी भार अपने ऊपर लिया है तब वार्षिक मूल्य व असल किराये का अन्तर ही मरम्मत का मूल्य माना जाता है, परन्तु यह अन्तर उस सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के ⅙ से अधिक नही होना चाहिये। यदि अधिक है तो ⅙ तक ही मरम्मत माना जायगा।

[धारा ६ (१) (ii)]

नोट—इसे उदाहरण न० ३ मे आगे समझाया गया है।

(३) सम्पत्ति को आग या अन्य प्रकार की हानि से बचाने के लिए किया गया बीमा प्रीमियम।

[धारा ६ (१) (iii)]

(४) यदि करदाता ने कोई ऋण सम्पत्ति को बन्धक (Mortgage) रख कर लिया है तो इस ऋण का ब्याज । [धारा ६ (१) (iv)]

(५) वार्षिक प्रभार (Annual Charge)—यदि किसी मकान पर प्रति वर्ष कुछ व्यय करना कानून की दृष्टि से आवश्यक है तो ऐसे व्यय को वार्षिक प्रभार कहा जाता है और इसे प्रति वर्ष सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से घटाया जा सकता है, जैसे—यदि किसी सम्मिलित परिवार की विधवा को न्यायालय द्वारा सम्पत्ति की आय मे से प्रति वर्ष कुछ रकम देने की आज्ञा दी जाय तो इस सम्मिलित परिवार की सम्पत्ति की करदेय आय निकालते समय विधवा को दी जाने वाली रकम प्रति वर्ष घटानी चाहिए । इस उदाहरण मे विधवा को प्रति वर्ष दी जाने वाली आय 'वार्षिक प्रभार' है । यदि सम्पत्ति पर पूँजी प्रभार (Capital Charge) है तो इस प्रभार की रकम न घटाकर केवल इसका ब्याज ही घटाया जाता है ।

[धारा ६ (१) (iv)]

(६) यदि जिस भूमि पर सम्पत्ति बनी हुई है उस पर कुछ किराया लगता हो तो उस भूमि का किराया (Ground Rent) भी घटा दिया जाता है ।

[धारा ६ (१) (iv)]

(७) *यदि कोई भवन उधार ली हुई पूँजी से बनवाया जाय या उसकी मरम्मत करवायी जाय या उसे क्रय किया जाय तो उस ऋण के ब्याज को भी घटा दिया जाता है ।*

(८) सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई भूमि पर लगान दिया जाय ।

[धारा ६ (१) (v)]

(६) सम्पत्ति का किराया वसूल करने के खर्चे, परन्तु ये खर्चे सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के ६% से अधिक नही होने चाहिये । [धारा ६ (१) (vi)]

(१०) एक मकान जितने समय के लिये खाली रहता है उतने समय के अनुपातिक मूल्य को घटा दिया जाता है । यह अनुपातिक मूल्य सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के आधार पर निकाला जाता है । जैसे, यदि मकान दो माह तक खाली पड़ा रहा तो उस मकान के वार्षिक मूल्य का २⁄१२ या १⁄६ मकान के खाली रहने की छूट होगी । इस छूट को मकान के खाली रहने की छूट (Vacancy Allowance) कहते हैं ।

[धारा ६ (१) (vii)]

(११) यदि किसी किरायेदार ने मकान छोड दिया हो और उस पर किराया बाकी हो या किराया न देने के कारण उससे जबर्दस्ती मकान खाली कराया जा रहा हो और कानूनी कार्यवाही बकाया किराया वसूल करने के लिये की गई हो तो बकाया किराया भी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से घटा दिया जावेगा ।

मगर किराया बकाया रह गया हो और न वसूल हो सके तो इसके पहले कि यह बकाया किराया घटाया जा सके, निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है—

(अ) मालिक मकान किराया वसूल करने के लिये सम्भव कानूनी उपाय कर चुका हो, परन्तु किराया वसूल न हुआ हो या आय कर अधिकारी को इस बात का विश्वास हो जाये कि किराया वसूल होने के योग्य नही है

(ब) वह किरायेदार मकान खाली कर चुका हो या खाली कराने के लिये कार्यवाई की जा चुकी हो।

(स) मकान मालिक के अन्य किसी मकान मे वह न रह रहा हो।

(द) किरायेदारी यथार्थ मे हो।

[धारा ६०]

नोट—यदि सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटाये जाने वाली आयें उस सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से अधिक हो तो यह अन्तर उस सम्पत्ति की हानि होती है जिसे करदाता की आय के दूसरे शीर्षको मे से घटाया जा सकता है। इसे उदाहरण नम्बर ६ में समझाया गया है।

Illustration No 3—

Mr R P. Seth owns house property of the annual rental value of Rs 8 000 which he has let to Mr Kamthan at Rs. 7 000 p. a , Mr Kamthan agreeing to bear the cost of repairs himself. The expenses of Mr. Seth in connection with this property amount to Rs. 2 500 excluding the cost of repairs.

You are required to calculate his taxable income from property.

Would it make any difference if the house had been let out at Rs 6,000 p a. instead of Rs 7 000 p a. ?

(Agra University B. Com 1955)

Solution No. 3—

	Rs
Annual Value	8 000
Less	
Repairs	
(Annual Value Rs 8,000—actual Rent Rs 7,000)	1 000
Taxable Income from property	Rs 7 000

If the house is let at Rs. 6 0 0 p a. instead of Rs 7,000 p. a.

	Rs
Annual value	8,000
Less :	
Repairs	1,333 33
Taxable Income from property	Rs 6 666 67

Note—(1) Expenses Rs 2 500 given in the question have not been taken into consideration because they do not come under the list of deductions allowed by sec 9

(2) Rs 1 333 33 is ⅙ of the Annual value because the difference between the annual value and rent received should not exceed ⅙ of the annual value

Illustration No 4—

Mr Y is the owner of two houses of which first is let at Rs 300 p m and the second is used for his residence The Municipal valuations of the two houses are Rs 3 000 and 2 000 respectively His expenses on both the houses are —Municipal taxes Rs 500 insurance premium Rs 100 collection charges Rs 80 and ground rent Rs 60 The first house remained vacant for a period of three months

Mr X held the following securities —

(a) Rs 30 000 2% Government loan

(b) Rs 15 000 3% Municipal Debentures

(c) Rs 10 000 4% Preference shares of a company

His collection charges for interest on the above mentioned investments amounted to Rs 200

He is also employed in Government secretariate His salary in this office is Rs 300 per month of which 8% is contributed by him to his Provident Fund to which his employer also contributes a similar amount He gets Rs 40 per month as house allowance

Find out (a) his taxable income from property and (b) his total income assuming that both the houses were constructed in 1953

Solution No 4—

		Rs
Rent of the first house		3 600
Less		
¾ of proportionate Municipal taxes		150
Annual value of property let	Rs	3 450
Annual value of the residential house restricted to $^1/_{10}$ of total Income	Rs	753*
Total annual value of first and second houses Rs (3 4 0+753)		4 203

Less Addmissible deductions	Rs	
Repairs (1/6)	700 50	
Insurance Premium	100	
Collection charges	80	
Ground Rent	60	
Vacancy Allowance of first house		
for three months	862 50	1 803
Taxable Income from property		Rs 2 400

Income from Salary	Rs
Salary	3 600
House Allowance Rs (40×12)	480
Rs	4 080

Income from securities —	Rs
2% Government Loan	600
3% Municipal Debentures	450
	1 050
Less admissible deduction	
Collection charges	200
Rs	850

Statement of Total Income of Mr X

		Rs
(1)	Salary	4 080
(2)	Interest on securities	850
(3)	Income from property	2 400
(4)	Income form other sources (2% Pref Shares of a Co)	200
	Total Income	Rs 7 530

Exempted Income — Rs

Contribution to P F (By employee only) 288

*Note—The annual value of residential house which is Rs 753 has been found out in the following manner —

	Rs.
*Annual value of house let	3 450
Less 1/6 repairs	575
	Rs 2 875

For calculation of Annual value of residential house

Income from all sources Rs

Rs (2 875+4 080+850+200) = 8 005

Less expenses on property
(100+80+60+862 50) = 1 102 50

Rs 6 902 50

Annual value therefore is —

Rs $\frac{6\,902\,50 \times 6}{55}$ = Rs 753

Illustration No 5—

Mr Y is the owner of a house the municipal valuation of this house is Rs 1 300 ⅝ of it is let at Rs 100 per month and ¼ is used by him for his residence This house was constructed with the help of a loan on which Y is paying Rs 200 as Interest The Municipal Taxes for this house are Rs 200 He pays a ground rent of Rs 30 and Insurance Premium of Rs 80 for it

He is employed on Monthly Salary of Rs 800 per month He is also owner of Rs 20 000 3% Govt Securities

Find out a) Annual value from property assuming that the house was constructed in 1953

(b) Taxable Income from property and

(c) Total Income of Mr Y

Solution No 5—

		Rs.
Rental value of port on let		1,200
Less ⅛ of ⅝ municipal Taxes		75
Annual value of th property let		Rs 1 125
Value of Residential port on	Rs	
¼ of the annual rental valueof the whole hou e	400	
Less ⅛ M Tax of ¼ portion	25	
	375	
Less ½ Statutory Allowance	187 0	Rs 187 50
Total Annual value of the Property		
Rs (1 125+187 50		1 312 0
Less Admissible Deductions	Rs	
⅙ for repairs	218 75	
Ground rent	30	
Interest on Loan	200	
Insurance Premium	80	
	Rs. 528 75	528 75
Taxable Income from property		Rs 783 75

Statement of Total Income

Salary		9,600
Interest from Securities		600
Income from property		783 75
Total Income	Rs	10 983·75

Note—Municipal valuation of Rs 1,300 has not been taken into consideration because the rental value of the house, taking in view the portion let, is greater.

Illustration No. 6—

Mr. *A* is the owner of two houses, one is let out at Rs 100 per month and the other is used by him for his residence. The municipal valuation of the second house is Rs 600 He paid the following expenses in respect of the house let Rs 200 Fire Insurance Premium, Rs 250 Int on Mortgage. His expenses in respect of the residential house are —Insurance Premium Rs. 150, Int on loan taken for repair of the house Rs. 125. His income from other sources is Rs. 40,000 Find out his total Income from property and total taxable income, assuming that both the houses were constructed in 1953

Solution No 6—

		Rs
Annual Rental value of the first house is		1,200
Less	Rs	
Repairs 1/6	200	
Int. on Mortgage	250	
Fire Insurance Premium	200	650
		Rs 550
Municipal Valuation of Residential House		600
Less ½ Statutory Allowance		300
		300
Less		
Repairs 1/6	50	
Insurance Premium	150	
Int on loan taken for repairs	125	—325
		Rs —25
Total Income from both the houses Rs (550—25) = Rs 525		525
Income form other sources		40 000
Total taxable Income		Rs 40 525

QUESTIONS

1 In computing the taxable income from property, what deductions are allowed from annual value ?

(Agra, B. Com. 1960)

2 State the provisions of Section 9 of the Indian Income tax Act regarding tax on income from property

(Agra, B. Com, 1948)

3 Define annual value of a property and state the deductions that are allowed from the annual value in computing the taxable income from property

(Agra B Com 1952 Raj, B Com, 1954, 1957)

4 Write short notes on—

(a) Vacancy allowance. (Agra B Com 1953, 58 S)

(b) Annual Value of Property (Alld, B Com. 1955)

5 State the allowances that are deductible under the head Income from property under section 9 of Income tax Act.

(Raj, B Com 1954)

अध्याय ६

व्यापार, पेशा या व्यवसाय से आय

(Income from Business, Profession or Vocation)

आय कर अधिनियम की धारा १० के अनुसार करदाता को व्यापार, पेशा या व्यवसाय से किये हुए लाभ पर कर देना पड़ता है। यह आय 'व्यापार, पेशा और व्यवसाय' (Business, Profession or Vocation) के शीर्षक मे लिखी जाती है। इस आय पर लगने वाले कर से सम्बन्धित नियमो का अध्ययन करने के पहले यह उचित मालूम देता है कि Business, Profession or Vocation का अर्थ समझ लिया जाय।

Business—

माल बनाना, दूकान करना, बैंक का काम करना, यातायात, उपक्रम (Adventure) का लाभ आदि Business के अन्दर आते है।

भारतीय सन्नियम के अनुसार Business की परिभाषा इङ्गलिश आय-कर अधिनियम सन् १६१८ मे दी हुई Trade की परिभाषा से कुछ विस्तृत है। Smith Vs. Anderson के मामले मे न्यायाधीश M. R. Jessell ने कई शब्द-कोषो मे Business का अर्थ देखने के बाद यह परिभाषा दी थी : "Anything which occupies the time and attention and labour of a man for the purpose of profits is business.... ...."

Profession—

इसमे वे काम आते हैं जिनमे बुद्धि, हुनर व कुशलता का प्रयोग किया जाता है, जैसे—अकेक्षक, डाक्टर, वकील, इञ्जीनियर इत्यादि। Profession का अर्थ C. I. T. Vs. Maxse के मामले मे विस्तृत रूप से समझाया गया है।

Vocation—

इसमे विशेष तौर पर वे सब पेशे आते है जिन्हे मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए करता है, जैसे—गाना, नाच, दलाली, बीमा एजेन्सी आदि। Partridge Vs. Mallandaine के मामले मे न्यायाधीश ने Vocation का अर्थ समझाते समय एक सुन्दर उदाहरण दिया है, जो कि इस प्रकार है : यदि एक व्यक्ति सदैव चोरी करने का पेशा बना लेता है तो आय-कर अधिकारी उसकी आय पर कर लगा सकता है और ऐसा करना बिल्कुल उचित है।

व्यापार, पेशा या व्यवसाय के लाभ पर लगने वाले कर से सम्बन्धित नियम—

(१) यदि एक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार करता है तो आय कर सब व्यापारो की सयुक्त आय पर लगता है, प्रत्येक व्यापार की आय पर अलग-अलग नही लगता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि धारा १० के अनुसार व्यापार, पेशा और व्यवसाय की कुल प्राप्ति (Gross Receipt) पर आय-कर नही लगता, परन्तु इनके लाभो पर लगता है।

(२) एक व्यापार को समाप्त करते समय सम्पत्तियो को बेचने पर मिले हुए लाभ पर कर नही लगेगा, क्योकि उस समय व्यापार नही किया जा रहा है, परन्तु एक व्यापार के बन्द किये जाने पर यदि उसका अन्तिम रहतिया बेचा जाता है और उस पर लाभ होता है तो इस लाभ पर कर लगता है, क्योकि माल की इस बिक्री और साधारण बिक्री मे कोई अन्तर नही माना जाता है। इसका कारण यह है कि दोनो ही दशाओ में माल बेचने का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, परन्तु जब व्यापार की सब सम्पत्तियाँ, अन्तिम रहतिये सहित, एक निश्चित रकम के लिए इकट्ठी बेची जाती हैं तो अन्तिम रहतिये पर लाभ का कोई प्रश्न ही नही उठना है।

(३) यदि एक व्यापार मे हानि होती है तो करदाता उसे दूसरे व्यापार के लाभ से काट सकता है।

(४) एक साझेदार को फर्म से प्राप्त हुआ लाभ आय कर अधिनियम की धारा १० के अन्दर व्यापारिक लाभ माना जाता है और धारा १२ के अनुसार अन्य साधनो की आय नही माना जाता है।

Mohan Lal Hira Lal Vs. C. I. T., C P. 1952

(५) यदि इस शीर्षक की आय में करदाता को किसी रकम के लिए छूट दे दी गई हो और वह रकम बाद मे करदाता को मिल जाती है तो इस पर उस वर्ष कर लगेगा जिस वर्ष उसे यह मिली हो। [धारा १० (२-A)]

(६) यदि कोई इमारत, मशीन या प्लाट, जिसके ऊपर कटौती मिलनी है, पूर्ण रूप से व्यापार म प्रयोग नही की गई है तो वह छूट प्रयोग के अनुपात में दी जायेगी। [धारा १० (३)]

(७) यदि कोई हानि सट्टे के व्यापार मे होती है तो उसे सट्टे के लाभो से ही पूरा किया जा सकता है।

व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लाभो को निकालते समय सट्टे मे हुए लाभो को नही घटाना चाहिए।

[C. I. T. of Nagpur and Bhandara V. Ramgopal Kanhyalal Sept. 7, 1959]

(८) व्यापार, पेशा या व्यवसाय के लाभ मे से कुछ खर्चो को आय-कर अधिनियम की धारा १० (२) के अनुसार घटाया जा सकता है और कुछ खर्चो को

धारा १० (४) के अनुसार नही घटाया जा सकता है, अतः इन खर्चों को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए।

(६) आय-कर अधिनियम की धारा १५ C के अनुसार नई औद्योगिक सस्था के कार्य शुरू करने के प्रथम पाच वर्षों की आय पर आय कर नही लगता है, यदि इसकी आय सस्था की पूंजी के ६ प्रतिशत से अधिक न हो।

(१०) नई औद्योगिक सस्था से मिले हुए लाभाश पर भी आय कर नही लगता है, परन्तु ऐसा कम्पनी शुरू होने के प्रथम चार वर्षों तक ही होता है।

(११) यदि नई औद्योगिक सस्था के प्रथम चार वर्षों की आय उसकी पूंजी के ६% से अधिक है तो उस पर आय-कर लगेगा।

(१२) आय कर अधिकारी आय कर लगाने के लिए गत वर्ष की आय से ही सम्बन्ध रखते हैं। यदि किसी व्यापार द्वारा अगले वर्ष लाभ प्राप्त करने की आशा हो तो इन अनुमानित लाभो पर कर नही लगेगा।

(१३) एजेन्सी के समाप्त किये जाने पर मिला हुआ हर्जाना व्यापारिक लाभ माना जायगा और इस पर आय-कर लगेगा। [धारा १० (५-A)]

(१४) चाय की कम्पनियाँ—चाय कम्पनी की ४० प्रतिशत आय व्यापारिक आय मानी जाती है और ६० प्रतिशत कृषि आय। इसका वर्णन अध्याय २ मे 'कृषि आय' की परिभाषा के साथ किया गया है।

(१५) एक शक्कर व्यवसाय की व्यापारिक आय जानने के लिए अध्याय दो मे 'कृषि आय' की परिभाषा को देखिये।

(१६) स्टॉक का मूल्याकन (Valuation of Stock)—आय कर अधिनियम मे स्टॉक के मूल्याकन की कोई भी विधि नही दी हुई है, परन्तु यह आवश्यक है कि इसके मूल्याकन की जो भी विधि एक वर्ष अपनाई जाय वही वर्ष प्रति वर्ष अपनानी चाहिए और यदि उसमे कोई परिवर्तन करना हो तो आय कर अधिकारी से स्वीकृति ले लेनी चाहिए।

लाभ हानि खाते के सम्बन्ध में कुछ नियम—

व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाये हुए लाभ-हानि खाते द्वारा दिखाया गया लाभ आय कर अधिकारियो के दृष्टिकोण से ठीक नही होता है, क्योंकि—

(अ) बहुत से व्यय लाभ हानि खाते के नाम पक्ष मे ऐसे लिखे जाते हैं, जिनके लिखने की स्वीकृति आय कर अधिनियम द्वारा नहीं है।

(ब) कुछ ऐसी आयें जमा पक्ष मे लिखी जाती हैं, जिन्हे आय कर अधिनियम के अनुसार नही लिखना चाहिए।

(स) भिन्न भिन्न सम्पत्तियो पर ह्रास काटने की दरें आय कर अधिनियम मे दी हुई हैं, इन दरो के अनुसार ह्रास नही काटा जाता है।

(द) हो सकता है कि पूंजीगत व्ययों को नाम पक्ष में और पूंजीगत आयों को जमा पक्ष में लिख दिया गया हो, इत्यादि।

यही कारण है कि आय-कर के दृष्टिकोण से लाभ हानि खाता दोबारा बनाया जाता है और उसके अनुसार दिखाये हुए लाभ को करदेय लाभ माना जाता है।

आय-कर के दृष्टिकोण से लाभ-हानि खाता बनाते समय व्यापारिक लाभ हानि खाते के—

नाम (Debit) पक्ष में—

(अ) पूँजीगत व्ययो को हटा देना चाहिए।
(ब) यदि आय कर मे दी हुई ह्रास की दरो से अधिक ह्रास काटा गया हो तो इस अधिक रकम को हटा देना चाहिए।
(स) अस्वीकृत व्ययो को हटा देना चाहिए।
(द) यदि कोई व्यय न तो स्वीकृत है और न अस्वीकृत, परन्तु व्यापार से सम्बन्धित है तो उसे लिख देना चाहिए।
(य) यदि कोई स्वीकृत व्यय नही लिखे गये हैं तो उन्हे भी लिख देना चाहिए।

जमा (Credit) पक्ष मे—

(अ) पूँजीगत आयो को हटा देना चाहिए।
(ब) व्यापारिक आय यदि न लिखी हुई हो तो लिख देना चाहिए।
(स) अगले वर्षों की आयो को भी हटा देना चाहिए।

ऊपर लिखे हुए नियमो को ध्यान मे रख कर यदि लाभ हानि खाता बनाया जायगा तो उचित करदेय लाभ निकल सकता है।

स्वीकृत व्यय (Admissible Expenses)—

आय कर अधिनियम के अनुसार नीचे लिखे हुए व्यय लाभ हानि निकालते समय घटाये जा सकते हैं, अर्थात् यदि ये खर्चे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष मे लिखे हुए होगे तो इन पर कोई आपत्ति नही की जायेगी :—

(१) किराया—उस भवन का किराया जिसमे व्यापार होता है, परन्तु यदि भवन व्यापार के लिए और रहने के लिए भी प्रयोग किया जाता है तो व्यापार से सम्बन्धित भाग का अनुपातिक किराया। [धारा १० (२) (i)]

(२) मरम्मत—यदि करदाता किरायेदार हो और उस भवन की मरम्मत का भार भी उसी के ऊपर हो तो यह मरम्मत की रकम स्वीकृत व्यय मानी जाती है और यदि वह इस भवन मे रहता भी हो तो केवल अनुपातिक मरम्मत ही स्वीकृत व्यय मानी जायेगी। [धारा १० (२) (ii)]

(३) व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लिए उधार ली हुई पूँजी पर दिया हुआ ब्याज···· ··। [धारा १० (२) (iii)]

(४) बीमा प्रीमियम—व्यापार के भवन, मशीन, प्लान्ट, फर्नीचर, स्टॉक या स्टोर की रक्षा के लिए कराए गए बीमा का प्रीमियम। [धारा १० (२) (iv)]

(५) व्यापार से सम्बन्धित भवन, मशीन व फर्नीचर के ऊपर किए गए चालू मरम्मत का व्यय। [धारा १० (२) (v)]

Ramkishan Sunderlal Vs. C. I. T. (1951) के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चालू मरम्मत के बारे में नीचे लिखे विचार प्रकट किए थे :— यहाँ चालू मरम्मत का आशय भवन, मशीन व फर्नीचर को सही हालत मे रखने के लिए किए गए व्यय से है। यदि ये व्यय समय-समय पर न किए जायँ तो व्यापारिक सम्पत्तियां व्यापारी को धोखा दे सकती हैं। इन व्ययों का आशय व्यापारी को कोई विशेष लाभ पहुँचाने से नहीं है।

(६) ह्रास (Depreciation)—व्यापार की मशीन, प्लांट, फर्नीचर और भवन के लिए काटा गया ह्रास, यदि यह आय कर अधिनियम की दरों के अनुसार है। [धारा १० (२) (vi)]

(७) व्यापार के भवन, मशीन या प्लांट के नष्ट हो जाने पर इनके बेचने से मिली हुई आय की तुलना इनके ह्रासित मूल्य (Written down Value) से करनी चाहिए। ह्रासित मूल्य इनकी बिक्री की कीमत से जितना ही अधिक होगा उतना ही स्वीकृत व्यय माना जाएगा। [धारा १० (२) (vii)]

(८) पशुओं की बिक्री से हानि—यदि व्यापार में कुछ पशु प्रयोग मे लाये जाते हो तो उनकी मृत्यु या बेकार हो जाने पर बेचने से हानि। [धारा १० (२) viii)]

(९) व्यापार से सम्बन्धित इमारत के ऊपर दिए गए म्यूनिसिपैलिटी के कर या स्थानीय कर। [धारा १० (२) (ix)]

(१०) बोनस—व्यापार के कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के उपलक्ष मे दिया गया बोनस। [धारा १० (२) (x)]

(११) अप्राप्त और संदिग्ध ऋण (Bad and doubtful Debts)—व्यापार से सम्बंधित देनदारो के ऋण यदि अप्राप्त और संदिग्ध हैं, तो इन्हे घटाया जा सकता है, परन्तु यदि भविष्य मे कभी यह रुपया वसूल हो जाय तो यह रकम करदाता की उस वर्ष की आय में शामिल कर दी जाएगी जिस वर्ष कि यह मिलेगी। [धारा १० (२) (xi)]

(१२) व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध (Scientific Research) पर हुए व्यय, यदि वे पूँजी प्रकृति के नहीं हैं। [धारा १० (२) (xii)]

(१३) कोई भी रकम जो कि ऐसी विज्ञान शोध सघ को दी जाय जिसका उद्देश्य विज्ञान की शोध करना हो या किसी यूनीवर्सिटी, कालेज या अन्य सस्था को दी जाय जिसका प्रयोग विज्ञान की शोध के लिये किया जाय या किसी यूनीवर्सिटी, कालेज या अन्य सस्था को दी जाय, जो कि उस व्यापार से सम्बन्धित सांख्यिकी शोध (Statistics Research) और समाज विज्ञान के लिये प्रयोग करे। यह सघ यूनीवर्सिटी, कालेज या सस्था किसी उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित (approved) होनी चाहिये। यह धारा वित्त अधिनियम सन् १९६० द्वारा पुरानी धारा के स्थान पर लाई गई है। [धारा १० (२) (xiii)]

(१४) यदि व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध पर कोई पूँजी व्यय किया जाय तो प्रथम पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष इसके १/५ को स्वीकृत व्यय माना जाता है। [धारा १० (२) (xiv)]

(१५) यदि कोई व्यय ऐसे है जो कि व्यापार से सम्बन्धित हैं, परन्तु जिनका ऊपर वर्णन नही किया गया है और वे पूँजी व्यय व व्यक्तिगत व्यय नही हैं तो उन्हे भी स्वीकृत व्यय माना जायगा :— [धारा १० (२) (xv)]

इन व्ययो के उदाहरण नीचे दिये हैं :—

(क) व्यापार के सम्बन्ध मे किए गए कानूनी व्यय,
[Usher's Wiltshire Brewery Ltd. V. Bruce 6 T.C. 399) H.L.)]

(ख) व्यापारिक समय (Business hours) मे कर्मचारियों द्वारा गबन की गई रकम,

(ग) कर्मचारियों को नौकरी से अलग करने के लिए दिया गया हर्जाना,

(घ) माल बनाने व उन्हे बेचने के लिए किए गए व्यय,

(ङ) कर्मचारियों को काम करते समय शारीरिक क्षति होने वाली जोखिम के लिए किए गए बीमे का प्रीमियम,

(च) व्यापार के खातों को रखने के व्यय,

(छ) नियोक्ता द्वारा प्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फन्ड मे दिया गया चन्दा,

(ज) नियोक्ता द्वारा सुपरएनुयेशन फण्ड मे दिया गया चन्दा,

(झ) वर्ष के शुरू में नई बहियां बनाने व पूजने के सम्बन्ध मे किए गए व्यय, यदि यह व्यय २०० रुपये से अधिक नही है,

(ञ) आडिट कराने के व्यय,

(ट) माल के खरीदने व बिक्री के लिए दी गई दलाली को घटाया जा सकता है, लेकिन दीर्घकालीन ऋणों के लेने के लिए दी गई दलाली को नही घटाया जा सकता है।

(ठ) विज्ञापन व्यय, परन्तु ये व्यापार बढ़ाने आदि के लिए न किए गए हो, क्योंकि उस दशा में वे पूंजी व्यय माने जायेंगे,

(ड) व्यापार के सम्बन्ध में दिए गए चन्दे,

(ढ) खानों व पेटेन्ट वस्तुओं के लिए दिया गया अधिकार शुल्क (Royality),

(ण) ऐसे व्यय जिनसे कर्मचारियों की कार्य कुशलता मे वृद्धि हो,

(त) इनकम टैक्स अधिकारी तक आय कर के सम्बन्ध के व्यय, परन्तु आय-कर अपील के व्यय नही।

(थ) कर्मचारी को दी गई पेंशन,

(द) बिक्री कर,

(ध) अभिकर्त्ताओं को दिया हुआ हर्जाना।

अस्वीकार व्यय (Expenses expressly disallowed)—

नीचे लिखे हुए व्यय लाभ निकालते समय घटाए नही जायेंगे, अर्थात्, इन्हे लाभ हानि खाते मे नही लिखा जाएगा :—

(१) किसी ऐसे विदेशी को दिया हुआ ब्याज जिसकी आय से कर नही काटा गया है।
[Proviso 1 of sec. 10 (2) (iii)]

(२) किसी विदेशी को दिया गया 'वेतन', यदि कर न काटा गया हो,
[धारा १० (४) (a)]

(३) साझेदारी फर्म द्वारा अपने किसी साझेदार को दिया गया वेतन, ब्याज या अन्य प्रकार का पारिश्रमिक, [धारा १० (४) (b)]

(४) मालिकों द्वारा निकाले हुए आहरण (Drawings),

(५) मालिकों द्वारा किए गए निजी व्यय,

(६) आय कर व अधि कर की रकम,

(७) आय कर की अपील का व्यय,

(८) अप्रमाणित प्रॉवीडेन्ट फन्ड मे दान,
[धारा १० (४) (c)]

(९) अप्राप्य ऋणों के लिए संचित

(१०) ह्रास के लिए या अन्य कामों के लिए किए गए संचित व उन पर ब्याज,

(११) पूँजी व्यय,

(१२) यदि करदाता अपने ही मकान मे व्यापार करता है तो इस मकान का किराया,

(१३) कम्पनी द्वारा किसी संचालक को आवश्यकता से अधिक दिया जाने वाला पारिश्रमिक, [धारा १० (४) (A)]

(१४) दान,
(१५) लाभ-हानि खाते मे लिखी हुई पुरानी हानियाँ,
(१६) यदि किसी हानि का बीमा हो चुका है तो इस प्रकार की हानि,
(१७) कम्पनी के अशो को यदि कटौती पर बेचा गया है तो यह कटौती,
(१८) ऐसी पेन्शन जो कि पुराने साझेदारो को दी जा रही हो,
(१९) स्वीकृत रकम से अधिक ह्रास की रकम,
(२०) अन्य कोई व्यय, जो कि व्यापार के सम्बन्ध में न किया गया हो।

नीचे लिखी हुई हानियाँ करदेय व्यापारिक आय निकालने के लिए नही घटाई जायेंगी :—

(१) एक अजनबी व्यक्ति द्वारा एक व्यापारी के लाभ को लूटना। जैसे—एक महाजन की तिजोरी तोडकर चोरो द्वारा उसकी रकम को चुराना।

[Ramaswami Chettier Vs. C.I.T.]

(२) डाकुओ द्वारा एक व्यापारी के दफ्तर मे घुसकर उसके मुनीम व खजाञ्ची को लूटकर उस दिन की सारी बिक्री को ले जाना।

[Gadodia and Co. In re]

(३) करदाता के ऐसे कर्मचारी को लूटना जोकि करदाता की रकम बैंक लिए जा रहा हो।

[Mul Chand Hira Lal Vs. C.I.T]

ऊपर दिए हुए तीनो उदाहरणो मे दी हुई हानियो को तब तक नही घटाया जा सकता है जब तक ये वास्तव मे व्यापार के स्वभाव से सम्बन्धित न हो। यदि चोरी व डाकुओ द्वारा हुई हानियाँ व्यापार के स्वभाव से सम्बन्धित हो तो इन्हे व्यापार के लाभ से घटाया जा सकता है। जैसे—यदि एक करदाता को वैधानिक नियमो के अनुसार विभिन्न क्रय केन्द्रो पर किसानो को रुपया बाँटने के लिए भेजना पड़ता है और इस रुपये को रास्ते मे लूट लिया जाता है तो इस हानि को घटाया जा सकता है।

धारा १० मे घटाने योग्य व्ययो की सूची पूर्ण नही है। एक व्यापार से सम्बन्धित हानि को व्यापार का लाभ निकालने के लिए घटाया जा सकता है, चाहे वह इस उपधारा के किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत न दी हुई हो, क्योकि लाभ साधारण व्यापार के सिद्धान्तो को ध्यान मे रखकर निकाला जाता है। प्रत्येक आय कर अधिकारी को इन व्यापार के सिद्धान्तो का ज्ञान होना चाहिए।

नकद साख (Cash Credit)—

कुछ बेईमान करदाता व्यक्तिगत खातो के नाम से झूठो 'नकद साख' जमा कर लेते हैं। ऐसा करने से वे अपने लाभो को छिपा लेते हैं और यह नही दिखाते हैं कि यह रकम कहाँ से आई। जब आय-कर अधिकारी इस रकम के बारे में पूछता है तो

बहुधा यह कहा जाता है कि यह रकम गहने बेचकर या मुसराल से प्राप्त हुई है। इन उत्तरों को आय-कर अधिकारी की दृष्टि में बहुत ही कम विश्वसनीय माना जाता है।

करदाता या तो अपने खाते में या अपने सम्बन्धियों या अन्य व्यक्तियों के खाते मे ये रकमे जमा करता है। यदि ये रकमे करदाता ने अपने खाते मे जमा की हैं तो आय-कर अधिकारी के सन्तोष के लिए यह साबित करने का बोझ करदाता पर ही रहता है कि रकम वास्तव में आय नही है। आय कर अधिकारी यदि इस स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न हो तो इस नकद साख (Cash Credit) को आय मान कर इस पर कर लगा सकता है। यदि अन्य व्यक्तियों के खातो में ये रकमे जमा हैं तो इस बात को साबित करने का बोझ, कुछ विशेष दशाओं को छोडकर अन्य दशाओं में, आय-कर विभाग पर ही रहता है।

(Jai Narayn Balabakas Vs. C.I.T. 1957)

(Radhakrishan Behari Lal Vs. C.I.T. 1954)

यदि Cash Credit हो तो प्रत्येक करदाता को इसका स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिए, वरना खाते अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। करदाता के खातो मे Cash Credit था, परन्तु इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, जिसके कारण आय-कर अधिकारी करदाता की आय का ठीक अनुमान उसके खातो से न चला सका, अतः उसके खातो को अस्वीकृत किया गया और बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार लाभ का अनुमान लगाया गया।

[P. Abdul Khadar V. C. I. T. Madras Oct. 19, 1959]

आय कर अफसर ऐसी रकमो को लाभ मानकर कर लगा सकता है, यदि उसे यह विश्वास हो जाय कि य लेखे बेईमानी की नीयत से किए गये हैं। जब तक आय-कर अधिकारी को विश्वास न हो कि नकद साख सही है, तब तक वह इस राशि पर लाभ मानकर कर लगाता है तथा ऐसे करदाता पर जुर्माना भी करता है।

क्षति पूर्ति व्यापारिक आय के रूप में (Compensation as business Income)—

आय-कर अधिनियम की धारा १० (5-A) के अनुसार नीचे लिखी हुई दशाओं मे मिला हुआ हर्जाना व्यापारिक आय होती है और इस पर कर भी लगता है :—

(अ) एक भारतीय कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्त्ता (Managing Agent) का हटाने के लिए दी हुई क्षति पूर्ति या उसकी शर्तो के परिवर्तन करने के लिए दी गई रकम।

(ब) एक भारतीय कम्पनी के मैनेजर को हटाने के लिए व उसके प्रसविदे में कोई परिवतन करने के लिए दी हुई क्षति पूर्ति।

(स) कोई भी व्यक्ति, जोकि करदय प्रदेश में काम करने वाली कम्पनी का पूर्ण या लगभग पूर्ण प्रबन्ध करता हो तो ऐसे व्यक्ति को हटाने व उसके प्रसविदे के परिवर्तन करने की क्षति पूर्ति।

(द) किसी ऐसे अभिकर्त्ता (Agent) को, जोकि करदेय प्रदेश मे किसी की एजेन्सी कर रहा हो, हटाने के लिए दी गई क्षति पूर्ति।

Illustration No. 1—

Following is the Profit and Loss Account of Mr. X for the year ending 31st March 1960.

	Rs.		Rs.
Salaries	5,000	Gross Profit	50 000
Insurance Premium	500	Interest	1,000
Advertising	3 000	Interest on Govt securities	3,000
Depreciation	2,000	Profit on sale of investment	1,000
Postage Stamp	200		
Income tax reserve	2,000		
General expenses	20,000		
Net profit	22 300		
Rs.	55 000	Rs	55 000

Find out the taxable profit from business of Mr X after taking into consideration the following —

(*a*) Depreciation allowable is Rs 1 600.

(*b*) Advertising expenses include Rs 1,000 which is capital expenditure.

(*c*) General expenses include Rs. 500 for subscriptions given to a Political party and Rs. 300 for repair of a machinery.

(*d*) Rs. 1,500 is the amount of Sales tax paid but is not included in the above P. & L A/c.

Solution No. 1—

		Rs.
Net Profit as disclosed by Profit and Loss A/c.		22,300
Add Inadmissible expenditures	Rs	
Excess depreciation	400	
Subscription to political party	500	
Advertising (Capital Expenditure)	1,000	
Income-tax Reserve	2,000	3,900
		26,200
Deductions	Rs.	
Sales tax	1,500	
Interest on Govt Securities (it is taken under separate heading)	3,000	
Profit on sale of Investment (Being Capital Profit)	1,000	5 500
Taxable Profit from business Rs.		20,700

Illustration No. 2—

Following is the P & L account of a company for the year ending 31st March, 1960.

	Rs		Rs
Salaries (office)	3 000	Gross profit	60 000
Rent	2 400	Interest on securities	2 000
Director's Fees	1,500	Bad debts recovered	200
Law expenses	700	Discount received	800
Subscription (Business)	200	Commission	2,000
Auditors Fees	900	Profit on sale of Securities	1,500
Depreciation	1 500	Other receipts	300
Fire Insurance Premium	300		
Travelling expenses	400		
Reserve for bad and doubtful debts	1 200		
Expenses in connection with issue of shares	1,500		
Bad Debts	700		
Net Profit	52,500		
Rs.	66 800	Rs	66 800

Find out the taxable profit from business of the company after taking into consideration the following —

(*a*) Law charges include an amount of Rs. 200 spent in connection with a purchase of a new machinery.

(*b*) Admissible depreciation is Rs 1 000

Solution No 2—

	Rs	Rs.
Net profit as disclosed by profit and loss account		52,500
Add expenses disallowed —		
Expenses in connection with issue of shares	1,500	
Reserve for Bad and doubtful debts	1 200	
Law charges on machinery (Capital expenditure)	200	
Excess depreciation	500	3 400
		55 900
Deductions	Rs.	
Interest on securities	2,000	
Profit on sale of securities	1,500	3 500
Taxable profit from business	Rs.	52 400

Illustration No 3—

Following is the Profit and Loss account of a Sugar Mill Co for the year ending 31st March, 1960 —

	Rs		Rs
Stock of Sugar at 1st April 1959	2,00 000	Sales	30 00 000
Cost of Cane crushed	13,00,000	Stock of Sugar	4 00,000
Wages	2,50 000		
Repairs and renewals	20 000		
Establishment Charges	30 000		
Depreciation	1 00 000		
Auditor s fees	1 500		
Director's fees	2 300		
Commission on sale	30,000		
Balance c/d	14 66 200		
	Rs, 34 00 000		Rs 34 00,000

Find out the total income of the company after taking into consideration the following —

(a) The amount of Rs 4,000 paid to an undesirable employee as compensation is included in Establishment Charges.

(b) Cane crushed includes Rs. 3,00,000 the cost of cane grown on the company's own farm whereof Rs 4 00 000 is the average market price of the cane

(c) Repairs and Renewals includes an amount of Rs 8,000 which is cost of additions to factory Buildings.

(d) Depreciation allowable is Rs 90,000

Solution No 3—

		Rs.
Profit as disclosed by P. & L A/c		14,66,200
Add —	Rs	
Additions to factory building	8,000	
Excess depreciation	10 000	18,000
		14 84,200
Deductions		
Agricultural Income		
(Rs. 4 00 000 — Rs 3 00 000)		1 00 000
Total Income		Rs 13 84 200

Note—The amount of compensation given to undesirable employee has not been taken into cons deration because his removal from the con pany is profitable in the interest of the company

Illustration No 4—

Given below is the Profit and Loss Account of a tea company for the year ending 31st March 1960 Find out his total income for 1960 61 when allowable depreciation is Rs 56 000

	Rs		Rs
Opening Stock	3 00 000	Sale of tea	9 00 000
Manufacturing Exp	1 80 000	Stock of tea	
Directors Fees	2 000	(at 31st March	
Auditor s Fees	500	1960)	3 00 000
Donations to Political Party	2 000		
Brokerage	10 000		
Freight	10 000		
Income tax	12 000		
Reserve for Bad Debts	8 000		
Depre iation	60 000		
Net Profit	6 15 500		
Rs	12 00 000	Rs	12 00 000

Solution No 4—

		Rs
Profit as disclosed by P & L Account		6 15 500
Add—	Rs	
Donations	2 000	
Reserve for bad debts	8 000	
Income tax	12 000	
Excess depreciation	4 000	26 000
		6 41,500
Deduct —		
60% is treated as agricultural income		3 84 900
Taxable Income from business		Rs 2 56 600

Note—60% of the Agricultural I come has been calculated o1 Rs 6 41 500

QUESTIONS

1 Define business and state the deductions that are expressly allowed in computing the taxable income from business

(Raj B Com 1960)

2 What deductions are allowed to a business in computing the profits ? Specify the expenses disallowed

(Agra B Com 1944 1954)

3 Enumerate the expenses which are allowed in computing the taxable profits of a partnership firm and a limited Co and also state the expenses or losses which are not allowed

(Agra B Com 1952 Raj B Com 1957)

4 In what circumstances are the following items allowed as deduction in computing the taxable income from business —

(a) Repairs
(b) Insurance Premium
(c) Interest
(d) Legal Charges
(e) Depreciation of Investment

(Agra B Com 1950)

अध्याय १०

अन्य साधनों से आय

(Income from other Sources)

आय-कर अधिनियम की धारा १२ (१) के अनुसार जो आय 'वेतन', 'प्रतिभूतियो पर ब्याज', 'सम्पत्ति पर आय' और 'व्यापार पेशा व व्यवसाय' वाले शीर्षकों मे से किसी भी शीर्षक मे नही लिखी जाती है, वह 'अन्य साधनो से आय' वाले शीर्षक में लिखी जाती है।

Salisbury House Estate Ltd. Vs. Fry. 15 Tax cases 266 के मामले मे नीचे लिखे हुए नियम इस शीर्षक के बारे मे दिए गए थे :—

(१) यदि कोई आय चार विशिष्ट शीर्षको मे से किसी मे भी जाने के योग्य नही है, तभी 'अन्य साधनो से आय' वाले शीर्षक मे जायगी।

(२) यदि किसी आय का कोई शीर्षक है तो उसे उसी शीर्षक मे ले जाना चाहिए।

नीचे लिखी हुई आयें अन्य साधनो से आय' वाले शीर्षक मे आती हैं :—

(१) ऋणो पर ब्याज,

(२) अंशो का लाभांश,

(३) एक परीक्षा के निरीक्षक द्वारा प्राप्त की हुई फीस,

(४) एक Bar Council द्वारा परीक्षा और प्रवेश के लिए प्राप्त की हुई फीस,
(Bar Council Patna Vs. C.I.T. 1949)

(५) एक कर्मचारी द्वारा मालिक के अलावा अन्य कहीं से प्राप्त किया हुआ कमीशन,

(६) करदेय प्रदेश के बाहर से प्राप्त की हुई खेती की आय,

(७) शिकमी किराये पर उठे हुए मकान का किराया,

(८) किसी खान से प्राप्त किया हुआ भूमि का किराया

(९) किसी ऐसी भूमि से किराया प्राप्त करना जो कि इमारतो से जुडी हुई न हो।

(१०) बाजार या मछलियो की आय,

(११) अंशो के बेचने पर मिला हुआ कमीशन,

(१२) सचालको की फीस,

(१३) अधिकार-शुल्क (Royalty),
(१४) प्रतिभूतियों के ब्याज को छोडकर बाकी सब प्रकार के ब्याज, जैसे—ऋण पर ब्याज, चालू खाते पर ब्याज आदि,
(१५) पट्टे पर उठी हुई सम्पत्ति पर आय,
(१६) मशीन व फर्नीचर को किराये पर उठाने से आय,
(१७) कोई ऐसी वार्षिकी जोकि किसी वसीयतनामा के अनुसार मिली हो, परन्तु यह वार्षिकी मालिक द्वारा कर्मचारी को न मिली हो।

अन्य साधनों से प्राप्त हुई आय में से नीचे लिखे हुए व्ययों को घटा देने के बाद ही करदेय आय प्राप्त होती है (Deductions from "Income from other Sources")—

(१) वे सब व्यय घटा दिए जाते है जिनकी मदद से आय प्राप्त की गई है, परन्तु इन व्ययो को न तो पूंजी व्यय होना चाहिए और न निजी व्यय।

(२) यह व्यय उसी वर्ष होना चाहिए जिस वर्ष में वह आय प्राप्त हुई हो। यह निर्णय प्रिवी कौन्सिल ने C. I. T. Vs. Basant Ram Takhat Singh के मामले में दिया था।

(३) लाभाश प्राप्त करने के लिए बैंको को दिया गया उचित कमीशन घटाया जा सकता है।

(४) जो व्यय व्यापार, पेशे व व्यवसाय मे अस्वीकृत व्यय (Inadmissible Expenses) माने गए हैं वे यहाँ भी अस्वीकृत व्यय माने जाते हैं।

अन्य साधनो से प्राप्त हुई आय मे से घटाने योग्य व्ययो के सम्बन्ध मे कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय नीचे दिए हुए हैं :—

(१) एक ऐसी रियासत मे न्यायालय द्वारा एक रिसीवर नियुक्त किया गया था जिसमे कृषि आय व अन्य प्रकार की आयें प्राप्त होती थी। रिसीवर के वेतन का अनुपातिक भाग ही अन्य प्रकार की आयो से घटाने का निर्णय दिया गया था।

(Sachindra Mohan Ghosh Vs. C. I. T.)

(२) एक कम्पनी के सचालक के विरुद्ध यह कार्यवाही की गई कि उसके सचालक बनने का चुनाव अवैध था। सचालक ने अपने चुनाव को वैध साबित करने के लिए व्यय किए। इन व्ययो को न्यायाधीशो द्वारा घटाने योग्य व्यय माना गया था।

(C. I. T. Vs. Sir Purshotham Dass Thakur Das 1946)

(३) एक करदाता ने सचालक की फीस और लाभाश के रूप में एक ऐसी कम्पनी से करदेय आय प्राप्त की जिसे उन्होने चलाया था और जब कम्पनी आर्थिक

कठिनाइयो मे थी तो उसने ३ लाख रुपये का दान कम्पनी को दिया। यह व्यय घटाने योग्य व्यय नही माना गया, क्योकि यह व्यय लाभांश या सचालक की फीस प्राप्त करने क उद्देश्य से नही किया गया था।

(C. I. T. Vs. Sir Homi Mehta)

(४) एक कम्पनी, जोकि प्रारम्भ की श्रेणी में है, अपने काम शुरु करने के पहले किये हुए कार्यालय के व्ययो को अन्य साधनो की आय से नही घटा सकती है।

(C. I. T Vs. Bihar Spinning and Weaving Mills Ltd. 1953).

लाभांश (Dividends)—

साधारण भाषा मे लाभांश का अर्थ कम्पनी के लाभ के उस भाग से है जो कि अंशधारी को अंशधारी होने की हैसियत से मिलता है। आय कर अधिनियम की धारा २ (६-A) में यह बताया गया है कि लाभांश मे कौन कौन सी रकमे शामिल करनी चाहिए और कौन कौन सी रकम शामिल नही करनी चाहिए, परन्तु इस धारा में लाभांश की पूर्ण परिभाषा नही की गई है। इस परिभाषा मे ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जिन्हे साधारण तौर पर लोग लाभांश नहीं मानते है। वे सब भुगतान करने से सम्बन्धित हैं। इस धारा मे चालू लाभो मे से दिये जाने वाले लाभांशों का कोई वर्णन नही किया गया है, यद्यपि इन लाभो में से बांटी हुई रकम आय-कर मे लाभांश मानी गई है।

कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ के अनुसार एक कम्पनी अपने चालू वर्ष के लाभो या एकत्रित लाभो के अतिरिक्त और कही से भी लाभांश नही दे सकती है।

कम्पनी किसी अंशधारी को आय कर काटने के बाद ही लाभांश देती है, अत. जो रकम अंशधारियों को मिलती है वह कर काटने के पश्चात् मिलती है। यदि लाभांश मे से कर न काटा गया होता तो अंशधारियो को अधिक लाभांश प्राप्त होता। यही कारण है कि जब अंशधारियो की आय मे लाभांश जोडा जाता है तो सकल (Gross) बनाकर जोडा जाता है। मिले हुए लाभांश को सकल बनाने की विधि को अंग्रेजी मे Grossing of Dividend कहते हैं।

लाभाँश को सकल करने की विधि—

अब लाभांश को सकल नही बनाया जाता है, परन्तु पिछले वर्ष तक कम्पनी के लाभांश पर ३० प्रतिशत कर और १·५ प्रतिशत अधि-कर लगता था, अतः यदि शुद्ध लाभ को सकल (Gross) करना होता था तो इस प्रकार किया जाता था :—

$$\frac{\text{शुद्ध लाभ} \times २००}{१३७}$$

यह $\frac{२००}{१३७}$ इस प्रकार निकाला गया है—माना कि कुल लाभ १०० रुपये है तो इस पर ३१'५ कर और अधि-कर कटेगा, अर्थात् ६८'५ (१००−३१'५) शुद्ध लाभ बचेगा, अतः—

जब शुद्ध लाभ ६८'५ है तो सकल लाभ १०० रु० है।

जब शुद्ध लाभ १ है तो " " " $\frac{१००}{६८'५}$

$= \frac{२००}{१३७}$

यदि एक कम्पनी का कुछ लाभ करदेय है और कुछ लाभ करदेय नहीं है तो लाभांश को सन् १९५९-६० करदेय वर्ष के लिए इस प्रकार सकल (Gross) किया जाता है :—

$$\frac{\text{शुद्ध लाभ} \times १००}{१००-\left(\frac{\text{कर लगने वाले}}{\text{लाभांश का प्रतिशत}} \times \frac{३१'५}{१००}\right)}$$

Illustration No. 1—

A shareholder received Rs. 5,000 as Net Dividend in the previous year when full profit of the company declaring dividend was taxable. What will be the Gross Dividend of the shareholder for the assessment year 1959-60 ?

Solution No 1—

For 1959-60

$$\frac{5,000 \times 200}{137} = \frac{10\,00,000}{137} = \text{Rs. } 7,299{\cdot}27$$

Illustration No. 2—

A shareholder gets Rs 92,125 as dividend from a company whose 25% profit is taxable. Find out the Gross Dividend of the shareholder for the assessment year 1959-60.

Solution No. 2—

For 1959 60

$$\frac{92,125 \times 100}{100-\left(25 \times \frac{31\,5}{100}\right)}$$

$$= \frac{95,125 \times 100}{92{\cdot}125} = \text{Rs. } 1,00,00$$

Illustration No. 3—

A shareholder receives Rs. 6,000 divideid from a company

whose full profit is taxable and Rs. 1,874 from another company whose 20% profit is taxable.

Find out the Gross dividend of the shareholder for the assessment year 1959-60

Solution No. 3—

For 1959-60 :

$$\frac{6,000\times200}{137}+\frac{1,874\times100}{100-\left(20\times\frac{31.5}{100}\right)}$$

$$= 8,759.12+\frac{1,874\times100}{93.7}=8,759.12+2,000$$

$$= \text{Rs. } 10,759.12$$

वित्त अधिनियम सन् १९५९ और लाभांश—

(१) इस अधिनियम के अनुसार कम्पनी के लाभांश में बहुत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, जोकि नीचे दिये हुए हैं—अभी तक लाभांश के ऊपर जो कर कम्पनी द्वारा दिया जाता था, उसे यह समझा जाता था कि कम्पनी यह कर अपने कोष से देती है, इसलिए अंशधारी को मिलने वाले लाभांश में कम्पनी द्वारा इस पर दिये गये कर को जोड़ दिया जाता था। इसी प्रथा को लाभांश का सकल करना कहा जाता था, परन्तु अब इस अधिनियम के द्वारा लाभांश को सकल करना बन्द कर दिया गया है, अर्थात् १ अप्रैल सन् १९६० से कोई भी ऐसे लाभांश सकल नहीं बनाये जायेंगे जिन पर कि सन् १९६०-६१ में कर देय होगा। इस नियम को नीचे दिए हुए चार्ट द्वारा समझाया गया है।

गत वर्ष	करदेय वर्ष	लाभांश को सकल बनाना
१९५८–५९	१९५९–६०	लाभांश को इस प्रकार सकल बनाया जाता था। $\frac{\text{शुद्ध लाभांश}\times २००}{१३७}$
१९५९–६०	१९६०–६१	लाभांश को सकल नहीं बनाया जायगा, परन्तु चूँकि प्रतिभूतियों के ब्याज की तरह इन पर आय कर काटा जायेगा, अतः $\frac{\text{शुद्ध लाभांश}\times १०}{७}$ किया जायेगा।

धारा १६ (२) जोकि लाभांश को सकल बनाने से सम्बन्धित है, आय-कर

अधिनियम से हटा दी गई है। इस योजना के बन्द करने से कोई विशेष अन्तर नही पड़ा है।

(२) यदि कोई कम्पनी किसी अंशधारी को अपने ऐसे लाभो में से लाभांश देती है जिस पर राज्य सरकार द्वारा कृषि आय कर लगाया गया है तो अंशधारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत देय आय पर धारा ४६ B के अनुसार कुछ छूट मिलेगी।

(३) वित्त अधिनियम सन् १६५६ मे आय कर अधिनियम की धारा १८ (३ D) को स्थानापन्न कर दिया है। अब कम्पनियाँ निर्धारित दर पर (Prescribed Flat Rate), जोकि आय कर के लिए २५% और सरचार्ज के लिए ५% है, लाभाश मे से आय कर काटकर केन्द्रीय सरकार को क्रैडिट किया करेंगी, जैसा कि सरकारी प्रतिभूतियो के ब्याज और करदेय ऋण पत्रो के ब्याज के सम्बन्ध मे किया जाता है। यह रकम कर निर्धारण के समय अंशधारी के व्यक्तिगत कर निर्धारण मे वापिस (Reimbursed) कर दी जायेगी। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यह धारा उन्ही कम्पनियो मे लगेगी जोकि ऐसे लाभाश घोषित करती हैं, जिन पर कि सन् १६६०-६१ मे कर लगेगा। जैसे—३० अप्रैल सन् १६५६ को समाप्त होने वाली वर्ष के लिये घोषित किये हुए लाभाशो पर यह योजना लागू हो जायेगी।

(४) इस अधिनियम के अनुसार धारा १८ (३ E) आय-कर अधिनियम मे जोड़ी गई है, जिसके अनुसार कर मुक्त अधिलाभाश पर कर काटने के सम्बन्ध में नियम दिये हुए है, परन्तु यह धारा उन्ही लाभो पर लगेगी जिन पर करदेय वर्ष सन् १६६० ६१ में कर लगेगा।

(५) इस अधिनियम मे आय-कर की धारा ४६ (C) को हटा दिया है।

(६) इस अधिनियम मे आय कर की धारा ३५ (१०) को भी हटा दिया गया है।

लाभांश को वर्तमान काल में सकल बनाने की विधि—

यद्यपि अब लाभाश को सकल नही बनाया जायेगा, जैसा कि अभी तक होता आया है, परन्तु अब इस पर प्रतिभूतियो के ब्याज की भाँति कर काटा जायगा, जोकि आय कर व सरचार्ज मिला कर ३० प्रतिशत होगा। अर्थात् यदि १०० रु० लाभाश के होंगे तो इसमे से ३० रु० कर काटकर कुल ७० रुपये ही लाभांश के रूप में दिये जायेंगे। अतः यदि शुद्ध लाभाश दिया हुआ हो तो इसे सकल इस प्रकार बनाया जायेगा :—

$$\frac{\text{शुद्ध लाभाश} \times १००}{७०} \text{ या } \frac{\text{शुद्ध लाभांश} \times १०}{७}$$

Illustration No. 4—

Mr A received the following net dividends on ordinary shares from various companies from May 1959 to March 1960 —

(a) Rs. 1,370 from X Co Ltd for the year ending 31st Dec., 1958, whose 100% profits are taxable

(b) Rs 2 740 from Y Co L d for the year ending 31st Jan 1959 whose 100% profits are taxable

(c) Rs 4 110 from Z Co Ltd for the year ending 31st March 1959 whose 100% profits are taxable

(d) Rs 2 100 from A Co Ltd for the year ending 30th June 1959

(e) Rs. 2 800 from B Co Ltd for the year ending 30th Nov 1959

(f) Rs 1 400 from C Co Ltd for the year ending 31st Dec 1959

Find out the amount of dividend to be included in the total income of A for income tax purposes and also the amount of tax credit

Solution No 4—

Name of the Co	Net Dividend received	Tax deducted at source	Gross Dividend	Tax credit
	Rs	Rs	Rs	Rs.
(a) X Co Ltd	1 370	not applicable	2 000	630
(b) Y Co Ltd	2 740	not applicable	4 000	1 260
(c) Z Co Ltd	4 110	not appl cable	6 000	1 890
(d) A Co Ltd	2 100	900	3 000	900
(e) B Co Ltd	2 800	1 200	4 000	1 200
(f) C Co Ltd	1 400	600	2 000	600
	14,520	2 00	21 000	6 480

Gross Dividend is Rs 21 000

Tax credit is Rs 6 480

Note—(i) In the first three cases dividend has been gros ed with this formula $\frac{\text{Net Div dend} \times 200}{137}$

(ii) In the last three cases d vidend has been grossed with this formula $\frac{\text{Net D v dend} \times 10}{7}$

Illustration No 5—

Shri X has investments in tax free Preference Shares and the amount of such dividend received from April 1959 to March 1960 is as under —

Name of the Co	*Tax free Pref %*	*No of Shares*	*Paid up value of each share*	*Out of Profit for the year*
			Rs	
A Co	5%	25	100	30 6 1959

B. Co	6%	30	100	31- 8-1959
C. Co	7%	150	100	31-10-1959

Find out the amount of Tax free Pref. Dividend, tax credited and the total dividend income according to Sec. 18 (3E).

Solution No 5—

Tax free Pref. %	*No of Shares*	*Paid up value of each Share*	*Total Share in paid up Capital*	*amount of Dividend*
		Rs	Rs	Rs
5%	25	100	2,500	125
6%	30	100	3 000	180
7%	150	100	15,000	1,050
			Total Dividend received	Rs 1,355

Total dividend income according to sec. 18 (3E) will be calculated in the following manner.

When net income is Rs 70 Total income is Rs 100

" " " 1 " " $\frac{100}{70}$

" " " 1,355 " $\frac{100}{70} \times 1\ 355$
$= Rs. 1,935{\cdot}71$

Therefore the amount of tax credited is Rs 1 935 71 — Rs. 1,355 i.e. Rs 580 71*

पूँजी हानि को प्रतिसाद करना और आगे ले जाना (Set off and Carry Forward of Capital Losses)—

पूँजी हानि को उसी वर्ष के पूजी लाभ से प्रतिसाद (Set off) करना चाहिए। यदि उस वर्ष का पूँजी लाभ पूँजी हानि को प्रतिसाद करने के लिये पर्याप्त न हो तो उसे अगले साल के पूँजी लाभों मे प्रतिसाद करना चाहिए। इस प्रकार की हानि अगले आठ साल तक ले जाई जा सकती है। यदि करदाता कम्पनी के अतिरिक्त अन्य प्रकार का है तो वह अपनी पूँजी हानि को तभी आगे ले जा सकता है जबकि वह ५,०००) से अधिक हो।

पूँजी लाभ (Capital Gains)—

एक ही लाभ एक व्यक्ति के लिए पूँजी लाभ और दूसरे के लिए व्यापारिक लाभ हो सकती है। आय कर अधिनियम के धारा १२ B के अनुसार उन पूँजी लाभो पर कर लगता है जोकि ३१ मार्च सन् १९४६ के बाद और १ अप्रैल सन् १९४८ के पहले पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने से या बेचने से प्राप्त हुए हो और इस प्रकार के

* Tax is credited at the rate of 30 p. c. according to Sec. 18 (3E)

लाभ उस गत वर्ष की आय समझे जायेंगे जिसमें कि यह हस्तान्तरण या बिक्री हुई है। १ अप्रैल सन् १९४८ से ३१ मार्च सन् १९५६ तक पूंजी लाभ पर कोई कर नहीं लगता था।

पूँजी लाभ और फाइनेन्स एक्ट सन् १९५६—

सन् १९५६ के फाइनेन्स एक्ट के अनुसार ३१ मार्च सन् १९५६ के बाद से पूंजी लाभो पर कर लगने लगा है। जो पूंजी लाभ पूंजी सम्पत्ति (Capital Asset) के विक्री करने, हस्तातरण करने, छोडने अथवा विनिमय करने से प्राप्त होते हैं वे लाभ उस गत वर्ष की आय समझे जायेंगे जिसमे कि यह बिक्री, हस्तान्तरण, छूट या विनिमय हुए हो।

इस एक्ट की धारा १२-B (१) के (Proviso) १ व २ के अनुसार नीचे लिखी पूंजी सम्पत्ति कर लगाने के लिए बिक्री, विनिमय, छूट या हस्तान्तरित की हुई नही मानी जायगी :—

(१) किसी सम्मिलित परिवार के पूर्णतः या अशतः विभाजित होने पर बँटने वाली पूंजी सम्पत्ति,

(२) एक कम्पनी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी को पूंजी सम्पत्ति हस्तान्तरित करे जिसकी पूरी अश पूंजी उसके नियन्त्रण मे हो।

धारा १२–B (२) के अनुसार पूंजी आय मे से नीचे लिखी हुई कटौतियाँ घटाने के बाद शेष लाभ करदेय पूंजी लाभ माना जायेगा—

(१) पूंजी सम्पत्ति की बिक्री, विनिमय, छूट या हस्तान्तरण करने मे किया गया व्यय,

(२) पूंजी सम्पत्ति का करदाता के लिये असल मूल्य—इसमे वे सब पूंजी व्यय शामिल कर लिए जायेंगे, जो इसे बढाने या इसमे परिवर्तन करने के लिए किए गये हो, परन्तु वे व्यय शामिल नही किये जायेंगे जिनके लिए धारा ८, ६, १० और १२ मे छूट मिल सकती है। पूंजी सम्पत्ति का अर्थ आगे समझाया गया है।

पूँजी लाभ पर कर लगाने के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण नियम—

(१) यदि कुल पूंजी लाभ ५,००० रुपये या इससे कम है तो इस पर कोई कर नही लगेगा।

(२) यदि पूंजी लाभ और अन्य आय मिलकर १०,००० रुपये से अधिक नही होती है तो भी पूंजी लाभ पर कर नही लगेगा।

(३) यदि किसी विवाहित व्यक्ति का पूंजी लाभ करदेय है तो इस पर कर लगाने के लिए दर इस प्रकार निकाली जायेगी—अन्य आय + पूंजी लाभ का $\frac{1}{2}$ = कुल आय। इस कुल आय पर आय-कर की दरो के हिसाब से औसत दर निकालनी चाहिए। इसी औसत दर के हिसाब से पूंजी लाभ की रकम पर आय कर निकाला जायगा।

पूँजी सम्पत्ति का अर्थ (Meaning of Capital Asset)—

"पूंजी सम्पत्ति" के अन्तर्गत करदाता की हर प्रकार की सम्पत्ति आती है, चाहे वह व्यापार, पेशे व व्यवसाय मे सम्बन्धित हो या नही, परन्तु नीचे लिखी हुई सम्पत्तियां इसमे शामिल नही की जाती है :—

(i) व्यापार, पेशे व व्यवसाय के लिए रखे हुए स्टाक, उपभोगनीय स्टोर्स या कच्चे माल,

(ii) निजी वस्तुयें, जैसे अस्थायी सम्पत्ति (पहनने के कपडे, गहने और फर्नीचर) जिन्हें करदाता ने स्वय के प्रयोग के लिए या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के प्रयोग के लिए रखी हो,

(iii) कोई भूमि जिससे प्राप्त होने वाली आय कृषि आय है,

[धारा २ (४ A)]

इस सम्बन्ध मे नीचे लिखी सूचनायें महत्वपूर्ण हैं :—

(अ) 'पूंजी सम्पत्ति' लेने वाले व करदाता मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घनिष्ट सम्बन्ध है और आय कर अधिकारी को यह विश्वास है कि यह बिक्री या हस्तान्तरण आदि कर बचाने के दृष्टिकोण से किया गया है तो इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति से विक्रय के समय की उचित कीमत के बराबर उस सम्पत्ति की भी कीमत मानी जायेगी।

(ब) यदि यह सम्पत्ति ऐसी है जिस पर करदाता ह्रास काट चुका है तो करदाता के लिए इस सम्पत्ति की वास्तविक कीमत इसका ह्रासित मूल्य (Written Down Value) होगा, जोकि धारा १० (२) (vii) के अनुसार, समायोजन होने से आयेगी।

(स) यदि 'पूंजी सम्पत्ति' करदाता को १ जनवरी सन् १९५४ के पहले प्राप्त हुई हो तो वह आय कर अधिकारी को सतुष्ट करने के बाद उस सम्पत्ति के प्राप्त करने वाली तिथि के उचित विक्रय मूल्य को सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य मान सकता है और इसमे से ह्रास की रकमें घटाई जा सकती हैं और धारा १० (२) (vii) के अनुसार समायोजन भी किये जा सकते हैं।

(द) यदि इस सम्पत्ति के विक्रय व विनिमय आदि के लिए पहले कभी कोई बातचीत या समझौते आदि हुए हो, जिनके अन्तर्गत कुछ रकम करदाता को प्राप्त हुई हो और उसे करदाता ने अपने पास रखा हो तो इसे वास्तविक कीमत निकालने के लिए घटा दिया जायगा।

लेखों के रखने की विधियाँ (Methods of Accounting)—

धारा १३ के अनुसार धारा १० और १२ के लिए आय व लाभ उस लेखा विधि के अनुसार लिखे जायेंगे, जिसका प्रयोग करदाता लगातार नियमित रूप से करता

चला आ रहा है, परन्तु यदि लेखा पुस्तको के रखने की कोई विधि लगातार नही अपनाई गई है या जो विधि अपनाई गई है उससे आय कर अधिकारी सन्तुष्ट नही है तो आय और लाभ का ठीक ज्ञान प्राप्त नही किया जा सकता है। ऐसी दशा मे आय का निर्धारण आय कर अधिकारी अपनी इच्छानुसार करेगा, इसलिए यह आवश्यक है कि करदाता अपनी लखा पुस्तकों के लिखने का ऐसा तरीका अपनाये, जिसके द्वारा उसकी सही आय का ज्ञान हो सके और एक विधि को एक बार अपनाने के बाद बार बार न बदले और यदि बदलने की आवश्यकता हो तो आय-कर अधिकारी की स्वीकृति लेने के बाद ऐसा करे।

भारतवर्ष मे हिसाब किताब रखने के लेखो की दो विधियाँ प्रयोग मे लाई जाती हैं :—

(१) भारतीय बही खाता प्रणाली (Indian System of Accounts)।
(२) अँग्रेजी दोहरा लेखा प्रणाली (English System of Accounting)।

भारतीय बहीखाता प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धान्तो पर आधारित है। इन दोनो प्रणालियो मे नीचे लिखी हुई विधियो के अनुसार लेखे किये जाते हैं—

(१) रोकड विधि (Cash System),
(२) व्यवसायिक विधि (Mercantile System),
(३) अन्य विधियाँ (Other Systems)।

रोकड़ विधि

(Cash System of Accounting)

रोकड़ विधि क्या है ?—

केवल नकद प्राप्ति और नकद व्यय को लिखने वाली पद्धति को रोकड विधि कहते हैं। उधार लेखे इस विधि मे नही किय जाते हैं।

कहाँ अपनाई जाती है ?—

अधिकतर वकील, अध्यक्ष और डाक्टर आदि इस विधि को प्रयोग मे लाते हैं। वास्तव में इस विधि का प्रयोग उस जगह उचित होता है जहाँ लाभ ज्ञात करने की इच्छा नही रहती है।

लाभ—

इस विधि से सबसे मुख्य लाभ यह है कि इस विधि को अपनाने वाले को किसी भी समय यह ज्ञात हो सकता है कि उसके पास रोकड शेष क्या है और कहाँ कहाँ से धन प्राप्त हुआ है और किन किन मदो पर व्यय हुआ है ?

हानि—

इस विधि से लाभ और हानि को ज्ञात नही किया जा सकता है। उधार सौदो

का लेखा न करने से लेखो मे गडबडी रहती है और आय-व्यय सम्बन्धी पूरा विवरण नही रहता है। यदि कोई व्यापारी इस प्रथा को अपनाता है तो उसको अपना सही लाभ व हानि ज्ञात नही हो सकता है।

व्यवसायिक विधि

(Mercantile System)

क्या है ?—

जिस विधि के अनुसार नकद और उधार दोनो प्रकार के सौदे लिखे जाते हैं, उसे व्यवसायिक विधि कहते हैं। प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित सभी आयो व व्ययो का लेखा किया जाता है। खाते इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि वे एक निश्चित अवधि का उचित लाभ या हानि और सम्पत्तियाँ व दायित्व दिखा सकें। अन्तिम स्टॉक का भी मूल्य ज्ञात किया जाता है।

कहाँ प्रयोग की जाती है ?—

सभी बडे व्यापारी इस पद्धति को प्रयोग मे लाते हैं, क्योंकि व्यापार मे लाभ-हानि ज्ञात करना अति आवश्यक होता है।

लाभ—

इस प्रणाली के दो मुख्य लाभ हैं—प्रथम, व्यापार का शुद्ध लाभ व हानि ज्ञात होना है। द्वितीय, व्यापार की स्थिति विवरण का सही पता लगता है।

अन्य विधियाँ—

ऊपर समझाई गई दो विधियो के अतिरिक्त अन्य कई विधियाँ लेखा करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। उनमे से एक विधि मिश्रित विधि (Mixed System) भी है। इस विधि के अनुसार व्यापारी कुछ लेखो को रोकड के हिसाब से और कुछ को व्यवसायिक विधि के हिसाब से रखते हैं। यह प्रथा सन्तोषजनक नही है।

हानि का प्रतिसाद (Set off Losses)—

धारा ६ मे भिन्न-भिन्न आयो को छः शीर्षको में बाँटा गया है। धारा २४ (१) के अनुसार यदि एक या एक से अधिक शीर्षको मे हानि हो तो उसे अन्य शीर्षक के लाभ से प्रतिसाद (Set off) किया जा सकता है।

एक ऐसी फर्म जो कि रजिस्टर्ड नही है, अपनी हानि को अपनी उसी वर्ष को दूसरी आयो से प्रतिसाद कर सकती है, परन्तु इस फर्म के साझेदार फर्म की हानि को अपनी अन्य आयों मे से प्रतिसाद नही कर सकते हैं। रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार फर्म की हानि को अपनी अन्य आयो मे प्रतिसाद कर सकते हैं, यदि फर्म स्वय अपनी अन्य आयो से हानि को प्रतिसाद न कर पाई हो।

सट्टे की हानियाँ केवल सट्टे के लाभों मे से ही प्रतिसाद की जा सकती है।

व्यापारिक हानियों को आगे ले जाना (Carry Forward of Business Losses)—

एक व्यापार की हानि को उसी वर्ष की अन्य आयो से प्रतिसाद किया जा सकता है। यदि सब हानि का प्रतिसाद (Set off) न हो सके तो इसे अगले वर्षों मे ले जाया जा सकता है। हानि को आगे ले जाने के सम्बन्ध में नीचे लिखे नियम है:—

(१) हानि आगे के ८ सालो तक ले जाई जा सकती है।

(२) शर्त यह है कि वह व्यापार जिसकी हानि आगे ले जाई जा रही है, चलता रहे। यदि वह व्यापार बन्द हो जाएगा तो हानि आगे नही ले जाई जा सकती है।

(३) इस हानि को अगले वर्षों मे या तो उसी व्यापार के लाभ से या अन्य किसी व्यापार के लाभ से प्रतिसाद किया जा सकता है।

(४) सट्टे की हानि को अगले वर्षो मे कवल सट्टे के लाभो मे से प्रतिसाद किया जा सकता है।

(५) केवल उसी व्यक्ति को हानि आगे ले जाने का अधिकार है जिसने कि हानि उठाई हो।

(६) यदि आगे ले जाने वाली हानि के साथ-साथ आगे ले जाने वाला ह्रास भी है तो अगले वर्ष हानि को प्रतिसाद पहले किया जायगा और ह्रास को बाद में।

(७) रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म की हानियो के प्रतिसाद व आगे ले जाने के सम्बन्ध मे भी ऊपर दिए हुए ही नियम लगते हैं।

एच और जे एक साझेदारी फर्म के साझेदार थे। एच की मृत्यु १४ अगस्त सन् १६५३ को हुई। १५ अगस्त सन् १६५३ को उसकी विधवा स्त्री और जे के बीच समझौता होने पर साझेदारी उसी प्रकार चालू रखी गई जैसे कि एच के समय थी। सन् १६५५-५६ की कर निर्धारण वर्ष मे विधवा ने सन् १६५४-५५ की हानि को व अपने पति के समय की हानियो को अपने लाभ के भाग में से set off करने की आज्ञा मांगी। अपैलेट ट्रिब्युनल ने यह आज्ञा दे दी, क्योकि विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप मे आई थी। यही कारण था कि उसे आय-कर अधिनियम की धारा २४ (२) का लाभ दिया गया।

[C. I. T. Bombay City V. Bai Maniben, June 30, 1959]

स्त्री की आय—

बहुत से व्यक्ति कर बचाने की दृष्टि से अपनी स्त्री को फर्म मे साझेदार बना लेते है या अपनी कुछ सम्पत्तियो को उसके नाम हस्तान्तरित कर देते है। यदि आय-कर अधिकारी के सामने इस प्रकार का कोई मामला आता है तो वह स्त्री को इस

प्रकार की आय को कर लगाने के लिए पति की आय मे जोड देता है, परन्तु यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि पति ने सम्पत्ति का हस्तान्तरण स्त्री को पर्याप्त प्रति-फल के बदले मे या अलग रहने के लिए किया है तो इस आय को पति की आय में नही जोडा जा सकता है।

कुल आय (Total Income)—

आय कर अधिनियम की धारा २ (१५) के अनुसार 'कुल आय' का आशय उस आय से है जिस पर करदाता से उसके निवास स्थान के आधार पर कर लिया जाता है और जो आय-कर अधिनियम मे दिये हुये तरीको के अनुसार निकाली जाती है, अर्थात् वेतन, प्रतिभूतियो का ब्याज, सम्पत्ति की आय, व्यापार का लाभ और अन्य आय को जोडकर 'कुल आय' निकाली जाती है। यह आय धारा ७, ८, ६, १०, १२, १२ B, १६, ४४ D, ४४ E और ४४ F के अनुसार निकाली जाती है।

कुल संसार की आय (Total World Income)—

धारा २ (१५) के अनुसार कुल आय मे सभी प्रकार की आयें शामिल होती हैं, चाहे उनका उपार्जन भारत मे हुआ हो या भारत के बाहर। वे आयें इसमें शामिल नहीं होती हैं जोकि कुल आय मे धारा ४ (३) के अनुसार सम्मिलित नही की जाती हैं तथा जो पूंजी लाभ कुल आय में शामिल नही होते हैं वही पूंजी लाभ कुल सासारिक आय मे भी शामिल नही होते हैं, परन्तु नीचे लिखी हुई आय यद्यपि कुल आय मे सम्मिलित नही की जाती है, फिर भी कुल सासारिक आय मे सम्मिलित की जाती है—धारा १४ (१) के अनुसार एक सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय मे से उसके सदस्य को मिली हुई आय।

कुल ससार की आय का महत्त्व—

कुल ससार की आय का निकलना केवल विदेशी के लिये करना पडता है, क्योकि उसकी कुल आय की कर की दर कुल ससार की आय को ध्यान मे रख कर निकाली जाती है।

अवयस्क की आय (Income of minor)—

कुछ चालाक व्यक्ति आय-कर बचाने के लिए अपनी सम्पत्ति बच्चे के नाम कर देते है या उसे फर्म मे साझेदार बना लेते हैं। इस बच्चे की आय उस व्यक्ति की कुल आय में, आय-कर निकालने के लिए जोड दी जाती है, परन्तु यदि इस सम्पत्ति का हस्तान्तरण उचित प्रतिफल के लिए या विवाहित लडकी के लिए किया जाता है तो इसकी आय उस व्यक्ति की आय मे नहीं जोडी जाती है।

बेनामी सौदे (Benami Transactions)—

जो व्यक्ति अपना कर बचाना चाहते है वे सौदो को दूसरे के नाम मे करवाते

है। जब कोई सौदा असली व्यक्ति के नाम में न होकर दूसरे व्यक्ति के नाम में होता है तो उसे बेनामी सौदा कहते है। आय-कर अधिकारी को यदि विश्वास हो जाय कि इस प्रकार का सौदा किया गया है तो वह इस सम्पत्ति की आय को भी असली व्यक्ति की आय मे जोडकर कर लगाता है।

QUESTIONS

1. In what circumstances is the income of one person treated as the income of another.

   (Agra. M. Com , 1960)

2 Under what circumstances can the incomes of the wife and a minor son of an assessee be included in his Total Income

   (Agra. B Com , 1952)

3. Define —

   (a) Total Income and total World Income in connection with the Income-tax Law

   (Agra, B Com , 1940, 45, 46, 50 59)

   (b) Cash System and Mercantile System of Accountancy.

   (Agra. B. Com , 1950)

   (c) Capital gains (Agra. B Com 1953, 55, 59, Raj, B Com, 1960)

   (d) Set off and Carry forward Losses

   (Agra B Com, 1942, 45, 49, 54, 56 59, Raj B Com, 1954, 59)

   (e) Dividend (Agra. B Com, 1955, 60)

4. Section 13 of the Indian Income tax Act, 1922 reads as follows .—

   "Income profits and gains shall be computed for the purpose of section 10 and 12 in accordance with the method of accounting regularly employed by the assessee

   Provided that if no method of accounting has been regularly employed or if the method employed is such that in the opinion of the income tax officer, the income, profits and gains cannot be properly deduced therefrom, then the computation shall be made upon such basis and in such manner as the income tax officer may determine'

   Comment on this section explaining in particulars the various methods of accounting that may be employed by the assessee

   (Agra, B Com , 1941)

5 Illustrate Grossing up of dividends for assessment purposes

   (Raj., B. Com , 1959)

अध्याय ११

ह्रास

(Depreciation)

आय कर अधिनियम धारा १० (२) (vi) के अनुसार नीचे लिखी हुई सम्पत्तियो पर काटा गया ह्रास स्वीकार व्यय माना जाता है :—

(अ) भवन।
(ब) मशीन।
(स) प्लाट, इसमे Vehicles, Books, Scientific Apparatus & Surgical Equipments भी शामिल है।
(द) फर्नीचर।

ह्रास को स्वीकार व्यय मानने का कारण—

व्यापारिक आय निकालते समय केवल आय व्यय ही स्वीकार व्यय माने जाते हैं, पूँजी व्यय स्वीकार व्यय नही माने जाते हैं, यद्यपि आय पैदा करने मे पूँजी सम्पत्तियाँ बहुत मदद करती हैं, अतः यदि इन सम्पत्तियो के ह्रास या घिसावट का ध्यान न रखा जाय तो अन्याय होगा। यही कारण है कि इन सम्पत्तियो पर इनके ह्रास के रूप में छूट दी जाती है।

ह्रास की छूट प्राप्त करने की शर्तें—

(१) ऊपर दी हुई चार प्रकार की सम्पत्ति के अतिरिक्त और किसी भी सम्पत्ति का ह्रास व्यापारिक लाभो मे से नही घटाया जा सकता है। जैसे, ऐसे अशो व प्रतिभूतियो (Shares & Securities) के मूल्य ह्रास को, जोकि पूँजी विनियोग के रूप मे रखे गए हो, स्वीकृत व्यय नहीं माना गया है।

[Punjab National Bank Vs. C. I. T.]

(२) करदाता केवल अपनी ही सम्पत्ति का ह्रास अपने व्यापारिक लाभ निकालने के लिए काट सकता है। यदि वह सम्पत्ति का मालिक नही है, वरन् केवल प्रयोग के लिए दूसरे की सम्पत्ति को ले रखा है तो इस सम्पत्ति का ह्रास स्वीकृत व्यय नहीं है। यदि करदाता ने दूसरे की सम्पत्ति पर कोई पूँजी व्यय किया है तो इसके लिए कोई ह्रास स्वीकृत नही किया जायेगा।

[Poona Electric Supply Co. Vs. C. I. T.]

(३) सम्पत्ति व्यवसाय के काम मे वास्तव मे लाई जाती हो। यदि कोई सम्पत्ति कुछ महीनो ही व्यापार के काम मे लाई जाती है तो उतने महीनो का ही ह्रास स्वीकार व्यय माना जायेगा।

(४) ह्रास पूरे महीनो का ही मान्य होता है।

(५) ह्रास केवल असल मालिक को ही मिलता है। यदि कोई सम्पत्ति किराया क्रय विधि (Hire purchase System) पर क्रय की गई है तो उस पर तब तक ह्रास स्वीकृत व्यय नही माना जायेगा जब तक कि यह तय न हो जाये कि उसे अन्त मे खरीद ही लिया जायगा।

(६) सम्पत्ति के केवल ह्रासित मूल्य (Written down value) पर ही निकाला हुआ ह्रास स्वीकृत व्यय होता है, परन्तु सामुद्रिक जहाज पर असली कीमत (Original Cost) के आधार पर भी ह्रास मिलता है।

(७) आय-कर अधिकारी के पास ह्रास के सम्बन्ध मे निश्चित विवरण (Prescribed Particulars) भेज देने चाहिये।

(८) ह्रास की रकम सम्पत्ति के असली मूल्य से अधिक नही होनी चाहिए।

आय-कर के दृष्टिकोण से स्वीकृत ह्रास के भेद (Kinds of depreciation from Income tax point of view)—

आय कर के दृष्टिकोण से ह्रास को ६ भागो मे बांटा गया है :—

(१) साधारण ह्रास (Normal Depreciation)— आय-कर अधिनियम के अनुसार भिन्न भिन्न सम्पत्तियो के लिए ह्रास की दरें निश्चित कर दी गई हैं। इन दरो के आधार पर प्रति वर्ष ह्रास काटा जा सकता है। इसी ह्रास को साधारण ह्रास कहते हैं। इन दरो की सूची अन्त मे दी हुई है। यह ह्रास सम्पत्तियो के ह्रासित मूल्य विधि से निकाला जाता है।

(२) अतिरिक्त शिफट का भत्ता (Extra Shift Allowance)— यह भत्ता केवल मशीन और प्लाट के लिए ही दिया जाता है। काम की अधिकता के कारण कारखानो को दो पारी (Double Shift) या तीन पारी (Triple Shift) चलाया जाता है। ऐसा करने से मशीन व प्लाट बहुत घिसते हैं, इसलिए इन पारियो के लिए दिया गया भत्ता 'अतिरिक्त शिफट का भत्ता' कहा जाता है।

इस भत्ते की दरें—

(अ) दो शिफट के लिए साधारण ह्रास का ५०%,

(ब) तीन शिफट के लिए साधारण ह्रास का १००%।

इस प्रकार के भत्ते के लिए वर्ष को ३०० दिन का माना जाता है, इसलिए

जितने दिनो दो शिफ्ट चली हो उतने दिनो का साधारण ह्रास निकाल कर ५० प्रतिशत करना चाहिए, इस प्रकार—

$$\frac{\text{वर्ष भर का साधारण ह्रास} \times \text{जितने दिनो दो शिफ्ट चली हो}}{३००} \times \frac{५०}{१००}$$

उदाहरण—एक मशीन का वर्ष भर का साधारण ह्रास २०० रुपये है और यह मशीन ६० दिन तक दो शिफ्ट चलाई गई है तो उसका अतिरिक्त शिफ्ट भत्ता ऊपर दिए हुए नियम की मदद से इस प्रकार निकाला जायेगा—

$$\frac{200 \times 60}{300} \times \frac{50}{100} = \text{२० रुपये}$$

(काट कर: 40, 20 / 5, 2)

जितने दिनो तीन शिफ्ट चली हो उतने दिनो के साधारण ह्रास का १०० प्रतिशत अतिरिक्त शिफ्ट भत्ता होता है, इस प्रकार—

$$\frac{\text{वर्ष भर का साधारण ह्रास} \times \text{जितने दिनो तीन शिफ्ट चली हो}}{३००}$$

उदाहरण—एक मशीन का वर्ष भर का साधारण ह्रास २०० रुपये है और यह मशीन ६० दिन तक तीन शिफ्ट चलाई गई है तो इसका अतिरिक्त शिफ्ट भत्ता ऊपर दिए हुए नियम के अनुसार इस प्रकार निकाला जायेगा—

$$\frac{200 \times 60}{300} = \text{४० रुपये}$$

(काट कर: 40 / 5)

(३) अधिक ह्रास (Additional Depreciation)—धारा १० (२) (vi-a) के अनुसार यदि कोई इमारत, मशीन या प्लान्ट ३१ मार्च सन् १९४८ के बाद बनाई गई है या क्रय की गई है तो उस पर प्रथम पांच वर्षों तक साधारण ह्रास के अतिरिक्त अधिक ह्रास भी दिया जा सकता है, जोकि साधारण ह्रास के बराबर होता है। परन्तु ३१ मार्च सन् १९५९ के बाद यह ह्रास नही दिया जायेगा; अर्थात् करदेय वर्ष सन् १९५९-६० से यह ह्रास बन्द कर दिया जायेगा।

(४) प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation)—

(अ) जो मकान १ अप्रैल सन् १९४६ और ३१ मार्च सन् १९५६ के बीच मे बना हो उस पर १५ प्रतिशत और दूसरे मकानो पर १०% प्रारम्भिक ह्रास दिया जाता है, परन्तु जो मकान ३१ मार्च सन् १९५६ के बाद मे प्रयोग में लाये जाते हैं उन पर प्रारम्भिक ह्रास नही दिया जाता है।

(ब) जो मशीनें या प्लाट १ अप्रैल सन् १६४६ और ३१ मार्च सन् १६५६ के बीच में क्रय की गई है और जो उन्नति छूट कटने के योग्य नहीं है उन पर २०% प्रारम्भिक (Initial) ह्रास दिया जाता है।

प्रारम्भिक ह्रास के सम्बन्ध मे नीचे लिखे हुए नियम महत्वपूर्ण हैं :—

(१) ह्रासित मूल्य (Written down value) निकालने के लिए प्रारम्भिक ह्रास घटाया नहीं जाता है।

(२) जब सम्पत्ति बेकार हो जाय या बेची जाय, उस समय बिक्री हुई सम्पत्ति पर लाभ व हानि निकालने के लिए प्रारम्भिक ह्रास को घटा देना चाहिए।

(३) जिस वर्ष सम्पत्ति क्रय की जाती है उस वर्ष साधारण ह्रास, अधिक ह्रास व प्रारम्भिक ह्रास सभी दिए जाते हैं, परन्तु ऊपर समझाये हुए सब नियमों के अन्दर ही ऐसा किया जाता है। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि प्रारम्भिक ह्रास मशीन व मकान के जीवन में केवल एक बार ही स्वीकृत किया जाता है। यह ह्रास ३१ मार्च सन् १६५६ मे बन्द कर दिया गया है।

(५) बिना अपलिखित हुआ ह्रास (Unabsorbed Depreciation)—जिस वर्ष व्यापार का लाभ कम होने के कारण पूरा ह्रास अपलिखित नहीं किया जाता है तो इस बचे हुए ह्रास को Unabsorbed Depreciation कहते हैं। आय कर अधिनियम के अनुसार इस बिना अपलिखित ह्रास को करदाता की उस वर्ष की अन्य आयो से काटा जा सकता है और यदि अन्य आयें न हों तो अगले वर्षों तक ले जाया जा सकता है, जब तक कि पूरी तरह से अपलिखित न कर दिया गया हो।

यदि बिना अपलिखित ह्रास के साथ व्यापार की हानि को आगे ले जाया गया है तो इस ह्रास की तुलना में हानि को पहले अपलिखित किया जायेगा। यदि यह व्यापार बन्द हो जाय, जिसका कि बिना लिखा हुआ ह्रास आगे ले जाया जा रहा है, तो व्यापार के बन्द होने के साथ ही साथ ह्रास का भी आगे ले जाना बन्द कर दिया जायेगा।

(६) तुलनात्मक ह्रास (Balancing Depreciation)—जब भवन, मशीन व प्लान्ट बेकार हो जाते है या पुराने हो जाते हैं या अन्य किसी कारण व्यापार में प्रयोग करने योग्य नहीं रहते है तो उन्हें बेचने से प्राप्त हुई रकम या उनकी Scrap Value की तुलना उस सम्पत्ति के ह्रासित मूल्य (Written down Value) से करते है। इस तुलना मे ह्रासित मूल्य उस सम्पत्ति के विक्री मूल्य या Scrap Value से जितना अधिक होता है, उतना ही तुलनात्मक ह्रास कहा जाता है। यदि उस सम्पत्ति का विक्रय मूल्य उसके ह्रासित मूल्य से अधिक हो तो उसे लाभ माना जाता है और उस पर कर लगता है, परन्तु यदि यह विक्रय मूल्य सम्पत्ति के क्रय

मूल्य से भी अधिक हो तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अन्तर को पूँजी लाभ माना जाता है और उस पर कर नही लगता है। यदि उस सम्पत्ति पर बीमा का रुपया मिले तो उसे भी सम्पत्ति की Scrap Value ही माना जायेगा। तुलनात्मक ह्रास की छूट लेने के लिए यह आवश्यक है कि उसे लेखा पुस्तको मे अवश्य लिखा जाय।

उन्नति छूट (Development Rebate)—

उन्नति छूट का उद्देश्य औद्योगिक उन्नति मे मशीनो के अधिक प्रयोग को उत्साहित करना है। धारा १० (२) (vi b) के अनुसार करदाता उस नई मशीन व प्लाट और नय जहाज पर जो ३१ मार्च सन् १६५४ के बाद केवल व्यापार के लिए ही प्रयोग करता है तो वह नीचे लिखी हुई दरो के साथ उन्नति छूट काट सकता है :—

(१) ३१ दिसम्बर सन् १६५७ के बाद लिए जाने वाले जहाज पर जहाज की असली कीमत की ४०% छूट दी जायेगी।

(२) १ जनवरी सन् १६५८ के पहले यदि कोई जहाज लिया गया है और यदि कोई मशीन या प्लाट लगाया गया है तो जहाज या मशीन या प्लाट पर २५% छूट दी जायेगी।

उन्नति छूट को आगे ले जाने के सम्बन्ध में नियम (Rules for Carry forward of Development Rebate)—

यदि किसी वर्ष कुल आय उन्नति छूट से कम है तो उतनी ही उन्नति छूट उस वर्ष अपलिखित (Write-off) की जायगी, जिससे कि कुल आय शून्य हो जाय और शेष उन्नति छूट अगले वर्ष ले जाई जायेगी। इस प्रकार उन्नति छूट को अधिक से अधिक आठ वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।

यदि किसी वर्ष करदाता की आय से उस वर्ष की उन्नति छूट व पिछले साल की उन्नति छूट घटानी है तो पहले पिछले साल की उन्नति छूट घटाई जायगी और बाद में उस साल को उन्नति छूट घटाई जायेगी। यदि पिछले कई सालो से उन्नति छूट लाई जा रही है तो सबसे पहले पुराने साल की उन्नति छूट घटाई जायेगी और बाद में क्रम से आने वाले सालों की उन्नति छूट घटाई जायेगी।

उन्नति छूट पाने का अधिकारी बनाने के लिए नीचे लिखी हुई शर्तें पूरी करनी पडेगी :—

(१) करदाता को जहाज या मशीन या प्लाट के सम्बन्ध मे पूरा विवरण देना चाहिए, और

(२) उन्नति की छूट का ७५% लाभ हानि खाते मे डेबिट किया जायेगा और एक सचित कोष मे क्रेडिट किया जायेगा। इसे अगले १० वर्षों तक व्यापार के लिए प्रयोग किया जायेगा, परन्तु लाभांश बाँटने के लिए या भारत के बाहर लाभ भेजने के लिए प्रयोग नही किया जायेगा।

परन्तु ऊपर का न० २ नियम उन कम्पनियो पर जिन्होने Electricity (supply) Act, 1948 के अन्तर्गत लाइसेन्स लिया है और उन जहाजो, प्लाट और मशीनो पर जोकि १ जनवरी सन् १६५८ के पहले ली या लगाई गई थी, लागू नही होता है।

जिस वर्ष जहाज लिया गया था या मशीन या प्लान्ट लगाया था उस वर्ष के अन्त से दस वर्ष के अन्दर किसी भी समय यदि करदाता द्वारा इस प्रकार का जहाज, मशीन या प्लान्ट सरकार को छोडकर किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तान्तरित किया जाता है तो इस प्रकार दी हुई छूट गलत मानी जायेगी।

क्या लारियाँ व बसें (Lorries and Buses) स्थापित (instal) की हुई प्लान्ट व मशीनरी हैं और क्या धारा १० (२) (vi b) के अनुसार इन पर उन्नति छूट (Development Rebate) मिलनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने इन दोनो प्रश्नो के उत्तर "हाँ" मे दिये हैं।

[C. I. T. of Madras V. Shri Rama Vilas Service (Private) Ltd. Oct. 26, 1959]

ह्रासित मूल्य (Written Down Value or W. D. V.)

यदि गत वर्ष मे कोई सम्पत्ति नई क्रय की गई है तो उसकी असली कीमत और यदि सम्पत्ति पुरानी खरीदी हुई थी तो उसमे ह्रास घटाने के बाद बची हुई रकम ह्रासित मूल्य कही जाती है। जो सम्पत्ति उपहार मे प्राप्त होती है, उसका ह्रासित मूल्य उस सम्पत्ति के पहले ह्रासित मूल्य व उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य मे जो भी कम हो, वही माना जायेगा।

अप्रचलन छूट (Obsolescence Allowance)—

साधारण अर्थ मे अप्रचलन का अर्थ उस ह्रास से होता है जो नई व अच्छी मशीनो के आ जाने से होता है। जब अधिक मात्रा मे और अच्छा माल बनाने वाली मशीनो का आविष्कार हो जाता है तो पुरानी मशीनो के मूल्य में कमी आ जाती है। इसी कमी को लेखापालक अप्रचलन कहते हैं। परन्तु आय कर मे अप्रचलन की छूट का आशय इस प्रकार है :—

यदि किसी सम्पत्ति पर ह्रास काटा गया है और ऐसी सम्पत्ति बेची जाती है तो एक अप्रचलन छूट (Obsolescence allowance) और मिलेगी, यदि उसका ह्रासित मूल्य (Written Down Value) उसकी बिक्री मूल्य से अधिक है। अर्थात् ह्रासित मूल्य जितनी रकम से बिक्री मूल्य से अधिक है उसे अप्रचलन छूट कहते हैं।

ह्रास की दरें (Depreciation Rates)—

आय कर अधिनियम के अनुसार नीचे लिखी हुई दरो पर साधारण ह्रास

काटा जा सकता है। ये दरें Indian Income-tax Rules सन् १६२२ के ८ वें नियम में दी हुई हैं, जो कि इस प्रकार हैं :—

सम्पत्ति	दर
इमारत—	
(१) प्रथम श्रेणी	२½%
(२) द्वितीय श्रेणी	५%
(३) तृतीय श्रेणी	७½%
(४) अस्थाई	कोई दर निश्चित नहीं है। इनके Renewals का व्यय मान्य है।
फर्नीचर और फिटिङ्ग—	
(१) सामान्य	६%
(२) होटल, सिनेमा और बोर्डिङ्ग मे प्रयोग किये जाने वाले	६%
मशीन और प्लान्ट—	
(१) सामान्य	७%
(२) आटा मिल, चावल मिल, हड्डी मिल, शक्कर मिल, बर्फ का कारखाना, दियासलाई का कारखाना, चाय का कारखाना, जूतो का कारखाना	६%
(३) कागज, दफ्ती, जहाज बनाना, लोहा, तांबा, तेल निकालना, मोटर कार की मरम्मत करना, सीमेंट की फैक्टरियाँ आदि	१०%
(४) रबर और प्लास्टिक के कारखाने	१२%
(५) सिल्क बनाने के कारखाने	१२%
(६) नमक के कारखाने	१५%
(७) बिजली की मशीन — बैटरी	२०%
(७) बिजली की मशीन — अन्य मशीनें	१०%
(८) सिनेमा की फिल्म बनाने मे प्रयोग आने वाली	२०%
(६) बिजली की रेलें	६%
(१०) हवाई जहाज	३०%
(११) सूती कपडे की मशीन	१०%
(१२) जूट की मशीन	६%
(१३) ऊनी कपडे की मशीन	१०%
(१४) ट्यूबवैल बोरिंग प्लान्ट	१२%
(१५) गणना करने की मशीन, टाइप राइटर व अन्य दफ्तर की मशीनें।	१५%

(१६) मोटर कार — २०%

(१७) चीड़ फाड़ के औजारों के लिए — १५%

(१८) शकर के कोल्हू पर — १८%

(१९) मोटर टैक्सी पर — २५%

(२०) रेलवे लाइन पर — ७%

(२१) शीशे के सामान बनाने वाले कारखानों की मशीनों पर — २०%

(२२) बाँध बनाने वाले प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टर्स पर — २५%

(२३) मोटर ट्रक — २५%

(२४) हिसाब करने की मशीनें व टाइपराइटर — १५%

Illustration No 1—

Mr. *X* purchased and installed a new machine for Rs 30 000 on 1st Dec , 1950 Rate of Depreciation allowable is 10% The machine was used Double Shift in 1952 53 for 50 days and Triple Shift in 1953 54 for 100 days. Find out the depreciation for assessment year 1956 57

Solution No 1—

Assessment year —			Rs
1951-52	Cost of machine		30,000
	Depreciation Allowance	Rs	
	Initial Depreciation	6,000*	
	Normal Depreciation	1 000	
	Additional Depreciation	1 000	2 000
1952-53	Written Down value		28 000
	Depreciation Allowance		
	Normal Depreciation	2 800	
	Additional Depreciation	2 800	5 600
1953-54	W D V.		22,400
	Depreciation Allowance		
	Normal Depreciation	2 240	
	Additional Depreciation	2.240	
	Extra Shift Allowance		
	$\left(\frac{2\,240 \times 50}{300} \times \frac{50}{100}\right)$	186 66	4 666 66
1954 55	W D V.		17,733 34
	Depreciation Allowance		
	Normal Depreciation	1,773 33	
	Additional Depreciation	1,773 33	
	Extra Shift Allowance		

$\left(\frac{1\,773\,33 \times 100}{300}\right)$	591 11	4 137 77
1955 56 W D V		Rs, 13 595 57

Depreciation Allowance	
Normal Depreciation	1,359 56
Additional Depreciation	1 359 56
	Rs 2 719 12

Depreciation for assessment year 1956 57 is Rs 2 719 12

**Note*—(i) Initial Depreciation of Rs 6 000 for 1951 52 is not deducted for finding out Written Down Value

(ii) Machine was used double shift in 1952 53 but its assessment year is 1953 54 therefore its calculation has been made in 1953 54 assessment year The same rule applies in calculation of Triple shift

Illustration No 2—

The original cost of a machine was Rs 3 00 000 Its Written Down Value was Rs. 90,000 and Initial Depreciation amounted to Rs 60 000 What will be the position of Depreciation in the following cases —

(a)	If the machine was sold for	Rs 25 000
(b)	If the machine was sold for	Rs 40 000
(c)	If the machine was sold for	Rs 3 20 000

Solution No 2—

(a) When the machine is sold for Rs 25 000 —

	Rs
Written Down value	90 000
Less Initial Depreciation	60 000
W. D V	30 000
Less sale price	25 000
Balancing Depreciation	Rs 5 000

Note—Initial Depreciation is deducted in the end when Written Down Value is compared with the Sale price

(b) *When machine is sold for Rs* 40 000 —

	Rs
Written Down Value	90 000
Less Initial Depreciation	60 000
W D V	30 000
Sale price is	40 000
Taxable Profit	
(Rs 40 000—30,000)	Rs 10 000

(c) When machine is sold for Rs. 3,20,000 :—

	Rs.	
Sale price	3,20,000	
Original cost	3,00,000	
Capital Profit (non-taxable)	6,20,000	
W. D. V.	90,000	
Less Initial Depreciation	60,000	
W. D. V.	Rs 30 000	
Sale Price		3,20,000
Less Capital Profit		20,000
		3,00,000
Less W. D. V.		30,000
Taxable Profit		Rs 2,70,000

Illustration No. 3—

A company started business on 1 6-1949 with new machinery at a cost of Rs. 3,50,000. It closes its accounts in December every year On 1-1-1952 fire broke out in the factory and the machinery was destroyed. As the company insured the machinery it received a compensation of Rs. 1,50,000. Work out the profit or loss under section 10 (2) (vii) of the Income-tax Act to be assessed or allowed in the 1953-54 assessment of the company. The rate of depreciation in regard to the machinery in question is 10 per cent.

(C A. Final, May, 1953)

Solution No. 3—

Depreciation for accounting year 1949 or assessment year 1950 51 :

	Rs.
Initial Depreciation 20% of Rs. 3,50 000	70,000
Normal Depreciation 10% of Rs 3 50,000 for ½ year	35,000
Additional Depreciation : 10% of Rs. 3,50,000 for ½ year	35 000
Total Depreciation for the year	Rs. 1,40,000
Written Down Value for accounting year 1950 .	
Cost of Machinery	3,50 000
Less Normal and Additional Depreciation already allowed	70 000
Written down value for accounting year 1950	Rs. 2,80,000

Depreciation for Accounting year 1950 or
Assessment year 1951 52

Normal Depreciation 10% of Rs 2 80 000	28 000
Additional Depreciation 10% of Rs 2 80 000	28 000
Total Depreciation for year	Rs 56 000

Written down value for accounting year 1951

Written down value on 1 1 1950	2 80 000
Less Depreciation for 1950	56 000
	Rs 2 24 000

Depreciation for Accounting year 1951 or Assessment year 1952 53

	Rs
Normal Depreciation 10% of Rs 2 24 000	22 400
Additional Depreciation 10% of Rs 2 24 000	22 400
Total Depreciation for the year	Rs 44 800

Written down value for 1952

Written down value on 1 1 1951	2 24 000
Less Depreciation during 1951	44 800
	1 79 200

Written down value for purposes of section 10 (2) (vii)—Rs 1 79 200—Rs. 70 000 of initial depreciation = Rs 1 09 200

Compensation Recd	Rs 1 50 000
W D V	1 09 200
Taxable Profit	Rs 40 800

QUESTIONS

1 Write short notes on —
(a) W D V (Written Down Value)
(Agra B Com 1943 44 48 50)
(b) Unabsorbed Depreciation
(Agra B Com 1945 46 49 51 55 56
Alld B Com 1955)
(c) Obsolescence allowance. (Agra B Com 1950)
(d) Extra Shift Allowance (Agra B Com 1950 55)

2 Write short notes on —
(a) Initial depreciation (Agra B Com 1953 55)
(b) Additional Depreciation

(c) Normal Depreciation.

(d) Balancing charge. (Agra, B Com., 1955, 60)

3. Write short notes on —

(a) *Depreciation Allowances.* (Raj, B. *Com*, 1959)

(b) Development Rebate. (Agra, B Com., 1960, Raj., B Com., 1960)

4. What do you understand by the term depreciation ? Explain how the unabsorbed depreciation of one year can be allowed subsequently. Does the carry forward of depreciation in any way differ from the carry forward of losses ? Explain the provisions fully. (Raj, B Com, 1956)

अध्याय १२

करदाता—१

Assessee (1)
(Individual)

भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार नीचे लिखे भागो मे करदाताओ को बाँटा गया है :—

(१) व्यक्ति (Individual),
(२) सम्मिलित हिन्दू परिवार,
(३) फर्म,
(४) अन्य सस्थाए (Other association of persons),
(५) कम्पनी,
(६) स्थानीय सरकार (Local Authorities)।

ऊपर लिखे हुए करदाताओ में से प्रत्येक करदाता का वर्णन क्रम वार किया जायेगा। इस अध्याय मे हम एक व्यक्ति की कर देय आय का वर्णन करेंगे।

एक व्यक्ति नीचे लिखे साधनो से आय प्राप्त कर सकता है :—

स्वय की आय (वेतन आदि)
रजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग
अन्य सस्थाओ के लाभ का भाग
सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय का लाभ
अन रजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग

कम्पनी का लाभाश — **व्यक्ति (Individual)** — स्त्री को हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति से आय

अवयस्क को हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति से आय
अवयस्क को फर्म की साझेदारी से प्राप्त आय
स्त्री को फर्म की साझेदारी से प्राप्त आय
अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति से आय

ऊपर के चित्र मे दिखाये हुए भिन्न-भिन्न साधनो को नीचे समझाया गया है—

(१) स्वय की आय—इस आय का विवरण पिछले अध्यायों मे किया जा चुका है।

(२) सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय का भाग—यदि सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय प्राप्त करने मे व्यक्ति ने स्वय परिश्रम किया है तो इस परिश्रम के फलस्वरूप मिली आय पर कर लगेगा, परन्तु जो आय सम्मिलित हिन्दू परिवार से मिलती है उस पर कर नहीं लगता है।

(३) रजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग—यदि व्यक्ति इस फर्म का साझेदार है तो इस फर्म की आय का वह भाग जिसका कि वह अधिकारी है, उसकी आय मे जोड दिया जायेगा और उसे उसके ऊपर कर देना पडेगा।

(४) अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग—चूँकि अनरजिस्टर्ड फर्म को अपनी कुल आय पर कर देना पडता है, इसलिए उस व्यक्ति को जो कि इसका साझेदार है, इस फर्म से प्राप्त होने वाले अपने भाग को कुल आय में कर निर्धारण के लिए जोडना पडता है, परन्तु इस पर कर नही देना पडता है।

(५) अन्य सस्थाओ के लाभ का भाग—यदि व्यक्ति इन सस्थाओ का सदस्य है तो इनसे प्राप्त होने वाले अपने भाग को कुल आय मे कर निर्धारण के लिए जोडेगा, परन्तु इस पर कर नही देना पडेगा, क्योकि सस्थाओ को अपनी आय पर कर देना पडता है।

(६) कम्पनी का लाभाश—व्यक्ति की आय मे कम्पनी के लाभाश को सम्पूर्ण करने के बाद जोडा जाता है।

(७) स्त्री को हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति से आय।

(८) अवयस्क को हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति से आय।

(९) अवयस्क को फर्म की साझेदारी से प्राप्त आय।

(१०) अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति से आय।

इनका विस्तृत वर्णन अध्याय १० में किया गया है। ये सब आयें उस व्यक्ति की आय म जोडी जाती हैं जिसने सम्पत्ति को हस्तान्तरित किया है।

Illustration No 1—

Mr. X gets a salary of Rs 500 per month He uses his own house for residence, its municipal valuation is Rs 3 000 He has insured his life for Rs. 12 000 and pays a life insurance premium of Rs 300 yearly He is a member of Statutory P F. to which he contributes 2% of his salary and similar contribution towards this fund is made by his employer He invested Rs. 20 000 in 2% Govt. Bonds and Rs 10,000 in 3% Bombay Port Trust Bonds. His interest from bank deposit is Rs 600. Interest on accumulated balance of P. F. is Rs. 200

Find out his total income for the assessment year 1960-61.

Solution No 1—

Statement of Total Income

	Rs	Rs
Income from Salary		6,000
Interest from Securities		
2% Govt. Bonds	400	
3% Bombay Port Trust Bonds	300	700
Income from property		
Annual value	3,000	
Less ½ statutory allowance	1 500	
	1,500	
Since it is more than 10% of his income hence only 10% will be taken $\left(7300 \times \frac{1}{10} \times \frac{12}{11}\right)$ =	796	
Less Admissible deduction ⅙ for repairs	133	663
Interest from Bank Deposit		600
Total Income		Rs. 7 963

Exempted Income	Rs.
Contributions to P. F (by employee)	120
Insurance Premium	300
	420

Note—Calculations are made upto nearest rupee

Illustration No 2—

Mr Y gets a salary of Rs 700 per month, 3% of it he contributes towards a Provident Fund His employer also contributes

a similar amount towards it. His Fund is governed by P. F. Act 1925 Interest on his accumulated Balance of Provident Fund is Rs. 300 He is owner of one house, half of which is let Rs. 50 per month and the remainder is used by him for his own residence He pays Rs 200 Municipal Taxes, Rs 100 Fire Insurance Premium and Rs 60 Ground rent for it. The Municipal valuation of the house is Rs. 1,000 He purchased cum interest 3% Calcutta Municipal Debentures of the face value of Rs 30,000 on 1st Nov 1959 Interest on these debentures is declared on first January and first July each year. Collection charges for interest amount to Rs 20 Rs. 130 was paid as interest on a loan which he took for purchasing these debentures He pays Rs. 400 Life Insurance Premium for his life.

Find out his total income for 1960-61 assuming that the house was constructed in 1953

Solution No 2—

Statement of Total Income

			Rs
Salary			6 400
Interest from securities —		Rs	
3% Calcutta Municipal Debentures (for half year)		450	
Less —	Rs.		
Collection Charges	20		
Interest	130	150	
Taxable Income from Securities			300
Income from property —			
Rent of the house let		600	
Less ½ of Municipal Taxes		50	
Annual value of the portion let		550	
Value of residential portion (It is calculated on the basis of the portion let)		550	
Less ½ Statutory allowance		275	
Annual value of residential portion		275	
Total annual value of the house (Rs 550+275)		825	
Less Admissible Deductions —	Rs	Rs	
⅙ Repairs	137 5		
Ground Rent	60		

Fire Insurance Premimum	100	297 5	
Taxable Income from property			527 5
		Total Income	Rs. 9 227·5

	Rs
Exempted Income ·	
Provident Fund (by employee only)	252
Insurance Premium	400
	Rs 652

Illustration No 3—

Find out the total income of Mr Y from the following information .—

He gets a salary of Rs 600/- per month. He received Rs 500 interest from bank deposits, Rs 800 from Hindu undivided family as his share and Rs 500 from Registered Firm as his share of profit.

He held the following investments

3% Govt. Securities Rs. 10,000

2% Municipal Debentures Rs. 20,000

3% U. P. Govt. Loans Rs 30 000.

4% Improvement Trust Debentures Rs. 10 000

The Bank charges for collection of interest amounted to Rs. 150 He had two houses, which were constructed in 1953 One of them was let as Rs 200 per month and ¼ of the other house was let at Rs 25 per month. Remaining ¾ was used by him for his own residence He paid Rs. 300 as Municipal Taxes for both the houses. Municipal valuation of the first house was Rs. 2 000 and of the second house Rs. 1 000 His Income from Agriculture in India is Rs 400. He has a house attached to his agricultural plot, which is used for storing seeds and agricultural implements and other activities connected with Agriculture. The Municipal valuation of this house is Rs 2 500.

Find out his total income for the assessment year 1960 61.

Solution No. 3—

Statement of Total Income

	Rs.
Salary	7,200
Interest from securities	
3% Govt Securities	300
2% Municipal Debentures	400
3% U. P. Govt Loans	900
4% Improvement Trust Debentures	400
	2,000

Less			
Collection charges		150	
Income from securities			1 850
Rental value of the house		2 400	
Less ½ Municipal taxes		100	
Annual value of the house let	Rs	2 300	
Rental value of the rented portion of the house		300	
Less ½ of proportionate Municipal taxes		12 5	
Annual value of Rented portion	Rs	287 5	
Annual value of the residential portion in accordance with the portion let		862 5	
Less ½ statutory allowance		431 25	
	Rs	431 25	
Total Annual value of both the houses — (Rs 2 300+287 5+431 25)=	Rs	3 018 75	
Less ⅙ for repairs		503 12	2 515 63
Income from registered firm			500
Income from other sources			
Interest from bank deposits			500
Total Income			Rs. 12 565 63

Illustration No 4—

Following is the profit and loss account of Mr Shyam Sunder Shukla Chartered Accountant for the year 1959 60

To	Rs.	By	Rs
Office salaries	5 000	Audit Fees	25 000
Depreciation on Furniture	500	Institute Fee	20 000
Income tax	800	Interest on Investment (gross)	3 400
Depreciation on Motor car	300		
Bad debt	200		
Reserve for doubtful debts	150		
Miscellaneous Exp.	700		
Life Insurance Premium	900		
Net Profit	39 850		
Rs	48 400	Rs	48 400

Depreciation allowable on Furniture is Rs 400 and on Motor car Rs 200 Find out his total income for the assessment year 19 0 61

Solution No 4—

	Rs	Rs
Net Profit as disclosed by Profit and Loss account		39 850
Add expenses disallowed	Rs	
Income tax	800	
Reserve for doubtful debts	150	
Life insurance Premium	900	
Excess depreciation on Furniture	100	
Motor car	100	2 050
		41 900
Less		
Interest on Investments		3 400
Add Income from profession		38 500
Interest on Investment (Gross)		3 400
Total Income		Rs. 41 900

Illustration No 5—

From the following particulars find out the total Income of Mr X (ordinary resident) for the year ending 31st March 1960

(a) He and his wife are equal partners in a partnership business He has contributed full capital of the firm For the accounting year 1959 60 its assessable profits were Rs 30 000

(b) He is also employed at other place on a monthly salary of Rs 400/ and is a member of recognised provident fund He contributes 12% of his salary towards his P F. to which his emplyer contributes an equal amount The interest on his P F amounted to Rs 250/—

(c) He has transferred his assets to his minor child without any consideration Income from such assets is Rs. 3 000/

(d) He has made a benami transactian The fact is that he is the real owner Income from such transaction is Rs 4 000

(e) He has made a revocable transfer of assets to his wife the income from such assets is Rs 2 400

(f) He received Rs 9 000 from his life policy on expiry of the period for which the policy was taken

Solution No. 5—

	Rs.	Rs.
Salary	4,800	
Annual Accretion —		
Employee's Contribution to P. F		
in excess of 10% of his salary	96	
Interest in excess of ⅓ of his salary and		
prescribed rate of 6% per annum is	Nil	4 896
Income from Salary		
Income from Business		
From firm		15 000
Income from other sources :—		
His wife's share of Profit of		
the firm	15 000	
Income from Assets transferred		
to his minor child	3,000	
Income from Benami Transaction	4 000	
Income from revocable transfer to		
his wife	2,400	24 400
Total Income		Rs 44 296

QUESTIONS

1 How are the following incomes treated in the assessment of an individual who is resident and ordinary resident ? —

(a) Share of income from undivided Hindu Family

(b) Share of profit from unregistered firm

(Agra B Com. 1948 54)

2 Briefly explain the various sources of income of an individual

अध्याय १२

सम्मिलित हिन्दू परिवार

(Joint Hindu Family)

हिन्दू लॉ के अनुसार सम्मिलित हिन्दू परिवार मे वे सब व्यक्ति आते हैं जो एक ही पूर्वज की सन्तान होते हैं। इसमें उनकी पत्नियां और अविवाहित लड़कियां भी शामिल हैं। आय कर अधिनियम मे हिन्दू सम्मिलित परिवार का यह आशय नही है। इस अधिनियम के अनुसार हिन्दू सम्मिलित परिवार का आशय उस परिवार से है (अ) जिसकी सम्पत्ति एक साथ हो, (ब) उस परिवार के सदस्यो मे सहभागिता हो।

(अ) सम्पत्ति का एक साथ होना— इसका आशय उस सम्पत्ति से है जो पूर्वजो से प्राप्त होती है। या पूवजो मे प्राप्त हुई सम्पत्ति की मदद से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति भी सम्मिलित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति मानी जाती है। यदि सम्मिलित हिन्दू परिवार के किसी सदस्य ने कोई सम्पत्ति पैदा की और सम्मिलित हिन्दू परिवार के सुपुर्द कर दिया है और उस पर अपना व्यक्तिगत अधिकार नही रखा है तो यह सम्पत्ति सम्मिलित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति मानी जायगी। सम्मिलित हिन्दू परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति से प्राप्त हुई आय को भी इस सम्मिलित परिवार की आय माना जा सकता है, यदि यह आय सम्मिलित परिवार को बिना किसी प्रतिबन्ध के दे दी गई है।

(ब) उस परिवार के सदस्यो मे सहभागिता का होना—सम्मिलित हिन्दू परिवार में दो या दो से अधिक वयस्क ऐसे होने चाहिए जो कि बँटवारे के अधिकारी हो और अन्य व्यक्ति ऐसे हो जिनका पालन पोषण करना हिन्दू सम्मिलित परिवार के कर्त्ता का मुख्य कर्त्तव्य हो। परिवार का सबसे बडा व उत्तरदायी व्यक्ति कर्त्ता (Head) कहा जाता है। परिवार की आय पर कर देने का दायित्व इसी पर होता है।

हिन्दू सम्मिलित परिवार मिताक्षरा व दयाभाग द्वारा भारतवर्ष मे नियन्त्रित होता है।

हिन्दू सम्मिलित परिवार के विभाजन सम्बन्धी नियम—

(१) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार मे विभाजन होने के बाद भी सम्मिलित परिवार की तरह कर लगता है, जब तक यह विभाजन इनकम टैक्स अधिकारी को मान्य न हो।

(२) जब सम्मिलित परिवार से कुछ सदस्य अलग हो जाते है तो उन पर व्यक्तिगत रूप से कर लगता है।

(३) यदि परिवार की कुछ सम्पत्तियों का विभाजन हुआ हो तो उन सम्पत्तियों की आय प्रत्येक सदस्य की निजी आय मे जोड दी जायगी।

हिन्दू सम्मिलित परिवार मिताक्षरा और दयाभाग द्वारा नियंत्रित होता है। इन दोनो का सूक्ष्म विवरण नीचे किया जाता है :—

मिताक्षरा का नियम—

यह नियम बगाल को छोड कर सारे भारत मे लागू होता है। इसके अनुसार पुत्र अपने पूर्वजो की सम्पत्ति म पैदा होते ही अधिकार प्राप्त कर लेता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई पुत्र नही है तो उसे पूर्वजो की सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय पर व्यक्तिगत रूप से कर देना पड़ेगा। इस नियम के अनुसार विधवा व पुत्रियो को पिता की उपार्जित की हुई सम्पत्ति में कोई अधिकार नही होता है, उनके जीवन निर्वाह करने का भार सम्मिलित परिवार पर अवश्य रहता है। पिता की सम्पत्ति मे केवल पुत्रो को ही अधिकार होता है। सूक्ष्म में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मिताक्षरा नियम के अनुसार स्त्रियां हिन्दू सम्मिलित परिवार की भागीदार नही होती है।

दयाभाग नियम—

यह नियम केवल बगाल में लागू होता है। इस नियम के अनुसार पुत्र को पिता की मृत्यु के बाद ही पूर्वजो की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। पुत्र को न तो पिता की स्वय उपार्जित की हुई सम्पत्ति मे और न पूर्वजो की सम्पत्ति मे, पिता के जीवित रहते हुए, कोई अधिकार होता है, इसलिये पिता उसे जैसा चाहे प्रयोग करे, परन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात् पुत्रो को सारी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। किसी एसे पिता की मृत्यु होने पर जिसके कोई पुत्र नही था, उसकी स्त्रियाँ और पुत्रियां उसकी सम्पत्ति की भागीदार बनती हैं। यदि पिता के पास पूवजो की सम्पत्ति हो और उसकी स्वय की भी सम्पत्ति हो, परन्तु वह अकेला हो और सहभागिता का सदस्य न हो तो उस पर एक व्यक्ति की तरह कर लगाया जायेगा, परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों पर सम्मिलित हिन्दू परिवार की भाँति कर लगाया जाता है।

हिन्दू सम्मिलित परिवार के सम्बन्ध मे कुछ महत्वपूर्ण नियम—

(१) एक हिन्दू सम्मिलित परिवार के सदस्य की उस आय पर न तो कोई कर लगता है और न उसकी कुल आय मे ही जोडी जाती है जोकि उसे हिन्दू सम्मिलित परिवार से उसके सदस्य होने के नाते प्राप्त हुई है।

(२) हिन्दू सम्मिलित परिवार के सदस्य ने यदि किसी आय को स्वय उपार्जित किया है और इस आय को सम्मिलित परिवार की आय माने जाने के

उद्देश्य से परिवार में नही दिया है तो उसे इस आय पर व्यक्ति की हैसियत से कर देना पडेगा।

[Kalyanji Vithal Das Vs. C. I. T.]

(३) एक व्यापार करने वाले हिन्दू सम्मिलित परिवार का सदस्य यदि अपनी व्यक्तिगत हैसियत मे कोई व्यापार करता है तो इस व्यापार मे हुये लाभ उसकी व्यक्तिगत आय माने जायेंगे, चाहे इस सदस्य ने भले ही हिन्दू सम्मिलित परिवार मे इस व्यापार के लिए रुपया उधार लिया हो।

[Sir Padampat Singhania Vs. C. I. T 1953]

[C I. T Vs Thaver Bros.]

(४) यदि सम्मिलित हिन्दू परिवार का कर्त्ता सम्मिलित हिन्दू परिवार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझेदारी मे साझेदार बनता है तो इस कर्त्ता को साझेदारी से मिलने वाली आय सम्मिलित परिवार को आय मानी जायेगी।

[Dhanwatay Vs. C I. T. 1957]

[Kaniram Hazarimall Vs. C. I. T. 1955]

(५) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार के कर्त्ता ने एक कम्पनी के अश क्रय किये और अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उस कम्पनी का सचालक बनना स्वीकार किया। सचालक के रूप में मिली हुई फीस को उसकी व्यक्तिगत आय माना गया, परन्तु आय कर अधिकारियो ने उसकी इस आय को सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय मानना चाहा, क्योकि कर्त्ता ने कम्पनी के अश सम्मिलित परिवार की आय से खरीदे थे। न्यायाधीशो ने यह निर्णय दिया कि चूँकि यह आय कर्त्ता ने अपने परिश्रम से उपार्जित की है और सम्मिलित परिवार की सम्पत्ति को कोई हानि नही पहुँचाया है। इसलिए इसे व्यक्तिगत आय माना गया।

हिन्दू सम्मिलित परिवार का कर निर्धारण—

(१) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार की कुल आय पर एक व्यक्ति के अनुसार ही कर लगता है, परन्तु सम्मिलित हिन्दू परिवार यदि नीचे लिखी हुई शर्तों मे से एक को भी पूरा कर दे और ६,००० रुपये तक वार्षिक आय हो तो कर नही देना पडता है :—

(अ) परिवार मे दो से अधिक वयस्क ऐसे हो जो बँटवारे के अधिकारी हों।

(ब) यदि दोनो वयस्क न हो तो दोनो आदमी बँटवारे के अधिकारी हो और एक ही आदमी के Lineal Descendents न हो।

(२) इस परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य तथा उसकी स्त्री के जीवन बीमे पर जो प्रीमियम दिया जाता है तो उस पर आय-कर नही लगता है, परन्तु यह प्रीमियम सम्मिलित हिन्दू परिवार की आय के ⅙ या १६,००० रुपए से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। [धारा १५ (२)]

(३) यदि एक परिवार के सदस्य साझेदारी के रूप में व्यापार करें तो उनकी आय सम्मिलित आय नही मानी जायेगी । इस व्यापार का लाभ उनकी व्यक्तिगत आय मानी जायेगी ।

(४) एक हिंदू सम्मिलित परिवार में जो मिताक्षरा द्वारा नियन्त्रित होता है, यदि केवल एक ही पुरुष बचता है और उसके कोई पुत्र भी नही है, यद्यपि उसकी स्त्री व लडकियाँ है तो उस पर एक व्यक्ति की तरह कर लगेगा ।

(५) यदि हिन्दू सम्मिलित परिवार की एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद में पूर्वजो की सब सम्पत्ति की मालिक बन जाती है, क्योंकि इस परिवार में अन्य व्यक्ति नही है तो इस सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली उस स्त्री की आय पर व्यक्तिगत रूप से कर लगेगा ।

(६) हिन्दू उत्तराधिकार नियम सन् १९५६ (Hindu Succession Act, 1956) के अनुसार लडकियो को लडको के ही बराबर पूर्वजो की सम्पत्ति मे अधिकार प्राप्त हुआ है ।

Illustration No 1—

Following are the incomes of a Joint Hindu family Find out its total income, assuming that the property was constructed in 1954

	Rs.
The head of the family receives as director s fees	5 000
Taxable Business Income	25 000
Municipal valuation of property	12 000
Municipal Taxes on property	2 000

Solution No 1—

	Rs	
Municipal valuation of property	12 000	
Less ½ Municipal Tax	1 000	
Annual value of property	11 000	
Less ⅙ for repairs	1 833	9 167
Income from Business		25 000
Total Income	Rs	34 167

Note—Director s fees will be treated as personal income of the recipient

Illustration No 2—

From the following information find out the total income of a Joint Hindu Family assuming that property in this case was constructed in 1954 —

	Rs
Rental income from first house	25 000
Municipal valuation of residential house	10 000
Expenses incurred in criminal case	3 000
Income from Business	45,000
The Family paid Municipal Taxes for the first house	200

Solution No 2—

	Rs	Rs
Income from the first house	25 000	
Less ½ of Municipal taxes	100	
Annual value of the first house	24 900	
Less ⅙ for repairs	4 150	20 750
Annual value of residential house	10 000	
Deduct ½ or Rs 1 800 whichever is less	1 800	
	8 200	
But since it is more than 10% of the total income only 10% will be taken	7 172 7	
Less ⅙ for repairs nearest Rupee	1 195	5 977 7
Taxable Income of both the houses		26 727 7

Statement of the Total Income

Income from property	26 727·7
Business income	45 000
Total Income Rs	71 727 7

QUESTIONS

1. What is a Joint Hindu Family from Income tax point of view? Explain briefly the important rules of assessment regarding assessment of this family
2. Describe briefly the following from the point of view of Income tax
   (a)
   (b)
   (c)
   (d) } These parts relate to other topics
   (e) Hindu Joint Family

अध्याय १४

करदाता (२)

(Assessee 2)

साझेदारी से सम्बन्धित नियम भारतीय साझेदारी अधिनियम सन् १९३२ में दिये हुए हैं। इसी अधिनियम में रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म के सम्बन्ध में विवरण दिया हुआ है, परन्तु आय कर अधिनियम के अनुसार एक रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म में अन्तर करने के लिए धारा '२६ ए' का प्रयोग आवश्यक है। जो फर्म इस धारा में दिए हुए नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड होती है उसे रजिस्टर्ड फर्म कहते हैं और जो इस धारा में दिये हुये नियमों के अनुसार रजिस्ट्री नहीं कराती है उसे Unregistered फर्म कहते हैं।

फर्म की रजिस्ट्री कराने के उद्देश्य—

आय-कर अधिनियम के अनुसार एक फर्म की रजिस्ट्री कराने में सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसकी आय पर नीची दर से कर लगाया जाता है, इसलिए यदि कोई फर्म इस रियायत से लाभ उठाना चाहती है तो वह धारा '२६ ए' के अनुसार रजिस्ट्री करानी है।

रजिस्ट्री कराने की शर्तें (Conditions for Registration)—

आय कर अधिनियम के अनुसार किसी फर्म की रजिस्ट्री कराने से पहले नीचे लिखी हुई शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है :—

(१) साझेदारी की स्थापना साझेदारी संलेख के अनुसार होनी चाहिये। Padam Prashad Rattan Chand Vs. C. I. T., 1954 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि एक ऐसे फर्म के साझेदार को, जोकि साझेदारी संलेख को संयुक्त रूप से लिखते हैं कि वह पहले मौखिक प्रसंविदे के अनुसार साझेदार थे और उन्हीं शर्तों के अनुसार कार्य करते थे, जो कि इस संलेख में लिखी हुई हैं, रजिस्ट्री कराने से नहीं रोका जा सकता है।

(२) यह आवश्यक है कि साझेदारी सच्ची होनी चाहिये, अर्थात् यह Existence में हो। यह निर्णय Khinji Walji & Co. Vs. C. I. T, 1954 के मामले में दिया गया था।

(३) साझेदारी संलेख में यह साफ-साफ दिया दिया जाना चाहिए कि साझेदार का साझेदारी में क्या भाग होगा।

(४) फर्म द्वारा आय कर अधिकारी के पास एक प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्री कराने के लिए देना चाहिए।

रजिस्ट्री कराने की विधि (Procedure for Registration under the Income-tax Act)—

(१) धारा '२६ ए' के अनुसार फर्म द्वारा एक निश्चित फार्म (Prescribed Form) को आय कर अधिकारी के पास भेजना चाहिए। इस फार्म में यह अवश्य लिखना चाहिए कि साझेदारी की स्थापना साझेदारी सलेख के अन्दर हो गई है और प्रत्येक साझेदार का कितना भाग साझेदारी में है।

(२) इस प्रार्थना पत्र पर अवयस्कों को छोड़कर बाकी सब साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(३) यदि साझेदारी संस्था भारतीय साझेदारी अधिनियम सन् १९३२ के अनुसार या भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम सन् १९०८ के अनुसार पंजीकृत हो चुकी है तो इस फर्म को प्रार्थना पत्र गत वर्ष समाप्त होने के पहले देना चाहिए। यदि फर्म इन दोनों में से किसी अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं है और रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना पत्र पहली बार दिया जा रहा है तो फर्म के बनने के ६ महीने के अन्दर या गत वर्ष के समाप्त होने के पहले में से जो भी कम हो उस समय के अन्दर प्रार्थना पत्र देना चाहिए।

(४) आय कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अवधि के बाद दिये हुये प्रार्थना पत्र को भी स्वीकार कर सकता है, यदि उसे इस बात का विश्वास हो जाय कि कुछ आवश्यक कारणों के कारण फर्म निश्चित समय के अन्दर प्रार्थना पत्र नहीं दे सकी थी।

(५) इस प्रार्थना-पत्र के साथ साझेदारी संलेख लगा देना चाहिए।

(६) साझेदारी सलेख सहित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आय-कर अधिकारी को यह जाँच करनी चाहिए कि साझेदारी सलेख में दिये हुए अधिकार और दायित्वों व नियमों के अनुसार वास्तव में कार्य होता है या इस सलेख को सिर्फ दिखावे के लिए ही जोड़ दिया गया है, ताकि कर के दायित्व में रियायत मिल जाय।

(Sir Sunder Singh Majithia Vs. C. I. T , 1942)

(७) यदि प्रार्थना पत्र और साझेदारी सलेख दोनों से ही आय-कर अधिकारी सन्तुष्ट है और उसे इस बात का विश्वास है कि वास्तव में इस नाम की कोई फर्म कार्य कर रही है तो वह सलेख के नीचे (At the foot of the instrument) इस बात का प्रमाण पत्र लिख देगा कि रजिस्ट्री कर दी गई है।

(८) यह रजिस्ट्री केवल १ वर्ष के लिए ही होती है।

(९) आय कर नियमों में से ६ वें नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण (Renewal of Registration) के लिए प्रार्थना पत्र सम्बन्धित करदेय वर्ष के ३० जून के पहले भेजना चाहिए।

रजिस्ट्री के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत करना (Rejecting the application made for Registration)—

मद्रास हाई कोर्ट ने Raju Chattiar & Bros. Vs. C. I. T. के मामले में यह निर्णय दिया था कि यदि आय कर अधिकारी को यह पता लगता है कि नीचे लिखी बातो मे से कोई भी बात गलत है तो वह रजिस्ट्री के लिए दिए हुए प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है :—

(१) साझेदारी सच है या नही,

(२) साझेदारी सलेख मे लिखे हुए सभी साझेदार असली साझेदार हैं या नहीं,

(३) प्रत्येक साझेदार का अंश उचित रूप से लिखा गया है या नही,

(४) सलेख के अनुसार जो लाभ बांटे जायेंगे वे क्या वास्तव में कोई विशेष व्यक्तियो के लाभ होगे।

यदि आय कर अधिकारी को ऊपर लिखे हुए मामलो के बारे में केवल सन्देह ही होता है, परन्तु यह साझेदारी वास्तव मे सची है तो इसके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार नही किया जा सकता है।

(Central Talkies circut Matunga, In re)

आय कर अधिकारी रजिस्ट्री कराने के लिए दिए हुये प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर सकता है, यदि उसे यह विश्वास है कि सलेख के अनुसार बनाई हुई साझेदारी कानून की दृष्टि मे अवैध है या साझेदारी तो है, लेकिन कानून की दृष्टि में वह साझेदारी नही कही जा सकती।

(Hossen Kasam Dada Vs. C. I. T.)

फर्म की रजिस्ट्री को रद्द करना (Cancellation of the Registration) of Firm)—

यदि रजिस्ट्री करने के बाद आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि रजिस्ट्री कराने वाली शर्तों मे से कोई शर्त गलत थी, या फर्म झूठी थी, जिसको कि वह रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र देते समय नही जान पाया था, तो वह दिये हुए रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है।

यदि रजिस्ट्री कराने के लिए दी हुई आवश्यक शर्तों मे से सब शर्तों को पूरा किया गया है, फिर भी आय कर अधिकारी अपने दिए हुए प्रमाण-पत्र को रद्द कर

सकता है, यदि करदाता ने कोई ऐसी भूल की हो जिसके कारण Best Judgement Assessment किया जाता हो। [धारा २३ (४)]

फर्म पर कर लगाना (Assessment of Firms)—

फर्म की करदेय आय निकालने के लिए नीचे लिखे हुए नियमो को ध्यान मे रखना चाहिए :—

(१) फर्म के लाभ मे से ऐसी कोई भी रकम नही काटी जा सकती है जो कि फर्म के साझेदार को दी गई हो, जैसे :—

(अ) वेतन,

(ब) ब्याज,

(स) कमीशन,

(द) अन्य प्रकार का पारिश्रमिक।

[धारा १० (४) (b)]

(२) फर्म के लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष मे से उन व्ययो को हटा देना चाहिए जोकि धारा १० के अनुसार अस्वीकृत (Inadmissible) हैं।

(३) उन व्ययों को फर्म के लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष मे लिखना चाहिए जो कि धारा १० के अनुसार स्वीकृत हैं।

(४) फर्म के लाभ-हानि खाते के क्रेडिट पक्ष से पूंजीगत प्राप्तियो को हटा देना चाहिए।

(५) यदि कोई आय प्राप्ति छूट गई हो तो उसे फर्म के लाभ मे जोड़ देना चाहिए।

(६) यदि फर्म ने कोई दान दिये हो तो इन दोनो को लाभ-हानि खाते से हटा देना चाहिए।

(७) यदि एक फर्म के साझेदार से कर वसूल नही किया जा सकता है तो यह कर फर्म से वसूल किया जाता है।

(८) यदि फर्म के उपयोग मे किसी साझेदार का मकान लाया जाता है तो जो किराया फर्म इस साझेदार को देती है उसे फर्म के लाभ में से घटा देना चाहिए।

फर्म के लाभ-हानि खातो को धारा १० के अनुसार सुधार लेना चाहिए। इस प्रकार का सुधार करने के बाद प्राप्त हुए लाभ में साझेदार को मिली हुई सब रकमो को जोड़ देना चाहिए, चाहे वे किसी भी प्रकार उसे मिली हों।

Illustration No. 1—

Following is the Profit and Loss account of a firm for the year ending 31st March 1960.

Profit and Loss Account

		Rs.		Rs
General Expenses		3 000	Gross Profit	1,00 000
Office Salaries		2,000	Discount recd.	1 000
Subscription to Political Party		800	Other business Receipts	500
Interest —	Rs.		Commission recd.	50
X capital	1,000		Interest on Securities (gross)	3,000
Y capital	800			
Z capital	500	2,300		
Salary to Y		500		
Salary to Z		300		
Commission to X		200		
Bad debt Reserve		500		
Bad debt		100		
Depreciation (Allowable)		80		
Net Profit				
X 31,590				
Y 31,590				
Z 31,590		94,770		
	Rs.	1 04,550	Rs.	1 04 550

X, Y and Z are equal partners in the firm Find out the taxable income of the firm for the assessment year 1960-61 and allocate it amongst the partners for income tax purposes.

Solution No. 1—

	Rs.	Rs
Profit as disclosed by P. & L A/c.		94 770
Add —		
Subscription to political Party	800	
Bad debt Reserve	500	
Interest on capitals of X, Y, Z,	2,300	
Partners Salaries (500Y+300Z)	800	
Partner's Commission	200	4 600
		99 370
Less —	Rs	Rs.
Interest on Securities	2 000	
Dividends	1 000	3 000
Firms Income from business		96 370
Interest from securities (gross)		3,000

Total Income of the firm	99 370
Less Interest Salaries and Commission to Partners (2 300+800+200)	3 300
Balance Divisible to Partners Rs	96 070

Distribution of Firm's Income amongst Y Y, Z

Particulars	Y			Y			Z		
	Rs	a	p	Rs	a	p	Rs	a	p
Interest on Capital	1000	0	0	800	0	0	500	0	0
Salary	—	—	—	500	0	0	300	0	0
Commission	200	0	0	—	—	—	—	—	—
Profit (⅓ of 96 070 to each partner)	32023	5	4	32023	5	4	32023	5	4
Total Rs	33223	5	4	33323	5	4	32823	5	4

Illustration No 2—

X Y and Z are partners in a firm in which X gets a salary of Rs 2 000 Y Rs 1 000 and Z gets commission of Rs 700 according to their partnership deed They share profit and loss in the ratio of ⅓ ⅙ and ½ espectively Interest on their capitals amounted to X Rs 500 Y Rs 800 and Z Rs 2 000 The firm suffered a loss of Rs 5 000 before providing for partners salaries commission and interest on capital for the year ending 31st March 1960 How will the income of the firm be allocated amongst the partners in the assessment year 1960 61

Solution No 2—

		Rs
Firm s Loss		5,000
Add Inadmissible expenses		
Interest on capital		
	Rs	
X	500	
Y	800	
Z	2 000	3 300
Partner s Salary	Rs	
X	2 000	
Y	1 000	3 000
Partners s Commission (Z)		700
Loss of the firm		Rs. 12 000

Particulars	X	Y	Z
	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	500	800	2 000
Salary	2 000	1 000	
Commission			700
	2 500	1 800	2 700
Share of firm s loss	−4 000	−2 000	−6 000
	−1 500	− 200	−3,300

Illustration No 3—

L M and *N* are partners in a firm They share profits in the ratio of $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ and $\frac{2}{3}$ Firm's profit and loss account for the year ending 31st March 1960 is given below Find out the taxable income of the firm for the as essment year 1960 61 and distribute it amongst *L M* and *N*

Profit and Loss Account

		Rs		Rs
Office salaries		2 000	Gross Profit	2 000
General Expenses		1 000	Sundry Receipts	600
Commission to *L*		500	Net Loss	2 000
Interest on capitals	Rs			
L	600			
M	200	800		
Salary to *N*		300		
		Rs 4 600		Rs 4 600

Solution No 3—

	Rs	Rs
Loss as disclosed by profit and loss account		2 000
Less expenses disallowed		
Commission	500	
Interest or capital	800	
Partner s Salary	300	1 600
Loss of the firm		Rs 400

Particulars of Income	L	M	N
	Rs	Rs	Rs
Commission	500		
Salary			300
Interest on Cap tal	600	200	
	1 100	200	300
Share of firm s loss	− 333 33	− 333 33	−1 333 34
	+ 766 67	− 133 33	−1 033 34

रजिस्टर्ड फर्म (Registered Firm)—

आय-कर अधिनियम के अनुसार एक रजिस्टर्ड फर्म को अपनी आय-पर कर नही देना पडता था, परन्तु Finance Act, 1956 के अनुसार अब रजिस्टर्ड फर्म को अपनी आय पर कर देना पडता है। इस सम्बन्ध मे नीचे दिये हुए नियम महत्वपूर्ण हैं :—

(१) यदि रजिस्टर्ड फर्म की आय ४०,००० रुपये से अधिक है तो इस फर्म को कर देना पडता है।

(२) इस फर्म पर लगने वाले कर की दरें करदेय वर्ष सन् १९६०-६१ के लिए इस प्रकार हैं :—

(i) प्रथम ४०,००० रु० पर कुछ नही,

(ii) अगले ३५,००० रु० पर ५%,

(iii) अगले ७५,००० रु० पर ६%।

(iv) शेष पर ९%,

(३) रजिस्टर्ड फर्म की आय प्रत्येक साझेदार मे उसके लाभाश बाँटने के अनुपात मे विभाजित की जाती है।

(४) प्रत्येक साझेदार की अन्य आयो मे इस फर्म से प्राप्त होने वाली आय जोड दी जाती है और इस जुडी हुई आय पर उसे कर देना पडता है।

(५) प्रत्येक साझेदार को फर्म द्वारा दिये गये आय कर के अपने भाग पर अपनी व्यक्तिगत दरो पर छूट मिलती है।

(६) यदि कोई साझेदार विदेशी है तो फर्म को उसके लाभ के भाग पर कर देना पडता है।

(७) यदि आय-कर अधिकारी किसी साझेदार से कर वसूल नही कर पाता है तो वह कर भी फर्म से वसूल कर लिया जाता है।

(८) यदि रजिस्टर्ड फर्म को कोई हानि हुई है तो सर्व प्रथम फर्म के लाभ में से पूरी की जाती है और यदि फर्म की आय हानि पूरी करने के लिए पर्याप्त न हो तो उसे साझेदारो मे बाँट दिया जाता है और साझेदारो की अन्य आयो से अपलिखित कर दी जाती है। यदि साझेदारो की भी आयो से हानि को पूरा न किया जा सके तो साझेदार इसे अगली साल ले जायेंगे और ले जाये जाने वाले व्यापारिक हानि की तरह अपलिखित करेंगे।

(९) कभी कभी रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार फर्म के लाभ को उस अनुपात में नही बाँटते है जिसमें कि लाभ बाँटना निश्चित किया गया था। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि आय कर बचा सकें। यदि ऐसा करने से किसी साझेदार की आय आय-कर की न्यूनतम् सीमा से कम हो

जाय तो आय-कर अधिकारी धारा २८ (२) के अनुसार ऐसे साझेदार पर आर्थिक दण्ड लगा सकता है।

Illustration No. 4—

Lean, Thin and Strong are equal partners of a Registered Firm which made a profit of Rs. 60 000 from business for the year ending 31st March, 1960. Find out the taxable income of the Firm for the as essment year 1960-61 and also the position of partners in relation thereto when their other incomes are Rs. 8,000, Rs. 3,000 and Rs. 2,000 respectively.

Solution No. 4—

Tax on the firm's profit Rs 60,000 will be calculated as below —

On first	Rs. 40,000	Nil
On next	Rs. 20,000 @ **5%**	1,000

Position of Partners

	Lean	Thin	Strong
	Rs.	Rs	Rs.
Profit of Registered Firm	20,000	20,000	20,000
Income from other sources	8 000	3 000	2,000
Rs.	28,000	23,000	22 000

Lean will pay tax on Rs. 28,000 }
Thin will pay tax on Rs. 23 000 } All of them will get a rebate on Rs 333 3.
Strong will pay tax on Rs. 22,000 }

Note—The amount of Rs. 333·3 is arrived at by dividing Rs. 1,000 by 3, because all the partners are sharing profits equally.

अनरजिस्टर्ड फर्म (Unregistered Firm)—

आय-कर अधिनियम के अनुसार अनरजिस्टर्ड फर्म के सम्बन्ध मे नीचे लिखे हुए नियम महत्वपूर्ण हैं :—

(१) इस फर्म को अपनी आय पर एक व्यक्ति की तरह कर देना पडता है।

(२) इस फर्म के लाभ को इसके साझेदारो मे बांट दिया जाता है और यह लाभ उनकी अन्य आयो के साथ जोड दिया जाता है।

(३) प्रत्येक साझेदार को फर्म से प्राप्त हुये लाभ पर आय-कर तो नहीं देना पडता है, परन्तु उसकी करदेय आय की दर बढ जाती है, क्योंकि फर्म का लाभ उसकी करदेय आय मे जोड दिया जाता है।

(४) यदि फर्म की कुल आय कर लगने वाली न्यूनतम् सीमा से कम है तो

इसके साझेदारो से फर्म से प्राप्त होने वाले लाभ पर कर ले लिया जायेगा। यह आय उनकी अन्य आय मे जोड दी जावेगी।

(५) यदि इस फर्म को कोई हानि हुई है तो इसे फर्म ही अपनी आय से पूरा करेगी, साझेदार नही। यदि उस वर्ष फर्म की हानि पूरी न हो सके तो फर्म उसे अगले वर्ष की आय से पूरा करेगी।

रजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म मे अन्तर

रजिस्टर्ड फर्म	अनरजिस्टर्ड फर्म
(१) यदि इसकी आय ४०,००० रु० से कम हो तो इसे अपनी आय पर कोई कर नही देना पडता है।	(१) यदि इसकी आय कर देने की न्यूनतम् सीमा से कम है तो इसे कर नही देना पडेगा।
(२) यदि इसकी आय ४०,००० रु० से अधिक है तो इसे कर देना पडता है। (Special rates से)	(२) यदि इसकी आय कर देने की न्यूनतम सीमा से अधिक है तो इसे एक व्यक्ति की तरह कर देना पडता है।
(३) इसके लाभ को इसके साझेदारो की अन्य आय मे उनके लाभ बाँटने के अनुपात मे जोड दिया जाता है और प्रत्येक साझेदार को अन्य आयो के साथ फर्म के लाभ पर भी कर देना पडता है।	(३) इस फर्म के लाभ को साझेदारो की अन्य आय मे कर की दर निर्धारित करने के लिए जोड दिया जाता है, परन्तु इस फर्म से मिले हुए लाभ पर साझेदार को कर नही देना पडता है।
(४) इस फर्म की हानि को सर्व प्रथम फर्म की आय से पूरा किया जाता है और यदि फर्म की आय अपर्याप्त है तो इस हानि को इसके साझेदारो की अन्य आयो से पूरा किया जाता है। यदि साझेदारो की आय हानि पूरी करने के लिये अपर्याप्त है तो वे इसे अगले वर्ष ले जा सकते हैं।	(४) यह फर्म अपनी हानि को अपनी ही आय से पूरा कर सकती है, साझेदारों की आय से नही। यदि इस फर्म की आय हानि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है तो फर्म इसे अगली साल ले जाकर अपनी ही आय से पूरा करेगी।
(५) यदि फर्म पर कर लग चुका है, तो प्रत्येक साझेदार को फर्म द्वारा दिये गये आय कर के अपने भाग पर छूट मिलती है	(५) यदि फर्म की आय कर देने की न्यूनतम् सीमा से कम है तो इस आय पर इसके साझेदारो को अपनी अन्य आयो के साथ कर देना पडता है, परन्तु इन साझेदारो को कोई कर की छूट नही मिलती है।

(६) रजिस्टर्ड फर्म को कभी भी अन-रजिस्टर्ड फर्म की तरह से नही माना जाता है, परन्तु रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण (renewal) का प्रार्थना पत्र हर वर्ष ३० जून के अन्दर देना चाहिए।	(६) अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड फर्म की तरह माना जा सकता है। ऐसा तब होता है, (अ) जबकि आय कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड मान कर कर लगाने से अधिक आय प्राप्त होगी। (ब) या अनरजिस्टर्ड फर्म रजिस्ट्री के लिये नियमानुसार आवेदन करे।

Illustration No. 5—

Good, Bad and Indifferent are equal partners of a firm. Their Profit and Loss A/c. for the year ending 31st March 1960 is given below —

Profit and Loss Account

		Rs.			Rs.
Office Salaries		2,000	Gross Profit		600
Interest on capital ·	Rs		Net Loss	Rs.	
Good	4,000		Good	3,400	
Bad	1,500		Bad	3,400	
Indifferent	2,500	8 000	Indifferent	3 400	10,200
Salaries					
Good	500				
Bad	100	600			
Commission .					
Indifferent	150				
Bad	50	200			
	Rs.	10 800		Rs	10 800

After taking the following information into consideration, point out how the assessment would be made when (i) the firm is registered and (ii) when the firm is unregistered

Good's taxable Income from other sources was Rs. 4,000, Bad's income from other sources was Rs 750, and Indifferent had no other income.

Solution No 5—

		Rs.
Loss as disclosed by Profit & Loss A/c		10,200
Less —	Rs.	
Interest on capital	8 000	

Partner's salaries	600	
Partner's Commission	200	8,800
Loss of the firm from Income tax point of view		Rs. 1,400

Particulars of Income	Good	Bad	Indifferent
	Rs.	Rs	Rs.
Salary	500	100	
Commission		50	150
Interest on Capital	4,000	1,500	2,500
Share of firm's loss	—3 400	—3,400	—3 400
Rs	1 100	—1 750	—750

Following will be the position of Good, Bad and Indifferent when the firm is registered —

Good	will have to pay income tax on Rs. 5,100 which is total of his other income Rs 4 000 and his share of firm's income Rs 1,100.
Bad	will set off his firm's loss of Rs. 1,750 only to the extent of Rs 750 out of his income from other sources Remaining loss of Rs 1 000 will be carried forward for next eight years by him In those years he will set it off either from firm's profit or in the absence of it, from his other business profits
Indifferent	will carry forward his loss to next eight years and will set it off either from the same firm's share of Profit or in the absence of it from his other business profits.

Following will be the position of all the partners of the firm when the firm is unregistered.

Firm	will carry forward its loss or Rs 1,400 to the next eight years and will set it off from its income
Good	His share of profit of Rs 1,100 will be added to his other income of Rs 4,000 for determination of tax
Bad	will not set off his share of firm's loss from his other income He will not pay any tax as his other income is less than minimum taxable limit
Indifferent	will not carry forward the firm's loss to next year

Illustration No 6—

A and *B* are partners of an unregistered firm. The net profit

for the year ending 31st March 1960 is Rs. 20 000 after allowing Rs 4 000 and Rs 5,000 salary for *A* and *B* respectively and Rs 2 000 and Rs 3,000 interest on their capital accounts Find out the firm s taxable profits and distribute it amongst *A* and *B*

Solution No 6—

Particulars of Income	A	B
Salary	4 000	5 000
Interest on capital	2 000	3 000
Profit	10 000	10 000
Rs	16 000	18 000

	Rs	Rs.
Profit as disclosed by P & L A/c		20 000
Add —		
Salary		
A	4 000	
B	5 000	9 000
Interest on capital		
A	2 000	
B	3 000	5 000
Firm's taxable Profit	Rs	34 000

Illustration No 7—

Good and Intelligent are equal ordinary resident partners in a firm Its P & L A/c for the year ending 31st March 1960 is as follows —

Profit & Loss Account

		Rs		Rs.
Office Expenses		1 500	Gross Profit	20 000
Rent		300	Bank Interest	550
Repairs		200		
Interest on Capital				
Good	800			
Intelligent	900	1 700		
Salary of Good		100		
Commission of Indifferent		50		
Sales tax		1 000		
Depreciation Reserve		1 500		
Bad Debts		200		
Advertising		4 500		
Subscription				
(a) Trade	300			
(b) Charity	200	500		
Net profit		9 000		
	Rs	20 550	Rs.	20 550

After taking following information into consideration compute the taxable profit of the firm and allocate it amongst the partners. Advertising expences include Rs 1,000 cost of permanent sign.

Solution No. 7—

	Rs.	Rs
Profit as disclosed by P. & L A/c		9,000
Add inadmissible expenditures		
Interest on Capital	1,700	
Depreciation Reserve	1,500	
Partner's Salary	100	
Advertisement (Capital Exp.)	1,000	
Charity	200	
Indifferent Commission	50	4,550
Firm's taxable Profit		Rs 13,550
Firms Taxable Profit		13,550
Less Interest, Salary and Commission to Partners (1,700+100+50)		1,850
Balance divisible amongst partners		Rs. 11,700

	Good	Indifferent
	Rs.	Rs.
Commission		50
Salary	100	
Interest on Capital	800	900
Profit ($\frac{1}{2}$ of 11,700 to each partner)	5,850	5,850
Rs.	6 750	6,800

फर्म की समाप्ति (Dissolution of a firm)—

आय कर अधिनियम की धारा ४४ के अनुसार एक फर्म की समाप्ति (Dissolution) के सम्बन्ध मे नीचे लिखे हुए नियम महत्त्वपूर्ण हैं :—

(१) यदि फर्म का व्यापार, पेशा या व्यवसाय बन्द हो जाये तो उन सब लोगो पर जो कि इसकी समाप्ति के समय साझेदार थे, कर लगाया जायेगा ।

(२) यदि फर्म पर कर लग चुका था और उसने अदा नही किया था, तो सब साझेदारो को भुगतान करना पडेगा ।

(३) साझेदार फर्म पर कर लगाने या फर्म द्वारा कर भुगतान करने के दायित्वो मे सम्मिलित व पृथक दोनो ही रूप से उत्तरदायी होते हैं ।

(४) यदि फर्म के गत वर्ष के लाभ के अतिरिक्त पुराने वर्षों के लाभों पर कर लगना हो या कर देना हो तो उस दायित्व का भी भार सब साझेदारों पर है।

(५) इस प्रकार के कर लगाने (Assessment) पर आय कर अधिनियम के अध्याय ४ में दिए हुये सब नियम लगेंगे।

(६) धारा ४४ केवल उन्हीं साझेदारियों पर लगती है जिन्होंने अपना व्यापार, पेशा या व्यवसाय सदैव के लिए बन्द कर दिया है। यदि साझेदारी को बदल कर कम्पनी बना ली जाये तो यह धारा नहीं लगेगी। ऐसी दशा में फर्म के कर देने का दायित्व कम्पनी पर आ जायेगा।

फर्म के विधान में परिवर्तन (Change in the constitution of a firm)—

फर्म के विधान में परिवर्तन मुख्यतः तीन प्रकार से होता है :—

(१) पुराने साझेदार का अवकाश ग्रहण करना।

(२) नये साझेदार का आना।

(३) साझेदार की मृत्यु।

साझेदार का अवकाश ग्रहण करना और नये साझेदार का आना (Retirement of a Partner and admission of a Partner)—

(१) यदि एक साझेदार फर्म को छोड़ देता है और दूसरा साझेदार उसके स्थान पर प्रवेश करता है तो आय कर अधिकारी नये फर्म के नाम पर कर देय आय निकालेगा, यद्यपि उस समय तक का कर भुगतान पुराने साझेदारों को करना पड़ेगा।

(२) इस दशा में यह ध्यान देने योग्य बात है कि अवकाश ग्रहण करने व प्रवेश होने की तारीखों को ठीक से देखा जाय और इन्हीं के अनुसार पुराने व नये साझेदारों पर कर लगाना चाहिए।

साझेदार की मृत्यु (Death of a Partner)—

धारा २४ बी (*Sec. 24-B*) के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों पर उस आय के लिए कर लगता है जिस पर कि मरने वाले को देना चाहिए था।

इसलिए यदि एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों के कर दायित्व वही होंगे जो कि उस साझीदार के थे।

नोट—(१) यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से में फर्म की हानि आई थी तो इस हानि को साझेदार ही अपनी आय से पूरा करेगा, फर्म नहीं। [धारा २४ (२) (e)]

(२) यदि कोई नया साझेदार आता है या पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या मर जाता है तो धारा २६ (1), धारा २४ (२) (e) और धारा २४ (B) के नियम महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं।

Illustration No. 8–

Following is the P and L. account of a registered firm for the year ending 31st March 1960 –

P & L Account

	Rs	Rs		Rs
Commission to *A*		2 000	Gross Profit	29,500
Salary to *B*		1 000		
General Expenses		3 000		
Interest on capital	Rs			
A	2 500			
B	1 000			
C	2 00(	5 500		
Net Profit		18 000		
	Rs	29 500	Rs	29 500

B retires on 1st October 1959 and other partners *A* and *C* continue the business Other incomes of the partners are –

A s income of Interest from Securities is Rs 25 000 (gross)

B s income of Interest from Securities is Rs 9 000 (gross)

C s income of Interest from securities is Rs 2 000 (gross)

Find out total income of the partners

Solution No. 8–

	Rs	Rs
Net Profit as disclosed by P & L. A/c.		18 000
Add	Rs	
Commission to *A*	2 000	
Salary to *B*	1 000	
Int on Capitals	5,5 0	8 500
Total Income of the firm		Rs 26 500

Particulars of Income	*A*	B	C
	Rs	Rs	Rs
Salary		1 000	.
Commission	2 000		
Interest	2 500	1 000	2 000
Profit*	7,500*	3 000*	7 500*
Income from firm	12 000	5 000	9 500
Other Income –			
Interest on Securities	25 000	9 000	2 000
Total Income Rs	37 000	14 000	11 500

*This profit is arrived at as follows :—		Rs.	Rs
Total profit for the year			18 000
Profit upto 30th Sept. 1959 (six months)	Rs.	9 000	
A's Share ⅓	3,000		
B's Share ⅓	3 000		
C's Share ⅓	3 000		
Rs.	9 000		
Profit from 1st Oct. to 31st March		9 000	
A's Share ½	4,500		
C's Share ½	4,500		
Rs	9 000		
Thus *A*'s profit (Rs 3,000+4,500)	7,500		
B's profit	3 000		
C's profit (Rs. 3 000+4,500)	7 500		
Rs	18,000		

Illustration No 9—

The Profit disclosed by a Profit & Loss account of a registered Firm for the year ended 31st March 1960, was Rs 45 000 before charging salaries of its partners *X*, *Y* and *Z* of Rs 4,000 Rs. 3 000 and Rs 2 000 respectively. *X* left the firm on 1st August 1959

Find out the total Income of partners assuming that they share Profits and Losses in the ratio of ½, ⅓ and ⅙ respectively

Solution No. 9—

	Rs.
Firm's Taxable Profit	45,000

The profit to be allocated among the partners will be found out as follows —

Profit and Loss Account

	Rs	Rs		Rs
Partners Salary			Gross Profit	45 000
X	4,000			
Y	3 000			
Z	2 000	9 000		
Net Profit		36 000		
	Rs.	45 000	Rs.	45 000

Allocation of Profit amongst the Partners

	X	Y	Z
	Rs.	Rs	Rs.
Profit upto 1st August 1959 [(1/3 of Rs 36,000) = 12 000]	6,000	4,000	2,000
Profit from 1st Aug to 31st March [(36 000 − 12,000) = 24,000] New profit sharing ratio $Y = \frac{2}{3}$, $Z = \frac{1}{3}$		16,000	8 000
Share of profit in the firm	6,000	20 000	10,000
Salary	4 000	3 000	2 000
Rs	10 000	23 000	12,000

Illustration No. 10—

The profit of a firm for the year ending 31st March 1960 was Rs 48,000 after charging interest on capitals of *A*, *B* and *C* as Rs. 2,000, Rs 1,000 and Rs. 3,000 respectively and Rs 1,000 salary paid to *B*

A, *B* and *C* who are partners of the firm, share profit and losses in the ratio of $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{6}$ respectively. On 1st Oct. 1959 *A* left the firm and *X* joined it on the same date as a new partner. He was given $\frac{1}{4}$ share of profit in the firm. Find out the total income of the firm for the assessment year 1960-61 and allocate it in amongst the partners.

Solution No. 10—

		Rs.
Profit as disclosed by Profit and Loss Account		48,000
Add		
Interest on Capital ·	Rs.	
A	2,000	
B	1,000	
C	3 000	6,000
Salary to *B*		1,000
Taxable Income of the firm		Rs. 55,000

Particulars of Income	A	B	C	X
	Rs.	Rs	Rs	Rs.
Interest	2,000	1,000	3,000	
Salary		1,000		
Profit of the firm :—				
(upto 1st Oct. 1959)				
$\frac{1}{2}$ of Rs. 48,000 *i.e.* 24,000	8,000	12,000	4,000	
(Profit from 1st Oct. to 31st March) is Rs. 24,000				
Profit sharing ratio's will be				
$B = {}^{9}/_{16}$				
$C = {}^{3}/_{16}$		13,500	4,500	6,000
$X = \frac{1}{4}$ Rs.	10,000	27,500	11,500	6,000

अन्य संस्थाएँ (Other Association of Persons)—

(१) इन संस्थाओं पर उसी प्रकार कर लगता है जिस प्रकार व्यक्तियों पर।

(२) इन संस्थाओं के प्रत्येक सदस्य पर सदस्य की आय में संस्था से प्राप्त होने वाला भाग जोड़ दिया जाता है।

(३) इन संस्थाओं के सदस्यों की स्थिति कर लगाने के दृष्टिकोण से वही होती है जो कि अनरजिस्टर्ड फर्म की।

कम्पनी—

कम्पनी की परिभाषा भारतीय कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ की धारा २ (१०) व धारा ३ में दी हुई है, परन्तु आय-कर अधिनियम में कम्पनी की परिभाषा धारा २ (५-A) में दी हुई है, जो कि इस प्रकार है—

"कम्पनी का अर्थ है (i) एक भारतीय कम्पनी से या (ii) उन संस्थाओं से जिन पर ३१ मार्च सन् १९४८ के वर्ष में कम्पनी की तरह कर लग चुका हो, चाहे उनकी रजिस्ट्री हुई हो या नहीं और चाहे वे भारतीय हों या विदेशी या जिन्हें सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आय-कर के लिए कम्पनी घोषित किया हो।"

कम्पनी का निवासी होना
(Company's Residence)

निवासी कम्पनी (Resident Company)—

एक कम्पनी करदेय प्रदेश में किसी भी वर्ष निवासी कही जा सकती है, यदि—

(अ) यह एक भारतीय कम्पनी है,

(ब) उस वर्ष इसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश से ही होता है।

कम्पनी के निवासी होने की यह परिभाषा आय-कर अधिनियम की धारा ४-A (c) मे दी हुई है।

साधारण निवासी कम्पनी (Ordinary Resident Company)—

जो कम्पनी निवासी होती है वही साधारण निवासी भी मानी जाती है। यह नियम आय-कर अधिनियम की धारा ४-B (c) मे दिया हुआ है।

विदेशी कम्पनी (Non-resident Company)—

यदि कम्पनी का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण पूर्णतया करदेय प्रदेश के बाहर से होता है तो वह कम्पनी विदेशी मानी जाती है। यह नियम आय-कर अधिनियम की किसी भी धारा मे दिया हुआ नही है, परन्तु अनुमान द्वारा निकाला गया है व न्यायाधीशो के निर्णयो द्वारा प्राप्त किया गया है।

कम्पनी व अन्य करदाताओं में अन्तर
(Difference between Company and other Assessees)

कम्पनी	अन्य कर-दाता
(१) कम्पनी की चाहे जितनी कम 'आय' हो, इसे आय कर व अधि-कर दोनो देने पडते हैं।	(१) अन्य कर-दाताओ को आय-कर व अधि कर तभी देने पडते हैं जबकि उनकी आय आय-कर देने की एक निश्चित न्यूनतम सीमा से अधिक हो।
(२) एक कम्पनी पर आय कर व अधि-कर लेने की दरें अन्य कर-दाताओ की कर की दरो से भिन्न हैं।	(२) आय-कर व अधि-कर के लिए दरो की एक तालिका दी हुई है, जोकि कम्पनी पर लगने वाले कर की दरो से भिन्न है।

कम्पनी का कर निर्धारण (Assessment of Companies)—

प्रत्येक कम्पनी के प्रमुख अधिकारी को आय-कर अधिकारी के पास कम्पनी की आय का एक विवरण-पत्र भेजना पडता है। आय-कर कम्पनी के ऊपर लगता है और यह अशधारियो की ओर से (on behalf of) आय-कर नही देती है। अंशधारी को अपने मिलने वाले लाभांश पर स्वयं कर देना पडता है। एक कम्पनी की आय कितनी ही कम क्यो न हो, परन्तु उस पर आय-कर लगेगा। एक कम्पनी द्वारा निर्गमित किये हुए बोनस अशो पर विशेष अधि-कर लगता है।

आय-कर अधिनियम की धारा २३-A—

जो कम्पनियाँ कुछ धनवान व्यक्तियो द्वारा चलाई जाती है, प्रायः उनके मालिक कम्पनी के लाभ के बहुत कम भाग को लाभांश के रूप मे वितरण करते हैं, क्योकि

वे लोग यह जानते हैं कि यदि उन्हें कम्पनी से अधिक लाभांश प्राप्त होगा तो उनको अधिक आय कर देना पडेगा। अतः आय-कर बचाने की दृष्टि से वे लोग कम लाभांश बांटते हैं। इस प्रकार की मालिकों की चालाकी को समाप्त करने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा २३ A में निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं :—

यदि आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि एक कम्पनी द्वारा बांटे हुए लाभांश उस लाभांश से कम है जो कि आय कर अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है तथा जिनका वर्णन आगे किया गया है तो ऐसी कम्पनी धारा २३ के अनुसार निर्धारित आय कर देने के अलावा यदि विनियोगी कम्पनी है तो ५०% अधि-कर जुर्माने के रूप में देगी और यदि ऐसी कम्पनी विनियोगी कम्पनी नहीं है तो निर्धारित आय-कर देने के अतिरिक्त ३७% अधि-कर जुर्माने के रूप में देगी। ये जुर्माने बिना बंटे हुए लाभ पर निकाले जाते हैं। परन्तु इस प्रकार के जुर्माने करने के लिए आय कर अधिकारी को 'इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर' से आज्ञा लेनी पडेगी।

जो कम्पनियाँ नीचे लिखी हुई दरो से अपने लाभ मे से लाभांश बाँटती हैं उन पर ऊपर लिखे हुए जुर्माने नही किए जाते है :—

(अ) एक विनियोगी कम्पनी होने पर — ९०%

(ब) एक ऐसी भारतीय कम्पनी होने पर जो कि निर्माण कार्य या खानो का कार्य या बिजली बनाने व वितरण करने का कार्य या अन्य किसी शक्ति बनाने का कार्य करती हो। — ५०%

(स) एक ऐसी भारतीय कम्पनी जो कि अशतः '(ब)' मे बताए हुए कार्य करती है तो इस कार्य के लाभ पर — ५०%

परन्तु अन्य कार्य के लाभ पर :—यदि यह कम्पनी धारा २३-A sub clause (a) of clause (iv) की शर्तें पूरी करती है — ९०%

(ii) अन्य मामलो पर — ६५%

(द) अन्य कम्पनियाँ, जो ऊपर दिये हुए विवरण मे नही आती हैं :—

(i) यदि इनके एकत्रित किए हुए लाभ और सचय इनकी चुकता पूँजी से अधिक हो — ९०%

(ii) अन्य कम्पनियो मे — ६५%

नीचे लिखी दशाओ मे आय-कर अधिकारी जुर्माने के रूप मे अधि कर नही लेंगे :—

(i) जहाँ कम्पनी ने पिछले वर्षों मे बहुत सी हानियाँ उठाई हो या लाभ बहुत कम हुए हों और अधिक लाभाश बाँटना उचित प्रतीत न होता हो,

(ii) जहाँ अधिक लाभाश बाँटने से आय (Revenue) की हानि होगी।

धारा २३ A उन कम्पनियो पर नही लगती है जिनमे 'पब्लिक वास्तव में दिलचस्पी रखती है।' या जो ऐसी कम्पनियो की शत प्रतिशत सहायक कम्पनिया है।

धारा २३-A Explanation 1 के अनुसार जो कम्पनी नीचे लिखी हुई शर्तें पूरी करती है वही ऐसी कम्पनी कही जायगी जिसम 'पब्लिक वास्तव मे दिलचस्पी रखती है' :—

(i) यह एक ऐसी कम्पनी है जिस पर कि सरकार का स्वामित्व है या जिसमे ४० प्रतिशत या इससे अधिक अश सरकार के है।

(ii) यदि यह कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक प्राईवेट कम्पनी नही है और यह धारा २३ A Explanation 1 के clause (b) में दी हुई सब शर्तों को पूरा करती है।

कम्पनी और आय-कर—

प्रत्येक कम्पनी के लिये आय-कर की दर कुल का २० प्रतिशत कर दी गई है।

अधि-कर (Super-tax)—

कम्पनी के लिए कुल आय पर सुपर टैक्स की दर ५५ प्रतिशत निश्चित की गई है, परन्तु नीचे लिखी परिस्थितियो मे कम्पनी को छूट (Rebate) मिलेगी :—

(१) कुल आय के उस भाग पर ४५% जो कि एक भारतीय सहायक कम्पनी के लाभाश से सम्बन्धित है, कुल आय के उस भाग का ४०% जो कि किसी दूसरी ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभाश से सम्बन्धित है जो कि १ अप्रैल सन् १९५९ या इसके बाद रजिस्टर्ड हुई है, और कुल आय के बाकी भाग पर ३५% की छूट उस कम्पनी को दी जायगी जो कि —

(अ) ३१ मार्च सन् १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपने लाभो पर आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर देने के योग्य होगी, जिसमे आय कर अधिनियम की धारा १८ (३) के अनुसार इन लाभो मे से भारतवर्ष के अन्दर लाभाश घोषित करने और भुगतान करने के लिये निर्धारित प्रबन्ध कर लिया है।

(ब) ऐसी कम्पनी है जिसका वर्णन आय-कर अधिनियम की धारा २३ A (९) मे किया गया है और इसकी कुल आय २५,००० रु० से अधिक नही होनी चाहिए।

(२) कुल आय के उस भाग पर ४५% जो कि एक भारतीय सहायक कम्पनी के लाभाश से सम्बन्धित है, कुल आय के उस भाग का ३५% जो कि किसी दूसरी ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभाश से सम्बन्धित है जो कि १ अप्रैल सन् १९५९ या इसके बाद रजिस्टर्ड हुई है और कुल आय के बाकी भाग पर ३०% की छूट उस कम्पनी को दी जायगी जो कि ऊपर नं० १ के अन्तगत दी हुई दो शर्तों में से

पहली शर्त जो (अ) के अन्तर्गत दी हुई है, को पूरा करती है और (ब) वाली शर्त नहीं पूरा करती।

(३) कुल आय के उस भाग पर ४५% जो कि एक भारतीय सहायक कम्पनी के लाभांश से सम्बन्धित है, कुल आय के उस भाग का २२% जो कि किसी दूसरी ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभांश से सम्बन्धित है जो कि १ अप्रैल सन् १९५९ या इसके बाद रजिस्टर्ड हुई है, और कुल आय के बाकी भाग पर १२% की छूट ऐसी कम्पनी को दी जायगी जिन्हें ऊपर समझायी हुई (१) और (२) के अन्तर्गत कोई छूट नहीं मिलती।

घाटे की पूर्ति (Set-off Losses)—

यदि एक कम्पनी कई व्यापार करती है तो वह एक व्यापार की हानि को दूसरे व्यापार के लाभ से पूरा कर सकती है। यदि दूसरे व्यापार का लाभ उस हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो तो हानि अगले वर्ष ले जाई जाती है।

यदि एक निवासी कम्पनी को विदेशी व्यापार में कुछ हानि हुई है तो उस हानि को भारत के व्यापार की आय से पूरा किया जा सकता है।

जो कम्पनी एक ही व्यापार करती है उसे यदि हानि हो तो वह अपनी हानि को अगले वर्ष की आय से पूरा कर सकती है।

आय-कर से सम्बन्धित कम्पनी के कर्त्तव्य—

(१) लाभांश के बारे में सूचना देना—एक कम्पनी के मुख्य अधिकारी को प्रति वर्ष १५ जून को या उसके पहले आय कर अधिकारी के पास एक विवरण भेजना चाहिए, जिसमें उन अंशधारियों के नाम व पते लिखना चाहिए जिन्हें इस अधिनियम में निश्चित की हुई रकम से अधिक लाभांश गत वर्ष दिया गया है। यह विवरण एक निश्चित फार्म (Prescribed Form) पर होना चाहिए। इन अंशधारियों को कितना लाभांश दिया गया है, इसका भी उल्लेख उसी फार्म पर होना चाहिए। [धारा १६ A]

(२) प्रत्येक कम्पनी का मुख्य अधिकारी प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च के बाद ३० दिन के अन्दर आय-कर अधिकारी के पास उन सब लोगों के नाम व पते भेजता है जिनका वेतन आय-कर लगने योग्य हो। [धारा २१]

(३) प्रत्येक कम्पनी का मुख्य अधिकारी कम्पनी की कुल आय का विवरण आय कर अधिकारी के पास भेजता है।

धारा ४९ B B—

(१) यदि एक भारतीय कम्पनी ने या ऐसी कम्पनी ने जिसने भारत के अन्दर लाभांश का घोषित करने और भुगतान करने का निर्धारित प्रबन्ध किया है। अपनी उस गत वर्ष से सम्बन्धित जो कि ३१ मार्च सन् १९६० से शुरू होने वाली करदेय वर्ष से पहले आती है, किसी ऐसे लाभांश का पूर्णतया या अंशतः, जो कि

अपने ऐसे लाभ में से दिए गये हैं जिस पर कि १ अप्रैल सन् १९६० के पहले करदेय वर्ष में आय-कर लग चुका है, भुगतान करती है और धारा १८ के अनुसार आय-कर काटती है तो ऐसी कम्पनी को उस आय-कर पर क्रेडिट दिया जायगा, जो कि इसके द्वारा उस गत वर्ष के लाभ-हानि पर देय है, जिसमें लाभांश का भुगतान किया जाता है।

(२) उप धारा १ के अनुसार आय कर की जितनी रकम को क्रेडिट दिया जायगा वह उप धारा १ में समझाये गये लाभांश के १०% के बराबर होनी चाहिए।

यह धारा वित्त अधिनियम सन् १९६० द्वारा जोड़ी गई है।

कम्पनी और वित्त अधिनियम सन् १९६०—

(१) कम्पनियों पर आय-कर की दर २० प्रतिशत कर दी गई है, जबकि अभी तक आय-कर व सरचार्ज मिला कर ३१·५ प्रतिशत थी।

(२) जिन भारतीय कम्पनियों की आय २५,००० रु० से अधिक है, उन पर सुपर टैक्स की दर २५ प्रतिशत कर दी गई है, इसलिए इन कम्पनियों पर आय कर व सुपर टैक्स मिलाकर ४५ प्रतिशत होता है, जबकि इस समय तक ये दरें ५१·५ प्रतिशत थीं।

(३) विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं पर आय-कर व सुपर टैक्स की दर ६३ प्रतिशत कर दी गई है, जबकि अभी तक यह दर ६१·५ प्रतिशत थी।

(४) सूत्रधारी कम्पनियों के लिए, चाहे वे भारतीय हों अथवा विदेशी, अपनी सहायक भारतीय कम्पनियों से प्राप्त होने वाले लाभांश पर सुपर टैक्स की दर १० प्रतिशत है और यही दर अब तक थी।

(५) एक भारतीय कम्पनी से, जो कि सहायक कम्पनी नहीं है और १ अप्रैल सन् १९६० या इसके बाद बनी है, किसी कम्पनी द्वारा प्राप्त होने वाले लाभांश पर सुपर टैक्स की दर, यदि वह भारतीय कम्पनी हो, ५ प्रतिशत से और यदि वह विदेशी कम्पनी है तो १० प्रतिशत से कम कर दी गई है।

(६) नकद प्राप्त हुए प्रीमियम में से निर्गमित हुए बोनस अंश सुपर टैक्स के लिए दूसरे बोनस अंशों की तरह प्रयोग किए जायेंगे। भारतीय कम्पनियों को दिए जाने वाले प्रतिभूतियों के ब्याज व लाभांश पर उद्गम के स्थान पर काटे जाने वाले सुपर टैक्स की दर २५ प्रतिशत से घटा कर १० प्रतिशत कर दी गई है। इस प्रकार इनकम-टैक्स और सुपर टैक्स दोनों की मिली हुई दर ५० प्रतिशत से घटा कर ३० प्रतिशत कर दी गई है।

(७) एक भारतीय कम्पनी द्वारा, जो कि सहायक कम्पनी नहीं है और १ अप्रैल सन् १९५९ को या इसके बाद स्थापित हुई है, एक विदेशी कम्पनी को दिए जाने वाले लाभांश पर काटे जाने वाले सुपर टैक्स की दर ४५% से घटा कर ३३ प्रतिशत कर दी गई है।

(८) भारत क जीवन बीमा निगम के लिये सुपर टैक्स की दर २२ ५ प्रति शत पर स्थिर कर दी गई है । ताकि आय कर व सुपर टैक्स की दर मिलाकर ४२ ५ प्रतिशत हो जाय, जैसी कि अभी तक रही है ।

स्थानीय सरकार (Local Authorities)—

स्थानीय सरकार को उस आय पर कर देना पडता है जोकि उसने अपने क्षत्र के बाहर से प्राप्त की हो, जैसे—यदि एक म्यूनिसपैलिटी अपने क्षेत्र के बाहर कोई आय प्राप्त करे तो वह चाहे जितनी कम क्यो न हो, उसे उस पर कर देना पडगा। स्थानीय सरकार की कुल आय पर ३०% आय कर लगता है और १६% सर चाज लगता है ।

यहा यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि स्थानीय सरकर अपने क्षेत्र म कोई आय प्राप्त करती है तो उस आय पर कोई कर नही लगेगा ।

QUESTIONS

1 (a) *State briefly the difference between registered firm and unregistered firm*

(Agra B Com 1949 50 52 56 58)

(b) Explain the procedure of registration of firm from Income tax point of view

2 What important changes have been introduced in Company Taxation by Finance Act 1960

3 Differentiate between —

(a) Losses of Regd firm and Unregd firm

(b) Assessment of Regd firm and Unregd firm

(Raj B Com 1956)

4 Explain any two of the following terms —

(a)
(b) These parts do not relate to this chapter
(c)

(d) Assessment of a registered firm (Raj B Com 1960)

अध्याय १५

कर निर्धारण करने की विधि तथा अपील

(Assessment Procedure and Appeal)

साधारण नोटिस (General Notice)—

प्रति वर्ष १ अप्रैल व १ मई के बीच मे आय कर अधिकारी एक साधारण नोटिस उन व्यक्तियो के लिये अखबारो मे छपाता है जिनकी गत वर्ष की आय करदेय हो। इन व्यक्तियो को अपनी आमदनी के नक्शे को ६० दिन के अन्दर आय-कर अधिकारी के पास भेजना चाहिए।

व्यक्तिगत नोटिस (Individual Notice)—

धारा २२ (२) के अनुसार आय-कर अधिकारी व्यक्तिगत नोटिस उन व्यक्तियो के पास भेजता है जिनके बारे मे वह यह समझता है कि उनकी आय करदेय हो गई है। इस नोटिस के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर प्रत्येक करदाता को अपनी आय का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास भेज देना चाहिए।

धारा ३४—

यदि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत नोटिस नही मिला है और यदि वह साधारण नोटिस के अनुसार अपनी आमदनी का नक्शा आय कर अधिकारी के पास नही भेजता है, तो भी उस पर आय-कर अधिनियम की धारा ३४ के अनुसार कर लग सकता है।

हानि का विवरण—

यदि किसी व्यापारी को हानि हुई है और उसे आमदनी का नक्शा देने के लिये व्यक्तिगत नोटिस नही मिला है तो भी उसे अपनी आमदनी का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास भेज देना चाहिए, ताकि उसे भविष्य में अपनी हानि को प्रतिसाद करने का अधिकार बना रहे।

ऊपर दिए हुए साधारण नोटिस और व्यक्तिगत नोटिस के अनुसार आमदनी का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास भेजने की अवधि ६० दिन व ३० दिन है। यदि आय-कर अधिकारी चाहे तो इन अवधियो को बढा सकता है।

(१) यदि साधारण नोटिस के अनुसार ६० दिन की अवधि पूरी हो गई है।

(२) व्यक्तिगत नोटिस के अनुसार ३० दिन की अवधि पूरी हो गई है और फिर भी करदाताओ ने अपनी आमदनी का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास नही भेजा है और आय-कर अधिकारी ने इन नक्शो के भेजने

की अवधि को बढाया भी नहीं है तो आय कर अधिकारी उन पर जुर्माना कर सकता है, जो कि उनके द्वारा दिये जाने वाले आय कर के १½ गुने से अधिक न हो।

कर निर्धारण की विधियाँ (Methods of Assessment)—

(१) नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment)।
(२) अस्थायी कर निर्धारण (Provisional Asse-sment)।
(३) असाधारण कर निर्धारण (Emergency Assessment)।
(४) अतिरिक्त कर निर्धारण (Additional Assessment)।
(५) प्रतिनिधियों पर कर निर्धारण (Representative Assess ment)।

नियमित कर निर्धारण—

आय कर अधिनियम की धारा २३ मे इसके सम्बन्ध मे नियम दिये हुए हैं—

(१) यदि करदाता द्वारा दिए हुए आमदनी के नक्शे को देखकर आय-कर अधिकारी को यह सन्तोष हो जाता है कि करदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया आमदनी का विवरण सन्तोषजनक है तो वह इसी के आधार पर कर निर्धारित कर देता है। इस प्रकार के निर्धारित किय हुए कर को 'विवरण के आधार पर निर्धारित' (On the basis of Return) किया हुआ कर कहते हैं।

(२) परन्तु यदि आय कर अधिकारी करदाता द्वारा प्रस्तुत किए गये आमदनी के नक्शे से सन्तुष्ट नही है तो वह करदाता से उसकी असली आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रश्न पूछता है और जिन बातो पर शङ्कायें होती हैं उनक लिए सबूत माँगता है। करदाता का यह कर्त्तव्य है कि वह उचित सबूतो के द्वारा आय कर अधिकारी को अपनी सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराये। आय कर अधिकारी उसके बही खातो से सम्बन्धित प्रपत्रो (Documents) और प्रमाणको (Vouchers) को भी माँग सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति क अनुसार भिन्न भिन्न लेखो, प्रपत्रो और प्रमाणकों की मदद से करदाता की सही आय का ज्ञान आय कर अधिकारी प्राप्त करता है और इन्ही के आधार पर कर लगाता है। इस प्रकार लगाय हुए कर को 'सबूत के आधार पर' (On the basis of Evidence) लगाया हुआ कर कहते हैं।

(३) जब सबूत के आधार पर कर लगाया जाता है तो आवश्यकता पडने पर आय कर अधिकारी करदाता को भी बुला सकता है। यह अधिकार धारा ३७ मे दिया हुआ है।

(४) आय कर अधिकारी गत वर्ष से पहले ३ वर्ष तक के खाते माँग सकता है और इनसे अधिक वर्ष के खाते नही माँग सकता है, परन्तु जहां तक पत्रो व प्रमाणकों का प्रश्न है, इस पर तीन वर्ष की अवधि लागू नही होती है।

(५) धारा २३ (२) के अनुसार आय कर अधिकारी को सबूत (Evidence) के आधार पर आय-कर लगाने का अधिकार है।

उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण (Best Judgement Assessment)—

नीचे लिखी तीन दशाओं में आय कर अधिकारी अपने निर्णय के अनुसार कर निर्धारण करता है:—

(१) यदि व्यक्तिगत करदाता धारा २२ (२) के अनुसार एक निश्चित समय के अन्दर अपनी आमदनी का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास नहीं भेजता है।

(२) धारा २२ (४) के अनुसार आय कर अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर अपने खाते, प्रपत्र (Documents) व प्रमाणक (Vouchers) को प्रस्तुत नहीं करता है।

(३) धारा २३ (२) के अनुसार आय कर अधिकारी को सन्तुष्ट करने के लिए उसके द्वारा माँगे जाने पर सबूत पेश नहीं करता है।

सूक्ष्म में, इस प्रकार समझना चाहिए कि यदि आय-कर अधिकारी के पास आमदनी का नक्शा दाखिल नहीं किया जाता है और यदि किया जाता है, तो आय-कर अधिकारी उससे सन्तुष्ट न होने पर उसके खाते व प्रपत्र माँगता है, परन्तु करदाता इन्हें उसके पास नहीं भेजता है और यदि आय कर अधिकारी सबूत देने के लिए कहता है, तो करदाता कोई परवाह नहीं करता है। ऐसी दशाओं में बाध्य होकर आय कर अधिकारी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करके एक-पक्षीय (Ex-party) फैसला देकर कर निश्चित करता है। इस प्रकार की कर निश्चित करने की विधि को 'उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण' (Best Judgement Assessment) कहते हैं।

इस प्रथा की मुख्य बुराई यह है कि इसमें करदाता का नुकसान हो सकता है। जितनी उसकी आय होती है उससे अधिक पर ही कर लग जाता है और जितना उसे कर वास्तव में देना पड़ता है उसके डेढ़ गुने तक जुर्माना देना पड़ता है, परन्तु दूसरे दृष्टिकोण से यह कर निर्धारण की नीति उचित भी है, क्योंकि जब करदाता आय-कर अधिकारी के साथ सहकारिता न करने पर उतारू हो जाता है तो आय-कर अधिकारी के पास एक पक्षीय फैसला देने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं बचता है।

उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण के विरुद्ध उपाय (Remedies against Best Judgement Assessment)—

(१) धारा २७ के अनुसार करदाता उसी आय-कर अधिकारी से जिसने कि इस प्रकार कर लगाया है, यह प्रार्थना कर सकता है कि वह अपने दिये हुए निर्णय को रद्द कर दे और ऐसा करने के लिये उसके सामने

उचित व सन्तोषजनक कारणों को रखे। यह कारण सिर्फ इस बात का होना चाहिये कि जिन कारणों से बाध्य हो कर अधिकारी ने एक-पक्षीय फैसला किया उसको करदाता को न पूरा करने के क्या कारण थे ? सिर्फ इस बात से कि कर अधिक लग गया है, यह फैसला रद्द नहीं हो सकता। यदि आय कर अधिकारी करदाता के द्वारा दिये गये कारणों से सन्तुष्ट होता है, तो वह अपने निर्णय को रद्द कर देता है और फिर से कर निर्धारण करता है।

(२) यदि आय कर अधिकारी करदाता के प्रार्थना करने पर भी अपने दिये हुये निर्णय को रद्द नहीं करता है तो करदाता इस निर्णय के विरुद्ध धारा ३० के अनुसार Appellate Assistant Commissioner के यहाँ अपील कर सकता है।

Pratap Chand Gangauli Vs. C. I. T. के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि यदि धारा ३० के अन्तर्गत कोई अपील की जाय तो Appellate Assistant Commissioner को इस कर निर्धारण के उचित व अनुचित होने पर ध्यान न देकर यह देखना अत्यन्त आवश्यक है कि क्या कर निर्धारण फिर से शुरू किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि Notice of Demand प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर ही यह अपील होनी चाहिए।

अस्थायी कर निर्धारण (Provisional Assessment)—

धारा २३—B के अनुसार—

(१) आय कर अधिकारी धारा २२ के अन्तर्गत प्राप्त हुए विवरणों के बाद किसी भी समय करदाता के ऊपर उसके विवरण, खातों और प्रपत्रों के आधार पर अस्थायी कर निर्धारण कर सकता है।

(२) धारा २३—B के अनुसार आय-कर अधिकारी एक ऐसे साझेदार की आय पर कर निर्धारण कर सकता है जिसने अपनी निजी आय का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास न भेजा हो, यद्यपि उस फर्म की आय का नक्शा आय कर अधिकारी के पास पहुँच गया हो।

(३) धारा २३—B (४) के अनुसार अस्थायी कर निर्धारण के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है।

(४) धारा १८ या १८—A के अनुसार दिया गया आय कर अस्थायी कर निर्धारण के लिये दिया हुआ माना जाता है।

(५) धारा २३—B (३) के अनुसार एक अनरजिस्टर्ड फर्म पर अस्थायी कर निर्धारण किया जा सकता है, यदि यह फर्म केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित की हुई शर्तों को पूरा नहीं करती है।

(६) निर्धारित किया हुआ अस्थायी कर करदाता द्वारा अवश्य ही निश्चित

समय के अन्दर भुगतान कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर कर के बराबर जुर्माना किया जा सकता है।

(७) अस्थायी कर पर दी हुई रकम नियमित कर निर्धारण के समय समायोजित (Adjust) कर दी जाती है।

असाधारण कर निर्धारण (Emergency Assessment)—

(१) 'गत वर्ष' की परिभाषा समझाते समय यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक कर-दाता को अपनी गत वर्ष की आय पर वर्तमान वर्ष मे कर देना पडता है, परन्तु धारा २४—A के अनुसार कर-दाता को वर्तमान वर्ष की आय पर वर्तमान वर्ष मे ही कर देना पडता है।

(२) यदि प्रत्येक व्यक्ति की गत वर्ष की आय पर ही कर लगाया जाय तो कुछ व्यक्ति कर दने से बच सकते है, जैसे यदि कोई व्यक्ति भारतवर्ष मे आय कर पैदा करने के बाद उसी वर्ष हमेशा के लिये विदेश चला जाय तो वह अपने को कर देने से बचा सकता था। इस प्रकार के कर अपवचन (Tax Evasion) को रोकने के लिए आय-कर अधिकारियो को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि उसे इस बात का विश्वास हो जाय कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए भारत छोड कर जा रहा है तो वह ऐसे व्यक्ति से अपनी आमदनी का नक्शा सात दिन के अन्दर दाखिल करने के लिए कहे।

(३) यह नक्शा प्राप्त हो जाने के पश्चात् या यदि नक्शा प्राप्त न हो तो सात दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आय कर अधिकारी उस व्यक्ति पर कर निर्धारण कर सकता है।

(४) कोई व्यक्ति बिना कर दिये हुए भारत से बाहर न जा सके, इसलिए धारा ४६—A के अनुसार उसे आय-कर अधिकारी से कर भुगतान का प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate) लेना पडता है। यदि आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो गया है कि विदेश जाने वाले व्यक्ति की आय कर देने योग्य नही है या कर देने योग्य है और उसने कर दे दिया है या कर देने योग्य है, परन्तु वह व्यक्ति शीघ्र ही भारत वापस आ जायेगा तो उसे 'कर-मुक्त प्रमाण पत्र' या 'कर भुगतान का प्रमाण-पत्र' दे सकता है।

अतिरिक्त कर निर्धारण (Additional Assessment)—

धारा ३४ के अनुसार यदि आय-कर अधिकारी को इस बात का विश्वास है कि भूल से करदाता को किसी वर्ष की आय पर कर नही लगाया गया है या यदि लगाया गया है तो उचित दर से कम पर लगाया गया है या करदाता ने उचित छूट से

अधिक छूट ले ली है या अधिक हानि या ह्रास को काटा गया है तो वह किसी भी समय फिर से कर निर्धारण कर सकता है।

यदि आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि करदाता की भूल के कारण नही बल्कि अन्य किसी कारण से पिछले वर्षों की आयो पर कम कर लगा है या कर लगने से छूट गया है तो वह उस वर्ष की समाप्ति से ४ वर्ष के अन्दर किसी भी समय करदाता के ऊपर नोटिस दे सकता है कि वह धारा २२ (२) के अनुसार अपनी आमदनी का लेखा पेश करे और उसके ऊपर फिर से कर लगा सकता है। इस प्रकार के कर निर्धारण को 'अतिरिक्त कर निर्धारण' कहते है। यह कर उसी दर पर लगाया जाएगा जो दर उस समय लगाई जाती है जिस समय कि आय कर लगने से बच गई थी।

नीचे लिखी हुई दशाओ मे आय कर अधिकारी 'अतिरिक्त आय-कर' के लिये नोटिस निर्गमन नही कर सकता है :—

(१) ३१ मार्च सन् १६३६ के पहले की किसी वर्ष के लिए।

(२) उस वर्ष के बाद ८ साल समाप्त हो जाने पर, यदि आय १ लाख रुपये से अधिक नही है।

(३) अन्य किसी वर्ष के लिए, जिसे कि आय-कर अधिकारी स्वय उचित समझे।

(४) यदि धारा ४३ के अनुसार करदाता विदेशी व्यक्ति का एजेन्ट है तो उस वर्ष के बाद दो साल समाप्त हो जाने पर अतिरिक्त कर किसी भी वर्ष की आय पर निर्धारित नही किया जा सकता।

जैसे कमाओ वैसे ही चुकाओ (Pay as You earn)—

प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष के अन्त में इकट्ठा आय-कर देने मे कठिनाई, असुविधा व भार अनुभव होता है, अतः सरकार की ओर से वेतन को छोड़कर बाकी आयों पर 'जैसे कमाओ वैसे ही चुकाओ' वाली विधि प्रयोग की जा सकती है। इस विधि के अनुसार जैसे जैसे आय पैदा होती जाती है वैसे-वैसे उसी समय पर कर भी दिया जाता है, ताकि वर्ष के अन्त मे इकट्ठा कर न देना पडे। वास्तव मे यह कर समय से पहले दिया जाता है। इसलिए इसे 'कर का अग्रिम भुगतान' (Advance Payment of Tax) भी कहते है। यद्यपि वेतन को छोडकर बाकी सभी आयो पर आय-कर का अग्रिम भुगतान होगा, परन्तु जिन जिन आयो पर धारा १८ के अनुसार उद्गम पर कर काट लिया गया होगा उन पर कटे हुए आय-कर का क्रेडिट दिया जायेगा।

इस सिद्धान्त के नियम (धारा १८-A के अनुसार)—

(१) यह कर देने का दायित्व उसी समय आता है जबकि करदाता की आय पिछले वर्ष मे न्यूनतम् करदेय आय से २,५००) रुपए अधिक रही हो।

(२) ऊपर दिए हुये न० १ की परिस्थिति मे आय-कर अधिकारी करदाता के पास तिमाही कर अदा करने के लिए नोटिस भेजते हैं। इस नोटिस के अनुसार १५ जून, १५ सितम्बर, १५ दिसम्बर और १५ मार्च को प्रति वर्ष कर देना पड़ता है।

(३) इसमें वर्तमान वर्ष की दर से आय कर लगता है।

(४) कर की दर निश्चित करने के लिए करदाता की वही आय मानी जाती है जो कि पिछले वर्ष थी।

(५) ऊपर दी हुई तिथियो पर कर देना आवश्यक है। इन किश्तो के भुगतान के लिए अवधि बढ़ाई नही जाती है, केवल कमीशन के लिए अवधि बढ सकती है, क्योकि इसका भुगतान एक विशेष प्रकार की निश्चित तिथियो पर होता है और ये तिथियाँ प्रत्येक कम्पनी में अलग अलग हो सकती है।

(६) यदि करदाता का विश्वास है कि उसकी कुल आय उस आय से कम होगी जिसे आय कर विभाग ने निश्चित किया है तो वह अपने अनुमान के आधार पर कर अदा कर सकता है।

(७) यदि करदाता अपनी कुल आय के अनुमान के आधार पर कर देता है तो भूल के लिए २० प्रतिशत की Margin दी जाती है। यदि नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment) के समय यह पाया गया कि करदाता ने जिस अनुमानित आय पर कर दिया था वह कर असली आय पर दिये जाने वाले कर के ८० प्रतिशत से कम है तो ८० प्रतिशत से जितना कर कम है, इस अन्तर की रकम पर ४ प्रतिशत से ब्याज लगाया जायगा। यह ब्याज उस आर्थिक वर्ष की १ जनवरी से, जिसमें कि अग्रिम (Advance) कर दिया था, नियमित कर निर्धारण की तारीख तक का लगाया जायगा और यदि आय कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि यह भूल जान बूझकर की गई थी तो वह उस पर जितना कम कर दिया है उसके १½ गुने के बराबर तक जुर्माना भी कर सकता है, इसलिए करदाता को यह अधिकार है कि वह १५ मार्च के पहले कभी भी अपने अनुमान को दुहरा सकता है।

जहाँ करदाता, जो कि निवासी है, को धारा १८ A (१) के अनुसार अग्रिम कर देना पड़ता है और करदाता धारा १८ A (२) के अनुसार अपनी आय का अनुमान लगाता है तो उसे अपने अनुमान मे लाभांश की रकम को भी शामिल करना चाहिये। यदि करदाता ने लाभांश की रकम को अपने अनुमान में शामिल नही किया है और उसके द्वारा भुगतान किया हुआ कर नियमानुसार लगने वाले कर के ८० प्रतिशत से

कम है तो करदाता को अपनी लाभांश की आय पर जुर्माने के रूप में धारा १८ A (6) के अनुसार ब्याज देना पड़ेगा।

[C. I. T. Bombay city V. Purshottamdas Thakurdas July 3, 1959]

(८) यदि किसी ऐसे करदाता ने अग्रिम कर नहीं दिया था, जिसकी कुल आय ऐसे कर देने की निश्चित सीमा से अधिक थी तो उसकी आय के कर पर भी ४% ब्याज लिया जावेगा और जुर्माना भी किया जायेगा।

(९) यदि अग्रिम दिया हुआ कर वर्ष के अन्त मे निकाले हुए कर की तुलना मे अधिक है तो केन्द्रीय सरकार ४% ब्याज इस अधिक रकम पर देती है।

(१०) यह योजना सन् १९४४ मे मुद्रा स्फीति (Inflation) को रोकने के लिए शुरू की गई थी।

Postponement of Advance Payment of Tax—

धारा १८–A (4) के अनुसार यदि कोई आय करदाता कमीशन के रूप मे प्राप्त करता है तो इस आय पर कर भविष्य के लिए टाला जा सकता है, परन्तु जिस तारीख पर कमीशन प्राप्त हो उस तारीख के १५ दिन के अन्दर यदि कर अदा नही किया गया है तो इस कर पर ६% ब्याज लिया जाएगा। यह कर टालने की सूचना करदाता को आय कर अधिकारी को अवश्य देनी चाहिये।

प्रतिनिधियों पर कर निर्धारण (Representative Assessment)—

आय-कर अधिनियम की धारा ४० और धारा ४१ मे इस प्रकार के कर निर्धारण का विवरण दिया हुआ है। इसका आशय यह है कि कर बजाय उस व्यक्ति पर लगाने के, जिसे कि आय प्राप्त हुई है उसके प्रतिनिधियों पर लगाया जाता है जैसे—संरक्षक (Guardians), न्यासी (Trustees) आदि।

अवयस्क की आय पर कर निर्धारण (Assessment on minors income)—

धारा ४० के अनुसार अवयस्क पर कर लिया जा सकता है, यदि अवयस्क का कोई संरक्षक है, जिसे कि अवयस्क की आय प्राप्त करने का अधिकार है तो उसके ऊपर उसी प्रकार कर लगाया जाएगा जिस प्रकार कि अवयस्क पर वयस्क हो जाने के बाद उसके द्वारा प्राप्त की हुई आय पर लगाया जाता है।

यही नियम पागल व्यक्तियों के संरक्षकों के ऊपर भी लगता है।

कर निर्धारण का स्थान (Place of Assessment)—

धारा ६४ के अनुसार—

(१) कर निर्धारण का अधिकार उस स्थान के आय-कर अधिकारी को होता है, जहाँ करदाता निवास करता है।

(२) यदि कोई करदाता एक स्थान पर रहता है और दूसरे स्थान पर व्यापार करता है तो जिस स्थान पर व्यापार करता है उस स्थान का आय कर अधिकारी उस पर कर लगायेगा ।

(३) यदि एक करदाता भिन्न-भिन्न स्थानो पर व्यापार करता है तो वहा का आय-कर अधिकारी कर लगायेगा, जहाँ कि करदाता का मुख्य व्यापार होता है।

कर वसूली की सूचना और कर की वसूली (Notice of Demand & Recovery of tax)—

आय-कर निर्धारण करने की विधियाँ पीछे समझाई जा चुकी है । उन विधियों मे से किसी भी प्रकार को निर्धारित कर लेने के बाद आय-कर अधिकारी कर वसूल करने की सूचना करदाता के पास भेजता है । यह सूचना किसी (अ) कर, (ब) जुर्माना या (स) ब्याज, जो कि आय कर अधिनियम के अन्दर लगाये गए हैं, को वसूल करने के लिए दी जाती है । आय-कर अधिकारी को इस सूचना देने का अधिकार धारा २९ के अनुसार प्राप्त हुआ है । इस नोटिस के साथ उस आय कर अधिकारी की आज्ञा की नकल भेजी जाती है, जिसके अनुसार कर निर्धारण किया गया था ।

करदाता का यह कर्तव्य है कि वह इस नोटिस मे लिखी हुई अवधि के अन्दर किसी सरकारी खजाने म कर जमा कर दे ।

यदि करदाता कुछ कारणवश इस सूचना मे दी हुई अवधि के अन्दर भुगतान नही कर पाता है तो वह आय-कर अधिकारी से प्रार्थना करके इस अवधि को बढवा सकता है, परन्तु यदि कोई करदाता जान बूझकर निश्चित अवधि के अन्दर कर का भुगतान नही करता है तो आय कर अधिकारी धारा ४६ के अनुसार उस पर जुर्माना कर सकता है, परन्तु यह जुर्माना अधिक से अधिक कर की रकम के बराबर हो सकता है ।

यदि आय कर अधिकारी के पूरे प्रयत्न किये जाने पर भी करदाता कर का भुगतान नही करता है । तो वह नीचे लिखी हुई विधियो को अपना सकता है :—

(१) यदि करदाता का बैंक मे खाता है तो वह उस खाते पर कब्जा कर सकता है और उस रकम के द्वारा कर वसूल कर सकता है ।

(२) यदि करदाता कही नौकर है तो आय-कर अधिकारी उसके मालिक से वेतन मे से आय-कर भुगतान करने के लिए कह सकता है ।

(३) यदि किसी के पास करदाता का रुपया जमा है तो उससे आय-कर अधिकारी कर वसूल कर सकता है ।

(४) यदि ऊपर दी हुई तीनों विधियो से कर वसूल न हो या पूरा कर वसूल न हो तो वह जिलाधीश को सूचना दे सकता है कि वह इस करदाता से कर की रकम मालगुजारी (Land Revenue) की तरह वसूल करे । [धारा ४६ (२)]

(५) जिलाधीश के मागने पर भी यदि करदाता आय-कर की रकम नही देता है तो उसकी सम्पत्ति नीलाम की जायगी और जैसे भी सरकारी लगान की वसूली होती है वैसे ही कर वसूल किया जायगा ।

कर निर्धारण की विधि को भली भांति समझने के लिए नीचे बने हुए चार्ट को देखिए .—

Assessment Procedure at a Glance

Note—If I T. O is satisfied with returns, accounts & evidence he may pass assessment order and then issue demand notice

मृतक की आय पर कर निर्धारण (Assessment of the Deceased)—

यदि कोई व्यक्ति आय पैदा करने के बाद बिना आय-कर का भुगतान किए

हुए मर गया है तो धारा २४-B के अनुसार उसकी आय पर कर भुगतान करने का दायित्व उसके उत्तराधिकारियो पर होता है, परन्तु यह कर उस मरे व्यक्ति की सम्पत्ति में से वसूल किया जाता है। यदि उसकी पूरी सम्पत्ति प्रयोग करने पर भी कर का भुगतान नही होता है तो उत्तराधिकारी अपनी सम्पत्ति मे से कुछ भी नही देगा।

यदि करदाता नोटिस छपने के पहिले ही मर जाता है, तो उसके उत्तराधिकारियो को नोटिस दिया जायगा और वे सब कार्यवाहियाँ, जो कि मरे हुए करदाता पर मरने के पहले होतीं, अब उसके उत्तराधिकारियो पर होगी, परन्तु उत्तराधिकारियो पर मृत करदाता की गलतियो का जुर्माना नही हो सकता है।

उद्गम पर कर काटना (Deduction of Tax at Source)—

(१) कोई भी व्यक्ति जिसका दायित्व वेतन देने का है, आय-कर और अधि कर वेतन देने के पहले उसमे से काटेगा। निवासी कर्मचारियो के वेतन में से आय-कर और अधि-कर उस दर पर काटा जायगा जो कर्मचारी की वेतन शीर्षक के अन्दर आने वाली अनुमानित आय पर लगती हो। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि वेतन देने वाला निवासी कर्मचारी की आय में से उस दर पर कर नही काटता है जोकि उसकी कुल आय पर लगती हो।

विदेशी कर्मचारियो के वेतन शीर्षक मे आने वाली अनुमानित आय पर निर्धारित दर (Prescribed Rates) पर उद्गम स्थान पर कर काटा जायेगा। [धारा १८]

(२) कोई भी व्यक्ति, जिसे करदाता को प्रतिभूतियो पर ब्याज देना है, कर काटने के बाद ही ब्याज देगा। यह कर निर्धारित दरो पर काटा जाता है।

(३) लाभाश देने के पहिले भी लाभाश पर कर निर्धारित दरो से काट लिया जाता है।

(४) विदेशी की आय पर भी कर पहिले ही काट लिया जाता है।

(५) कर काटने वाले का यह दायित्व है कि वह इस कर को सरकारी खजाने मे कर काटने के बाद एक निश्चित समय के अन्दर जमा कर दे। [धारा १८ (६)]

(६) यदि उद्गम पर कटा हुआ कर निश्चित अवधि के अन्दर किसी सरकारी खजाने मे जमा नही किया जाता है या जहा उद्गम पर कर काटना चाहिए वहाँ काटा ही नही जाता है तो उस पर इस अपराध के लिए मुकद्दमा भी चलाया जा सकता है और वह कर काटने वाले को ही देना पडता है। [धारा १८ (७)]

आय-कर अधिनियम की धारा १८ के अनुसार कर काटने की निर्धारित दरें—

आय-कर अधिनियम की धारा १८ के अनुसार जिन निर्धारित दरों पर उद्गम के स्थान पर कर काटा जाता है। उनकी सूची नीचे दी हुई है :—

	आय-कर की दर	सर चार्ज का दरें		सुपर टैक्स	
		यूनियन के लिये सर चार्ज	स्पेशल सर चार्ज	सुपर-टैक्स की दर	अधि-कर की दर
(१) कम्पनी को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों की दशाओं में—					
(अ) प्रत्येक दशा में कुल आय पर (केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित की की हुई कर मुक्त प्रतिभूतियों के व्याज को छोड़ कर) और	२५%	१·२५%	३·७५%		
(ब) यदि व्यक्ति विदेशी है तो उसकी कुल आय पर।				सुपर टैक्स और इसका सर चार्ज आय-कर अधिनियम की धारा १७ (१) (b) के अनुसार निकाला जायेगा।	

	आय-कर की दर	सुपर-टैक्स की दर
(२) एक कम्पनी की दशा में—		
(अ) प्रत्येक दशा में—		
(i) कुल आय पर (केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित की हुई कर मुक्त प्रतिभूतियों को ब्याज को छोड़ कर) और	२०%	
(ii) कुल आय पर (आय-कर अधिनियम की धारा ५६ A में वर्णित की हुई भारतीय कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश को छोड़कर) और;		१०%

(व) इसके अतिरिक्त जहाँ कि कम्पनी न तो एक भारतीय कम्पनी है और न ऐसी कम्पनी है जिसने भारत के अन्दर लाभांश की घोषणा करने के लिए निर्धारित प्रबन्ध कर लिया है—

(1) लाभांश से आय पर (इसकी सहायक भारतीय कम्पनी या ऐसी कम्पनी, जिसका वर्णन आय कर अधिनियम की धारा ५६ A मे किया गया है, के द्वारा दिये जाने वाले लाभांश को छोड कर)—	
(अ) १ अप्रैल सन् १९५९ या इसके बाद बनी हुई कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले लाभांश पर,	२३%
(ब) अन्य लाभांश पर।	३३%
(11) लाभांश की आय को छोडकर अन्य आय पर।	३३%

कर भुगतान-प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate)—

धारा ४६ A के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि विदेश जा रहा है, कर चुकाने का प्रमाण-पत्र आय-कर अधिकारी से लेना आवश्यक है। यदि उस व्यक्ति की आय करदेय आय से कम है तो उसे छूट का प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) लेना पडता है और यदि उसकी आय करदेय है तो कर भुगतान करने के बाद एक 'कर भुगतान प्रमाण पत्र' लेना पडता है। कर भुगतान प्रमाण-पत्र का आशय यह है कि इस व्यक्ति ने कर भुगतान कर दिया है। जब से यह प्रमाण-पत्र शुरू हुआ है, लोग कर बचाकर बाहर भाग नही सकते हैं।

कर निर्धारण को रद्द करना (Cancellation of Assessment)—

आय-कर अधिकारी नीचे लिखी हुई दशाओं में अपने लगाये हुए कर को रद्द कर सकता है :—

(१) यदि करदाता आय कर अधिकारी को यह विश्वास करवा दे कि उसने धारा २४ (४) या धारा २३ (२) के अनुसार दिये हुए नोटिस को प्राप्त नही किया था।

(२) उसे नोटिस तो मिला, परन्तु वह कुछ आवश्यक कारणों की वजह से उसकी तामील न कर सका और ये कारण उसकी शक्ति के बाहर थे।

आय कर अधिकारी को जब पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि उसकी आज्ञाओं का उल्लघन करदाता ने जान-बूझकर नही किया था और वह निर्दोष है तो वह अपना दिया हुआ निर्णय रद्द कर सकता है तथा नई सूचनाओं के आधार पर फिर से कर निर्धारण कर सकता है।

बन्द हुए व्यापार पर कर लगाना (Assessment of Discontinued Business)—

आय-कर अधिनियम की धारा २५ में इस सम्बन्ध मे नियम दिये हुये हैं—

(१) यदि कोई व्यापार साल के बीच मे बन्द हो जाता है तो उस व्यापार की वर्तमान वर्ष की आय पर वर्तमान वर्ष मे ही आय-कर लग सकता है। शर्त यह है कि व्यापार सदैव के लिये बन्द हुआ हो।

(२) पिछले वर्ष के अन्त से व्यापार के समाप्त होने तक की बीच की अवधि मे प्राप्त हुये धन पर आय-कर लगता है।

(३) गत वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय दोनों पर वर्तमान वर्ष मे ही आय कर लग जाता है।

(४) जो व्यक्ति व्यापार बन्द कर रहा हो उसका यह कर्त्तव्य है कि वह आय-कर अधिकारी को अपने व्यापार बन्द होने के १५ दिन के अन्दर सूचना दे दे, यदि वह ऐसा नही करता है तो आय-कर अधिकारी उस पर जुर्माना कर सकता है, परन्तु यह जुर्माना कर की रकम से अधिक नही होना चाहिये।

अपील—

आय-कर अधिकारी द्वारा दिये हुए निर्णय से यदि करदाता सन्तुष्ट नही है, तो वह उसकी आज्ञा के विरोध मे अपील कर सकता है। नीचे अपील की विधि समझाई गई है :

अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner)—

(अ) धारा ३० के अनुसार—अपील आय कर अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध ३० दिन के अन्दर अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर के पास करनी चाहिए।

(ब) अपील एक निश्चित फार्म पर और निश्चित विधि के अनुसार करनी चाहिए। [धारा ३० ( )]

(स) अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर अपील सुनने के लिए एक तारीख व स्थान निश्चित करता है और इसकी सूचना Call Notice द्वारा देता है। [धारा ३१ (१)]

(द) अपील सुनते समय वह जो जाच करना चाहे, कर सकता है या अधिकारी द्वारा जाँच करा सकता है। [धारा ३१ (२)]

(य) अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर आय कर अधिकारी की आज्ञा को जैसा का तैसा रहने दे सकता है या उसके द्वारा लगाये हुए कर को घटा या बढ़ा सकता है। [धारा ३१ (३) (a)]

(र) आय-कर अधिकारी की आज्ञा को रद्द कर सकता है, फिर से कर

निर्धारण की आज्ञा पास कर सकता है। ऐसी दशा में आय-कर अधिकारी को फिर से कर निर्धारण करना पड़ता है। [धारा ३१ (३) (b)]

(ल) अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर की आज्ञा की नक्ल करदाता व कमिश्नर के पास भेज दी जाती है। [धारा ३१ (५)]

कमिश्नर द्वारा कर निर्धारण को दुहराना (Revision by Commissioner)—

धारा ३३—A (१) के अनुसार कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह आय-कर अधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय से सम्बन्धित विवरण को प्राप्त कर सकता है और यदि उचित समझे तो फिर से जाच कर सकता है और अपनी इच्छानुसार उचित आर्डर पास कर सकता है।

कोई करदाता आय-कर अधिकारी के द्वारा दिये गए निर्णय के प्राप्त करने के १ वर्ष के अन्दर कमिश्नर के पास दुहराने का प्रार्थना-पत्र दे सकता है। इस प्रार्थना-पत्र के साथ २५ रुपये फीस देना जरूरी है। कमिश्नर यदि इस प्रार्थना से सन्तुष्ट होता है तो वह आय-कर अधिकारी से इस मामले में पूरा विवरण प्राप्त कर फिर से जाँच करता है और अपना निर्णय देता है। [धारा ३३-A (२)]

कमिश्नर नीचे दी हुई परिस्थितियो मे आर्डर को दुहरा नही सकता है—

(१) यदि आर्डर के विरुद्ध अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर के यहाँ या अपैलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ अपील की जा सकती है और यह अपील करने की अवधि समाप्त नही हुई है। [धारा ३३–A (1) (a)]

(२) यदि इस आर्डर के विरुद्ध अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर के यहा अपील कर दी गई है और यह अपील विचाराधीन (Pending) पड़ी हुई है। [धारा ३३–A (१) (b)]

(३) आर्डर १ साल से अधिक पुराना हो गया है। [धारा ३३–A (१) (c)]

कमिश्नर का दिया हुआ निर्णय अन्तिम निर्णय होता है, परन्तु कमिश्नर कोई ऐसा आर्डर पास नही कर सकता है जो कि करदाता के अहित में हो।

परन्तु धारा ३३–B के अनुसार कमिश्नर करदाता की बहस को सुनने के बाद यदि उचित समझे तो कर घटाने का भी आर्डर पास कर सकता है। यदि करदाता इस निर्णय से असन्तुष्ट हो तो इस निर्णय को प्राप्त करने के ६० दिन के अन्दर अपैलेट ट्रिब्यूनल मे अपील कर सकता है, परन्तु अपील एक उचित फार्म पर उचित विधि से और १०० रुपये की फीस के साथ करनी चाहिए। [धारा ३३–B (4)]

अपैलेट ट्रिब्यूनल (Apellate Tribunal)—

(अ) यदि आय-कर अधिकारी अपैलेट असिसटेन्ट कमिश्नर के दिए हुए

आर्डर से सन्तुष्ट नही है तो वह इस आर्डर के पाने के ६० दिन के अन्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहां अपील कर सकता है।

[धारा ३३ (१)]

(ब) कमिश्नर अपने आर्डर के विरुद्ध अपील करने का अधिकार आय कर अधिकारी को भी दे सकता है और उसे भी यह अपील ६० दिन के अन्दर करनी पड़ेगी। [धारा ३३ (२)]

(स) ट्रिब्यूनल इस अपील को ६० दिन के बाद भी स्वीकार कर सकता है, यदि उसे इस बात का विश्वास करा दिया जाय कि यह देर विवशता के कारण हुई है। [धारा ३३ (२ A)]

(द) अपील निश्चित फार्म पर और निश्चित विधि के अनुसार करनी चाहिए। करदाता को प्रत्येक अपील के साथ १०० रुपये जमा करना आवश्यक है, परन्तु यदि आय-कर अधिकारी अपील करेगा तो उसे १०० रु० जमा नही करने पड़ेंगे। [धारा ३३ (२)]

(य) अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद जो उचित समझेगा वही निर्णय देगा और इस निर्णय को करदाता व कमिश्नर के पास भेज देगा।

[धारा ३३ (४)]

(र) धारा ६६ मे दिए हुए नियमो को छोड़कर बाकी सब मामलों पर अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा दिया हुआ निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता है, अर्थात् तथ्य के विषय (*Point of Fact*) पर इस *अदालत का निर्णय अन्तिम* होता है, परन्तु कानून के प्रश्न (Question of law) पर हाई कोर्ट म अपील की जा सकती है।

[धारा ३३ (६)]

हाई कोर्ट (High Court)—

(अ) अपीलेट ट्रिब्यूनल की आज्ञा प्राप्त करने के ६० दिन के अन्दर हाई कोर्ट मे अपील की जा सकती है। यह अपील एक निश्चित फार्म पर होनी चाहिए। करदाता को अपने प्रार्थना पत्र के साथ १०० रुपये फीस भी देनी पड़ेगी। करदाता या कमिश्नर, दोनो मे से जो भी असन्तुष्ट हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल की आज्ञा से हाई कोर्ट मे अपील कर सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट मे जाने वाली अपील के प्रार्थना-पत्र पाने के ६० दिन के *अन्दर हाई कोर्ट को विवरण भेज देता है, परन्तु ट्रिब्यूनल को यह अधिकार* है कि वह इस अपील को हाई कोर्ट में भेजने स मना कर द।

[धारा ६६ (१)]

(ब) यदि ट्रिब्यूनल को यह विश्वास है कि कानून का विरोध नही हुआ है तो वह अपील हाई कोर्ट भेजने से मना करता है। इस मना करने की सूचना प्राप्त करने के ६ महीने के अन्दर करदाता या कमिश्नर हाई कोर्ट मे अपील के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते है। यदि हाई कोर्ट को यह विश्वास हो जाय कि यह मामला वास्तव में

अपील के योग्य है तो वह ट्रिब्यूनल को इस मामले की कार्यवाही भेजने के लिए बाध्य कर सकता है। [धारा ६६ (२)]

(स) इस मामले की सुनवाई करते समय हाई कोर्ट यह निश्चय करेगा कि क्या वास्तव में कोई कानूनी विरोध हुआ है। वह अपना निर्णय अपैलेट ट्रिब्यूनल के पास भेजता है। यह ट्रिब्यूनल इस निर्णय को ध्यान मे रखते हुए नया फैसला देता है। [धारा ६६ (५)]

(द) अपील किये जाने पर भी आय-कर देना आवश्यक है। कोई व्यक्ति इस कारण कि अपील की गई, अपने को आय कर देने से फैसले के समय तक बचा नही सकता है। यदि फैसले में कर की कुछ कम रकम लगाई जायेगी तो अधिक दिया हुआ रुपया ब्याज सहित वापिस कर दिया जाता है। [धारा ६६ (७)]

(य) धारा ६६ के अन्तर्गत जो अपील हाई-कोर्ट मे की जाती है उस अपील को हाई कोर्ट के कम से कम दो जज सुनते है। [धारा ६६ A]

सुप्रीम कोर्ट—

हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मे अपील की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। यह अपील केवल कानूनी प्रश्न पर ही होनी है। [धारा ६६–A (२)]

कानून के प्रश्न पर इस कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता है।

जुर्माने (Penalties)—

आय-कर अधिनियम की कई धाराओं में जुर्माने का वर्णन आया है, जिनमे से कुछ धारायें नीचे दी जाती हैं :—

(१) यदि कोई व्यापार वर्तमान वर्ष मे सदैव के लिए बन्द कर दिया जाता है तो उस व्यापार के मालिक का यह कर्त्तव्य है कि वह बन्द करने के १५ दिन के अन्दर आय कर अधिकारी को व्यापार बन्द करने की सूचना दे दे, यदि वह ऐसा नही करता है तो उस पर उस व्यापार की करदेय आय के बराबर जुर्माना किया जा सकता है। [धारा २५ (२)]

(२) आय-कर अधिकारी या अपैलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर को यदि यह विश्वास हो जाय कि किसी व्यक्ति ने (अ) बिना उचित कारण के अपनी आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है, (ब) या धारा २२ (४) या धारा २३ (२) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस का बिना किसी उचित कारण के पालन नहीं किया है या (स) अपनी आय के विवरणों को छिपाया है या जान-बूझकर आय का गलत विवरण दिया है, तो उस व्यक्ति पर कर-देय रकम के ड्योढ़े तक जुर्माना किया जा सकता है। [धारा २८ (१)]

(३) यदि किसी करदाता ने प्रतिभूतियो के ब्याज पर दिये जाने वाले कर

को बचाने के लिये Bond Washing के सौदे किये हैं और आय-कर अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध मे प्रश्न पूछे गये हैं, परन्तु यह व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर नही देता है तो उसके ऊपर प्रति दिन देर के लिये ५०० रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

[धारा ४४–E (6)]

(४) धारा ४४–F के अनुसार यदि करदाता ने कर बचाने के लिये Cum-Dividend बिक्री की है और आय-कर अधिकारी द्वारा इसकी सूचना मांगने पर उत्तर नही दिया है तो प्रत्येक दिन के लिये ५०० रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

[धारा ४४–F (५)]

(५) यदि कोई करदाता निश्चित अवधि के अन्दर आय-कर का भुगतान नही करता है तो आय-कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह करदेय रकम के बराबर तक जुर्माना कर सकता है। [धारा ४६ (१)]

(६) यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के (अ) धारा १८ या ४६ (५) के अनुसार उदगम के स्थान पर कर नही काटता है और यदि काटता है तो उसका भुगतान नही करता है। (ब) धारा १८ (६) और धारा २० के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करता है। (स) धारा १९-A, धारा २०-A, धारा २१, धारा २२ (२) और धारा ३८ के अनुसार निश्चित समय के अन्दर विवरण नही भेजे हैं या (द) धारा २२ (४) के अन्तर्गत दिए हुये नोटिस के अनुसार खातो और विपत्रों को निश्चित अवधि के अन्दर प्रस्तुत नही किया है। (य) धारा ३९ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने खातो की जाँच या नक्ल करने से रोकता है तो उस पर मजिस्ट्रेट के सामने मुकद्दमा चलाया जा सकता है और प्रति दिन के लिये १० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता हैं। [धारा ५१]

(७) यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर गलत विवरण देता है तो उस पर *मजिस्ट्रेट के सामने मुकद्दमा चलाया जा सकता है और ६ महीने तक की सजा या* १,००० रुपये तक जुर्माना या दोनो किया जा सकता है। [धारा ५२]

कर की वापसी (Refund)—

यदि किसी व्यक्ति, हिन्दू सम्मिलित परिवार, कम्पनी, स्थानीय सरकार, फर्म या अन्य व्यक्तियो की सस्थाएं या किसी फर्म का साझेदार या किसी सस्था का सदस्य आय कर अधिकारी को या किसी ऐसे अधिकारी को जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, इस बात का विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा दिया हुआ कर उस कर से ज्यादा है जो कि वास्तव मे आय-कर अधिनियम के अनुसार उसे देना चाहिए तो उससे ली हुई अधिक कर की रकम वापिस कर दी जावेगी।

[धारा ४८ (१) (२)]

कर निर्धारण वर्ष के अन्त से चार वर्ष के अन्दर कर वापिसी का प्रमाण-पत्र देना चाहिये। इसके बाद दिये हुए प्रमाण पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा।

[धारा ५०]

नीचे लिखी हुई दशाओं में करदाता कर वापिसी की प्रार्थना कर सकता है:—

(१) जब कि वेतन या प्रतिभूतियों के ब्याज या करदाता की कुल आय पर लगने वाले कर से अधिक कर लिया गया हो।

(२) यदि लाभांशों पर ऊँची दर से कर काटा गया हो।

(३) यदि विदेशियों को किये गये भुगतानों पर अधिक से अधिक दर पर आय-कर काटा गया हो, परन्तु वास्तव में उसकी आय पर कम दर से कर लगा हो।

(४) यदि एक रकम पर दो बार कर लग चुका हो।

(५) यदि आय-कर अधिकारियों की किसी भूल के कारण अधिक कर लग चुका हो।

(६) यदि किसी अपील करने से कर कम हो जाय, जबकि पहले अधिक कर दिया जा चुका हो।

(७) यदि करदाता के प्रार्थना करने पर भी अधिक दिया हुआ कर वापस नहीं किया जाता है तो इसकी अपील अपैलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ और उसके भी मना करने पर अपैलेट ट्रिब्यूनल में की जा सकती है।

भूल सुधार (*Rectification of Mistake*)—

कमिश्नर या अपैलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर या आय कर अधिकारी अपने दिए हुए निर्णय के चार वर्ष के अन्दर अपनी भूल सुधार सकते हैं, जो कि उन्हें स्वयं प्रतीत हुई हो या करदाता द्वारा उनके सामने लाई गई हो। [धारा ३५ (१)]

यदि इस भूल सुधार के कारण करदाता पर लगाया गया कर कम हो जाता है तो आय-कर अधिकारी इस कर को वापिस करता है। [धारा ३५ (३)]

यदि इस भूल सुधार के कारण करदाता पर कर बढ जाता है तो आय-कर अधिकारी इस बढे हुए कर को वसूल करता है। [धारा ३५ (४)]

करदाता के प्रतिनिधि (Authorised Representatives of Assessee)—

कोई भी करदाता अपने प्रतिनिधि को आय-कर अधिकारी के सामने अपनी ओर से पेश कर सकता है, परन्तु यदि कोई विवरण करदाता को कसम (Oath) पर देना है तो उसे स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। [धारा ६१ (१)]

करदाता के प्रतिनिधि, जो कि उसकी ओर से आय-कर अधिकारी के सामने जा सकते हैं :—

(१) उसका सम्बन्धी ।

(२) करदाता द्वारा नियमित रूप से रखा गया नौकर, जैसे अनुसूचित बैंक ।

(३) उसका वकील ।

(४) अंकेक्षक ।

(५) इनकम-टैक्स प्रैक्टिशनर, जो कि अयोग्य घोषित न किया गया हो ।

[धारा ६१ (२)]

नोट यह आवश्यक है कि ऊपर दिये हुए व्यक्तियों में से प्रत्येक को करदाता का लिखित अधिकार मिलना चाहिए । यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने बुरे चाल चलन के लिए सजा पाया हुआ हो या सरकारी नौकरी से निकाला हुआ हो तो वह करदाता के प्रतिनिधि का कार्य नहीं कर सकता है ।

[धारा ६१ (३)]

आय-कर सूचना को गुप्त रखना—

आय कर अधिकारियो व इस विभाग के कर्मचारियो का यह कर्त्तव्य है कि वे करदाता द्वारा दी हुई सभी सूचनाओं को गुप्त रखें । [धारा ५४ (१) (२)]

यदि कोई सरकारी नौकर करदाता के आमदनी के नक्शे, खाते, प्रपत्रों व अन्य बातों की सूचना बाहरी व्यक्तियों को देता है तो उसे ६ महीने तक की सजा और जुर्माना किया जा सकता है । [धारा ५४ (२)]

सूचना देने का उत्तरदायित्व—

प्रत्येक कम्पनी के मुख्य कर्मचारी को प्रति वर्ष १५ जून या उसके पहले उन अंशधारियों के नाम व पते की सूचना आय-कर अधिकारी के पास भेजनी चाहिए जिनको कि एक निश्चित दर से अधिक लाभांश पिछले वर्ष में दिया गया था ।

[धारा १९-A]

ऐसे व्यक्ति को जिसे प्रतिभूतियों के ब्याज को छोड़कर अन्य प्रकार का ब्याज देना है, प्रत्येक वर्ष की १५ जून को या इसके पहले आय-कर अधिकारी के पास उन लोगों के नाम व पते भेजने चाहिए, जिन्हें गत वर्ष में ४०० रुपये से अधिक ब्याज दिया हो । [धारा २०-A]

किसी व्यापार के मालिक को व्यापार समाप्त कर देने की सूचना ऐसा करने के १५ दिन के अन्दर आय कर अधिकारी को अवश्य देनी चाहिए। [धारा २५ (२)]

आय-कर अधिकारी या असिस्टेन्ट कमिश्नर किसी फर्म या सम्मिलित हिन्दू परिवार से फर्म के साझेदारो के नाम और परिवार के कर्त्ता व वयस्क सदस्यों के नाम व पते पूछ सकता है। [धारा ३८ (२)]

प्रन्यासियो, सरक्षको व अभिकर्त्ताओ से उन व्यक्तियो के नाम व पते पूछ सकते हैं जिनके कि वह प्रन्यासी, सरक्षक या अभिकर्त्ता हो। [धारा ३८ (२)]

करदाता से उन सब व्यक्तियो के नाम व पते पूछ सकता है जिन्हे उसने किसी वर्ष ४०० रुपये से अधिक किराया, ब्याज, कमीशन, अधिकार शुल्क या दलाली दी है। [धारा ३८ (३)]

किसी स्टॉक एक्सचेन्ज या कामोडिटी एक्सचेन्ज के प्रबन्ध से सम्बन्धित दलाल, अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्तियो से उन व्यक्तियो के नाम व पते पूछ सकता है जिनको कि बिक्री, विनिमय या पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण मे उन्होने या एक्सचेन्ज ने कोई रकम भुगतान की हो या उनसे कोई रकम उन्होने या एक्सचेन्ज ने प्राप्त की हो। [धारा ३८ (४)]

बैंकिंग कम्पनी या इसके किसी अफसर से उन बातो की सूचना ले सकता है जिनकी आवश्यकता आय-कर या असिस्टेन्ट कमिश्नर को हो। यह नियम Finance Act, 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। [धारा ३८ (५)]

आय कर अधिकारी व असिस्टेन्ट कमिश्नर व अन्य किसी व्यक्ति को, जिसे आय कर अधिकारी ने या असिस्टेन्ट कमिश्नर ने लिखित आज्ञा देकर नियुक्त किया हो, यह अधिकार है कि वे किसी भी कम्पनी के अशधारियो के रजिस्टर या बन्धक के रजिस्टर (Mortgage Register) या ऋण पत्रो के रजिस्टरों की नकलें ले सकते हैं। [धारा ३९]

प्रतिभूतियो के मालिक और अशो के मालिक को वह सूचना देनी पड़ती है जो कि आय कर अधिकारी ने उनसे पूछी हो। [धारा ४४-E, F]

दलालों व एजेन्टो को उन लोगो के नाम व पते बताने पड़ते हैं जो कोई सम्पत्ति के क्रय या विक्रय से सम्बन्धित होते हैं।

Appeal Procedure at a Glance

QUESTIONS

1. Write a short essay on 'Deduction of Tax at Source'
(Agra, B. Com 1944, 48 Raj, B Com, 1952)

2. Explain Refund of Tax (Agra, B Com, 1945, 46)

3. Section 18 A of the Indian Income tax Act introduced by the Indian Income-tax Amendment Act 1944 provides for advance payment of Income-tax by laying down 'Pay as you earn scheme' discuss briefly the salient features of this scheme.
(Alld, B Com., 1953 Raj B Com, 1951 Agra B Com, 1947)

Note :—Answer this question after taking into consideration the changes introduced by Finance Act, 1960

4. Write short notes on any three of the following —
(a)
(b)
(c) These parts relate to other topics
(d)
(e) Best Judgement Assessment
(Alld. B Com. 1953, 55, Agra, B. Com. 1949)

5. Write note on 'pay as you earn scheme'
(Agra, B. Com, 1951)

6. (a) What is a provisional assessment and on what basis is it made?
(b) These parts relate to other topics.
(c) " " " " "
(Raj, B Com, 1950, Agra, M Com, 1960)

7. What is best judgement assessment? What are the circumstances under which it can be made? State the remedies open to aggrieved party in such a case
(Alld., B Com, 1959)

8. How is Income tax assessment in case of a discontinued business (Raj, B Com, 1953)

9. *Explain briefly the assessment procedure of Income-tax.*

10. Explain briefly the appeal procedure under Income tax Act.

अध्याय १६
कर निर्धारण
(Computation of tax)

भारतीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष एक अधिनियम (Finance Act) पास किया जाता है। इस एक्ट में वे दरें निश्चित की जाती हैं जिनके अनुसार करदाता की गत वर्ष की आय पर कर लिया जाता है। यह एक्ट प्रति वर्ष के शुरू में पास कर लिया जाता है, परन्तु यदि इस एक्ट के पास करने में देर हो जाय तो कर पिछले वर्षों की दरों से या उन दरों से जोकि फाइनैन्स बिल में दी हुई हों, लिया जाता है। इन दोनों दरों में से वही दरें प्रयोग की जायेंगी जोकि करदाता के पक्ष में पड़ती हों।

कर लेने की विधियाँ (Methods of Taxation)—

(१) आय के अनुसार कर निर्धारण (Step system of taxation)।
(२) विभाग के अनुसार कर निर्धारण (Slab system of taxation)।

आय के अनुसार कर निर्धारण (Step system of taxation)—

१ अप्रैल सन् १६३६ के पहले इसी प्रथा के अनुसार कर लिया जाता था। यह इस प्रकार थी :—

आय को भिन्न-भिन्न विभागों में बाँटा जाता था। प्रत्येक विभाग के लिए दरें निश्चित थीं। प्रत्येक आगे वाले विभाग पर लगने वाली दर पीछे वाले विभाग की दर से बड़ी होती थी। जिस व्यक्ति की आय जिस विभाग में पड़ती थी उसी विभाग की दर के अनुसार पूरी आय पर कर देना पड़ता था। नीचे दिए हुए उदाहरण से यह प्रथा स्पष्ट हो जायेगी :—

माना कि दरें इस प्रकार थी :—

		आय-कर
आय के प्रथम	१,५०० रुपए पर······	·············कुछ नहीं
इसके पश्चात् के	३,५०० रुपए पर······	············ ६ पाई प्रति रुपया
,, ,,	२,५०० रुपए पर······	१ आना ६ पाई प्रति रुपया
,, ,,	२,५०० रुपए पर······	२ आना ६ पाई प्रति रुपया

अब माना कि एक व्यक्ति की आय ७,५०१ रुपये है तो इसे इस आय पर २ आना ६ पाई प्रति रुपए के हिसाब से कर देना पड़ेगा और यदि उसकी आय ७,५०० रुपये है तो उसे १ आना ६ पाई प्रति रुपए के हिसाब से कुल आय पर कर देना

पड़ेगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति की आय जैसे ही एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी मे पहुँचती है तो उसकी कुल आय पर अगली श्रेणी वाली दर से कर लगने लगता है।

इस प्रणाली के दोष—

(१) उन व्यक्तियो को बहुत हानि होती है जिनकी आय एक श्रेणी से थोडी ही बडी होती है, जैसे ऊपर दिए हुए उदाहरण मे। यदि एक व्यक्ति की आय ७,५०० रु० से केवल एक रुपया अधिक है तो उसे २ आना ६ पाई प्रति रुपया की दर से कुल आय पर कर देना पड़ेगा और वह व्यक्ति जिसकी आय इससे कुल १ रुपया कम है, १ आना ६ पाई प्रति रुपए के हिसाब से कर देगा। इन दोनो की आय मे केवल १ रुपए का ही अन्तर है, परन्तु कर में काफी अन्तर हो जायेगा।

(२) यह प्रथा बराबर त्याग (Equal Sacrifice) की प्रथा नही थी। एक ही दर से कुल आय पर कर लगने के कारण रईस व कम रईस के त्याग मे विशेष अन्तर नही रहता था।

इस प्रथा को १ अप्रैल सन् १९३९ से बन्द कर दिया गया है और इसी तारीख से कर स्लैब प्रथा के अनुसार निकाला जाता है।

विभाग के अनुसार कर निर्धारण (Slab System of Taxation)—

इस प्रथा के अनुसार आय को छोटे-छोटे विभागों मे बाँट दिया गया है। प्रत्येक विभाग के लिए एक दर निश्चित है और जो आय जिस विभाग मे आती है उस पर उसी विभाग मे लगने वाली दर से कर लगाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन इसी अध्याय मे आगे किया गया है।

Difference between Step System & Slab System—

दोनो प्रथाओं में मुख्य अन्तर यह है कि Step System मे कुल आय पर उस दर से कर लगाया जाता था जो कि आय के आखिरी विभाग पर लगती थी, परन्तु Slab System में कुल आय पर एक दर से कर नही लगता है। इसमे जो आय जिस विभाग मे पडती है उस पर उसी विभाग मे लगने वाली दर से कर निकाला जाता है और भिन्न भिन्न विभागो के निकले हुए करो को जोड लिया जाता है।

नीचे Slab System की दरें Finance Act, 1960 के अनुसार दी हुई हैं। अन्त मे अङ्ग्रेजी मे दिए हुए फाइनेन्स एक्ट को भी देखिए।

आय की दरें (Income Tax Rates)—

(१) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के लिए, जिसके कि एक बच्चा है व सम्मिलित

हिन्दू परिवार के लिए, जिसमे एक minor coparcener है और उनकी कुल आय २०,००० रुपये से अधिक नही है :—

आय के विभाग	दरें
आय के प्रथम ३,३०० रुपये पर	कुछ नही
इसके पश्चात् १,७०० रुपये पर	३%
,, ,, २,५०० रुपये पर	६%
,, ,, २,५०० रुपये पर	९%
,, ,, २,५०० रुपये पर	११%
,, ,, २,५०० रुपये पर	१४%
,, ,, ५,००० रुपये पर	१८%

(२) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के लिए, जिसके २ या २ से अधिक बच्चे है, और उस हिन्दू सम्मिलित परिवार के लिए जिसमे एक से अधिक minor coparcener हैं और उनकी कुल आय २०,००० रुपये से अधिक नही है :—

आय के विभाग	दरें
आय के प्रथम ३,६०० रुपये पर	कुछ नही
इसके पश्चात् १,४०० रुपये पर	३%
,, ,, २,५०० रुपये पर	६%
,, ,, २,५०० रुपये पर	९%
,, ,, २,५०० रुपये पर	११%
,, ,, २,५०० रुपये पर	१४%
,, ,, ५,००० रुपये पर	१८%

(३) प्रत्येक ऐसे विवाहित व्यक्ति के लिए जिसके कोई बच्चा न हो और उस सम्मिलित हिन्दू परिवार के लिए जिसमें कोई minor coparcener नही है और उनकी कुल आय २०,००० रुपये से अधिक न हो :—

आय के विभाग	दरें
आय के प्रथम ३,००० रुपये पर	कुछ नही
इसके पश्चात् २,००० रुपये पर	३%
,, ,, २,५०० रुपये पर	६%
,, ,, २,५०० रुपये पर	९%
,, ,, २,५०० रुपये पर	११%
,, ,, २,५०० रुपये पर	१४%
,, ,, ५,००० रुपये पर	१८%

(४) प्रत्येक अविवाहित व्यक्ति और विवाहित व्यक्ति और सम्मिलित हिन्दू परिवार, जिसकी आय २०,००० रुपये से अधिक है, अनरजिस्टर्ड फर्म तथा अन्य व्यक्तियो के सघ के लिये आय की दरें: —

आय के विभाग		दरें
आय के प्रथम	१,००० रुपये पर	कुछ नही
इसके पश्चात्	४,००० रुपये पर	३%
,, ,,	२,५०० रुपये पर	६%
,, ,,	२,५०० रुपये पर	६%
,, ,,	२,५०० रुपये पर	११%
,, ,,	२,५०० रुपये पर	१४%
,, ,,	५,००० रुपये पर	१८%
,, ,,	शेष आय पर	२५%

ऊपर के करों के सम्बन्ध मे शर्तें—

(१) किसी दशा मे आय-कर की रकम उस रकम के आधे से अधिक नही होगी, जो कि न्यूनतम् छूट सीमा (Minimum exemption limit) और असली रकम का अन्तर है।

(२) किसी भी सम्मिलित हिन्दू परिवार की यदि ६,००० रुपये तक आय होगी तो उसे कोई कर नही देना पडेगा, परन्तु इस सीमा के लिये भी दो शर्तें हैं—

(अ) उस परिवार मे कम से कम दो व्यक्ति १८ वर्ष या इससे अधिक के हो, जो कि बँटवारा कराने का अधिकार रखते हो, और

(ब) इसमे कम से कम दो व्यक्ति बँटवारे का अधिकार रखने वाले ऐसे हो, जो कि एक दूसरे के वंशज (Lineally descendent) न हो और जो कि परिवार के किसी भी जीवित सदस्य के वंशज न हो।

ऊपर समझाये हुये सम्मिलित हिन्दू परिवार को छोडकर अन्य मामलो में आय-कर ३,००० रुपए तक की आय पर नही लगता है।

(३) विधवा स्त्री व उन पुरुषो की गणना जिनकी स्त्रियाँ मर चुकी हैं, विवाहित पुरुषो की भाँति की जावेगी।

Surcharge on Income tax—

(१) आय-कर की रकम का ५ प्रतिशत।

(२) कुल आय पर निकाले गये आय-कर व कुल उपार्जित आय, जो कि कुल आय में शामिल है, पर निकाले गये आय कर के अन्तर का १५ प्रतिशत।

(३) यदि कुल आय मे शामिल हुई उपार्जित आय १,००,००० रुपये से अधिक हो तो इस आय पर निकाले हुए आय-कर व १,००,००० रुपये पर निकाले हुए आय कर के अन्तर का ५ प्रतिशत।

(४) एक सम्मिलित हिन्दू परिवार, जिसे पहिले समझाया जा चुका है, की

आय यदि १५,००० रुपये से कम होगी तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा।

(५) अन्य मामलो मे यदि ७,५०० रुपये से कम आय होगी तो सरचार्ज नही लगेगा।

(६) वित्त-अधिनियम सन् १९६० के अनुसार यदि किसी करदाता की आय में साधारण अंशो का लाभांश शामिल है तो विशेष सरचार्ज (Special Sur-charge) तब तक नही लगेगा जब तक कि करदाता की कुल आय उस रकम से अधिक न हो जो कि ७,५०० रु० मे १,५०० रु० या लाभांश की रकम मे से जो भी कम हो, जोड़कर आने वाली रकम से अधिक न हो।

प्रत्येक रजिस्टर्ड फर्म मे आय-कर की दरें इस प्रकार होगी :—

आय के विभाग	दरें
आय के प्रथम ४०,००० रुपए पर	कुछ नही
इसके पश्चात् के ३५,००० रुपए पर	५%
,, ,, ,, ७५,००० रुपये पर	६%
,, ,, की शेष आय पर	९%

अधि-कर—

प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू सम्मिलित परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म और अन्य संस्थाओं मे अधि-कर की दरें इस प्रकार होगी :—

आय के विभाग	दरें
कुल आय के प्रथम २०,००० रुपए पर	कुछ नहीं
इसके पश्चात् के ५,००० रुपए पर	५%
,, ,, ,, ५,००० रुपए पर	१५%
,, ,, ,, १०,००० रुपए पर	२०%
,, ,, ,, १०,००० रुपए पर	३०%
,, ,, ,, १०,००० रुपए पर	३५%
,, ,, ,, १०,००० रुपए पर	४०%
,, ,, की शेष आय पर	४५%

अधि-कर पर सर चार्ज (Surcharge on Super-tax)—

(१) अधि-कर का ५ प्रतिशत।

(२) कुल आय पर निकाले गये अधि कर मे कुल उपार्जित आय, जोकि कुल आय मे शामिल है, पर निकाले गये अधि-कर के अन्तर का १५ प्रतिशत।

(३) यदि कुल आय मे शामिल हुई उपार्जित आय १,००,००० रुपए से

अधिक हो तो इस आय पर निकाले हुए अधि-कर व १,००,००० रुपए पर निकाले हुए अधि-कर के अन्तर का ५ प्रतिशत।

(४) स्थानीय सरकार के लिये अधि कर की दर कुल आय का १६ प्रतिशत होगी।

(५) प्रत्येक संस्था में, जो आय कर अधिनियम की धारा २ (५ B) के अनुसार सहकारी समितियाँ हैं, अधि-कर की दर इस प्रकार होगी :—

कुल आय के प्रथम २५,००० रुपये पर······· कुछ नहीं।

इसके पश्चात् शेष बाकी पर··· १६%।

इन दरों के अनुसार अधि कर निकाल कर इसका १२½ प्रतिशत से सर चार्ज निकाला जायेगा।

(६) प्रत्येक कम्पनी में सुपर टैक्स की दर बीमा कम्पनी को छोड़कर ५५% होगी, परन्तु इसके ऊपर छूट दी जाती है। छूट से सम्बन्धित नियमों को कम्पनी के विवरण में समझाया जा चुका है।

नोट—दरों के विस्तृत विवरण के लिये परिशिष्ट में दिये हुए Finance Act, 1960 को देखिये।

करदाता द्वारा देय कर निकालने की विधि—

एक करदाता द्वारा देय कर निकालने के लिए निम्नलिखित रीतियाँ अपनानी चाहिए :—

(१) करदाता की कुल आय धारा ७, ८, ९, १० और १२ के अनुसार निकालनी चाहिए। इन सब धाराओं का वर्णन वेतन, प्रतिभूतियों से ब्याज, सम्पत्ति से आय, व्यापार, पेशा व व्यवसाय से आय व अन्य साधनों से आय वाले शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा चुका है।

(२) यदि करदाता विदेशी है तो उसकी कुल संसार की आय भी निकालनी चाहिये।

(३) करदाता की कुल आय का लेखा करते समय जिन आयों पर उद्गम के स्थान पर कर काटे गये हों उन करों का भी लेखा करना चाहिए।

(४) करदाता की कुल आय पर आय-कर व अधि-कर निर्धारित दरों के अनुसार निकालना चाहिए। इन दरों की सूची इसी अध्याय में दी हुई है।

(५) इस प्रकार निकाले हुये आय-कर व अधि-कर में कुल आय का भाग देने से आय-कर की औसत दर निकाली जा सकती है।

(६) यदि करदाता की कुल आय इतनी अधिक हो कि जिस पर सुपर टैक्स लग सकता है तो इस आय पर सुपर टैक्स और इस पर सर चार्ज निकालना चाहिए।

(७) ऊपर बताई हुई विधि के अनुसार निकाले हुए आय-कर व अधि-कर में सुपर टैक्स व उसके अधि कर को जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार जोड़ने से निकाला

हुआ कर ही करदाता के कुल कर की रकम होगी, परन्तु इस रकम में से कुछ रकमें घटाने के बाद, जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है, जो कर की रकम बचेगी उसमें, यदि करदाता पर आय-कर अधिकारियो द्वारा कोई आर्थिक दण्ड लगाया गया है तो, इन आर्थिक दण्डो को जोड़ दिया जायगा और इस प्रकार निकाली हुई कर की रकम ही करदाता द्वारा देय होगी।

आय-कर और सुपर-टैक्स मे से घटने वाली रकमें (Deductions from Income-tax and Super-tax)—

(i) उद्‌गम के स्थान पर काटा हुआ कर।

(ii) धारा १८ (A) के अनुसार अग्रिम दिया हुआ कर।

(iii) कुछ आय आय-कर अधिनियम के अनुसार करमुक्त हैं, परन्तु कुल आय में जोडी जाती हैं। इनका वर्णन अध्याय ४ मे किया जा चुका है। यदि इस प्रकार की आयो मे से कोई भी आय करदाता की कुल आय निकालते समय उसकी आयो मे जोडी गई है तो उन पर आय-कर की औसत दर से निकाला हुआ कर कुल कर मे से घटाया जायेगा।

(iv) यदि किसी करदाता ने विदेश मे अपनी विदेशी आय पर आय-कर का भुगतान कर दिया है तो इसे दोहरे कर की छूट मिलेगी।

Illustration No. 1—

Earned income of Mr. X, who is married and has more than one child is Rs. 10,000, and unearned income is Rs. 5,000 for the year 1959-60. Find out the amount of tax payable by Mr. X for the assessment year 1960—61.

Solution No. 1—

		Rs.
Income-tax on Rs. 15,000		1,042*
Add : Surcharge		
Income-tax on Rs. 10,000 earned income Rs. (as if it is the total income)	417*	
Surcharge thereon @ 5%		20 85
Income-tax on Rs. 15,000 is	1,042	
Less : Income-tax on earned income	417	
	Rs 625	
Surcharge @ 20% on Rs 625.		125
Gross Income tax and Surcharge		Rs. 1,187 85

*Income-tax on Rs. 15,000, and Rs. 10,000—

			Rs.	
On first	Rs. 3,600	@... Nil	...Nil	Rs. 417 on 10,000†
On Next	,, 1,400	@...3%	... 42	
,,	,, 2,500	@...6%	...150	
,,	,, 2,500	@...9%	...225	
,,	,, 2,500	@...11%	..275	
,,	,, 2,500	@...14%	.350	
			Rs. 1,042	

Illustration No. 2—

Earned income of Mr. Y, who is unmarried, is Rs. 7,000 and his unearned income is Rs. 4,500 in the year 1959—60. Find out the amount of tax payable by him in the assessment year 1960-61.

Solution No. 2—

Total Income of Mr. Y

		Rs.
Earned Income		7,000
Unearned Income		4 500
Total Income		Rs. 11,500
Income-tax on Rs. 11,500		660*
Add: Surcharge:	Rs.	
Income-tax on Rs. 7,000 earned income (as if it is the total income)	240†	
Surcharge thereon @ 5%		12
Income-tax on Rs. 11,500 is	660	
Less: Income-tax on earned income	240	
	Rs. 420	
Surcharge @ 20% on Rs. 420		84
Gross Income-tax and Surcharge		Rs. 756

*Income-tax on Rs. 11,500—	Rs.
On first Rs. 1,000......@......	Nil
On next Rs. 4,000......@......3%	120
,, ,, Rs. 2,500......@......6%	150
,, ,, Rs. 2,500......@......9%	225
,, ,, Rs. 1,500 ....@......11%	165
Rs. 11,500	Rs. 660

† Income-tax on Rs. 7,000—	Rs.
On first Rs. 1,000......@......	Nil
On next Rs. 4,000......@......3%	120
,, ,, Rs. 2,000......@......6%	120
,, ,, Rs. 7,000	Rs. 240

Illustration No. 3—

Earned income of Mr. Z. who is married and has only one child, is Rs 12,000 and his unearned income is Rs 6400 for the year 1959 60. Find out the amount of tax payable by him for the assessment year 1960 61

Solution No. 3—

		Rs.
Earned Income		12,000
Unearned Income		6400
		Rs 18400
Income-tax on Rs 18,400 is		1,663*
Add Surcharge:		
Income-tax on Rs 12,000 earned income	Rs.	
(as if it is the total income)	646†	
Surcharge thereon @ 5%		32 30
Income tax on Rs. 18,400 is	1,663	
Less. Income-tax on earned income	646	
	Rs. 1017	
Surcharge @ 20% on Rs. 1,017		203·40
Gross Income-tax and Surchage	Rs.	1,898 70

*Income-tax on Rs. 18,400—

				Rs.
On the first	Rs 3,300	@	Nil	
On the next	,, 1,700	@	3%	51
,, ,, ,,	,, 2,500	@	6%	150
,, ,, ,,	,, 2,500	@	9%	225
,, ,, ,,	,, 2,500	@	11%	275
,, ,, ,,	,, 2,500	@	14%	350
,, ,, ,,	,, 3400	@	18%	612
	Rs. 18,400			Rs. 1,663

†Income tax on Rs. 12,000:—

				Rs.
On the first	Rs. 3,300	@	Nil	
On the next	,, 1,700	@	3%	51
,, ,, ,,	,, 2,500	@	6%	150
,, ,, ,,	,, 2,500	@	9%	225
,, ,, ,,	,, 2,000	@	11%	220
	Rs. 12,000			Rs 646

Illustration No. 4—

Following are incomes of Mr X for the year ending at 31st. March, 1960. - -

	Rs
Salary	12 000
Bonus commission etc	3 000
Annual value of Rented property	3 000
Interest on Deposit with Bank	2,500

Mr X is married and has more than one child The tax deducted from salary by the employer is Rs 985 He is member of Statutory Provident Fund He contributes Rs 1 500 as subscription towards his fund and life insurance premium paid by him is Rs 3 500 The employer has deducted the tax without taking into consideration the life insurance premium paid by the employee Find out total income of Mr Y and the amount of tax payable by him in the assessment year 1960-61

Solution No 4—

			Rs
Salary			12 000
Bonus commission etc.			3 000
	Rs		
Annual value of property	3 000		
Less $\frac{1}{6}$ for repairs	500		
Taxable Income from Property			2 500
Interest on bank deposit			2 500
Total Income of Mr X		Rs	20 000
			Rs.
Income tax on Rs 20 000 total income			1 942*
Add Sur charge	Rs		
Income tax on Rs 15 000 earned income			
(as if it is the total income)	1 042		
Sur charge thereon @ 5%			52 10
Income tax on Rs 20 000 is	1 942		
Less Income tax on earned income			
(as above)	1 042		
	Rs 900		
Sur charge on Rs. 900 @ 20%			180
Gross Income tax and Sur charge		Rs	2 174 10
Less Tax paid at Source			
	Rs		
on Salaries	985		985
		Rs	1 189 10

Less :

	Rs.
Relief on account of P. F. and Insurance Premium which is Rs 1,500+Rs. 3,500 i.e. Rs. 5,000 at the average rate $\left(\text{Rs } \frac{2,174\ 10}{20\ 000}\right)$ is $\left(\frac{2,174\cdot10\times5,000}{20,000}\right)$	543 52
Tax payable	Rs. 645 58

Income-tax on Rs 20,000 and Rs. 15000 :—

				Rs.	
On the first	Rs. 3,600	@		Nil	1,042 on 15 000*
On the next	,, 1,400	@	3%	42	
,, ,, ,,	,, 2,500	@	6%	150	
,, ,, ,,	,, 2,500	@	9%	225	
,, ,, ,,	,, 2,500	@	11%	275	
,, ,, ,,	,, 2,500	@	14%	350	
,, ,, ,,	,, 5,000	@	18%	900	
	Rs. 20,000		Rs.	1,942	

Illustration No. 5—

A derives income from the following sources :

	Rs.
Salary per annum	6,000
Business (Earned income)	8,000
Property (Rents)	3,000
Interest on Tax free Govt. Securities	500
	Rs 17,500

He has paid Rs. 600 as his contribution to a recognised provident fund and his employer contributes the same amount towards it. He has also taken a policy of Rs. 25,000 on which he pays an annual premium of Rs 1,800.

Work out his total income and tax thereon assuming that he is a married individual with more than one dependent and tax deducted at source out of salary is Rs. 102.

Solution No. 5—

		Rs.	Tax deducted at source Rs
Salary		6,000	102
Business		8,000	
Property	3,000		
Less ⅙ for repairs	500	2,500	

		Rs.
Interest on tax free Govt. Securities		500
	Total Income	Rs. 17,000

Exempted Income :

	Rs.
Provident fund contribution	600
Insurance Premium	1,800
Interest on Tax free Govt. Securities	500
	Rs. 2 900

Tax on Rs 1 700—

First	Rs 3,600	Nil	Nil
Next	Rs 1,400	3%	42
Next	Rs 2,500	6%	150
Next	Rs. 2,500	9%	225
Next	Rs 2,500	11%	275
Next	Rs 2,500	14%	350
Balance	Rs 2,000	18%	360
	Rs 17 000		Rs. 1,402

		Rs.
Income-tax on Rs. 17,000		1,402
Add Surcharge		
	Rs	
Income-tax on Rs 14 000 earned income (as if it is the total income)	902	
Surcharge thereon @ 5%		45 10
Income tax on Rs 17 000 is	1,402	
Less Income-tax on earned income (as above)	902	
	Rs 500	
Surcharge @ 20%		100
Gross Income tax and Surcharge		1,547 10
Less tax deducted at source on Salaries		102
		1,445 10
Less relief on account of P F., Insurance Premium and interest on tax free Govt. securities at the average rate $\left(\frac{1,547\ 10}{17,000} \times 2,900\right)$		263 92
Tax payable		Rs 1,181·18

Illustration No 6—

Ram Babu Agnihotri is director and is unmarried. He gets Rs 20 000 as director's fee. He has two houses Taxable income from these two houses amounts to Rs 12 000 These are the incomes of Mr Agnihotri for the year ending 31st March 1960 Find out the amount of Income-tax and Super tax payable by him in the assessment year 1960-61.

Solution No 6—

Ram Babu Agnihotri s Assessment
(1960 61)

	Rs.	Tax Rs
Income tax on Rs 32 000		5 020
Add Surcharge	Rs.	
Income-tax on Rs. 20,000 earned income (as if it is the total income)	2,020*	
Surcharge thereon @ 5%		101
Income tax on total income of Rs. 32 000 is	5 020	
Less Income-tax on earned income (as above)	2 020	
	Rs 3 000	
Surcharge on Rs 3 000 @ 20%		600
		Rs. 5 721
Super tax on Rs 20 000 which is earned income		Nil
Super-tax on Rs 12,000 which is unearned income		1 400
Surcharge @ 20%		280
Super-tax		Rs 1 680
Total tax payable by Mr. Agnihotri (Rs 5,721+1,680)		Rs. 7 401

Tax on Rs. 20,000 will be calculated as below

				Rs.
On first	Rs.	1 000	Nil	Nil
On next	,,	4,000	3%	120
On next	,,	2,500	6%	150
On next	,,	2 500	9%	225
On next	,,	2,500	11%	275
On next	,,	2,500	14%	350
On next	,,	5 000	18%	900
	Rs	20,000	Rs	2 020

Note :—If an assessee has earned and unearned income both then unearned income will b long to that slab where earned income finishes and if necessary it may be treated to belong to higher slab.

Illustration No. 7—

Total income of an assesee is Rs. 28,266. He received Rs. 27,000 as capital gains. Calculate capital gains tax only.

Solution No 7—

Calculation of capital Gains Tax :—

Capital gains tax on Rs 27,000 will be levied at the average rate applicable to total income+⅓rd of capital gains *i.e.* Rs. 28,266 +Rs. 9,000=Rs. 37,266. Tax on Rs. 37,266 will be calculated as under :—

			Rs.
On the first	1,000		Nil
On the next	4,000 @ of	3%	120·00
On the next	2,500 @ of	6%	150 00
On the next	2,500 @ of	9%	225·00
On the next	2,500 @ of	11%	275·00
On the next	2,500 @ of	14%	350·00
On the next	5 000 @ of	18%	900 00
On the next	17,266 @ of	25%	4,316 50
Total tax on Rs. 37,266 is			Rs. 6 336 50

Average rate will, therefore, be

$$\frac{6,336\ 50 \times 100}{37,266} = 17\ 19\%$$

Capital Gains tax on Rs. 27,000/-@ 17 19%=Rs. 4,641·30.

QUESTIONS

1. Distinguish between :—
   (a) This part relates to other topic.
   (b) Slab System and Step System of taxation
   (Alld., B. Com , 1954 , Raj., B. Com , 1954)
2. What are the rates of Income-tax for married individual who has two dependents?

अध्याय १७

व्यय-कर, सन् १६५७

(Expenditure-Tax, 1957)

यह अधिनियम आज तक भारत के अतिरिक्त दुनियां के किसी अन्य देश में पास नहीं किया गया है। इस अधिनियम में कुल ४१ धाराएं हैं और आठ Chapters हैं। राष्ट्रपति ने १७ दिसम्बर सन् १६५७ को इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति दी थी। यह अधिनियम १ अप्रैल सन् १६५८ से लागू हुआ है।

व्यय-कर नीचे लिखे हुए करदाताओं से लिया जाता है :—

(१) व्यक्ति (Individual), या

(२) हिन्दू सम्मिलित परिवार (Hindu undivided Family)।

परन्तु व्यय-कर उन करदाताओं से लिया जाता है जिनकी गत-वर्ष की सब साधनों से प्राप्त हुई कुल आय में से इस आय पर दिये हुए करों (आय-कर व अधि-कर) की रकम घटाकर बचने वाली आय ३६,००० रु० से अधिक होती है और उनके व्यय, धारा ५ व ६ में बताई हुई छूटों व घटाने योग्य रकमों को छोड़ कर, ३०,००० रु० से अधिक हों।

व्यय-कर अफसर का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर अफसर से है।

करदेय व्यय (Taxable Expenditure)—

धारा २ (o) के अनुसार करदेय व्यय का आशय करदाता के उस कुल व्यय से है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत करदेय है।

करदेय व्यय में शामिल होने वाली रकमें (Amounts to be included in Taxable Expenditure)—

धारा ४ के अनुसार नीचे लिखे हुए व्यय करदाता के कुल व्यय को ज्ञात करने के लिए उसमें शामिल किये गये हैं।

करदाता को छोड़कर, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा, करदाता के लिए या उसके आश्रितों के लिए किया हुआ ऐसा व्यय जिसे यदि वह व्यक्ति न करता तो करदाता को करना पड़ता। यह व्यय करदाता के हाथ में १,००० रुपये तक करदेय है।

यदि करदाता के आश्रित ने कोई व्यय करदाता के लाभ के लिए या उसके अन्य आश्रितों के लाभ के लिए करदाता द्वारा दिए हुए उस उपहार (दान) या अन्य प्रकार से मिली हुई रकम से किया है तो यह व्यय भी करदाता के व्यय में शामिल किया जायगा।

नीचे लिखे हुए व्यय करमुक्त हैं और करदाता के करदेय व्यय मे शामिल नहीं किये जाते हैं (Following expenditures are exempted from tax and are not included in the taxable expenditure of an assessee) —

(१) करदाता द्वारा अपने व्यापार, पेशा व व्यवसाय के लिए किया हुआ व्यय, चाहे वह आय व्यय हो या पूँजी व्यय।

(२) करदाता द्वारा अपनी नौकरी के कर्त्तव्यो को पूरा करने के लिए किये हुए व्यय या उसकी ओर से इसी काम के लिए उसके मालिक द्वारा किये हुए व्यय।

(३) सरकार द्वारा दिये हुए कर्त्तव्यो के निबाहने मे करदाता द्वारा किये हुए व्यय।

(४) आय-कर विधान मे करदाताओ को घर जाने के लिए मिला हुआ यात्रा व्यय, जिसे कि करदाता ने व्यय किया है, परन्तु यह १,५०० रु० प्रति वर्ष से अधिक नही होना चाहिये।

(५) किसी अचल सम्पत्ति के बनाने या मरम्मत के लिए करदाता द्वारा किया हुआ व्यय।

(६) करदाता द्वारा ऋणो, अशों, प्रतिभूतियो या अन्य विनियोगो मे किया गया व्यय।

(७) भारतवर्ष मे किसी कुटीर उद्योग की वस्तुओ के क्रय करने मे या चित्र-कला के किसी काम पर, यदि इस प्रकार की किसी वस्तु की कीमत १,००० रु० से अधिक है, और किताबो आदि के क्रय करने मे कर-दाता द्वारा किया हुआ व्यय।

(८) यदि कोई करदाता फर्म या सघ से लाभ प्राप्त करने के लिए फर्म मे पूँजी लगाता है तो यह पूँजी व्यय।

(६) करदाता द्वारा एक ऋण और उसके ब्याज के भुगतान के लिए किया जाने वाला व्यय, परन्तु यह ऋण ऐसे व्यय के लिए न लिया गया हो जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत करदेय है।

(१०) करदाता द्वारा दूसरे आदमी के लाभ के लिए दिया हुआ उपहार, दान या अन्य प्रकार का व्यय।

(११) करदाता द्वारा अपने जीवन व अपने आश्रितो के जीवन बीमा पर या अपने आश्रितो की शिक्षा व शादी के बीमा पर या अपने स्वास्थ्य के बीमा पर या अपनी सम्पत्ति को आग व अन्य प्रकार की हानि से बचाने के बीमा पर दिया हुआ खर्च।

(१२) जानवरों के क्रय करने मे व उनकी सुरक्षा मे किया हुआ व्यय।

(१३) किसी धार्मिक व पुन्य कार्य के लिये किया हुआ व्यय, परन्तु यह व्यय देश के बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

(१४) मनोरंजन के लिए मिले हुए भत्तों, जो कि व्यय-कर से मुक्त है, में से किया हुआ व्यय।

(१५) यदि करदाता विदेशी है तो उसके द्वारा देश के बाहर किया हुआ व्यय।

(१६) प्रमाणित प्रोविडेन्ट फण्ड या सुपरएनुएशन फन्ड में दिया हुआ अंशदान।

(१७) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये हुये Privy Purse में से अपने निजी व्यय को छोड़कर अपने कर्मचारियों को दिये हुए वेतन या पेंशन आदि के रूप में किये हुए व्यय।

(१८) करदाता द्वारा या उसके किसी आश्रित द्वारा यदि करदाता हिन्दू सम्मिलित परिवार है तो उसके किसी सदस्य द्वारा संसद या म्युनिसिपैलिटी या अन्य किसी स्थानीय सरकार के चुनाव के सम्बन्ध में भारत में किया हुआ व्यय। यदि करदाता स्वयं इस चुनाव में उम्मीदवार हो। परन्तु यह व्यय कानून द्वारा निश्चित व्यय से अधिक नहीं होना चाहिये।

करदेय व्यय में से घटाने योग्य रकमें (Deductions to be made in Computing the taxable expenditure)—

धारा ६ के अनुसार करदेय व्यय निकालने के लिए नीचे लिखे हुए व्यय व छूटें घटाई जायेंगी :—

(१) सरकार या स्थानीय सरकार को दिया हुआ कर, परन्तु इस कर में नीचे लिखे हुए कर शामिल नहीं हैं :—

(i) करदाता या उसके आश्रित द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी चल सम्पत्ति पर दिया हुआ कर।

(ii) करदाता द्वारा अपने या अपने किसी आश्रित के प्रयोग के लिए आयात की हुई वस्तुओं पर दिये हुए कर।

(iii) करदाता द्वारा स्थानीय सरकार को अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिये हुए कर।

(२) करदाता द्वारा अपने किसी दीवानी या फौजदारी के मामले में किया हुआ व्यय।

(३) करदाता द्वारा अपनी व अपने आश्रित की शादी में किया हुआ व्यय। यदि करदाता सम्मिलित हिन्दू परिवार है तो इस परिवार के कर्ता अथवा उसके किसी सदस्य की शादी में किया हुआ व्यय, परन्तु यह व्यय ५,००० रुपए से प्रत्येक शादी में अधिक नहीं होना चाहिए।

(४) करदाता द्वारा अपने या अपने आश्रितो के प्रयोग के लिए क्रय किये हुए सोना, चांदी, कीमती जवाहरात, फर्नीचर, मोटर कार या अन्य घर के सामानो पर किये हुए पूंजी व्यय का ४/५ भाग।

(५) करदाता द्वारा अपने माँ बाप के निर्वाह के लिए किया हुआ व्यय, परन्तु यह व्यय ४,००० रुपये से अधिक नही होना चाहिए।

(६) करदाता द्वारा अपनी या अपने आश्रितो की या मां-बाप की दवाई में किया हुआ व्यय। अगर करदाता हिन्दू सम्मिलित परिवार है तो इसके कर्त्ता व इसके सदस्य की दवाई मे किया हुआ व्यय, परन्तु यदि करदाता व्यक्ति है या सम्मिलित हिन्दू परिवार है, जिसमें कर्त्ता उसकी स्त्री और बच्चे है तो यह व्यय ५,००० रु० से अधिक नही होना चाहिए और अन्य प्रकार के हिन्दू सम्मिलित परिवारो मे यह व्यय १०,००० रुपये से अधिक नही होना चाहिए।

(७) करदाता द्वारा अपनी शिक्षा व अपने आश्रितो की शिक्षा पर किया हुआ विदेश मे व्यय और यदि करदाता सम्मिलित हिन्दू परिवार है तो इसके किसी सदस्य की शिक्षा पर किया हुआ व्यय, परन्तु यह व्यय ८,००० रुपये से अधिक नही होना चाहिए।

(८) प्रत्येक व्यक्ति को ३०,००० रुपये की आधार छूट (Basic Allowance) दी गई है और प्रत्येक हिन्दू परिवार, कर्त्ता, उसकी स्त्री और बच्चे के लिये भी ३०,००० रुपये की छूट दी गई है, और इस कुटुम्ब के प्रत्येक अतिरिक्त (Additional) सदस्य पर तीन हजार रुपये की छूट है, परन्तु सम्मिलित हिन्दू परिवार की कुल आधार छूट मिलकर ६०,००० रुपये से अधिक नही होनी चाहिए।

व्यय कर की दरें (Rates of Expenditure tax)—

एक व्यक्ति व सम्मिलित हिन्दू परिवार के करदेय व्यय पर लगने वाली दरें—

(i)	जो व्यय १०,००० रु० से अधिक नही है	१०%
(ii)	जो व्यय १०,००० रु० से अधिक है, परन्तु २०,००० रु० से अधिक नही है	२०%
(iii)	जो व्यय २०,००० रु० से अधिक है, परन्तु ३०,००० रु० से अधिक नही है	४०%
(iv)	जो व्यय ३०,००० रु० से अधिक है, परन्तु ४०,००० रु० से अधिक नही है	६०%
(v)	जो व्यय ४०,००० रु० से अधिक है, परन्तु ५०,००० रु० से अधिक नहीं है	८०%
(vi)	जो व्यय ५०,००० रु० से अधिक है	१००%

महत्त्वपूर्ण नियम—

व्यय कर उसी पर लगता है जिसकी उस वर्ष की कुल आय आय-कर व अधि कर को छोड़कर ३६,००० रु० से अधिक हो और उसका स्वयं का व्यय धारा ५ में दिये हुए करमुक्त व्ययों को छोड़कर ३०,००० रुपये से अधिक हो। अर्थात् ३०,००० रुपये तक के व्यय पर व्यय-कर नहीं लगता है।

व्यय-कर का स्पष्टीकरण—

Example 1. If the income of Mr. X from all sources, whether subject to income tax or not, is Rs. 80 000 and income tax and super-tax thereon is Rs. 35,000. The balance income after payment of taxes as stated above is Rs 45,000. If the personal expenditure of the assessee is Rs. 29,000, what will be the expenditure-tax payable by him ?

Solution I. Mr X will not pay any expenditure tax, because his personal expenditure is only Rs 29,000, while the basic allowance allowed as deduction according to section 6 is Rs 30,000

Example 2. If the income of Mr. X after payment of income-tax and super tax is Rs. 35,000 and the personal expenditure is Rs 60,000 What will be expenditure tax payable by Mr. X ?

Solution 2 Mr X will not pay any expenditure tax, because his income is less than Rs 36,000 and for levying of expenditure-tax, the income of assessee must be more than Rs. 36,000.

Example 3 If the income of Mr. X after payment of tax is Rs 37,000 and the personal expenditure is Rs 60,000 (after deducting exemptions and deductions, if any). What will be the amount of expenditure-tax payable by Mr. X ?

Soution 3.

	Rs.	Rs.
Expenditure	60,000	
Less Basic Allowance	30 000	30,000
(i) on first Rs. 10,000 @ 10%	1,000	
(ii) on next Rs. 10 000 @ 20%	2 000	
(iii) on next Rs 10 000 @ 40%	4,000	
Expenditure-tax payable by Mr. X	Rs. 7 000	

Example 4. Mr. K. Lal had an income of Rs 80,000 in the previous year ended 31st March, 1959 His expenditure for the same year was Rs. 54,000 It included the following expenditures :—

(a) Rs. 4,000 given in the marriage of his daughter by way of gift.

(b) Rs 4,000 paid as premium for the insurance of his life

Find out the amount of Expenditure tax payable by Mr. K. Lal for the assessment year 1959-60.

Solution 4

Assessment Year 1959 60

		Rs
Total Expenditure		54,000
Deductions	Rs	
Basic Allowance	30,000	30 000
		24 000
Less Exemptions		
(a) Gift in daughter's marriage	4,000	
(b) His Life Insurance Premium	4 000	8,000
Taxable Expenditure		Rs 16 000

(Method of Calculation of Tax)

	Rs.
(i) on First Rs 10,000 @ 10%	1,000
(ii) on the next Rs 6,000 @ 20%	1,200
Tax payble by Mr K. Lal on his expenditure	Rs 2 200

अध्याय १८

धन-कर अधिनियम, सन् १९५७

(Wealth-tax Act, 1957)

इस अधिनियम मे कुल ४६ धारायें हैं और ८ Chapters हैं। राष्ट्रपति ने १२ सितम्बर सन् १९५७ को इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति दी थी, परन्तु धन-कर १ अप्रैल सन् १९५७ से आरम्भ होने वाली साल से लेकर प्रत्येक वर्ष के धन पर लगाया जाता है। यह कर व्यक्तियो, सम्मिलित हिन्दू परिवारो और कम्पनियो के शुद्ध धन (Net Wealth) पर लगता है।

शुद्ध-धन (Net Wealth)—

इस अधिनियम की धारा २ (M) के अनुसार Net Wealth का आशय यह है :—

मूल्यांकन तिथि पर एक करदाता की सब सम्पत्तियो का मूल्य (वे चाहे जहाँ स्थित हों) उसके उस तिथि तक के सब ऋणो के मूल्य से जितना अधिक हो उसे शुद्ध धन कहते हैं, परन्तु उसके ऋणो मे धारा ६ मे दिये हुए ऋण व ऐसे ऋण जो कि या तो सुरक्षित (Secured) हैं या ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे लिए गए हैं जिनके ऊपर इस अधिनियम के अनुसार कर नही देना है, शामिल नही किये जायँगे।

Net Wealth to include certain assets—

धन-कर अधिनियम की धारा ४ के अनुसार—

(१) एक व्यक्ति का असली धन निकालने के लिये नीची लिखी हुई सम्पत्तियो को ध्यान मे रखा जाएगा :—

(अ) उन सब सम्पत्तियों का मूल्य जो कि मूल्यांकन के दिन निम्नलिखित के पास हैं :—

(i) वे सम्पत्तियाँ जिन्हे उसने अपनी स्त्री को बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित किया है या उसे अलग रहने के लिए नही दिया है।

(ii) वे सम्पत्तियाँ जिन्हे उसने अपने अव्यस्क बच्चो को, विवाहित लडकियो को छोड कर, बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित किया है।

(iii) एक व्यक्ति या व्यक्तियो के संघ के पास की ऐसी सम्पत्तियाँ, जिन्हे उसने बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित किया है।

(१४) एक व्यक्ति या व्यक्तियो के सघ की सम्पत्तियाँ, जिन्हे उसने खडन करने योग्य हस्तान्तरण (Revocable Transfer) के अन्तर्गत हस्तातरित किया है।

(ब) यदि करदाता किसी फर्म का साझेदार है या व्यक्तियो के सघ का सदस्य है तो उस फर्म व उस सघ में उसका जितना हित है उसका मूल्य।

(२) ऊपर दी हुई उपधारा १ (ब) मे बताए हुए व्यक्ति के हित का मूल्याकन करते समय बोर्ड उस समय के प्रचलित उन सब नियमो को ध्यान में रखेगा जोकि साझेदारों मे व सघ के सदस्यो मे हिसाब करते समय ध्यान में रखे जाते हैं।

(३) यदि ऊपर दी हुई उपधारा १ (अ) की सम्पत्तियो के मूल्यांकन को करदाता के असली धन मे सम्मिलित किया जाता है तो इस कीमत मे से उन समस्त ऋणो को घटाया जाएगा जो कि करदाता द्वारा सम्पत्तियो के मूल्याकन करते समय देय (Owing) थे।

(४) उन सम्पत्तियो का मूल्याकन जो पहली अप्रैल सन् १६५६ के पूर्व हस्तान्तरित की गई थी, करदाता के असली धन मे शामिल नही होगी।

(५) यदि करदाता ने सम्पत्ति का Irrevocable Transfer किया है तो वह सम्पत्ति उस समय उसके असली धन में शामिल की जायगी, जब कि वह हस्तान्तरण खडन करने योग्य होगा।

ऐसी सम्पत्तियाँ जिन पर न तो धन-कर ही लगता है और न वे असली धन में ही शामिल की जाती हैं (Assets which are neither taxable under Wealth-tax nor included in net wealth of the assessee)—

धन कर अधिनियम की धारा ५ के अनुसार नीचे लिखी हुई सम्पत्तियो पर न तो धन-कर ही लगता है और न ये सम्पत्तियाँ करदाता के असली धन मे ही शामिल की जाती है :—

(१) ऐसी सम्पत्ति जोकि करदाता के पास किसी प्रन्यास (Trust) है या अन्य वैधानिक दायित्वो के अन्दर किसी धार्मिक या पुण्य कार्यों के लिए रखी जाती है।

(२) किसी ऐसे सम्मिलित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति मे करदाता का हित जिसका कि वह सदस्य है।

(३) ऐसी एक इमारत (building) जो कि भारतीय सघ मे मिली हुई रियासतो के राजा के अधिकार मे उसके रहने के लिए है और जिसे केन्द्रीय सरकार ने उसका Official Residence घोषित कर दिया है।

(४) एक घर, जोकि पूर्णतया करदाता द्वारा अपने रहने के लिये प्रयोग किया जाता है और एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहा की आबादी दस हजार से अधिक नहीं है और जोकि किसी ऐसे स्थान से ५ मील से अधिक दूर है, जहा के लिए एक म्युनिसिपैलिटी है और जहाँ की आबादी १० हजार से अधिक है।

(५) करदाता के पेटेन्ट व कॉपीराइट के अधिकार, परन्तु शर्त यह है कि इन्हें करदाता व्यापार, पेशा या व्यवसाय की सम्पत्ति की तरह न रखता हो।

(६) करदाता द्वारा उसकी ऐसी बीमा पॉलिसी मे हित (Interest) जिनका कि रुपया अभी करदाता को देय (Due and Payable) नही हुआ है।

(७) करदाता द्वारा अपने मालिक से पुरानी सेवाओं के उपलक्ष मे पेन्शन व Life Annuity प्राप्त करने का अधिकार।

(८) फर्नीचर, घर के बर्तन, पहनने के कपडे व अन्य वस्तुएँ, जोकि करदाता के घरेलू प्रयोग मे आती हैं।

(९) करदाता द्वारा खेती की उपज पैदा करने मे प्रयोग करने वाले औजार (Tools and Implements)। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि औजारों में प्लान्ट और मशीन शामिल नही हैं।

(१०) वे सब औजार जोकि करदाता को अपने पेशा या व्यवसाय को चलाने मे मदद करते हैं और जिनका मूल्याङ्कन २० हजार रुपये से अधिक नही है।

(११) वैज्ञानिक खोज के लिए करदाता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार (Instruments and Apparatus)।

(१२) करदाता की पुस्तकें Manuscripts, Scientific Art Collections इत्यादि, जिन्हे कि वह बिक्री के लिए नही रखता है।

(१३) करदाता के Paintings, Photographs, Prints, Drawings, जिन्हे कि वह बिक्री के लिए नही रखता है, परन्तु इसमें Jewellery शामिल नही है।

(१४) किसी शासक (Ruler) के अधिकार वाली jewellery, परन्तु यह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति न हो और जिसे इस अधिनियम के शुरू होने के पूर्व केन्द्रीय सरकार ने उसके Heirloom की तरह मान लिया हो या यदि इस प्रकार की मान्यता न दी गई हो तो प्रथम बार धन-कर लगते समय बोर्ड द्वारा इस प्रकार की मान्यता दी गई हो।

(१५) करदाता की ज्वैलरी (Jewellery), परन्तु यह मूल्य में २५,००० रुपए से अधिक की नही होनी चाहिए।

(१६) उसके दस-वर्षीय ट्रेजरी सेविंग्ज सर्टीफिकेट्स, १५-वर्षीय एन्युटी सर्टीफिकेट्स, उसकी डाकखाने के सेविंग्ज बैंक मे जमा रकमे, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टीफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट्स इत्यादि।

(१७) करदाता के कुल प्रॉवीडेन्ट फण्ड की रकम, यदि उसका प्रॉवीडेन्ट फण्ड सन् १९२५ के अनुसार है या Recognised Provident Fund है।

(१८) यदि करदाता ने कोई सम्पत्ति सरकार से बहादुरी के इनाम में पाई है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने मान्यता दी है।

(१९) यदि करदाता कम्पनी है तो ऐसे करदाता द्वारा उन अंशो (Shares) का मूल्य जो कि वह दूसरी कम्पनी मे लिए हुए है ।

(२०) करदाता द्वारा लिए हुए ऐसी कम्पनी के अंशो का मूल्य जिनका वर्णन धारा ४५ (D) मे किया गया है ।

(२१) यदि एक कम्पनी धारा ४५ (D) के अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए भारत मे शुरू हुई है तो इस कम्पनी के असली धन का वह भाग जोकि इस विधान के शुरू होने के बाद कम्पनी के नए हिस्से पर प्रयोग किया गया है ।

(२२) यदि करदाता ने कोई रकम केन्द्रीय सरकार पर जमा की है या सरकार या स्थानीय सरकार की ऐसी प्रतिभूतियो मे लगाई है जिन्हे केन्द्रीय सरकार कर-मुक्त घोषित करती है तो इन पर धन कर नही लगेगा ।

Exclusion of Assets and debts outside India—

धारा ६ के अनुसार एक व्यक्ति या सम्मिलित हिन्दू परिवार, जोकि भारत का निवासी नही है या निवासी है, परन्तु साधारण निवासी नही है या एक कम्पनी जोकि भारत की निवासी नही है, के असली धन को निकालते समय उसकी विदेशो में स्थित सम्पत्ति व कर्जों (Debts) को ध्यान मे नही लाया जाएगा। भारत की ऐसी सम्पत्तियो के मूल्य को भी ध्यान में नही लिया जाएगा जोकि किसी ऐसे ऋण के कारण हैं जिस पर दिया जाने वाला व्याज आय कर की धारा ४ (३) के अनुसार करदाता की कुल आय मे शामिल नही किया जाता है ।

How to determine the Value of Assets—

धारा ७ के अनुसार नकदी को छोड कर किसी भी सम्पत्ति का मूल्याङ्कन उस मूल्य पर किया जाएगा जो धन कर अधिकारियो के दृष्टिकोण से खुले बाजार मे यदि वह Asset बेचा जाए तो प्राप्त किया जाएगा। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उन नियमों को बनाया है जिनके आधार पर धन कर लगाने के लिये सम्पत्तियो का मूल्याङ्कन किया जाता है ।

Wealth tax Authorities—

Wealth tax Officers–प्रत्येक आय कर अधिकारी ही धन-कर अधिकारी का काय करता है । इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी होते हैं, जिनके नाम नीचे दिए हुए हैं :—

Appellate Assistant Commissioners of Wealth-tax, Inspecting Assistant Commissioners of Wealth-tax, Wealth tax Officers to be subordinate to the Commissioner of Wealth-tax and the Inspecting Assistant Commissioner of Wealth-tax, Wealth tax Authorities to follow orders, etc , of the Board

इन सब अधिकारियो का विस्तृत वर्णन धन कर अधिनियम की धारा ९, १०, ११, १२ और १३ मे किया गया है ।

Exempted Companies—

वित्त अधिनियम सन् १९६० की धारा १३ के अनुसार एक कम्पनी के शुद्ध धन पर १ अप्रैल सन् १९६० से कोई धन कर नहीं लगेगा ।

विदेशियों को छूट (Relief to Foreigners)—

जितना धन कर एक व्यक्ति को धन कर अधिनियम के अनुसार देना होता है उसका आधा धन कर एक विदेशी से भारतीय सम्पत्ति पर लिया जाता है, अगर वह नीचे लिखी हुई दोनों शर्तें पूरी करे :—

(अ) वह भारत का नागरिक न हो, और

(ब) वह भारत का निवासी न हो ।

धन-कर की दरें (Rates of Wealth tax)—

	कर की दरें
(अ) प्रत्येक व्यक्ति के लिए—	
(i) असली धन के प्रथम दो लाख रुपये पर	कुछ नहीं
(ii) असली धन के अगले दस लाख रुपये पर	१%
(iii) असली धन के अगले दस लाख रुपये पर	१½%
(iv) असली धन के शेष पर	२%
(ब) प्रत्येक सम्मिलित हिन्दू परिवार के लिए—	
(i) असली धन के प्रथम चार लाख रुपये पर	कुछ नहीं
(ii) असली धन के अगले नौ लाख रुपये पर	१%
(iii) असली धन के अगले दस लाख रुपये पर	१½%
(iv) असली धन के शेष पर	२%

नियम १—यदि कोई ऐसी सम्पत्ति करदाता के Net wealth मे शामिल है जिस पर धारा ५ (२) के अनुसार धन कर नहीं लगता है तो इस Net wealth पर जो धन कर लगेगा उसका कुल धन कर के साथ वही अनुपात होगा जाकि कर न लगने वाली सम्पत्ति के साथ होता है ।

नियम २—कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं की Net wealth मे यदि ऐसी कम्पनी के अंशो का मूल्य शामिल है जोकि कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ की धारा ३ मे समझाई गई है तो करदाता द्वारा अपनी Net wealth पर दिया जाने वाला धन कर उस रकम से कम कर दिया जाएगा, जिससे कि निम्नांकित का जोड़, Net wealth मे शामिल अंशो के मूल्य पर २ प्रतिशत की दर से निकाली हुई रकम से कम होता है :—

(अ) कि करदाता द्वारा दिया जाने वाला धन कर का वह भाग जोकि कुल कर के साथ वही अनुपात रखता है जो कि ऊपर समझाई हुई Net wealth मे शामिल अंशो का मूल्य उसके कुल Net wealth के साथ रखता है ।

(ब) उसी करदेय वर्ष मे कम्पनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले धन कर का

वह भाग जोकि कुल कर के साथ वही अनुपात रखता है जोकि करदाता के Assessment मे शामिल अशो की Paid up value का कम्पनी को कुल अश पूँजी की Paid up value के साथ है।

नियम ३—यदि करदाता एक ऐसा व्यक्ति है जो कि न तो भारत का नागरिक ही है, न भारत का निवासी ही तो उसे एक भारतीय निवासी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले धन-कर की तुलना मे ५० प्रतिशत ही धन-कर देना पडेगा।

नियम ४—भारत के एक नागरिक, व्यक्ति व सम्मिलित हिन्दू परिवार के Net wealth मे यदि कोई ऐसी सम्पत्ति शामिल है जोकि भारत के बाहर स्थित है, तो कुल Net wealth पर दिया जाने वाला कर उतने रुपयों से कम कर दिया जायगा जितना कि विदेशी सम्पत्ति पर कुल सम्पत्ति पर कर का अनुपातिक कर है।

धन-कर का निर्धारण (Wealth-tax Assessment Procedure)—

यदि किसी व्यक्ति का शुद्ध धन न्यूनतम करदेय रकम से अधिक हो तो उसे करदेय वर्ष मे ३० जून के पहले इस धन का विवरण आय-कर अधिकारी, जोकि धन-कर अधिकारी भी होता है, के पास भेजना चाहिए। यदि धन-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि एक व्यक्ति का शुद्ध धन धन-कर लगने योग्य है तो वह अपनी ओर से ऐसे व्यक्ति को धन का विवरण देने के लिए नोटिस देता है। इस नोटिस के प्राप्त होने पर एक निश्चित समय के अन्दर आमतौर से ३५ दिन के बाद उस व्यक्ति को अपने धन का विवरण धन कर अधिकारी के पास भेज देना चाहिए। धन का विवरण धन कर अधिकारी के पास न पहुँचाने पर धन-कर अधिकारी अपनी इच्छानुसार कर लगाता है और कर की रकम के डेढ गुने तक जुर्माना कर सकता है।

जब धन का विवरण आय-कर अधिकारी के पास भेज दिया जाता है तब यह अधिकारी इस धन से सम्बन्धित लेखे या प्रमाण देने के लिए नोटिस देता है। करदाता द्वारा दिए हुए विवरणो और प्रमाणो के आधार पर धन-कर अधिकारी कर निर्धारण करता है। तत्पश्चात् एक नोटिस, जिसे माग-पत्र (Demand Notice) कहते हैं, करदाता के पास धन कर की रकम जमा करने के लिये भेजा जाता है। कितने समय के अन्दर यह रकम जमा होनी चाहिए, यह नोटिस मे दिया रहता है। जब करदाता धन-कर की रकम जमा कर देता है तो धन-कर की कार्यवाही समाप्त हो जाती है।

धन-कर की अपील—

यदि करदाता धन-कर अधिकारी द्वारा किये हुए कर निर्धारण से असन्तुष्ट है तो वह अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकता है। यदि इस कमिश्नर के निर्णय से सन्तोष नही है तो अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल मे की जा सकती है। इस ट्रिब्यूनल का दिया हुआ निर्णय तथ्य के विषय (Point of Fact) पर अन्तिम

निर्णय माना जाता है। परन्तु कानून के विषय पर हाई कोर्ट मे अपील की जा सकती है।

अपैलेट ट्रिब्यूनल की आज्ञा प्राप्त करने के बाद कानून के प्रश्न पर हाई कोर्ट मे अपील की जा सकती है। यह अपील एक निश्चित फार्म पर होनी चाहिए।

हाई कोर्ट मे दिए हुए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मे अपील की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए हाई कोर्ट का प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है। यह अपील केवल कानूनी प्रश्न पर ही होती है। कानून के प्रश्न पर इस कोर्ट द्वारा दिया हुआ निर्णय अन्तिम निर्णय माना जाता है।

Illustration 1. Mr Surendra Bahadur Shukla, a resident in the taxable territories, had the following assets and liabilities on the valuation date 31st March 1960. Find out the amount of wealth-tax payable by him.

		Rs.
Capital in business as on 31-3 1960	...	80,000
Savings account with Bank of India, Joint with his wife	...	10,000
Agricultural land in Bombay State	...	40 000
Value of property transferred in the name of minor children on 15-10 1953	...	10,000
Value of property transferred in the name of minor children 15-10-1956	...	20 000
House property (market value)	...	30,000
Shares in joint stock companies registered in India (market value)	...	1,25,000
Government securities (market value)	...	12,000
Interest accured upto 31-3-1960 on Government securities	...	200
Jewellery & ornaments	...	30,000
Motor car for personal use (market value)	...	7,000
National savings certificates (Purchased before 1st Oct 1959)	...	40 000
Cash in house	..	300
Shares in sterling companies (market value)	...	18,700
Amount advanced on mortgage Rs 54,000 Interest accrued 300	...	54,300
Household goods	...	2,000
Interest in Joint Hindu family	...	20,000
Policy on his wife maturing on death	...	25,000
	...	5,24,500

Less Debts and outstanding expenses

	Rs	
Grocer s bill	500	
Rent outstanding	250	
Taxes—Income Tax		
Municipal Tax etc	4 750	
		5 500
		5 19 000

Less Value of property not liable & exempt

	Rs	
Agricultural lands	40 000	
Transferred to minor children prior to 31 3 1956	10 000	
Jewellery and ornaments	25 000	
Motor car for personal use	7 000	
National savings certificates	40 000	
Household goods	2 000	
Interest in Jt Hindu family	20 000	
Pol cy money not matured	25 000	1,69 000
Net Wealth		3 50 000
Wealth tax on the first Rs 2 00 000		Nil
Wealth tax on the next 1 50 000 @ 1%		1 500
Wealth tax		Rs 1 500

Rebate on assets situated outside India viz shares in sterling companies in terms of Rule 4 of the Schedule

Total wealth	Assets outside India	Wealth tax
Rs 3 50 000	Rs 18 700	Rs 1 500

Proportionate wealth tax on assets situated outside India $= \dfrac{\text{Rs } 1\,500 \times \text{Rs } 18\,700}{\text{Rs } 3{,}50\,000}$

= Rs 80 (Approximately)

Wealth tax	Rs 1 500
Less Rebate @ 50% of Rs 80/	Rs 40
Balance wealth tax payable	Rs 1 460

Notes

1 Agricultural lands are outside the scope of wealth tax and hence excluded

2 Any amount transferred to wife or minor children prior to 1-4 56 is exempt

3 Jewellary and ornaments upto Rs 25,000 is exempted and

only the excess over Rs. 25,000 is to be included in the net wealth.

4. National savings certificates, household goods and interest in Jt. Hindu family etc. are exempt.
5. Insurance premiums paid, but the policy amount not due for payment, are exempt.

अध्याय १६

उपहार-कर अधिनियम सन् १६५८

(The Gift tax Act, 1958)

यह एक्ट जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सारे भारत पर १ अप्रैल सन् १६५८ से लागू हुआ है। निम्नांकित पर यह कर लगता है :—

(१) व्यक्तियों पर,

(२) हिन्दू सम्मिलित परिवारों पर,

(३) कम्पनियों पर,

(४) फर्म और अन्य व्यक्तियों के सगठनों पर।

परन्तु निम्नांकित पर यह कर नहीं लगता है :—

(१) सरकारी कम्पनियाँ,

(२) केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये हुए कॉर्पोरेशन,

(३) ऐसी पब्लिक कम्पनियाँ जो ६ या ६ से अधिक व्यक्तियों के नियन्त्रण मे है और जिनके अधिकांश अंश उन व्यक्तियों के पास हैं।

(४) ऊपर नम्बर ३ मे समझाई हुई कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ (Subsidiary Companies)।

(५) प्रमाणित पुण्यार्थ सस्थायें या अधिकोष (Recognised Charitable Institutions or funds)।

ऊपर दी हुई सूची के नम्बर ३ मे पब्लिक कम्पनियाँ कर देने से मुक्त हैं। प्राइवेट कम्पनियाँ मुक्त नहीं हैं।

इस अधिनियम मे उपहार (Gift) की परिभाषा इस प्रकार है—एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को किसी विद्यमान (Existing) चल या अचल सम्पत्ति को ऐच्छिक (Voluntarily) और बिना प्रतिफल के हस्तान्तरण करना। उपहार में उन सम्पत्तियों को भी शामिल किया गया है जो इस एक्ट की धारा ४ मे समझाई गई हैं। इसके अनुसार उन सम्पत्तियों का हस्तान्तरण भी उपहार में आता है जोकि केवल नाम मात्र प्रतिफल लेकर हस्तान्तरित की जाती हैं। किसी पर ऋण छोड़ देना भी इसमें शामिल है। सारांश यह है कि उपहार की परिभाषा बहुत विस्तृत है और इसमे बहुत सी वस्तुयें शामिल हैं, जहाँ सम्पत्ति अपर्याप्त मूल्य पर दूसरे को लाभ पहुँचाने के लिए हस्तान्तरित की जाती है। इस हस्तान्तरण को आंशिक उपहार (Partial Gift)

कहा जाता है, परन्तु जितना प्रतिफल इस हस्तान्तरण में सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने वाले को मिलता है उसे कर के लिए छोड दिया जाता है।

ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जहाँ बिना सम्पत्ति का हस्तान्तरण किये दूसरे व्यक्तियो को सम्पत्ति मे लाभ पहुँचाया जाता है, उन्हे भी उपहारो मे शामिल किया गया है।

नीचे लिखे हुए उपहारो पर कर नही लगता है :—

(१) भारतवर्ष के बाहर स्थित अचल सम्पत्ति का उपहार।

(२) भारत के बाहर स्थित चल सम्पत्ति का उपहार, यदि उपहार देने वाला भारत का नागरिक नहीं है।

(३) ऐसे सेविंग सर्टीफिकिट का उपहार जिन्हे उपहार मुक्त-कर (Gift tax free) घोषित किया गया है।

(४) सरकार या स्थानीय सरकारो को दिए हुए उपहार,

(५) प्रमाणित पुण्यार्थ संस्थाओ और कोषो मे दिए हुए उपहार।

(६) किसी भी पुण्यार्थ कार्य के लिए दिया हुआ उपहार, जोकि १०० रु० से अधिक नही होना चाहिए।

(७) आश्रित स्त्रियो की शादी मे दिया हुआ उपहार, परन्तु यह १०,००० रु० से अधिक नही होना चाहिए।

(८) स्त्री (Wife) को दिए हुए उपहार इस कर से मुक्त हैं। यदि ये धन एक लाख रुपये से अधिक के नही है, परन्तु यदि स्त्री इस उपहार में से किसी को उपहार देती है तो यह उपहार उसके पति के द्वारा दिया हुआ माना जायेगा और इसे करदेय उपहार मे जोड लिया जायगा।

Illustration No. 1—

Mr. *A* makes a gift of Rs. 80,000 to his wife on 1st May 1959 and of this amount his wife makes a gift of Rs. 40,000 to her son on 1st October 1959. Find out the amount of gift on which tax will be levied.

Solution No. 1—

Gift by husband to his wife is exempted upto Rs. 1,00 000. Therefore no tax is payable on 1-5-59. But out of this gift wife has gifted to her son Rs. 40,000 on 1-10-1959 This gift will be treated taxable gift.

(९) अपने आश्रितो को उपहार रूप में दी हुई बीमा पॉलिसी, जिसकी अधिक से अधिक रकम प्रत्येक दान लेने वाले के लिए १०,००० रु० है।

(१०) एक इच्छा पत्र (Will) के अन्तर्गत दिया हुआ उपहार।

(११) ऐसे उपहार जो मृत्यु के समय दिए जाते हैं।

(१२) करदाता के बच्चों की शिक्षा के लिये दिये हुये उपहार, परन्तु इनकी राशि उचित होनी चाहिये।

(१३) मालिक द्वारा नौकर को उपहार के रूप मे दिये हुये बोनस या पेन्शन की उचित रकम।

(१४) किसी व्यापार, पेशा या व्यवसाय करते समय दिये हुए उचित उपहार।

(१५) किसी ऐसे व्यक्ति को दिये गये उपहार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भूदान या सम्पत्तिदान का अधिकारी (incharge) हो।

आधार छूट की सीमा (Basic Exemption Limit)—

उपहार-कर के लिये आधार छूट की सीमा (Basic exemption limit) १०,००० रु० है, अर्थात् यदि एक व्यक्ति ने गत वर्ष मे १०,००० रुपये तक उपहार दिया है तो उसे कोई कर नही देना पडेगा, परन्तु यदि एक व्यक्ति दूसरे को एक साल मे ३,००० रु० से अधिक उपहार देता है और उसके कुल उपहार मिलकर ५,००० रु० से अधिक हो जाते हैं तो उसे अधिक उपहारो पर कर देना पडेगा, अर्थात् ऐसे मामलो मे आधार छूट की सीमा ५,००० रुपये है।

Illustration No. 2—

If *A* gives a gift of Rs 5,000 to his son and of Rs 2,500 each to his two daughters What will be the basic exemption limit and on what amount he will have to pay Gift tax

Solution No. 2—

There is a basic exemption given upto Rs. 10,000, but if the value of taxable gifts of one donee exceeds Rs. 3,000, then this limit is reduced to Rs. 5,000 In this example as *A* has given a gift of Rs 5,000 to his son hence the basic exemption is Rs 5 000. He will have to pay a tax on remaining Rs 5,000 (Rs. 2,500 to each of his two daughters)

उपहारों का मूल्यांकन (Valuation of Gifts)—

धन-कर (Wealth tax) के अनुसार उपहार-कर मे भी उपहारो का मूल्याकन नकद उपहारो को छोड कर, उपहार देने की तारीख को बाजारू कीमत (Market Rate) पर किया जाता है। इस अधिनियम की धारा ६ में उपहारो के बाजारू कीमत के सम्बन्ध मे नीचे लिखी शर्तें जुडी है—

उपहारों का मूल्यांकन उस मूल्य पर किया जावेगा जिसे उपहार-कर ऑफीसर उपहार की तिथि का बाजारू मूल्य समझता है।

कर की दर (Rate of Tax)—

		कर की दर
(१) प्रथम करदेय उपहारो के	५०,००० रु० पर	४%

(२) अगले करदेय उपहारों के	५०,००० रु० पर	६%
(३) अगले करदेय उपहारो के	५०,००० रु० पर	८%
(४) अगले करदेय उपहारो के	५०,००० रु० पर	१०%
(५) अगले करदेय उपहारो के	१,००,००० रु० पर	१२%
(६) अगले करदेय उपहारो के	२,००,००० रु० पर	१५%
(७) अगले करदेय उपहारो के	५,००,००० रु० पर	२०%
(८) अगले करदेय उपहारो के	१०,००,००० रु० पर	२५%
(९) अगले करदेय उपहारो के	१०,००,००० रु० पर	३०%
(१०) अगले करदेय उपहारो के	२०,००,००० रु० पर	३५%
(११) करदेय उपहारो की शेष रकम पर		४०%

महत्त्वपूर्ण नियम—

उपहार-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगने वाले कुल उपहारो का मूल्य यदि १०,०००) रु० या इससे कम है तो इस रकम पर उपहार कर नही लगेगा। यदि उपहार की रकम १०,०००) रुपये से अधिक है तो करदेय उपहार की रकम निकालने से पहले उपहार कर अधिनियम की धारा ५ (२) के अनुसार १०,०००) रुपये की छूट घटाई जायगी। उदाहरण के लिए—यदि करदेय उपहारो की कुल रकम ४५,०००) रुपये है तो पहले १०,०००) छूट को घटा कर ३५,००० रुपये पर ४ प्रतिशत से १,४००) उपहार कर होगा।

उपहार कर अधिकारी (Gift-tax authorities)—

उपहार-कर लगाने व वसूल करने के अधिकारी आय कर अधिकारी हैं। इस कर लगाने के तरीके, अपील करने, वसूल करने आदि के तरीके लगभग वैसे ही हैं, जैसे कि धन-कर व व्यय कर के हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गत वर्ष मे उपहार दिया है, करदेय वर्ष मे ३० जून के पहिले गिफ्ट टैक्स अफसर के पास एक विवरण (Return) देना पड़ता है।

Rebate on Advance Payment of Gift-tax—

इस अधिनियम के अनुसार यदि एक मनुष्य करदेय उपहार देने के बाद १५ दिन के अन्दर निश्चित दरो पर उपहार कर सरकार को दे देता है तो उस व्यक्ति को Regular Assessment के समय कर के रूप मे दी हुई रकम का क्रेडिट तो दिया ही जायेगा पर अग्रिम दी हुई रकम पर १०% की छूट और मिलेगी। यह छूट उसी समय मिलेगी जबकि अग्रिम कर नीचे लिखे हुए दरो पर दिया जाय—

५०,००० रुपयो के उपहार तक	४%
५०,००० रुपयो से २,००,००० रुपयो तक	८%
शेष रकमो पर	१५%

Illustration No. 3—

Mr *X* transfers on 1 9 59 his immoveable property to his son '*B*' for Rs. 60,000 and receives the amount from his son He also transfers on the same date certain moveable property to his son '*A*' for an agreed value of Rs 50,000 but does not receive the said amount from '*A*' The Gift tax Officer while making assessment finds that the market value of the immoveable property to his son '*B*' is Rs 90,000 and is also of the opinion that the moveable property transferred to his son '*A*' for Rs. 50 000 is not likely to be received by him Find out the taxable gift, if any.

Solution No. 3—

As in the Gift-tax Officer's opinion market value of the property given to 'X' is Rs 90,000, while actually it is transferred for Rs. 60,000. Rs. 30 000 is taxable gift in the first case In the case of his second son, full amount of Rs. 50,000 is taxable gift Therefore total taxable gift is Rs 80,000 (Rs 30,000+ Rs 50 000).

Illustration No 4—

Mr *A* has made certain investments out of his own capital on 1-5-1959 but for the sake of convenience, the investments are in joint names of himself and his son *B* On selling, part of the investments on 1-1 1960, the proceeds to the extent of Rs 20,000 is appropriated by the son '*B* and deposited in his own Bank account. What will be the position from Gift tax point of view ?

Solution No 4—

The sale proceeds to the extent of Rs 20,000 which is appropriated by *B* will be treated as gift made by *A* to *B* and will be included in the taxable gifts made by *A*.

Illustration No 5—

Mr. X makes the following gifts from 1 4 1959 to 31-3- 60 —

(a) Rs 10,000 in saving certificates to be declared as Gift-tax free by the Central Govt

(b) Rs. 15,000 as donation to institution for charitable purposes within the meaning of sec. 15 (B) of Income tax Act, 1922.

(c) Rs 5,000 is donation to charitable institutions not within the meaning of Sec. 15 (B) of the I T. Act, 1922

(d) Rs 10,000 as gift to his three sons and two daughters each receiving Rs. 2,000.

Are the above gifts liable to taxation under Gift-Tax Act of 1958 ? If so, what is the amount of tax which Mr. *X* will pay under Gift tax Act ?

Solution No. 5—

Rs. 5,000 donation to charitable institution not within the meaning of 15 (B) of I. T Act, 1922 and Rs. 10,000 as gifts to his three sons and two daughters each receiving Rs. 2,000 are liable to tax under Gift-Tax Act.

Mr. *X* will, therefore, be required to pay gift tax on Rs 5 000 only though this total taxable gift is Rs. 15 000 This is so because he is entitled to claim statutory reduction of Rs. 10,000.

The amount of tax on Rs. 5,000 @ 4% will be Rs 200

———

क्रियात्मक प्रश्न

(Practical Questions)

*** All the Questions in this part have been answered as per the Income-tax Law up to-date, and as modified by the Finance Act, 1960**

1 An employee is in receipt of a salary of Rs 600 per month, 8 per cent of which he contributes to a provident fund to which his employer contributes 12 per cent He is provided with a rent free house by the employer, the rental value of the house being Rs 600 per annum, and he also received from the employer Rs 1,200 as bonus The amount of interest credited to his provident fund account for the year at 5 per cent per annum is Rs 450 He paid Rs 2 000 as life insurance premium Ascertain his total income and exempted income for the assessment year 1959—60 if the provident fund in question is

(a) a provident fund to which the Provident Funds Act 1925, applies,
(b) a recognised provident fund, or
(c) an unrecognised provident fund

(Agra, B Com., 1960)

(See also Illustration No. 4 of VI Chapter)

Note—In this question 1959 60 has been treated as 1960 61 for the sake of solution

Solution No. 1—

(a) When the Provident Fund is such to which the Provident Funds Act of 1925 applies

		Rs
Salary		7 200
House Allowance		600
Bonus		1,200
		Total Income Rs 9 000
Exempted Income		
P. F. Contribution	Rs.	
(By employee only)	576	
Life Insurance Premium	1 674	
	Rs. 2,250	

Note—(i) Full premium of Rs 2 000 will not be exempted because employee's contribution to P. F plus insurance premium should not be more than ¼ of the total income or Rs 8,000 whichever is less

(ii) Full house allowance has been taken into consideration as per sub rule (ii) of clause (a) of sub rule (i) of Rule 24 A (It has been explained in the VI Chapter dealing with salary)

(b) When the P F is a Recognised P F

		Rs
Salary		7,200
House Allowance		600
Bonus		1 200
Employer s Contribution to P F (in excess of 10 per cent of his salary of Rs 7,200) is	Rs 144	
Interest credited to P. F in excess of ⅓ of his salary and prescribed rate of 6 per cent per annum is	Nil	144
Total Income		Rs 9 144

Exempted Income

	Rs.
P. F Contribution by employee only	576
Life Insurance Premium	1 710
Rs	2 286

Note—P F by employee and premium are limited to ¼ of total income or Rs 8 000 whichever is less

(c) When the P. F is unrecognised P F

	Rs.
Salary	7,200
House Allowance	600
Bonus	1,200
Total Income	Rs 9 000

Exempted Income

	Rs
Life Insurance Premium	2 000

2. The profit and Loss Account for 1937 of a firm consisting of three partners A, B and C (with shares 4 3 and 1) showed a net loss of Rs. 16,000 after charging the following items —

Interest on Capital A—Rs 3,000, B—Rs 2,000, C's salary Rs 3000

A's taxable income from other sources is Rs. 5,000, while B and C have no other income Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered, (b) when it is unregistered.

(Agra University, B. Com, 1959)

(See also Question No 27)

Note—In this question 1957 has been treated as 1959 for the sake of solution

Solution No 2—

			Rs
Loss as per P & L A/c.			16 000
Less	Rs		
Interest on Capital			
A	3,000	Rs.	
B	2 000	5 000	
C's salary		3 000	8 000
		Rs	8 000

Allocation of firms income amongst the Partners

	A	B	C
	Rs	Rs.	Rs
Interest on Capital	3 000	2 000	Nil
Salary			3 000
Share of firm's loss	—8,000	—6 000	—2 000
Rs	—5 000	—4 000	+1 000

When the firm is registered—

A can set off his share of firms loss of Rs 5 000/- against his income of Rs 5 000/- which is from other sources He will not pay any tax as his income becomes zero after writing off his share of firms loss. As B has no other income, he can carry forward his share of Rs 4,000 in order to set it off against his share of future profit of the firm or against any other business profit, but maximum limit for this carry forward is eight years

C's income is only Rs 1,000/- hence he is not liable to tax

When the firm is Unregistered—

Unregistered firm itself will carry forward its loss to future years in order to set it off from future income, but maximum limit

for this carry forward is e ght years *A* will pay tax on Rs 5 000 because he is not allowed to set off his share of firm s loss from his other income

B cannot carry forward his share of firm s loss to future years

C is not liable to pay tax as his total income is only Rs 1 000 which is below the minimum exemption limit

3 A professor in a college gets a salary of Rs 800 per month He contributes one anna per rupee of his salary to a recognized provident fund to which the college also contributes an equal amount The interest on his provident fund account for the year ended 31st March 1958 (at 5 per cent per annum) amounted to Rs 672

He is also the owner of two houses one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his own res dence and the other (municipal valuation Rs 1 000) let at Rs 100 per month His expenses for the two hou es were —

Municipal taxes Rs 180 Land revenue for the house let Rs 40 Interest on loan taken to repair the residential house Rs 200 Fire Insurance premium Rs 120 Cost of extension of electric fittings in his residence Rs 250

Ascertain his taxable income from the property his total income and the amount exepmt from income tax for the previous year ending 31st March 1958 Assume that the house let remained vacant for two months and that he paid Rs 850 as premium of his life policy for Rs 8 000

(Agra University B Com 1959)

(See also question No 24)

Note—In this question 31st March 1958 has been treated as 31st March 1960 for the sake of solution and it has been assumed that both the hoses were constructed **after 1st April 1950**

Solution No 3—

		Rs
Salary		9 600
Annual accretion		Nil
Annual Rental Value of the second house	Rs 1 200	
Less ½ Municipal tax	50	
Annual Value Rs	1 150	

Annual Value of Residential house calculated on the basis of the house let

	Rs		
Rs $\left(\frac{1200}{1000}\times 800\right)$ =	960		
Less ½ Municipal tax	40		
	920		
Less ½ Statutory Allowance	460		
Annual Value	Rs 460		

Annual Value of both the houses (Rs 1 150 + Rs 460) = Rs 1 610

Less	Rs		
⅙ for repairs	268 33		
Land revenue for the house let	40		
Int on loan taken to rapair the residential house	200		
Fire Insurance Premium	120		
Vacancy Allowance	191 67	820	
Taxable Income from Property			790
Total Income			Rs 10 390

Exempted Income

	Rs
Employee s P F Contribution	600
Insurance Premium	800
Rs	1 400

Note—(i) Cost of electric fittings in his residence is not allowed as deduction under Income-tax Act because it is treated as capital expenditure

(ii) Insurance Premium is exempted only up to the 10% of the policy amount hence only Rs 800 has been treated as exempted premium

4 From the following informations calculate the total income and exempted income of an individual for the assessment year 1960 61.

(a) Salary after deduction of provident fund contribution and income tax Rs. 14,200

(b) Income tax deducted from salary, Rs 2 000

(c) His contribution to recognised provident fund, Rs 1 800

(d) Employer s contribution to his provident fund Rs. 1 800

(e) Interest at 9 per cent per annum credited to provident fund Rs 1 200

(f) Dividends received Rs 4 400 income tax deducted at source being Rs 1 885 71

(g) Life Insurance permium paid Rs. 1 800

(Agra B Com 1958 adapted)

Solution No 4—

	Rs.	Rs.
Salary		
Net salary after deduction of provident fund & Income tax	14 200	
Add		
Income tax	2 000	
Provident fund	1 800	
Total Salary		18 000
Annual accretion (in view of the fact that salary is Rs 18 000 where of its 10% comes to 1 800 employer has contributed to that extent)		
Interest on provident fund in excess of 6% (1 200—800)		400
		18 400
Dividend Rs (4 400+1 885 71)		6 285 71
Total Income		Rs 2 4685 71

Exempted income	Rs
Provident fund contribution by employee	1 800
Life Insurance Premium paid	1 800
	Rs 3 600

5 Shri Murli Manohar owns two bungalows one of which is let at Rs 120 per month and the other is occupied by him for his residence, the annual value of the same being Rs 960—He has paid Rs. 200 as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 150 in respect of the second The munici pal taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted

to Rs. 150 and Rs 120 respectively, and he spent Rs. 300 on whitewashing and petty repairs in respect of both the bungalows

You are required to find out his taxable income from property, assuming that both of these bungalows were constructed after 1st April, 1930

(Agra, B Com, 1938 adapted)
[See also question No 12]

Solution No. 5--

		Rs
Annual rental value		1,440
Less ½ Municipal tax		75
Annual value of the rented Bangalow		1 365
Less	Rs	
⅙ for repairs	227 5	
Ground rent and Insurance charges	200	427 5
Taxable income of the rented Bangalow		Rs. 937'5
Annual value of residential house	960*	
Less ½ statutory allowance	480	
	480	

But this should not exceed 10% of the total income

hence —

$$\left[(937.5-150) \times \frac{1}{10} \times \frac{12}{11}\right] = 85.9$$

Less			
Repairs ⅙	14 3		
Ground rent and Insurance	150	164 3	—78 4
Taxable income from property			Rs. 859 1

* As the annual value of the residential house is given, half of municipal taxes should not be deducted Had the municipal valuation of residential house been given, half of municipal taxes would have been deducted It is assumed that the half Statutory allowance has not been deducted from the annual value, hence it has been deducted here

6 Ramesh Mahesh and Naresh are three partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 4 3 1 The Profit and Loss account of the firm for the year 1957 showed a net loss of Rs 20 000 after charging the following items —

Interest on Capital	Ramesh Rs 4 000 Mahesh Rs 3 000 and Naresh Rs 2 000
Salary	Ramesh Rs 1 000 Mahesh Rs. 800 and Naresh Rs 2 000

Taxable income of Ramesh from other sources was Rs 8 000 while Mahesh and Naresh had no other incomes

Explain how assessment would be made (a) when the firm is registered and (b) when it is unregistered

(Agra B Com 1957)

Note—In th s question 1957 has been treated as 1959 for the sake of solution

Solution No 6—

	Rs	Rs	Rs
Loss as disclosed by P & L A/c			20 000
Less			
Interest on Capital			
Ramesh	4,000		
Mahesh	3 000		
Naresh	2 000	9 000	
Salary			
Ramesh	1 000		
Mahesh	800		
Naresh	2 000	3 800	12 800
Net loss of the firm from Income tax point of view Rs			7 200

The Respective Shares of the Partners

	Rame h	Mahesh	Naresh
	Rs	Rs	Rs
Interest on Capital	4 000	3 000	2 000
Salary	1 000	800	2 000
Share of firm s loss	—10 000	—7 500	—2 500
Rs	— 5 000	—3 700	+1 500

When the firm is Registered

Ramesh can set off his share of firm s loss of Rs 5 000 against his taxable income of Rs 8 000 which is from other sources He will not be liable to pay tax as his remaining income is (Rs 8 000—5 000) Rs 3 000 only

Mahesh can carry forward his share of the firm s loss of Rs 3 700 in order to set it off against his share of future profits of the firm or against any other business profits but the maximum

limit for this carry forward is eight years Naresh s total income is only Rs 1 500 hence he is not liable to tax

When the firm is Unregistered

Unregistered firm itself will carry forward its loss of Rs 7 200 for future years in order to set it off from future income but the maximum limit for this carry forward is eight years

Ramesh will pay tax on Rs 8 000 because he is not allowed to set off his share of firm s loss of Rs 5 000 from his other income Mahesh cannot carry forward his share of the firm's loss

Naresh is not liable to pay tax because his total income is only Rs 1 500

7 The following are the particulars of the income of Shri Ram Chandra Sharma who is ordinarily resident in the taxable territory for the year ended 31st March 1956 You are required *to ascertain his total income for the year 1956 57*

(a) His salary was Rs 300 per month and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs 1,500, the actual expenditure incurred by him in travelling being only Rs 1 100

(b) He was getting a house rent allowance of Rs 50 per month and a cycle allowance of Rs 10 per month

(c) He contributed one anna in the rupee to a provident fund governed by the Provident Funds Act of 1925 his employer contributing an equal amount Interest on his provident fund account amounted to Rs 400

(d) He received Rs 300 from tax free government securities Rs 500 as dividend and Rs 100 as interest on fixed deposits in a bank

(e) He owns a house half of which is occupied by his son for his residence and the other half is let out at Rs 50 per month

(f) He gets 8% dividend from P Co Ltd on an investment of Rs 12 000 (Agra B Com 1957)

Note—In this question 1956 57 is treated as 1960 61 and 31st March 1956 is treated as 31st March 1960

Solution No 7—

	Rs	Rs
Salary	3 600	
House allowance	600	
Cycle allowance	120	4 320

Interest on securities :			Rs
Tax free Govt. securities			300
Income from property	Rs.	Rs.	
Annual value of house let		600	
Income of house occupied	600		
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	300	300	
Annual value of both the houses		900	
Less :			
$\frac{1}{6}$ for repairs		150	750
Income from other sources :			
Dividend $\frac{(500 \times 10)}{7}$		714'29	
8% dividend		960	
Interest on fixed deposits		100	
Travelling allowance (Surplus)		400	2,174'29
Total Income			Rs. 7,544'29
Exempted Income :		Rs.	
P. F contribution		225	
Interest on the tax free Govt securities		300	
	Rs.	525	

Note (i) The house occupied by the son is treated as occupied by assessee for his residence, because it is not clearly mentioned in the question that the son is living separate

(ii) On dividend, tax is deducted at source in the same way as it is deducted on interest from securities.

8. *X* is employed in a Business office at Rs 300 per month. He owns Rs. 20,000, 4½% Govt. Tax Free securities He also owns a big house, the municipal valuation of which is Rs. 800 He has let out ½ of the house at Rs 50, while the remainder of the house is occupied by him The house is mortgaged for a loan which he took for meeting the expenses of his sister's marriage. The interest on the Mortgage was Rs 250 for the year and the Municipal taxes paid in respect of the house amounted to Rs 150

Ascertain his taxable inome from property and also his total income for the previous year ending 31st March, 1955.

(Agra. B. Com, 1956)

Note—In this question 1955 has been treated as 1960 for the sake of solution, and it has been assumed that the house was constructed after 1st April, 1950.

Solution No 8—

		Rs
Rental value of the house let		600
Less ½ of proportionate Municipal taxes		37 50
Annual value of the property let		Rs 562 50
Value of residential portion on the basis of the portion let		562 50
Less ½ statutory allowance		281 25
Annual vlaue of residential portion		Rs 281 25
Annual value of full house (Rs 562 5+ 281 25)		843 75
Less admissible deductions	Rs	
Repaires ⅙	140 62	
Interest on Mortgage	250	390 62
Taxable income form property		Rs 453 13

Statement of Total Income of Mr X

	Rs
Salary	3 600
Interest on tax free Govt Securites	900
Income from property	453 13
Total Income	Rs. 4 953 13

9 Following are the particulars of the income of Shri M V Mathur who is ordinary resident in the taxable territory for the year ended 31st March 1953 You are required to prepare his total income in proper form for the year 1953 54

(*a*) Salary Rs 300 per month House rent allowance Rs 50 per month contribution to unrecognised provident fund 5% Employees contribution to above 5%, Interest on P F (5% per annnum) Rs 350

(*b*) His investments during the year were
- (i) Rs 5 000 in 6% preference shares of a company
- (ii) Rs 2 000 in 3% fixed deposit in a Bank
- (iii) Rs 4 000 in 4% Tax Free Govt loan

(*c*) He owns a house, ½ of which is occupied by his son for his residence and the other half is let at Rs 40 per month

(*d*) He paid a premium of Rs 240 on his life policy and Rs. 120 on the policy of his wife

(Agra B Com 1955)

Note—In this question 1953 54 has been treated as 1960-61 and 31st March 1953 as 31st March 1960 for the sake of solution

Solution No 9—

		Rs	Rs
Salary		3 600	
House allowances		600	4 200
Interest from securities			
4% tax free Govt Loan			160
Income from property			
Annual value of the rented portion		480	
Value of the portion occup ed by his son	480		
Less ½ Statutory Allowance	240		
Annual Value		240	
Annual value of full house (480+240)		720	
Less ⅙ for Repair		120	600
Income from other sources			
Dividend on pref shares of a company		300	
Interest on Banks fixed deposit		60	360
Total Income of Shri M V Mathur			Rs 5 320
Exempted Income			
Interest on tax free Govt loan		160	
Insurance Premium		360	
		Rs 520	

Note—The hcu e occupied by Son of as*e *ee is treated as the house u ed by as e* ee himself for hi* residence because it is not clearly mentioned in the question that the son is living separate

10 Gopal is employed in a factory on a monthly salary of Rs 120 He is the owner of a big house whose municipal valua tion is Rs 800 p a He has let ⅓ portion of his house on a monthly rent of Rs 30 and the remaining ⅔ is occupied by his family He has mo tgaged the house for a loan of Rs 5 000 taken at 6% p a for educating his son in America The house is subject to a local tax of Rs 150 p a Gopal s taxable income from other sources during the previous year was Rs 1 400 Find out Gopal s total income (Agra B Com 1954)

Note—It has been assumed that the house was constructed after 1st April 1950

Solution No. 10—

	Rs.	Rs
Rental value of the portion let	360	
Less ½ of *proportionate* local tax	25	
Annual value of the portion let	335	
Value of residential portion determined in the same manner as that of portion let	670	
Less ½ of statutory allowance	335	
Annual value of property	335	
But this Rs 335 should not be more than $^1/_{10}$ of total income hence — $\left\{(3019^* - 200) \times \frac{1}{10} \times \frac{12}{11}\right\} = 307\ 5$		
Total annual value of both the houses (335+307 5)		642 5
Less		
⅙ for repairs	107 1	
Interest on Mortgage	300	407 1
Income from property		Rs 235 4

Statement of Total Income of Mr. *X*

Salary		1,440
Income from property		235 4
Income from other sources		1,400
Total Income	Rs	3 075·4

* This amount has been calculated as Rs. 1,440+1,400+179 This amount of Rs 179 has been found out by deducting ⅙ of Rs 335 for repairs and Rs 100 proportionate interest on mortgage, from Rs 335 the annual value of rented portion.

11. Following are the particulars of income of Shri O. P Varshney for the previous year ended 31st March 1952 —

(i) Salary Rs 300 P. M

(ii) His contribution towards P F. @ 6¼% and his employer's contribution at the same rate

(iii) He is provided with rent free quarters of the annual value of Rs. 400

(iv) Interest credited to his P. F. during the year was Rs. 620.

He paid Rs 450 Insurance Premium on his own life policy. Ascertain his total income and the income exempted from tax.

(i) When the P. F. is recognised
(ii) When it is not recognised.

(Agra, B. Com., 1953)

Note—In this question 1952 has been treated as 1960 for the sake of solution.

Solution No. 11—

When he is a Member of Recognised P. F.

		Rs.
Salary		3,600
Annual accretion :		Nil
House allowance (Assumed unfurnished not exceeding 10% of salary)		360
	Total Income	Rs 3 960

Exempted Income	Rs.
Employee's P. F.	225
Insurance Premium	450
	Rs 675

When he is Member of Unrecognised Provident Fund

	Rs.
Salary	3,600
House Allowance	360
Total Income	Rs. 3,960

Exempted Income	
Insurance Premium	Rs 450

12. The following are the particulars of the income of P. K. Datta a Govt. servant for the year ended 31st March, 1953 :—

(a) Salary at Rs. 750 p m. and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs. 1,800 the actual amount spent by him on travelling being Rs 1,500.

(b) He contributed one anna per rupee for his Provident Fund to which the Govt. contributed an equal amount The interest on his Provident Fund amounted to Rs. 250.

(c) He owns two bungalows, one of which is let at Rs 120 per month and the other is occupied by him for his residence, the annual value of the same being Rs 960. He has paid Rs. 200 as ground rent and Insurance charges in respect of the first bungalow and Rs. 150 in respect of the second. The Municipal Taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted to Rs. 150 and Rs. 160 respectively and he spent Rs 300 on white washing and petty repairs in respect of both the bungalows.

(d) He received during the year Rs. 250 as Tax Free interest on Government securities and Rs. 300 as dividend from a company. He has insured his life and pays an annual premium of Rs 1,250 on his policies. Ascertain his total income, taxable income and exempted income

(Agra, B. Com., 1952)

Note—In this question, 1953 is treated as 1960 for the sake of solution and it has been assumed that both the bungalows were constructed after 1 April, 1950.

Solution No 12—

Statement of total income of Mr. P K. Dutta.			Rs.
Salary			9,000
Interest on securities			250
Income from property .—			
		Rs	
Rental value of bungalow let		1,440	
Less ½ of local taxes		75	
Annual Value		1,365	
Less .	Rs		
⅙ for repairs	227·50		
Ground Rent	200	427 50	937 50
Value of the residential house		960	
Less ½ statutory allowance		480	
Annual Value of residential house		480	
	Rs		
Less ⅙ for repairs	80		
Less ground rent	150	230	
Income from residential Bungalow			250
Income from other sources .			
Excess of Travelling Allowance			300
Dividend $\frac{(300 \times 10)}{7}$			428.57
Total Income		Rs	11,166 07
Exempted Income .		Rs.	
Employees P. F.		562 50	
Insurance Premium		1,250	
Int. on Tax Free Govt. Security		250	
	Rs	2,062 50	

——

Note—(1) Whatever may be the amount of repairs only ⅙ of annual value is allowed as repairs

(2) It is assumed that annual value given in the question is such from which statutory allowance was not deducted Half of M. tax has not been deducted because annual value of residential house is given Had it been municipal valuation, half of M. tax would have been deducted.

13. The following are the particulars of the income of a University professor

(*a*) Salary Rs 1 200 p m. from which 8 P C. is deducted for P F to which the university contributes 12 P C
(*b*) Proctorship allowance Rs 1,200 per annum
(*c*) Rent free Bungalow of which the annual letting value is Rs. 720
(*d*) 5% dividend on 50 shares of Rs. 100 each in a limited company
(*e*) 3% tax free interest on Govt. loan of Rs 5,000
(*f*) Income from property let Rs. 1,200
(*g*) Interest on Postal Savings Bank Deposit Rs. 120
(*h*) Profit on sale of property Rs. 1 00 000

During the year he paid Rs 900 as Life Insurance Premium on his own policy.

Find out his total income, taxable income and exempted income for the year 1953 54 (Agra, B Com., 1951)

Note—In the question 1953 54 has been treated as 1960–61 for the sake of solution.

Solution No. 13

Statement of Total Income of the University Professor

	Rs.	Rs.
Salary	14,400	
Proctorship Allowance	1,200	
House Allowance	720	16 320
Interest on Securities		
3% tax free Govt. loan		150
Income from property	1,200	
Less ⅙ for repairs	200	
Taxable income from property		1,000

Income from other sources

5% tax free dividend 250

Total taxable income Rs 17,720

Taxable Income for capital gains tax Rs. 1,00 000

Exempted Income Rs

Employee's P F 1,152

Tax free Govt Securities 150

Insurance Premium 900

Rs 2 202

Note— In case of rent free bungalow as actual value given is less than 10% of the salary actual will be taken into consideration

14 Shri Radhey Lal, the proprietor of a flour mill has prepared the following P. & L Account for the year ending 31st March 1953 You are required to compute his total taxable income from business Also give reasons why you treat some of the expenses as inadmissible

	Rs		Rs
To Trade Expenses	450	By Gross Profit	22 400
,, Establishment charges	2 200	,, Profit on Sale of Investments	2 600
,, Rent, rates & taxes	1 400		
,, Household exps	1 850		
,, Discounts & Allowances	200		
,, Income tax	700		
,, Advertisement	450		
,, Postage & Telegrams	100		
,, Gifts and presents	125		
,, Fire Insurance premium	250		
,, Charities	375		
,, Donations	400		
,, Repairs & renewals	250		
,, Loss on sale of motor-car	1,400		
,, Life Insurance premium	850		
,, Reserve for bad debts	600		
,, Interest on capital	150		
,, Salaries	250		
,, Net profit transferred to capital acount	13 000		
Rs	25 000	Rs	25 000

(Agra, B. Com , 1950)

Note—1953 in this question has been treated as 1960 for the sake of solution.

Solution No 14—

	Rs.	Rs.
Profit as disclosed by P & L account		13 000
Add Inadmissible Exps		
Household expenses	1,850	
Income-tax	700	
Gifts and presents	125	
Charities	375	
Donations	400	
Loss on sale of Motor-car	1,400	
Life Insurance Premium	850	
Reserve for Bad Debts	600	
Interest on capital	150	6 450
		19,450
Less		
Profit on sale of Investment		2 600
Total Taxable Income from business		Rs 16 850

Note—Consult the chapter of Income from Business, Profession and Vocation for finding out reasons of treating the above mentioned expenses as inadmissible

15 Shri Lajpat Rai owns several properties, the annual letting value of which amounts to Rs 25 000, including Rs 7,000 for a bungalow where he resides. He claims the following expenses in addition to the Statutory allowance for repairs viz Rs. 100 insurance premium, Rs.700 for interest on mortgage, Rs 500 for vacancy allowance, Rs 25 for ground rent, Rs 10 for land revenue and Rs 1 200 for rent collection charges.

Ascertain his taxable income from property.

(Agra B Com , 1950 , Raj , B Com., 1956)

Solution No. 15—

	Rs.	Rs
Annual Rental Value (Rs 25 000—7,000)		18,000
Less		
$\frac{1}{6}$ Repairs	3 000	
Premium $(100 \times {}^{18}/_{25})$	72	
Interest on Mortgage $(700 \times {}^{18}/_{25})$	504	
Vacancy Allowance	500	
Ground rent $(25 \times {}^{18}/_{25})$	18	

Land revenue $(10 \times {}^{18}/_{20})$		7	
Collection charge (limited to 6%)		1,080	5,181
			12,819
Annual value of residential house restricted to $^1/_{10}$ of total income		Rs. 1,372·9	
Less	Rs		
Repairs $\frac{1}{6}$	228·8		
Premium	28		
Interest on mortgage	196		
Ground rent	7		
Land revenue	3	462·8	910·1
Total Taxable Income			Rs. 13,729 1

16. The following is the Manufacturing and P. & L. A/c. of Sugar Co., for the year ending 31st March, 1953.

	Rs.		Rs.
To opening stock	1,82,000	By Sales	24,51,500
,, Cost of cane crushed	12,57,700	,, Misc. receipts	6,700
,, Manufacturing exps.	7,98,500	,, Closing Stock	3,66,000
,, Repairs and renewals	40,700		
,, Establishment charges	41,600		
,, Misc Exps.	17,800		
,, Commission of Sales etc.	63,800		
,, Directors fees	1,600		
,, Auditors fees	2,000		
,, Managing Agent's Allowance and commission	78,600		
,, Depreciation written off	1,30,700		
,, Balance being Profit c/d	2 09,200		
	28,24,200		28,24,200
To Reserve Fund	25,000	By Profit b/d.	2,09,200
,, Reserve for Income-tax	90 000		
Balance carried to Balance Sheet	94,200		
	Rs. 2,09,200		Rs. 2 09 200

Prepare the Company's assessment for the year 1953-54 after taking the following information into consideration :—

(a) Cane crushed includes Rs. 1,54,000, the cost of cane

grown on companies own farms the average market price of the same being Rs 1 96 000

(b) Manufacturing Expenses include —

1 Rs 4 26 000 for excise duty

2 Rs 78 000 spent on Scientific Research as follows Rs. 67 000 on Capital Expenditure on the fitting of a new Research Laboratory and Rs 11 000 for current expenditure

(c) Establishment Charges include Rs 3 200 for contribution towards Employees Provident Fund which is unrecognised

(d) Misc Exps include Rs 5,000 for donation to local educational institutions and Rs 2 000 for donations to a public hospital where the companies employees are treated free.

(e) Sugar worth Rs 1 000 was distributed free which is included in Misc. Exps

(f) Rs 15 000 cost of additions to factory building has been charged to repairs and renewals

(g) Amount of Depreciation admissible according to rules work out at Rs. 95 200

(Agra B Com 1949)

Note—In this question 31st March 1953 is treated as 31st March 1960 and 1953 54 is treated as 1960 61 for the sake of solution

Solution No 16—

		Rs.
Profit as disclosed by P & L. A/c.		2 09 200
Add Inadmissible Exps	Rs	
Contribution to unrecognised P F	3,200	
Excess Depreciation	37,500	
Capital Expenditure on Research		
Laboratory (⁴/₅)	53 600	
Donations to local institution	5 000	
Sugar given in charity	1 000	
Cost of Addition to factory building	15 000	1 10,300
	Rs.	3 19 500
Less —		
Agricultural income		
(1 96 000—1 54 000)		42 000
Total Income		2 77,500

17. State whether any tax is payable on the following incomes by an assessee who is an ordinary resident. Give reasons for your answer in each case :—

(a) Rs. 6 500 income from investments in a foreign country of which Rs 4,800 has been remitted

(b) Rs 3 200 net income from house property which is mortgaged against a loan of Rs 25 000 carrying interest 6% per annum

(c) Rs 7,200 income from speculation in Bullion

(d) Rs 4,500 income from black marketing in sugar.

(Agra, B Com , 1949 , Raj , B Com., 1951)

Solution No. 17—

(a) Whole income of Rs 6 500 from investments in a foreign country will be included in total income for taxation because statutory exemption of Rs 4,500 on unremitted foreign income has now been stopped

		Rs.
(b) Income from House Property		3,200
	Rs	
Less ⅙ for repairs	533 33	
Interest on mortgage (25,000 @ 6%)	1 500	2 033·33
Taxable Income	Rs	1 166·67

(c) If the assessee is usually doing speculation, this income of Rs. 7 200 from speculation on bullion will be taxable.

(d) He will have to pay tax on Rs 4,500 income from black-marketing of sugar because income tax is charged on all legally and illegally earned incomes

18 Mr. Hari Har Nath is an employee in the Capital Stores Ltd., New Delhi The following are the particulars about his income for the year ending 31st March 1948 —

(a) Salary Rs 480 p. m. He contributes 6¼% of his salary towards a recognised P F, his employer contributing an equal amount. On the occassion of independence day celebration, he received two months salary as bonus Rs 375 was credited to his provident fund account during the year in respect of interest on accumulated balance.

(b) He owns a house at Agra which is let at Rs. 60 a month. At the same rent he hired a house for his residence in New Delhi.

(c) He received Rs. 385 as dividend on his investment in the ordinary shares of the Indian Iron & Steel Company Ltd

(d) He received Rs. 4,000 from the Post Office in respect of cash certificates which he purchased 5 years ago at the rate of Rs 88/2/-.

(e) He paid Rs. 370 as premium on his life insurance policy.

You are required to find out his total income, taxable income and exempted income. (Agra, B. Com., 1949)

Note—In this question 31st March, 1948 is treated as 31st March, 1960 for the sake of solution.

Solution No. 18—

		Rs.
Salary		5,760
Bonus		960
Annual accretion		Nil
	Rs.	6,720
Income from Property	720	
Less ⅙ for repairs	120	600
Income from other sources :		
Dividend $\left(\frac{385 \times 10}{7}\right)$		550
Total Income		Rs. 7 870
Exempted Income	Rs.	
P. F.	360	
Insurance Premium	370	
	730	

19. Raja Ram and Din Dayal are partners in an unregistered firm sharing P. & L. in the proportion of ⅔ and ⅓ respectively. Their P. & L. A/c. for the year ending 31st March, 1960 was as follows :—

		Rs.		Rs.
To Sundry Exps.		22,800	By Profit on Sale of goods	55,600
,, Charity		570	,, Commission Recd.	620
,, Reserve for Bad Debts		1,480		
,, Legal charges		860		
,, Interest on Capital :				
Raja Ram	1,280			
Din Dayal	760	2,040		
,, Profits :				
Raja Ram	18,980			
Din Dayal	9,490	28,470		
	Rs.	56,220	Rs.	56 220

The item of Sundry expenses includes salary of Raja Ram Rs. 1,800 and that of Din Dayal Rs. 1,200. It also includes Rs. 1,500 in respect of the rent of residential house of the two partners. The house is shared by the two partners half and half according to terms of agreement Legal charges are incurred in recovering the amount due from a customer. Depreciation on Plant and Machinery which is calculated at Rs 3,340 and accrued interest on loan which amounts to Rs. 1,060 have not been provided for in the P. & L. A/c. above :

The other taxable incomes of the partners are as follows :—

	Raja Ram	Din Dayal
	Rs	Rs.
Interest on securities	400	2,100
Income from property	600	—
Interest on Post Office Saving Bank account	27	—
	1,027	2,100

You are required to calculate the taxable income of the firm and to prepare the assessment of Raja Ram and Din Dayal. The amount of tax payable by the partners need not be calculated.

Solution No. 19—

		Rs.
Profit as per P. & L account		28,470
Add Inadmissible exps. :	Rs.	
Salary of Raja Ram	1,800	
Salary of Din Dayal	1,200	
Rent of residential house	1,500	
Charity	570	
Reserve for Bad Debt	1,480	
Int. on capitals	2,040	
	Rs. 8,590	8,590
		37,060
Less :—		
Depreciation	3,340	
Interest on Loan	1 060	4,400
Taxable Income of Firm		Rs. 32,660
Less :		
Interest, Salaries and Rent of the Partners (2,040+3,000+1,500)		=6,540
Balance divisible to Partners		Rs. 26,120

	Raja Ram	Din Dayal
	Rs	Rs
Interest on Capital	1 280	760
Salaries	1 800	1 200
Rent allowance	750	750
Profit (26 120)	17 413	8 707
	21 243	11 417

Taxable Income of Raja Ram

		Rs
Interest from securities (gross) $\left(\frac{400\times10}{7}\right)$		571 4
Income from Business		21 243
	Rs	
Income from property	600	
Less $\frac{1}{6}$ for repairs	100	500
Total	Rs	22 314 3

Taxable Income of Din Dayal

Interest from securities $\left(\frac{2\,100\times10}{7}\right)$	3 000
Income from Business	11 417
Rs	14 417

20 The following are particulars about the income of Mr X of Allahabad University —

(a) He was employed at the Starting Salary in the grade of Rs 500 30 800 plus D A at 10% of the salary

(b) He is member of statutory P F and contributes 8% of the salary towards his P F while the University contributes 12%

(c) As a Proctor of the University he received —

(i) An allowance of Rs 100 p m

(ii) House allowance Rs 540

(iii) An orderly who was paid Rs 35 p m by the University

(iv) A motor car allowance of Rs 45 per month

(d) His income from examinership amounted to Rs 1 150 and from royalty to Rs 750

(e) He holds 50 shares of Rs 100 each in the Upper India Trading Company Ltd on which he received a dividend of 12% less tax

(f) He received a prize of Rs 350 in a commonsense cross word competition

He paid Rs 1 520 as premium on his life insurance policy You are required to prepare his assessment for the year 1947 48 Actual amount of tax payable by him need not be calculated

(Agra B Com 1948)

Note—In this question 1947 48 has been treated as 1960 61 for the sake of solution

Solution No 20—

Total Income of Mr *X*

	Rs		Rs
Salary	6 000		
Dearness Allowance	600		
Proctor s Allowance	1 200		
House Allowance	540		
Motor car Allowance	540		
Total Salary			8 880
Examinership	1 150		
Royalty	750		
Dividend	600		2 500
Total Income		Rs	11 380
Exempted Income	Rs		
Provident Fund (employee)	480		
Insurance Premium	1 520		
Rs	2 000		

Note—Prize of Rs 350 in a commonsense crossword competition has not been taken into consideration because it is casual income and the salary of orderly Rs 35 is also excluded because it is necessary expenditure

21 The following are the investments of the Upper India Trading Company You are required to calculate their income from securities

Investment on 1st April 1946

(a) Rs 60 000 4% U P Govt loan
(b) Rs 30 000 5% Calcutta Improvement Trust Debentures
(c) Rs 15 000 6% Preference Shares of a Cotton Mills Co
(d) Rs 20 000 5% Free of Tax Govt loan
(e) Rs 40 000 6% Debentures of the Imperial Trading Company

On 1st September 1946 the company sold the above Rs. 40 000 6% Debentures of the Imperial Trading Company Cum-

Int and purchased Rs 70 000 6½% Debentures Cum Int of the Eastern Bengal Jute Co Ltd The additional sum of Rs 30 000 needed for the purpose was borrowed from the bank at 7½% interest The Banker of the company charged commission on selling and buying of the investments at the rate of one anna per cent and on the collection of interest and dividend @ of /4/ per cent calculated on the gross amount Interest or dividend on Investment is payable half yearly on 1st July and 1st January each year (Agra B Com 1947)

Note—In this question 1946 is treated as 1959 for the sake of solution

Solution No 21—

			Rs
Rs 60 000 4% U P Govt loan			2 400
Rs 30 000 5% Calcutta Improvement Trust Debentures			1,500
Rs 20 000 5% Free of tax Govt loan			1 000
Rs 40 000 6% Debentures of the Imperial Trading Co (half year)			1 200
Rs 70 000 6½% Debentures of the Eastern Bengal Jute Co (half year)			2 275
		Rs	8 375
Less	Rs		
Interest on loan (on Rs 30 000) @7½% for 7 month	1 312 50		
Bank Commission	20 94		1 333 44
Income from Securities		Rs	7 041 56

Note—(1) 15 000 6% shares of a Cotton Mill Co have not been taken into consideration Dividend on these shares will go under the heading of Income from other sources

(2) Commission paid to Bank on selling and buying of investments @ of one anna per cent will not be taken into consideration as it is not the amount of collection charges and only collection charges are allowed as deduction

(3) Bank Commission of Rs 20 94 has been calculated on Rs 8 375 @ /4/ per cent

22 From the following Profit and Loss Account of a Merchant for the year ended 31st March 1946 Find his taxable income from business

	Rs.		Rs.
To Office Salaries	7,220	By Gross Profit	27,635
,, General Expenses	2,640	,, Interest on Govt. Securities	1,460
,, Interest on Bank loan 480, on capital 1,580	2,060	,, Discount	365
,, Fire Insurance charges	775	,, Bad debt Recovered	640
,, Reserve for Bad debt	835	,, Profit on sale of Investment	750
,, Audit Fee	400	,, Sundry Receipts	350
,, Income tax	1,760		
,, Charity	485		
,, Law charges	370		
,, Compensation to retrenched employees	1,500		
,, Rent	1,155		
,, Net Profit	12 000		
Rs.	31 200	Rs.	31,200

In computing the income following facts should be taken into consideration

(a) In the item of rent, Rs 600 is included in respect of the rent of office building which belongs to the proprietor himself

(b) In the amount of salaries Rs. 320 is included in respect of employer's contribution to P F. which is recognised.

(c) General expenses include Rs 350 in respect of cost of new furniture purchased during the year.

(d) Amount of depreciation allowance according to rules, on assets used for business purpose is worked out at Rs 1,475

Note—In this question 31st March 1946 is treated as 31st March 1960 for the sake of solution.

Solution No. 22—

		Rs.
Profit as disclosed by Profit and Loss A/c		12,000
Add Inadmissible Expenses	Rs.	
Interest on capital	1,580	
Reserve for Bad debt	835	
Income tax	1,760	
Charity	485	
Rent of Office Building which belongs to the proprietor	600	
Cost of Furniture	350	5 610
		17,610

Less	Rs	
Interest on securities	1 460	
Profit on sale of Investment	750	
Depreciation	1 475	3 685
Taxable Income from business		Rs 13 925

23 Following are the particulars about the income of Mr D D Pandey, a Govt servant

(a) His salary was Rs 750 per month and his T A bills for the whole year amounted to Rs 1 660 The actual expenditure incurred by him on travelling being Rs 1 140

(b) He contributed one anna in a rupee to a Govt Provident Fund His employer contributing an equal amount. Interest on his P F account balance for the year amounted to Rs 1 580

(c) He owns two bungalows in the civil lines, one of these is let at Rs 125 p m and the other the monthly rental value of which is Rs 150 is occupied by him for his own residence He pays Rs 150 per year as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs. 210 per year in respect of the second one

(d) His investments during the year were as follows —

(i) Rs 5 000 in 5% Free of tax Govt Securities

(ii) Rs 8 000 in 6% Preference shares of a Sugar Mill

(e) He is insured and pays an annual premium of Rs 1 250

You are required to find out his total income and his exempted income (Agra, B Com 1947)

Solution No 23—

			Rs
alary			9 000
Interest from Securities			
5% Free of tax Govt Securities			250
Income from property		Rs	
Annual value of the bungalow (rented)		1 500	
Rental value of residential House		1 800	
Less ½ Statutory allowance		900	
Annual value of residential bungalow		900	
Annual value of both bungalows (1 500+900)		2,400	
Less	Rs		
⅙ for repairs	400		

Ground rent and Insurance charges (150+210)	360	760	
Income from property			1 640
Income from other sources			
Dividend		480	
Travelling allowance (Excess)		520	1 000
Total Income			Rs 11 890

Exempted income	Rs
P F contribution	562 50
Insurance Premium	1 250
Interest on tax Free Govt Securities	250
	Rs 2 062 50

24 *X* is employed as a professor in a college on Rs 800 p m He contributes $5\frac{1}{2}\%$ of his salary to a recognised Provident Fund the college also contributing the same amount to his P F account The interest on his P F. account for the year amounted to Rs 672

He also owns house one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his residence and the other (municipal valuation Rs 1 000) let at Rs 100 per month His expenses in respect of property were —

		Rs.
(*a*)	Interest on Mortgage of house	1,200
(*b*)	Land Revenue for both the houses	40
(*c*)	Premium for fire Insurance	120
(*d*)	*Interest on loan taken to repair his residential house*	105

The house which is let remained vacant for two months during the year He paid Rs 850 as premium on his life policies Acertain his total income and exempted income

(Agra B Com 1946 Raj B Com 1951)

Solution No 24—

		Rs
Salary		9,600
Annual accretion		Nil
	Rs	
Annual value of the rented house	1 200	
Rental value of residential house on the basis of house let $\left(\frac{1\ 200}{1\ 000}\times 800\right)$	950	

Le s ½ statutory allowance		480	
Annual Value of residential house		Rs 480	
Total annual value of both the houses (Rs 1,200+480)		1 680	
Less	Rs		
¼ for repairs	280		
Int on Mortgage of house	1 200		
Land revenue	40		
Premium for Fire Ins	120		
Int on loan taken for repairs	105		
Vacancy allowance	200	1 945	
		−265	−265
Total Income			Rs 9 335

Exempted Income	Rs
P F by employee	528
Insurance Premium	850
	Rs 1 378

25 *A* and *B* are partners in a Registered Firm sharing profits and losses equally and following is their profit and loss account —

	Rs		Rs
Salaries	10 750	Gross Profit	51 040
Rates Taxes and Insurance	1 260	Interest on Tax Free Govt Security	900
Travelling Exp	654	Profit on sale of Investment	1 200
Interest on Bank Loan	1 650		
Legal charges	403		
Discounts	897		
Carriage	601		
General Expenses	2 050		
Marketing	2 300		
Depreciation on Motor car	500		
Interest on Capital *A* 1 700, B 1 550	3 250		
Reserve for Bad debt	1 000		
Net Profit	27 825		
Rs	53 140	Rs	53 140

After considering the following matters compute the taxable profit of the firm

(a) Salaries include a partnership salary of Rs 200 p. m. to *B*.

(b) the legal charges consist of Rs. 300 for alternation of the Partnership agreement and the balance for Debt collection.

(c) the general expenses include Rs. 210 for additional filing cabinet and Rs 360 for a new typewriter and Rs. 30 donated to a war fund.

(d) The car was used for domestic purpose.

Solution No 25—

		Rs.
Profit as disclosed by P. & L A/c		27,825
Add Inadmissible Expenses :	Rs	
Interest on Capital	3,250	
Reserve for bad debt	1,000	
Partners Salary	2,400	
Capital Expenditure (Rs. 210+Rs 360)	570	
Donation to war fund	30	
Depreciation on motor car	500	
Legal charges	300	8,050
		35,875
Less		
Interest on Tax Free Govt Securities	900	
Profit on Sale of Investment	1 200	2 100
Taxable Profit of the firm		Rs. 33 775

26 *A* is a manager of a firm drawing a salary of Rs. 600 and a house rent allowance of Rs 50 per month He contributed Rs. 700 to a recognised Provident Fund The employer contributed the same amount. The interest on his P F account for the year was Rs 915. He received his two months salary as bonus during the year. His other income consisted of (a) Rs. 900 as a share of profit from an unregistered firm which has been taxed, (b) Rs. 1,275 from property, (c) Rs. 500 interest from Tax Free Govt securities, (d) Rs 810 received as dividends The premium paid on his life Insurance Policy was Rs 600 and that on his wife s Insurance Policy was Rs. 265 Find out his total income for the year ending 31st March 1945.

(Raj., B. Com , 1956)

Note—In this question 31st March, 1945 has been treated as 31st March, 1960 for the sake of solution.

Solution No. 28—

Interest from securities—		Rs
3% War Bond (Free of tax)		600
Income from unregistered firm		750
Income from other sources	Rs.	
Devidends	750	
Dividend less tax	500	1,250
Total Income		Rs. 2 600

Exempted Income ·	Rs.
Interest on 3% War Bonds (Free of tax)	600
Insurance Premium (¼ of total income)	650
	1 250

Note—As the income from unregistered firm is untaxed, it would be taxed here

29 A doctor's income consists of Rs. 5,400 from profession, 5% interest on Rs 10,000 tax free Govt. Securities and Rs 100 as director's fees. He owns a Bungalow which he uses for his residence The municipal valuation of this is Rs 1,000 and Rs 150 is of fire insurance premium and Rs. 50 is ground rent. The Bungalow is mortgaged and the interest amounts to Rs 800. He paid Rs. 1,200 life insurance premium on his own life. Ascertain his taxable income for the year 1957-58.

(Agra, B. Com., 1944)

Note—In this question 1957-58 has been treated as 1960-61 for the sake of solution.

Solution No. 29.

			Rs.
Interest from tax free Govt securities			500
Income from Property —		Rs	
Municipal Valuation of the Bungalow is		1,000	
Less ½Statutory Allowance		500	
Annual Value		500	
Less .	Rs.		
⅙ for repairs	83 33		
Fire insurance Premium	150		
Ground rent	50		
Int. on mortgage	800	1,083 33	—583·33

		Rs
Insome from Profession		5 400
Director s fees		100
Total Income		Rs 5 416 67
Exempted Income	Rs	
Int on tax free Govt securities	500	
Insurance Premium	1 200	
	Rs 1 700	

30 Given below s the Profit and Loss A/c of the Bhatia Cotton Mills Co for the year ended 31st Dec 1941

	Rs		Rs
Stock 1st Jan 1941	17 82 105	Sales	61 90 327
Cotton consumed	25 83 685	Rent of Staff Quarters	25 362
Manufacturing Exp	9 45 395	Stock 31 Dec 1941	13 59 480
Wages and salaries	8 65 972		
Marketing	61 215		
Insurance	27 156		
Establishment	2 79 762		
Welfare Expenses	17 825		
Balance c/d	10 12 054		
Rs	75 75 169	Rs	75 75 169
Directors Fee	2 500	Balance b/d	10 12 054
Auditor Fee	2 500	Transfer Fees	1 500
Law charges	3 250		
Interest	1 05 250		
Repairs to Building and Machinery	14 640		
General Charges	25 875		
Managing agents	60 420		
Contribution to war Fund	10 000		
Contribution to staff P F	20 000		
Debenture Sinking Fund	25 000		
General reserve	1 00 000		
Taxation reserve	3 00 000		
Balance	3 44 119		
Rs	10 13 554	Rs	10 13 554

You are required to compute the company s taxable income from business and also its total income f r the year 1941 after taking into account the following informations —

(a) Welfare expenses include Rs 825 the cost of pucka well built for the use of the Co s workmen.

		Rs.
Insome from Profession		5,400
Director's fees		100
Total Income		Rs 5 416 67
Exempted Income ·	Rs.	
Int. on tax free Govt securities	500	
Insurance Premium	1,200	
	Rs 1,700	

30 Given below is the Profit and Loss A/c. of the Bhatia Cotton Mills Co. for the year ended 31st Dec., 1941.

	Rs		Rs.
Stock 1st Jan. 1941	17 82 105	Sales	61,90,327
Cotton consumed	25 83 685	Rent of Staff Quarters	25,362
Manufacturing Exp.	9,45,395	Stock 31 Dec. 1941	13,59,480
Wages and salaries	8,65 972		
Marketing	61,215		
Insurance	27 156		
Establishment	2,79,762		
Welfare Expenses	17,825		
Balance c/d	10 12 054		
Rs.	75 75 169	Rs.	75 75 169
To Directors Fee	2 500	Balance b/d	10,12,054
Auditor Fee	2,500	Transfer Fees	1,500
Law charges	3 250		
Interest	1,05,250		
Repairs to Building and Machinery	14,640		
General Charges	25,875		
Managing agents	60,420		
Contribution to war Fund	10,000		
Contribution to staff P. F.	20,000		
Debenture Sinking Fund	25,000		
General reserve	1,00,000		
Taxation reserve	3 00,000		
Balance	3 44 119		
Rs	10 13 554	Rs	10 13 554

You are required to compute the company's taxable income from business and also its total income for the year 1941 after taking into account the following informations —

(a) Welfare expenses include Rs. 825 the cost of pucka well built for the use of the Co's workmen.

Solution No. 28—

Interest from securities—		Rs
3% War Bond (Free of tax)		*600*
Income from unregistered firm		750
Income from other sources :	Rs.	
Devidends	750	
Dividend less tax	500	1,250
Total Income		Rs. 2 600

Exempted Income :	Rs.
Interest on 3% War Bonds (Free of tax)	600
Insurance Premium (¼ of total income)	650
	1,250

Note—As the income from unregistered firm is untaxed, it would be taxed here.

29. A doctor's income consists of Rs. 5,400 from profession, 5% interest on Rs. 10,000 tax free Govt. Securities and Rs. 100 as director's fees. He owns a Bungalow which he uses for his residence The municipal valuation of this is Rs 1 000 and Rs 150 is of fire insurance premium and Rs. 50 is ground rent. The Bungalow is mortgaged and the interest amounts to Rs. 800. He paid Rs. 1,200 life insurance premium on his own life. Ascertain his taxable income for the year 1957-58.

(Agra, B. Com, 1944)

Note—In this question 1957-58 has been treated as 1960-61 for the sake of solution.

Solution No. 29.

			Rs.
Interest from tax free Govt. securities			*500*
Income from Property —		Rs	
Municipal Valuation of the Bungalow is		1,000	
Less ½Statutory Allowance		500	
Annual Value		500	
Less .	Rs.		
⅙ for repairs	83 33		
Fire insurance Premium	150		
Ground rent	50		
Int. on mortgage	800	1,083 33	−583·33

		Rs
Insome from Profession		5 400
Director s fees		100
Total Income		Rs 5 416 67
Exempted Income	Rs	
Int on tax free Govt securities	500	
Insurance Premium	1 200	
	Rs 1 700	

30 Given below is the Profit and Loss A/c of the Bhatia Cotton Mills Co for the year ended 31st Dec 1941

	Rs		Rs
Stock 1st Jan 1941	17 82 105	Sales	61 90 327
Cotton consumed	25 83 685	Rent of Staff Quarters	25 362
Manufacturing Exp	9 45 395	Stock 31 Dec 1941	13 59 480
Wages and salaries	8 65 972		
Marketing	61 215		
Insuranc	27 156		
Establishment	2 79 762		
Welfare Expenses	17 825		
Balance c/d	10 12 054		
Rs	75 75 169	Rs	75 75 169
Directors Fee	2 500	Balance b/d	10 12 054
Auditor Fee	2 500	Transfer Fees	1,500
Law charges	3 250		
Interest	1 05 250		
Repairs to Building and Machinery	14 640		
General Charges	25 875		
Managing agents	60 420		
Contribution to war Fund	10 000		
Contribution to staff P F	20 000		
Debenture Sinking Fund	25 000		
General reserve	1 00 000		
Taxation reserve	3 00 000		
Balance	3 44 119		
Rs	10 13 554	Rs	10 13 554

You are required to compute the company s taxable income from business and also its total income for the year 1941 after taking into account the following informations —

(a) Welfare expenses include Rs 825 the cost of pucka well built for the use of the Co s workmen.

(b) Insurance Rs. 1,000, Repairs Rs. 3,750 and Municipal Taxes Rs. 2,150 (included in general charges) were in respect of staff quarters.

(c) Law charges amounting to Rs. 1,500 were incurred in connection with additional land purchased during the year.

(d) The staff P. F. is a recognised one.

(e) The amount of depreciation allowable is Rs. 2,64,325.

(Agra, B Com, 1942)

Note—In this question 1941 is treated as 1960 for the sake of solution and it is assumed that staff quarters were constructed after 1st April, 1950.

Solution No. 30—

			Rs.
Profit as per P. & L. Account			3,44,119
Add Inadmissible Expenses :		Rs.	
Contribution to war fund		10,000	
Debenture sinking fund		25 000	
General reserve		1,00,000	
Taxation reserve		3,00 000	
Cost of pucka well		825	
Law charges		1,500	
Expenses for staff quarters	Rs.		
Insurance	1,000		
Repairs	3 750		
Municipal tax	2,150	6,900	4,44,225
			Rs. 7,88,344
Less :			
Rent of staff quarters	Rs. 25,362		
Depreciation	2 64 325		2 89,687
Taxable income from business			Rs. 4,98 657

Statement of Total Income

		Rs
Income from business		4,98 657
Income from property	Rs.	
Annual rent	25,362	
Less ½ municipal tax	1,075	
	24,287	

	Rs		
Less			
⅙ Repairs	4 048		
Insurance	1 000	5 048	19 239
Total and taxable income		Rs	5 17 896

31 *A* and *B* are in partnership under the name of Mr *X* & Co they share Profit and Loss in the ratio of 2 and 1 respectively and their Profit and Loss Account for the year ending 31st December 1940 is as follows —

		Rs		Rs
Office salaries		75 000	Gross profit	1 64 000
General exp		20 000	Other receipts (Business)	19 000
Bad debts		5 000		
Bad debts reserve		5 000		
Interest on *A* s loan		6 000		
Partners Salary				
A	6 000			
B	3 000	9 000		
Interest on capital				
A	5 000			
B	10 000	15 000		
Balance				
A	32 000			
B	16 000	48 000		
	Rs	1 83 000	Rs	1 83 000

A s other incomes for the year 1940 consisted of the following —

(1) *A* net dividend of Rs 2/8/ per share on 2 000 ordinary shares in a Jute Mill

(2) Rs 750 as directors fees

(3) Interest on Rs 30 000 3½% Govt paper

(4) Rs 350 interest on postal cash certificates

During the year *A* paid Rs 8 500 as premium on his life policy

Ascertain *A* s taxable income if the firm is (a) registered (b) unregistered (Agra B Com 1941 adapted)

Note—In this question 1940 is treated as 1939 for the sake of solution

Solution No 31—

		Rs
Profit as per P & L. Account		48 000
Add inadmissible expenses	Rs	
Bad debt reserve	5 000	

	Rs.	
Interest on A's loan	6,000	
Partners' salary	9,000	Rs.
Interest on capital	15,000	35 000
Taxable income of business		83,0 0
Less Interest, salary, etc., to partners (6,000+9,000+15,000)		30 000
Balance divisible between partners		Rs. 53,000

Particulars of Income	A	B
	Rs	Rs.
Interest on loan	6 000	—
Partners salary	6,000	3,000
Interest on capital	5 000	10,000
Firm's computed share of profit Rs 53,000 (in the ratio of 2 1)	35 333	17,667
Rs	52 333	[illegible]0,667

When the firm is registered—

Statement of *A's* Total Income

		Rs
Interest from securities		1 050
Income from business		52,333
Income from other sources ·	Rs.	
Director's fees	750	
Dividends (Gross)	7,142 86	7,892 86
Total Income		Rs. 61 275 86
Exempted Income	Rs.	
Insurance Premium	8 500	

When the firm is unregistered—

		Rs.
Total Income of *A*		61 275 86
Exempted Income :	Rs.	
Insurance Premium	8 500	
Share of unregistered firm	52,333	
	Rs. 60,833	

32. The following is the Profit and Loss A/c of the Standard & Co. Ltd You are required to find out its total income.

Trading & P. & L. Account

	Rs.		Rs.
To Opening Stock	50,000	By Sales	3,00 000
,, Purchases	1,50 000	,, Stock	45,000
,, Direct Charges	5,000		
,, Gross Profit	1 41 000		
Rs.	3 45 000	Rs	3,45 000
,, Rent	6 000	,, Gross Profit	1 40 000
,, Salaries	24 000	,, Interest on fixed deposit	9 000
,, Commission	10 000	,, S Receipts	7,000
,, Depreciation	2 000		
,, Contribution to war Fund	15 000		
,, Repairs	1 000		
,, Bad debt	250		
,, Bad debts Reserve	2 500		
,, Income-tax	40 000		
,, Donation to Calcutta Relief Fund	6 000		
,, Net Profit	49,250		
Rs	1 56 000	Rs	1 56 000

Solution No 3?—

	Rs.	Rs.
Profit as per P. & L A/c.		49,250
Add inadmissible Expenses :—	Rs.	
Contribution to war Fund	15,000	
Bad debts reserve	2,500	
Income-tax	40,000	
Donations to Calcutta Relief Fund	6 000	63,500
		Rs. 1,12,750
Less	Rs.	
Interest on fixed deposits	9,000	9,000
Income from business		Rs. 1 03,750

Statement of Total Income—

	Rs
Income from business	1,03,750
Income from other sources	
Int. on fixed Deposits	9,000
Total taxable Income	Rs 1,12 750

Note—Sundry receipts are of business nature, hence treated as business income.

33. Mr. A. N. Vakil, a solicitor has prepared the following Income and Expenditure Account for the year :—

	Rs		Rs
To Office expenses	13,000	By Professional earning	1,25,000
,, Purchase of ornaments for his wife	9,000	,, Profit on sale of property purchased in 1920	20 000
,, Household exps	36,000	,, Ground rent	1 000
,, Wedding exps for his daughter	10 000	,, Fees as director	3,000
,, Charity	5 000	,, Interest from tax free Govt. securities	8,000
,, Life Insurance Premium His own life 12 000 Wife's 5 000	17,000	,, Gifts on the occasion of daughter's weddings	16 000
,, School and college fees and other exp of children	4 000		
,, Net loss share bazar Transactions (allowable)	15 000		
,, Balance being excess of income over expenditure	64 000		
Rs	1 73 000	Rs	1 73 000

He lives in a bungalow which belongs to him Its net or rebateable value as per Municipal Bill is Rs. 16 000 Expenses on this bungalow were—Ground Rent Rs. 1,000 Fire insurance premium Rs 200 Prepare his Income tax Liability

(Patna, B Com, 1948)

Solution No 33—

	Rs	Rs
Income as per Income and Expenditure Account		64,000
Add Inadmissible expenses ,		
Purchase of ornaments for his wife	9,000	
Household expenses	36,000	
Wedding expenses for his daughter	10,000	
Charity	5 000	
Life Insurance Premium	17,000	
School and College Fees etc	4 000	81 000
		1,45,000
Less :	Rs	
Profit on sale of property	20 000	
Ground rent	1 000	
Director's Fees	3,000	

			Rs.
Interest from Tax Free securities	8,000		
Gifts on the occassion of daughter weddings	16,000		48 000
Income from Profession		Rs.	97,000

Statement of Total Income

	Rs.		Rs.
Interest from tax free securities			8,000
Income from Profession			97,000
Income from other sources		Rs	
Director's Fees		3,000	
Ground rent		1,000	4,000
Income from property (Restricted to $^1/_{10}$ total income)			
$\left[(1,09,000-1,200)\times\frac{6}{55}\right]$		11,760	
	Rs.		
Less $\frac{1}{6}$ for repairs	1,960		
Ground rent	1,000		
Insurance Premium	200	3 160	8,600
Total Income		Rs.	1,17 600

Taxable income for capital gains Tax Rs 20 000

Note—It has been assumed that share bazar transaction wherein a loss of 15 000 is given is not on account of speculation but on actual delivery.

34 Mr *Z* requests you to ascertain his total assessable income and his income from business His profit and loss account for the year is as follows —

	Rs.		Rs
To Salaries including *Z*'s Salary Rs 2 400	8,400	By Gross Profits from trading	35,000
,, Office Expenses	1,500	,, Interest from securities	1,400
,, Reserve for doubtful debts	1,200		
,, Fire Insurance Premium	300		
,, Bad debts	500		
,, Rent	3 000		
,, Advertising	1,000		
,, Income-tax	600		
,, Discount	800		
,, Loss on sale of furniture	125		
,, Interest on Bank over draft	350		
,, Interest on Z's capital	450		
,, Depreciation (allowable)	400		
,, Net Profit transferred to capital A/c.	17,775		
Rs.	36,400	Rs.	36 400

There is a carried forward business loss of Rs. 1,560 from the last assessment year. (Patna, B. Com, 1948)

Solution No. 34—

		Rs.
Profit as disclosed by P & L. A/c.		17,775
Add inadmissible Expenses :	Rs	
Z's Salary	2,400	
Reserve for doubtful debts	1,200	
Income-tax	600	
Loss on sale of Furniture	125	
Interest on Z's capital	4'0	4 775
		22,550
Less interest from securities		1,400
Income from Business	Rs.	21 150

Statement of Total Income

		Rs.
Interest from securities $\frac{(1,400\times10)}{7}$		2,000
	Rs	
Income from business	21,150	
Less business loss carried forward from last year	1,560	19 590
Total Income	Rs.	21,590

35. From the following particulars find out the taxable income of Mr *A*.

(a) Salary Rs. 350 p. m.

(b) Interest on 4% tax free Victory Bonds on an Investment of Rs. 15,000.

(*c*) Rent from house property Rs. 1,800 (Municipal value being Rs 1,500).

(*d*) Fees as directors Rs 600.

(*e*) Business profit Rs. 1,200.

(*f*) Interest on 3% (Free of Tax) Independence Bonds on an investment of Rs. 4,000.

(g) Insurance Premium paid by *A* during the year Rs 1 950

(Patna, B. Com., 1950, Supp)

Solution No 35.

		Rs.
Salary		4 200
Interest from securities	Rs	
on 4% Victory Bonds (Tax-free)	600	720
on 3% Independence Bonds free of tax	120	

Profit from business		1 200
Income from property	1,800	
Less $\frac{1}{6}$ for repairs	300	1 500
Income from other sources		
Directors fees		600
Total Taxable Income		Rs 8 220

Exempted Income —	
Life Insurance Premium	1,950
Interest on tax free securities	720
	Rs 2 670

36 From the following informations relating to the previous year find out total income and exempted income of Mr *A* —

He is the chief accountant of a large mill company drawing a salary of Rs 600 and a house rent allowance Rs. 50 p m During the year he contributes Rs 700 to a recognised P F to which his employers also contribute the same amount. The interest on P F account for the year was Rs 915

On the occasion of company s silver jublee he was given two months salary as bonus during the year His other taxable income consisted of (a) Rs 900 as share of profits from unregistered firm which has been taxed, (b) Rs 1 275 from property, (c) Rs 500 as interest from tax free Govt securities and (d) Rs 180 received as dividend

The premiums paid on his Life Insurance policy amounted to Rs. 865 (Patna, B Com 1949 , Raj B Com , 1956)

Solution No 36—

	Rs	Rs
Salary	7 200	
House rent	600	
Bonus	1 200	9,000
Interest from tax free Govt Securities		500
Income from property	1 275	
Less $\frac{1}{6}$ for repairs	212 50	1 062 50
Income from an unregistered firm		900
Dividend $\left(\frac{180\times10}{7}\right)$		255 56
Total Income		Rs. 11 718 06

Exempted income

	Rs
Provident fund contribution by employee only	700
Life Insurance premium	865
Income from unregistered firm	900
Interest from Govt tax free securities	500
Rs	2 965

37 A Co started business on 1st Jan 1950 with new machinery costing Rs. 3 50 000 It closes its accounts on 31st December On 1st January 1953 a fire broke out in the factory and the machinery was destroyed. As the company had insured the machinery, it received compensation of Rs. 1 50 000 Work out the profit or loss to be assessed or allowed in the 1954 55 assessment year, the rate of depreciation being 10%

(Patna M Com , 1956)

Solution No 37 —

Tax year				Rs
1951—52		Cost of Machinery		3 50 000
		Initial Depreciation @ 20 p. c	Rs 70 000	
	Less	Normal Depreciation @ 10 p c	35 000	
	„	Additional Depreciation (same as normal)	35 000	70 000
1952—53		Written Down Value		2 80,000
	„	Normal Depreciation @ 10 p. c	28,000	
	„	Additional Depreciation	28 000	55 000
1953—54		Written Down Value		2 24,000
	„	Normal Depreciation	22,400	
	„	Further Depreciation	22 400	44 800
1954—55		Written Down Value		1,79,200
	Less	Initial Depreciation		70 000
		W D. V	Rs	1,09 200

	Insurance Money Recd is	1 50 000
Less	Written Down Value	1,09 200
	Profit taxable Rs	40 800

38 An assessee established a new industry on 1st Jan, 1951 for which he purchased new machinery for Rs 50 000 and new furniture for Rs 10 000 He also purchased secondhand machinery for Rs 20 000 on 1st April 1951 His accounting year ends on 31st Dec each year Find out the allowable depreciation for the assessment year 1952—53 and the written down valu of machinery and furniture for the assessment year 1953 54 taking the rate of normal depreciation at 10% on machinery and 6% on furniture

(Agra B Com, 1951)

Solution No. 3.—

Calculation of Depreciation

for the Assessment Year 1952 53

	New machinery Rs.	Second hand machinery Rs	Furniture Rs
Cost 1-1 1951	50 000	20 000	10 000
Initial Depreciation @ 20% on new machinery	10,000		
Normal Depreciation			
@ 10% on machinery	5 000		
@ 10% on second machinery for 9 months		1 500	
@ 6% on furniture			600
Additional Dep Equal to normal on new machinery	5 000		
	20 000	1 500	600
W D V for 1953 54	40 000	18 500	9 400

Total Depreciation Allowable for the assessment year 1952 53 Rs (20,000+1 500+600) Rs 22 100

39 The incomes of an individual (a resident and ordinary resident) for the year ending 31 st March 1954 are as follows —

(a) Business Profits (after setting off Rs. 5,000 donations paid to a University and Rs 2 000 life insurance premium) Rs 31 000

(b) Interest on tax free Govt securities Rs 8 000

(c) Dividend from a limited Co which has paid tax on its entire income Rs 3 000

Find out his total assessable income (Agra, B Com, 1956)

Note—In this question 31st March, 1954 has been treated as 31st March 1960 for the sake of solution.

Solution No. 39—

			Rs.
Int. on tax free Govt. Securities			8,000
		Rs.	
Businesss Profits		31,000	
Add :	Rs.		
Donations	5,000		
Life Insurance Premium	2,000	7,000	
Business Income			38,000
Dividend $\left(\frac{3,000 \times 10}{7}\right)$			4,285 71
Total assessable income		Rs.	50 285·71

40 The following are the particulars of income of a Government servant for the year ended 31st March, 1958 :—

(a) Salary at Rs 900 p m. His travelling allowance bills for the year amounted to Rs. 2,005, the actual expenditure on travelling being Rs 1,730

(b) He contributed to his provident fund at 8% of his salary and the Government contributed an equal amount The interest on his provident fund amounted to Rs. 350 for the year.

(c) He owns two houses, one of which is let out at Rs. 150 p m and the other, whose annual value is Rs. 1,200, is occupied by him for his own residence. He has paid Rs. 300 as ground rent and insurance charges in respect of the first house and Rs. 180 in respect of the second The municipal taxes in respect of the two houses amounted to Rs. 160 and Rs. 175 respectively, and he spent Rs. 600 on whitewashing and other repairs in respe t of both the houses

(d) He received Rs. 350 as interest on tax-free Government securities and Rs. 500 as dividend from a company.

(e) He pays an annual premium of Rs. 1,800 on his life policies.

Prepare the assessment for 1958–59.

(Allahabad, B. Com, 1959

(See also question No 12)

Note—In this question 1958-59 has been treated as 1960—61 for the sake of solution and it h s been assumed that his both the houses were constructed after 1st April 1950

Solution No 40—

			Rs.
Salary			10 800
Interest on tax free Govt securities			350
		Rs	
Rental value of the house let		1 800	
Less ½ Municipal tax		80	
Annual Value	Rs	1 720	
Less	Rs		
⅙ for repairs	286 67		
Ground Rent	300	586 67	1 133 33
Annual value of residential house		1 200*	
Less ½ statutory allowance		600	
		600	
Less			
$^1/_6$ for repairs	100		
Ground Rent	180	280	320
Income from other Sources			
Dividend $\frac{(500 \times 10)}{7}$			714 29
Excess of travelling allowance			275
Taxable Total Income			Rs 13 592 62

Exempted Income	Rs
Employee s Contribution to P F	864
Insurance Premium	1 800
Interest on Tax free Govt Securities	350
	Rs 3 014

* As the annual Value of the residential house is given, ½ of municipal taxes should not been deducted Had the Municipal Valuat on been given ½ of municipal taxes would have been deduc ted It is assumed that ½ statutory allowance has not been deduc ted from the annual value hence it has been deducted here

41 From the following particulars of income of Shri L B Saxena a Govt servent for the year ended 31st March 1957, you are required to ascertain his total income taxable income and exempted income —

(a) Salary for the year Rs 6 000, Travelling allowance bills for the whole year amounted to Rs 1,500, while the actual expenditure incurred by him on travelling was Rs 1,000 only

(b) He contributed $6\frac{1}{4}$ percent of his salary to the Govt. Provident Fund (under Act of 1925), the Govt also contributes the same amount

(c) His income from property is as follows :—

(i) First house let at Rs. 100 per month, payment for ground rent and insurance charges being Rs 100 and local taxes Rs 266.

(ii) Second house occupied by him for his own residence gross annual value being Rs. 2 000.

(d) His income from investment was (i) Tata Debentures interest received Rs. 500, (ii) Dividend gross Rs. 800 from the Modi Soap Company

(e) He pays Rs 800 as insurance premium on his life while a sum of Rs 200 is paid as insurance premium on the life of his wife. (Allahabad, B Com, 1958)

Note—In this question 31st March 1957 has been treated as 31st March 1960 for the sake of solution and it has been assumed that his houses were constructed after 1st April 1950.

Solution No 41—

			Rs
Salary			6 000
Interest on Securities			
Interest on Debenture (gross)			714 29*
Income from property		Rs	
Rental value of the house let		1 200	
Less $\frac{1}{2}$ taxes		133	
	Rs	1 067	
Less	Rs		
$\frac{1}{6}$ for Repairs	177·83		
Ground Rent and Insurance Charges	100	277 83	789 17
Gross annual value of residential house Rs. 2 000 but it is restricted to $^1/_{10}$ of the total income			
$\left(8,803\ 46 \times \frac{6}{55}\right)$ = Rs. 960 38			
Less $\frac{1}{6}$ for Repairs		160 06	800 32

Income from other sources .

(i) Dividend 800

(ii) Excess of Travelling Allowance 500

Total Taxable Income Rs. 9 603 78

Exempted Income	Rs.
Employee's P. F.	375
Insurance Premium	1 000
	Rs 1 375

**Note*—This amount is calculated thus . $\frac{500 \times 10}{7}$

42. *A* and *B* are partners in a registered firm Their Profit and Loss Account for the year ending 31st March 1956 is as follows —

	Rs.		Rs.
To Salaries	20 000	By Gross Profit	50 000
To Rent	2 400	By Dividend (*gross*)	900
To Advertisement	2,600	By Bad Debts recoveries	1,000
To Charity	1,000		
To Bad debts Reserve	2,500		
To Income-Tax	5,000		
To Sundry Exps.	6 000		
To Interest on Capital Rs *A* 1,000 *B* 1,000	2,000		
To Partner's Commission Rs. *A* 2,500 *B* 2 000	4,500		
To Net Profit	5,900		
Rs	51 900	Rs	51,900

The item salaries includes Partner's Salaries *A* Rs 3,000, *B* Rs 3 000. Furniture purchased for Rs. 2,000 has been debited to 'Sundry Expenses' Find the total incomes of the partners

(Alld , B Com , 1957)

Note—In this question 31st March, 1956 has been treated as 31st, March, 1960 for the sake of solution.

Solution No. 42—

	Rs.	Rs.
Profit as disclosed by P. & L. A/c.		5,900
Add :		
Charity	1,000	
Bad debts reserve	2,500	
Income-tax	5,000	
Partners Salaries Rs. (3,000+3,000)	6,000	
Furniture purchased	2,000	
Interest on Partners' Capital	2,000	
Partners' Commission	4,500	23,000
		28,900
Less :		
Dividend		900
Firm's income from Business	Rs.	28 000
Add Dividend		900
Total income of the firm		28,900
Less interest, salaries and commission of partners (2,000+6 000+4,500)		12,500
Balance Divisible to Partners		16,400

Distribution of Firm's income among *A* and *B*

Particulars	*A*	*B*
	Rs.	Rs.
Interest on Capital	1,000	1,000
Salaries	3,000	3,000
Commission	2,500	2,000
Profit	8,200	8,200
Total income of partners Rs	14,700	14,200

43. Sita Ram has the following incomes for the year ending 31st March, 1954 :

(a) Salary Rs. 500 per month. He has contributed 6 per cent of his salary to a recognised provident fund, to which an equal amount has been contributed by his employer. The interest at 4½ percent per annum on his provident fund amounts to Rs. 300.

(b) He owns a house the municipal valuation of which is Rs. 1,800. The house has been let out on a rent of Rs. 175 per month. He has incurred the following expenses in respect of this house : Interest on the

mortgage of the property Rs. 120, Land revenue Rs. 40, premium for fire insurance Rs. 150, municipal taxes Rs 50. The house remained vacant for two months during the year.

(c) He has received dividend at 5 percent on 50 shares of rupees 100 each

(d) 3 percent interest (free of tax) on Govt. securities of Rs 5,000

(e) Profit on sale of property Rs. 10,000.

(f) He is a member of joint Hindu family getting Rs. 2,400 as his share of income.

During the year he paid Rs. 1,000 as premium on his life insurance policy. Prepare his assessment for the year 1954–55.

(Alld., B Com, 1955)

Note—In this question 31st March, 1954 has been treated as 31st March 1960 and 1954-55 as 1960-61 for the sake of solution. It has also been assumed that his house was constructed after 1st April, 1950.

Solution No. 43—

			Rs.
Salary			6,000
Interest on Govt. Securities (free of tax)			150
Income from property		Rs.	
Annual Rental value of the house let		2,100	
Less ½ of M tax		25	
Annual value		Rs. 2,075	
Lsss	Rs		
⅙ for Repairs	345·83		
Interest on Mortgage	120		
Land Revenue	40		
Fire insurance premium	150		
Vacancy Allawance	345 83	1,001·66	1,073·34
Income from other sources :			
Dividend			250
Total Taxable Income			7,473·34
Profit on sale of Property (will be taxed as capital gains)		Rs.	10 000
Exempted Income :	Rs.		
Employee's P. F.	360		
Premium	1,000		

Int. on tax free Govt. securities	150
Rs.	1 510

44 Prepare assessment of Mr. X from the following particulars of his income for the previous year ended 31st March, 1953 –

(a) He is the secretary of a company on a salary of Rs. 750 per month He contributes at the rate of 8 P. C to a recognised P F. to which the employer contributes at the rate of 12 percent. Interest on his Provident Fund balance amounted to Rs 800 during the year.

(b) He owns a house which he lets out at Rs. 12 000 p a. The admissible deduction for insurance is Rs 200. His collection charges are Rs 800.

(c) *He earned Rs. 2 600 from dividends and Rs. 1,800 from* tax free Govt securities.

(d) He is an equal partner with *F* in an unregistered firm from which he gets Rs. 3,000 as his share of profits

(e) As a member of a Hindu joint family, he gets Rs *3,600.*

During the year he paid Rs 1 200 as premium on his life insurance policies.

(Alld , B. Com , 1954)

Note—In this question 31st March 1953 has been treated as 31st March, 1960 for the sake of solution

Solution No. 44—

			Rs.
Salary			9,000
Annual accretion			
Employer's contribution to P. F. (in excess of 10% of Salary)		180	
Interest on P F. (in excess of 6. P. C. or ⅓ salary)		Nil	180
Int on tax free Govt securities			1,800
		Rs	
Annual value of rented house		12,000	
Less	Rs		
⅙ for repairs	200		
Insurance	200		

Collection charges (limited to 6% of annual value)	720	1 120	10 880
Income from other sources			
Dividend (assumed gross as it is 'earned" and not ' received')			2 600
Share of profit from an unregistered firm			3 000
Total Taxable Income		Rs	27,460

Exempted Income

	Rs
Employee s P F.	720
Insurance Premium	1,200
Profit of unregd firm	3 000
Rs,	4 920

45 X and Y are equal partners in a regd firm whose profit and loss account for the year ended 31st Dec 1951 is as follows —

		Rs		Rs.
To Rent and Rates		2 600	By Gross Profit	71 200
,, Salaries		8 000	,, Int on Investments (gross)	6 000
,, Sales tax		6 000		
,, General Exps.		12 000		
,, Bad Debts written off		6 00		
,, Bad Debts Reserve		1,600		
,, Subscription and charity		2 000		
,, Advertising		4 000		
,, Depreciation Reserve		2 400		
,, Loss of Building		4 000		
,, Partner s Salaries	Rs			
X	2 400			
Y	3 600	6 000		
,, Commission to Y		2 000		
,, Int on Capitals	Rs			
X	3 000			
Y	3 000	6 000		
,, Net Profit		20 000		
	Rs.	77,200	Rs	77,200

(a) General Expenses include Rs 400 legal charges regarding a new partnership deed

(b) Subscription and charity include—
 (i) Rs 1,000 cost of constructing a shed for pilgrims
 (ii) Rs 400 subscription to a trade association.
 (iii) Rs. 600 donation to a school.
(c) Advertising represents Rs 1,400 cost of permanent sign and Rs. 2,600 cost of insertion in trade journals.
(d) The amount of allowable depreciation is Rs. 1,000

The other incomes of the partners were as follows:

X—Interest from securities (gross) Rs. 10,000, dividends (gross) Rs 3,000 and rent from property Rs 3 600

Y—Interest from securities (gross) 14,000, dividends (gross) Rs 8,000 and rent from buildings Rs. 12,000.

Compute the assessable income of *X* and *Y* for income tax year 1952—53

(Alld., B. Com., 1953)

Note—In this question 31st Dec., 1951 has been treated as 31st Dec., 1959 and 1952-53 as 1960-61 for the sake of solution.

Solution No. 45—

		Rs.
Profit as per P. & L Account		20,000
Add	Rs.	
Bad Debts Reserve	1 600	
Depreciation Reserve	2 400	
Loss of Building	4 000	
Partners Salaries	6,000	
Commission to Y	2,000	
Int. on capitals	6,000	
Legal Charges of a Partnership Deed	400	
Subscription and Charity	1,600	
Advertising (Cap exp)	1,400	25 400
	Rs.	45,400
Less:	Rs	
Int. on Investment	6 000	
Depreciation	1 000	7 000
Firm's Business Income	Rs.	38,400
Int on Investment		6,000
Firms total Income		44,400
Less Salaries, Interest and Commission of Partners (6 000+6 000+2 000)		14 000
Balance Divisible to Partners	Rs	30 400

Distribution of Firm's Income Amongst X & Y

Particulars	X	Y
	Rs	Rs.
Salaries	2,400	3,600
Interest on Capital	3,000	3 000
Commission		2,000
Profit	15,200	15,200
Rs	20 600	23,800

Total Income of X & Y

Particulars		X	Y
		Rs.	Rs.
Interest from Securities		10,000	14.000
Dividends		3,000	8,000
Income from Property :	Rs.		
X	3,600		
Less $\frac{1}{6}$ repair	600		
	3 000		
Y	12,000		
Less $\frac{1}{6}$ Repairs	2.000		
Rs.	10,000		
Taxable Income from Property		3,000	10,000
Firm's Share		20 600	23 800
Total Taxable Income Rs		36.600	55,800

46 A Hindu undivided family carrying on business in gold, silver, money lending, brokerage and share dealings showed the following particulars in the return of income filed for the previous year ended Dewali Samuat 2015 .—

	Rs.		Rs.
Loss in Silver	1,00,000	Profit in gold	1,50.000
Loss in Share dealings	70,000	Brokerage	75,000
Law Charges	30,000	Interest	1,00,000
Bad Debts	50.000	Dividends (gross)	50,000
Establishment and contingencies	20,000		
Net Profit	1,05,000		
Total Rs.	3,75,000	Total Rs.	3,75,000

Less			
⅙ for repairs	1,370		
Int on mortgage	450		
Fire insurance premium	350		
Ground rent	50	2,220	6 000
Share of unregd. firm			5,000
Director s fee			500
Total Taxable Income		Rs.	19 000

Exempted Income

	Rs.
Share of unregd firm	5,000
Insurance Premium	1 200†
Rs.	6 200

* As annual value is given, no deduction has been made for Municipal taxes.

† Insurance premium should not be more than $^1/_{10}$ of the policy money.

48 *A*, *B* and *C* are partners in a registered firm whose P and L Account for the year ended 31st Dec., 1949 shows a loss of Rs 40,000 after charging Rs. 10,000 interest on B's capital

The other incomes of the partners for the same period is *A* Rs 10 000 from director's fees and *B* Rs 3 000 from bank interest. *C* had no other income that year, but he claimed a loss of Rs. 10,000 brought forward from the preceding assessment year on account of his individual cloth business which he managed himself personally.

On 1st April, 1950, *A* retired and *D* joined as a partner taking over *A* s share.

The firms loss for the year ended 31st Dec, 1950 has been computed at Rs. 12,000, the partners having no other income for that year.

State clearly how the assessments would be made for the years 1950—51 and 1951—52.

(Raj, B Com, 1951)

Note—In this question 31st Dec., 1949, 1st April, 1950, 1950-51 and 1952—53 have been treated as 31st Dec, 1958, 1st April, 1959, 1959—60 and 1960—61 respectively for the sake of solution.

Solution No. 48—

Assessment for 1959-60

	Rs.
Loss as per P. & L. A/c.	40,000
Less :	
Int. on *B*'s capital	10,000
Loss of the firm from income-tax point of view. Rs.	30,000

Distribution Amongst *A*, *B* & *C* for the Assessment Year 1959—60

	A	*B*	*C*
	Rs.	Rs.	Rs
Interest on Capital	Nil	10 000	Nil
Firm's Loss	—10,000	—10 000	—10 000
Rs.	—10 000	Nil	—10,000

A can write off his share of firm's loss from his income of other sources which is Rs. 10,000 His income now becomes zero, he will pay no tax.

B's income from bank interest is Rs 3,000 and he has no gain or loss from the firm, hence Rs. 3,000 will not be taxed as it is minimum exemption limit.

C will carry forward his share of firm's loss of Rs. 10,000 and also his business loss of Rs. 10,000 to the next year. These losses can be carried forward for a maximum period of 8 years.

Assessment Year 1960—61

		Rs.
Total Loss for the year		12,000
Loss up to 1st April, 1959 (three months)		3,000
	Rs.	
A's share	1,000	
B's share	1,000	
C's share	1,000	
Rs.	3 000	
Loss from 1st April, 1959 to 31st Dec., 1959		Rs. 9,000
	Rs.	
D's share	3,000	
B's share	3,000	
C's share	3 000	
Rs	9 000	

Thus A's share of loss is Rs. 1,000, B's share of loss is Rs. 4,000 (Rs 1,000 + Rs. 3,000), C's share of loss is Rs. 4,000 (Rs. 1,000 + Rs. 3 000) and D's share of loss is Rs. 3,000.

As all these partners have no other incomes they will carry forward their losses to future years. The maximum limit for this purpose is 8 years

49. Mr. X is the owner of a house, its municipal valuation is Rs. 3,000, but he receives Rs. 280 per month as rent. He claims the following expenses :—

		Rs.
(i)	Repairs	1,200
(ii)	Interest on mortgage of property	1,500
(iii)	Collection charges	185
(iv)	Interest on loan taken to construct the house	1,800
(v)	Ground rent	120
(vi)	Fire insurance premium	300

His income from interest on fixed deposits is Rs. 4,500. Ascertain his taxable liability.

(Raj., B. Com., 1952)

Solution No. 49.

	Rs.	Rs.	
Annual rental value of the house		3,360	
As municipal taxes are not given hence same amount will be treated as Annual value.			
Less :	Rs.		
$\frac{1}{6}$ for repairs	560		
Int on Mortgage	1,500		
Collection charges	185		
Int on loan taken to construct the house	1,800		
Ground rent	120		
Fire insurance premium	300	4,365	
Loss on property			Rs. —1,005
Income from interest on fixed deposits			4,500
Total Income			3 495

50 Mr. A's investments are :—Rs 20,000 5% Govt. Paper. Rs. 10,000 4% Municipal Debentures. Rs. 10 000 6% Pref. Shares of a Co.

His bankers charged Rs. 25 as commission for collecting interest. He paid Rs 500 as interest on a loan which he had specially taken for purchasing the securities. His other income from property in this period was Rs 3,000. Calculate his assessable income. (Raj, B Com., 1952)

Solution No. 50.

			Rs.
Int. on 5% Govt. Paper			1,000
Ins. on 4% Municipal Deb			400
			1,400
Less :		Rs.	
Banker's Commission		25	
Int. on loan		500	525
Int on Investments			Rs 875
Income from property	Rs.	3,000	
Less ⅙ for repairs		500	
Taxable income from property			2,500
Income from other sources ·			
Dividends			600
Total Taxable Income			Rs. 3,975

51 *A* and *B* are partners in a regd. firm sharing profits and losses equally and following is their P. & L. account :

	Rs.		Rs.
Salaries	10,750	Gross profit	51,040
Rent, rates and insurance	1,200	Int. on tax free Govt securities	900
Travelling exps.	954	Profit on sale of investment	1,200
Interest on Bank Loan	1,650		
Legal Charges	1,103		
Discounts	897		
Carriage (car)	601		
General exps.	2 050		
Marketing	2,300		
Dep. on Car	500		
Int. on Capitals *A* Rs. 1,700, *B* 1,550	3,250		
Reserve for bad debts	1,000		
Net profit	26,885		
Rs.	53,140	Rs.	53 140

After considering the following matters compute the total income of the firm for the year ended 31st March, 1958

- (i) Salaries include a partnership salary of Rs 200 p. m. to *B*
- (ii) The legal charges consist of Rs. 500 for alteration of the partnership agreement and the balance for debt collection
- (iii) Rs 200 paid as premium on an insurance policy on the life of a debtor is included in insurance
- (iv) The general exps. include Rs. 210 for additional filing cabinet and Rs 360 for a new typewriter.
- (v) The car was used for domestic purposes.

(Raj, B Com, 1959)

Note—In this question 31st March, 1958 has been treated as 31st March 1960 for the sake of solution.

Solution No 51—

			Rs.
Net profit as disclosed by P. & L account			26,885
Add		Rs.	
Reserve for bad debts		1,000	
B's Salary		2,400	
Charges of alteration of partnership agreement		500	
Insurance premium on life of the debtor		200	
Additional filing cabinet		210	
New typewriter		360	
Dep on car		500	
Carriage (car)		601	
Int on Capitals			
A	1,700		
B	1 550	3 250	9,021
			35,906
Less:		Rs	
Int. on tax free Govt. securities		900	
Profit on sale of investment		1,200	2 100
Business Income of the firm			33 806
Int. on tax free Govt securities			900
Total Income			Rs 34,706

52. *X* is the principal of a college in Rajasthan drawing Rs 800 p m. He received income as royalty Rs 1,800.

He held 4% Debentures of B. I C. Ltd. to the value of Rs. 15,000. He owned two houses one let out for Rs. 100 p. m. and the other occupied by him of the municipal valuation of Rs. 600 per annum. He paid Rs 200 as fire insurance premium and *Rs. 200* as ground rent in respect of let out house He paid fire insurance premium of Rs. 150 and Rs. 125 as interest on loan taken for repair in respect of the house occupied by him for purposes of his residence.

Find out his total *income* and assessable *income*.

(Raj., B. Com., 1959)

Solution No. 52—

			Rs.
Salary			9,600
Int on Deb.			600
Income from property :		Rs	
Annual rental value of the house let (The same will be annual value as municipal taxes are not given)		1,2C0	
Less .	Rs.		
⅙ for repairs	200		
Fire insurance premium	200		
Ground rent	200	600	600
Municipal value of residential house		600	
Less ½ statutory allowance		300	
Annual value		300	
Less	Rs.		
⅙ for repairs	50		
Fire Insurance premium	150		
Int on loan for repairs	125	325	—25
Income from other sources :			
Royalty			1 800
Total Taxable Income			Rs. 12,575

53. A, B and C are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 3 : 1. The P. & L. A/c. of the firm for the year ended 31st March showed a net loss of Rs. 24,000 after charging the following items

	Rs.	Rs	Rs.
Int. on Cap	*A* 2,000	*B* 1,000	*C* 1,000
Salary	*A* 4,000	*B* 3,000	*C* 2,000
Commission	*A* 1,500	*B* 1,000	*C* 500

Taxable in ome of A from other sources was Rs. 7,500 while B and C had no other incomes. Explain how assessment would be made (a) when the firm is registered and (b) when it is unregistered.

(Raj, B. Com., 1960)
(See also Q No 2)

Solution No 53—

	Rs.	Rs	Rs.
Loss as per P & L. A/c.			24 000
Less			
Int on Capital :			
A	2,000		
B	1,000		
C	1,000	4,000	
Salary			
A	4,000		
B	3,000		
C	2 000	9,000	
Commission			
A	1,500		
B	1,000		
C	500	3 000	16,000
			Rs. 8,000

Allocation of Firm's Income Amongst the Partners

	A	*B*	*C*
	Rs	Rs.	Rs.
Int on Capital	2,000	1,000	1,000
Salary	4,000	3,000	2,000
Commission	1,500	1 000	500
Share of Firm's loss	-12,000	-9,000	-300
Total Rs	-4,500	-4,000	+500

When the Firm is Registered—

A can set off his share of the firm's loss of Rs. 4,500 against his other income of Rs 7,500, and thus his income remains only Rs. 3,000 He will not pay any tax, As B has no other income, he can carry forward his share of firm's loss of Rs. 4,000 in order to set it

off against his share of future profit of the firm or against any other business profit, but the maximum limit for this carry forward is eight years. C's income is only Rs 500, hence he is not liable to tax.

When the Firm is Unregistered—

Unregistered firm will itself carry forward its loss of Rs. 8,000 for eight years in order to set it off against its future income

A will pay tax on Rs 7 500 because he is not allowed to set off his share of firm's loss from his other income

B cannot carry forward his share of firm's loss to future years.

C is not liable to pay tax, as his total income is only Rs 500, which is below the minimum exemption limit.

54. The following are the particulars of the income of an individual for the year ended 31st March, 1959—

(a) His salary was Rs 1 000 per month and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs 2 000 the actual expenditure incurred by him in travelling being Rs 1,500

(b) He contributed 8% of his salary to a provident fund governed by the Provident Funds Act 1925, his employer contributing an equal amount Interest on his P F. account for the year amounted to Rs 600

(c) He owns two houses one of which is let at Rs 150 per month and the other whose municipal value is Rs. 1,200 is occupied by him for his own residence. He pays Rs 300 per year as ground rent and insurance charges in respect of the first house and Rs 200 per year in respect of the second.

(d) He received Rs 600 as interest on tax free govt securities and Rs. 500 dividend from a company

(e) He pays an annual premium of Rs. 3,000 on his life policies of Rs. 25,000

Ascertain his total income and exempted income for the assessment year 1959—60.

(Raj. B Com, 1960)
(See also Q No 40)

In this question 1959 60 has been treated as 1960 61 for the sake of solution.

Solution No. 54—

				Rs.
Salary				12,000
Int. on tax free Govt. securities				600
Annual rental value of the house let		Rs.	1,800	
Same amount of Rs. 1,800 is treated as annual value because municipal or local taxes are not given.				
Less :		Rs.		
$\frac{1}{6}$ for repairs		300		
Ground rent and insurance charges		300	600	
Taxable income of the house let				1 200
Municipal valuation of Residential house		1,200		
Less $\frac{1}{2}$ statutory allowance		600		
Annual value		600		
Less	Rs.			
$\frac{1}{6}$ for repairs	100			
Ground rent etc.	200	300		
Taxable income of the residential house				300
Income from other sources				
Dividend $\left(\frac{500 \times 10}{7}\right)$				714 29
Excess of travelling allowance				500
Total income			Rs.	15,314 29

Exempted Income ·	Rs.
P F. by employee	960
Insurance Premium	2,500
Int on tax free govt. securities	600
	Rs. 4 060

Note—Insurance premium should not be more than 10 P. C. of the amount of the policy.

MISCELLANEOUS THEORETICAL QUESTIONS

(On Short Notes only)

Note —**These questions are given in order to give the idea to the examinees regarding the style in which questions on short notes are asked.**

---

1. Define any four of the following
   Agricultural income previous year, dividends, development rebate, balancing depreciation, charitable donations.
   (Agra B Com, 1960)
2. Explain the following terms —
   (*a*) Previous Year, (*b*) Set off and carry forward, (*c*) Earned income relief, (*d*) Capital gains (*e*) Total world income.
   (Agra, B. Com, 1959)
   निम्नलिखित को समझाकर लिखिये :—
   (क) गत वर्ष, (ख) घाटे की पूर्ति और उसका आगे ले जाना, (ग) कमाई हुई आय की छूट, (घ) पूँजी लाभ, (ड) कुल विश्व आय।
   (आगरा, बी० कॉम०, १९५९)
3. Distinguish between —
   (*a*) recognised P F. and an unrecognised P F,
   (*b*) a registered firm and an unregistered firm
   (Agra, B Com., 1958)
4. State with reasons, whether the following items are admissible or inadmissible in the P and L A/c of a business —
   (*a*) *Interest paid on loans taken to pay off income tax*
   (*b*) Gift made to employees in return for services rendered, though such gifts were not legally claimable by employees
   (*c*) Payment of compensation to an employee for compelling him to retire before the contracted date.
   (d) Bad debts in respect of loans and advances given to customers.
   (*e*) Interest on Govt Securities. (Agra, B Com, 1955, 1958)
5. Explain the following terms —
   (*a*) Set off and carry forward, (*b*) Earned income,
   (*c*) Previous year, (d) Unabsorbed depreciation.
   (Agra, B. Com, 1956)

6. Write short notes on the following :—
   (a) Extra shift allowance,
   (b) Initial depreciation,
   (c) Vacancy allowance,
   (d) Bond washing transactions, and
   (e) Capital gains.

(Agra, B Com, 1958 S)

7. What will be the tax liability of an individual under the following circumstances —
   (a) When he is a member of a Hindu undivided family.
   (b) When he is a member of an unregistered firm
   (c) When he is a member of a regd. firm.
   (d) When he is a member of an association of persons.
   (e) When he is a shareholder in a joint stock company.

(Agra, B. Com., 1958 S)

8. Explain the following terms .—
   (a) Less tax and free of tax,
   (b) Non-resident.
   (c) Recognised Provident Fund,
   (d) Agricultural income,
   (e) Casual income.

(Agra, B. Com., 1957)

9. Discuss, giving reasons, if the following receipts are subject of charge to income-tax —
   (a) *A* receives Rs 50 000 as compensation for termination of managing agency.
   (b) On the failure of a debtor to pay, *B*, a moneylender, accepts a piece of land in satisfaction of his debts. He sells the same and makes a profit of Rs 500.
   (c) *C* is a student who receives a monthly scholarship of Rs. 200.
   (d) *D* wins a bet amounting to Rs. 1,500 on a race-course.
   (e) *E*, who is the manager of an agricultural farm, draws a salary of Rs. 350 p m.

(Allahabad, B. Com., 1956)

10. Explain *any four* of the following terms :—
   (a) Previous year ,
   (b) Agricultural income ;
   (c) Capital gains ;
   (d) Dividends ;

(e) Extra shift allowance,
(f) Bond washing,
(g) Initial depreciation,
(h) Balancing charge

(Agra, B Com, 1955)

11 Write explanatory notes on the following —
(a) Annual value of property
(b) Unabsorbed depreciation
(c) Best judgement assessment
(d) Free of tax and less tax securities

(Allahabad, B. Com, 1955)

12 Distinguish between —
(a) Free of tax and less tax securities.
(b) Slab system and step system of taxation

(Alld. B Com, 1954)

13 Discuss briefly the following from the point of view of Income tax —
(a) Advance payment of tax
(b) Bonafide annual value
(c) Best judgement assessment
(i) Previous year
(e) Hindu undivided family

(Alld, B. Com, 1953)

14 Answer any two of the following —
(a) Explain clearly the difference between slab system and step system of taxation
(b) Explain the difference between set off losses and carry forward of losses
(c) State the conditions necessary for claiming exemption from tax by a newly established industrial undertakings.

(Raj B Com, 1954)

15 Write short explanatory notes on any four of the following terms used in connection with Income tax assessment —
(a) Provisional assessment
(b) Grossing up of dividends.
(c) Unregistered firm
(d) Earned income relief
(e) Written down value
(f) Agricultural income.

(Raj., B Com, 1950)

16. Write short explanatory notes on any four of the following terms used in connection with Income tax assessment :—

(a) Taxable territories.
(b) Bond-washing transactions
(c) Resident and ordinary resident.
(d) Cash system of accounting.
(e) Unabsorbed depreciation
(f) Total world income.

(Raj, B Com., 1951)

17. Write short notes on any four of the following —

(a) Agricultural income
(b) Grossing up of Dividends
(c) Casual income
(d) Unabsorbed depreciation
(e) Total world income.
(f) Previous year.

(Raj, B Com, 1952)

18 Explain any two of the following —

(a) Recognised Provident Fund
(b) Capital gains (पूंजी लाभ)
(c) Development rebate (उन्नति छूट)
(d) Assessment of a Registered firm
(e) Provisional assessment

(Raj, B Com, 1960)

THE FINANCE ACT, 1960

(Received the assent of the President)

To give effect to the financial proposals of the Central Govt for the financial year 1960—61

Be it enacted by Parliament in the Eleventh Year of the Republic of India as follows —

1 (*1*) This Act may be called the Finance Act 1960

(*2*) Save as otherwise provided in this Act sections 3 to 17 inclusive shall be deemed to have come into force on the first day of April 1960

2 (*1*) Subject to the provisions of sub sections (*2*) (*3*) and (*4*) for the year beginning on the 1st day of April 1960 —

(*a*) income tax shall be charged at the rates specified in Part I of the First Schedule and in the cases to which Paragraphs A B and C of that Part apply shall be increased by a surcharge for purposes of the Union and a special surcharge calculated in either case in the manner provided therein and

(*b*) super tax shall for the purposes of section 55 of the Indian Income tax Act 1922 (hereinafter referred to as the Income tax Act) be charged at the rates specified in Part II of the First Schedule and in the cases to which Paragraphs A B and C of that Part apply shall be increased by a surcharge for purposes of the Union and a special surcharge calculated in either case in the manner provided therein

(*2*) In making any assessment for the year ending on the 31st day of March 1961 —

(*a*) where the total income of an assessee not being a company includes any income chargeable under the head Salaries or any income chargeable under the head Interest on Securities or any income from dividends from which income tax has been or might have been deducted under the provisions of section 18 of the Income tax Act or in respect of which by virtue of section 49B of the Income tax Act as continued in force by sub section (*4*) of section 19 of the Finance Act 1959 he is deemed himself to have paid the income tax imposed under the Income tax Act the income tax payable by the assessee

on that part of his total income which consists of such inclusions shall be an amount bearing to the total amount of income-tax payable according to the rates applicable under the operation of the Finance Act, 1959, on his total income the same proportion as the amount of such inclusions bears to his total income ,

(b) where the total income of an assessee, not being a company, includes any income chargeable under the head "Salaries" on which super tax has been or might have been deducted under the provisions of sub section (2) of section 18 of the Income-tax Act, the super tax payable by the assessee on that portion of his total income which consists of such inclusion shall be an amount bearing to the total amount of super tax payable according to the rates applicable under the operation of the Finance Act, 1959, on his total income the same proportion as the amount of such inclusion bears to his total income

(3) In making any assessment for the year ending on the 31st day of March, 1959, or for the year ending on the 31st day of March, 1960, or for the year ending on the 31st day of March, 1961, where the total income of a company, other than the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 includes any profits and gains from life insurance business, the super-tax payable by it shall be the aggregate of the tax calculated—

(i) on the amount of profits and gains from life insurance business so included, at the rate applicable to the Life Insurance Corporation of India in accordance with the Finance Act of the relevant year , and

(ii) on the remaining part of its total income, at the rate applicable to the company on its total income

(4) In cases to which section 17 of the Income-tax Act applies, the tax chargeable shall be determined as provided in that section, and with reference to the rates imposed by sub section (1).

(5) In cases in which tax has to be deducted under section 18 of the Income-tax Act at the prescribed rates, the deduction shall be made at the rates specified in Part III of the First Schedule.

(6) For the purposes of this section, and of the rates of tax imposed thereby, the expression "total income" means total income as determined for the purposes of income tax or super-tax, as the case may be, in accordance with the provisions of the Income tax Act, and the expression "earned income" has the meaning assigned to it in clause (6AA) of section 2 of that Act.

3 In section 19 of the Finance Act, 1959,—

(i) after sub section (3), the following sub section shall be inserted, and shall be deemed always to have been inserted, namely :—

"(3A) The amendments to the Income-tax Act made by section 5, section 7, section 12, section 14 and section 15 shall, in relation to dividends declared or payable by a company in respect of the previous year relevant to the assessment for the year ending on the 31st day of March, 1961, have effect on and from the 1st day of April, 1959." ;

(ii) in sub section (4), after the words "declared or payable by a company", the words and figures "on or before the 30th day of June, 1960," shall be inserted, and shall be deemed always to have beed inserted.

4. In section 9 of the Income-tax Act, in sub section (2), for clause (a) of the third proviso, the following clause shall be substituted, namely —

"(a) in the case of a property the construction of which was completed before the 1st day of April, 1950, the total amount of such taxes and in the case of any other property, one half of the total amount of such taxes, shall, notwithstanding anything contained in such law, be deemed to be the tenant's liability for such taxes, and ".

5 In section 10 of the Income tax Act, in sub-section (2), for clause (xiii), the following clause shall be substituted, namely —

"(xiii) any sum paid to a scientific research association having as its object the undertaking of scientific research or to a university, college or other institution to be used for scientific research or to a university college or other institution to be used for research in social science or statistical research related to the class of business carried on

Provided that such association, university, college or institution is for the time being approved for the purposes of this clause by the prescribed authority,".

6 In section 14 of the Income-tax Act, for sub-section (3), the following sub section shall be substituted, namely:—

"(3) The tax shall not be payable by a co operative society —

(i) in respects of its profits and gains of business carried on by it, if it is—

(a) a society engaged in carrying on the business of banking or providing credit facilities to its members, or

(b) a society engaged in a cottage industry, or

(c) a society engaged in the marketing of the agricultural produce of its members , or

(d) a society engaged in the purchase of agricultural implements, seeds, livestock or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying them to its members , or

(e) a society engaged in the processing without the aid of power of the agricultural produce of its members , or

(f) a primary society engaged in supplying milk raised by its members to a federal milk co-operative society ,

Provided that, in the case of a co operative society which is also engaged in activities other than those mentioned in this clause, nothing contained herein shall apply to that part of its profits and gains as is attributable to such activities and as exceeds fifteen thousand rupees ,

(ii) in respect of so much of its profits and gains of business carried on by it as does not exceed fifteen thousand rupees if it is a co-operative society other than a co operative society referred to in clause (i)

(iii) in respect of interest and dividends derived from its investments with any other co operative society ,

(iv) in respect of any income derived from the letting of godowns or warehouses for storage, processing or facilitating the marketing of comodities ,

(v) in respeet of any interest on securities chargeable under section 8 or any income from property chargeable under section 9 where the total income of the co-operative society does not exceed twenty thousand rupees and the society is not a housing society or an urban consumer's society or a society carrying on transport business or a society engaged in the performance of any manufacturing operations with the aid of power

Provided that nothing contained in this sub section shall apply to—

(i) the Sanikatta Salt Owner's Society ,

(ii) a co operative society carrying on insurance business in respect of the profits and gains of that business computed in accordance with rule 9 in the Schedule.

Explanation.—For the purposes of this sub section, an 'urban consumer's co operative society' means a society for the benefit of the consumers within the limits of a municipal corporation, municipality, municipal committee, notified area committee town area or cantonment.".

7 In section 15B of the Income tax Act, in clause (*b* of the second proviso to sub section (*1*), for the words "one twent eth of the assessee's total income" and "one hundred thousand rupees", the words 'seven and a half per cent. of the assessee's total income' and "one hundred and fifty thousand rupees" shall respectively be substituted

8 In section 15C of the Income tax Act,—

(*a*) in clause (*ii*) of sub section (*2*), for the word "thirteen", the word "eighteen' shall be substituted, and

(*b*) to sub section (*6*), the following proviso shall be added namely —

'Provided that where the assessee is a co operative society this sub section shall have effect as if for the words 'six assessments' had been substituted.'

9 In section 18 of the Income tax Act,—

(*i*) in sub section (*3D*), after the words "declaration and payment of dividends" the brackets and words '(including dividends on preference shares)' shall be inserted

(*ii*) sub section (*3E*) shall be omitted.

10 In section 18A of the Income tax Act,—

(*i*) in clause (*a*) of sub-section (*1*), for the words "In the case of income in respect of which provision is not made under section 18 for deduction of income-tax at the time of payment", the words "In the case of income other than income chargeable under the head 'Salaries'" shall be substituted, and after the words "the amount of such inclusions bears to his total world income", the following words shall be inserted, namely —

"The income tax and super tax so calculated shall be reduced by the amount of income-tax and super-tax which would be deductible during the said financial year in accordance with the provisions of section 18 on any income (other than income chargeable under the head 'Salaries') included in the said total income:",

(ii) in sub-section (3), for the words "to which the provisions of section 18 do not apply", the words "which is not chargeable under the head 'Salaries'" shall be substituted,

(iii) in sub-section (6),—

(a) for the words "regular assessment, so far as such tax relates to income to which the provisions of section 18 do not apply", the following words shall be substituted, namely —

"regular assessment (reduced by the amount of tax deductible in acccordance with the provisions of section 18 on any income, other than income chargeable under the head Salaries', included in such assessment), so far as such tax relates to income other than income chargeable under the head 'Salaries

(b) in the second proviso, for the words to which the provisions of section 18 do not apply", the words 'other than income chargeable under the head 'Salaries'" shall be substituted

11. In section 23A of the Income tax Act,—

(i) in sub section (2), in clause (i) for the words 'ninety per cent ', the words "eighty per cent ' shall be substituted ,

(ii) in *Explanation* 2 for the figures '100%, where they occur, the figures 90% shall be substituted.

12. After section 49B of the Income-tax Act, the following section shall be inserted, namely —

'49BB. (1) Where in respect of any previous year relevant to the assessment year commencing after the 31st day of March, 1960, an Indian company or a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India pays any dividend wholly or partly out of its profits and gains actually charged to income-tax for any assessment year ending before the 1st day of April, 1960, and deducts tax therefrom in accordance with the provisions of section 18, credit shall be given to the company against the income-tax, if any, payable by it on the profits and gains of the previous year during which the dividend is paid, of a sum calculated in accordance with the provisions of sub section

(2), and where the amount of credit so calculated exceeds the income-tax payable by the company as aforesaid, the excess shall be refunded.

(2) The amount of income tax to be given as credit under sub section (1) shall be a sum equal to ten per cent. of so much of the dividends referred to in sub-section (1) as are paid out of the profits and gains actually charged to income-tax for any assessment year ending before the 1st day of April, 1960.

Explanation I —For the purposes of this section, the aggregate of the dividends declared by a company in respect of any previous year shall be deemed first to have come out of the distributable income of that previous year and the balance, if any, out of the undistributed part of the distributable income of one or more previous years immediately preceding that previous year as would be just sufficient to cover the amount of such balance and as has not likewise been taken into account for covering such balance of any other previous year,

Explanation II —The "distributable income" of any previous year shall mean the total income assessed for that year as reduced by—

(i) the amount of income tax and super tax payable by the company in rsepect of the said total income,

(ii) the amount of any other tax levied under any law for the time being in force on the company by the Government or by a local authority in excess of the amount, if any, which has been allowed in computing the total income,

(iii) the amount paid to any charitable institution or fund to the extent to which it is exempt from tax under section 15B, and

(iv) in the case of a banking company, the amount actually transferred to a reserve fund under section 17 of the Banking Companies Act, 1949,

and as increased by—

(a) any profits and gains or receipts of the company not included in its total income, and

(b) any amount attributable to any allowance made in computing the profits and gains of the company for purposes of assessment, which the company has not taken into account in its profit and less account "

13. Notwithstanding anything contained in the Wealth-tax Act 1957 (hereinafter referred to as the Wealth tax Act), no tax shall be charged in respect of the net wealth of a company for any financial year commencing on or after the 1st day of April, 1960.

14 In section 5 of the Wealth tax Act, in clause (*xx*) of sub-section (*1*), for the words 'if on the relevant valuation date the provisions of this Act are not applicable to the company by reason of the provisions contained in that section", the following words shall be substituted namely —

for a period of five successive assessment years commencing with the assessment year next following the date on which the company is established, which period shall, in the case of a company established before the commencement of this Act, be computed in accordance with this Act from the date of its establishment as if this Act had been in force on and from the date of its establishment '.

15 In section 5 of the Expenditure tax Act 1957 (hereinafter referred to as the Expenditure tax Act) in clause (*d*), for the word, brackets figures and letter ' clause (*iia*) ', the words, brackets, figures and letters 'sub clause (*a*) of clause (*iia*) shall be substituted

16 In section 6 of the Expenditure-tax Act,—

(*i*) in sub section (*1*) —

(*a*) for clause (*g*) the following clause shall be substituted, namely —

(*g*) any expenditure incurred by the assessee in respect of the education of himself or any of his dependants and where the assessee is a Hindu undivided family of any member of the family—

(*i*) if the expenditure is incurred in India, subject to a maximum of rupees three thousand per year and

(*ii*) if the expenditure is incurred in any country outside India, subject to a maximum of rupees eight thousand per year ,",

(*b*) after clause (*i*), the following clause shall be inserted, namely —

(*j*) any expenditure incurred by the assessee for travel in India in connection with his proceeding on a holiday and any expenditure incurred on be-

half of the assessee by his employer by way of travel concession or assistance in connection with his proceeding on leave in India, subject in the aggregate to a maximum of rupees one thousand five hundred per year",

(ii) for sub section (4) the following sub section shall be substituted, and shall be deemed always to have been substituted, namely —

"(4) If the assessee proves in any year that, in respect of any sum out of which any expenditure incurred is chargeable to tax under this Act, he has paid in any foreign country any income tax, wealth tax, expenditure tax, gift-tax or estate duty under any law for the time being in force in that country and that any such tax or duty has been included in the expenditure chargeable to tax under this Act, he shall be entitled to a deduction of the full amount of such tax and duty paid in the foreign country"

17 For section 18 of the Gift tax Act, 1958, the following section shall be substituted, namely —

"18 If a person making a taxable gift pays into the treasury within fifteen days of his making the gift the amount of tax due on the gift calculated at the rates specified in the Schedule, he shall, at the time of assessment under section 15 be given credit, in addition to the amount so paid, for an amount equal to ten per cent. of the amount so paid

Explanation.—If a person makes more than one taxable gift in the course of a previous year the amount of tax due on any one of such gifts shall be the difference between the total amount of tax due on the aggregate value of all taxable gifts so far made including the taxable gift in respect of which tax has to be paid, calculated at the rates specified in the Schedule and the total amount of tax on the aggregate value of all the gifts made during that year excluding the taxable gift in respect of which tax has to be paid."

THE FIRST SCHEDULE

(See Section 2)

Part I

Income tax and surcharges on income tax

Paragraph A

(i) In the case of every individual who is married and every Hindu undivided family whose total income does not exceed Rs 20,000 in either case—

Rates of Income tax

Where the individual has no child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has no minor coparcener.	Where the individual has one child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has one minor coparcener.	Where the individual has more than one child wholly or mainly dependent on him or where the Hindu undivided family has more than one minor coparcener.	
Rs.	Rs	Rs.	
(1) On the first 3 000 of total income	3,300 of total income	3 600 of total income	Nil
(2) On the next 2 000 ,,	1,700 ,,	1,400 ,,	3%
(3) On the next 2 500 ,,	2 500 ,,	2 500 ,,	6%
(4) On the next 2 500 ,,	2 500 ,,	2,500 ,,	9%
(5) On the next 2 500 ,,	2,500 ,,	2 500 ,,	11%
(6) On the next 2 500 ,,	2 500 ,,	2,500 ,,	14%
(7) On the next 5 000 ,,	5 000 ,,	5 000 ,,	18%

(ii) In the case of every individual who is not married and every individual or Hindu undivided family whose total income in either case exceeds Rs 20,000 and in the case of every unregistered firm or other association of persons, not being a case to which any other Paragraph of this Part applies .—

	Rs	
(1) On the first . .	1,000 of total income	Nil
(2) On the next . .	4,000 ,, ,,	3%
(3) On the next . .	2,500 ,, ,,	6%
(4) On the next . . .	2 500 ,, ,,	9%
(5) On the next . . .	2,500 ,, ,,	11%
(6) On the next . . .	2,500 ,, ,,	14%
(7) On the next . . .	5,000 ,, ,,	18%
(8) On the balance of total income		25%

Provided that for the purposes of this Paragraph—

(i) no income tax shall be payable on a total income which does not exceed the limit specified below

(ii) the income tax payable shall in no case exceed half the amount by which the total income exceeds the said limit

(iii) the income tax payable by an individual who is married or a Hindu undivided family whose total income exceeds in either case Rs 20 000 shall not exceed the aggregate of—

(a) the income tax which would have been payable if the total income had been Rs 20 000

(b) half the amount by which the total income exceeds Rs 20 000

The limit aforesaid shall be—

(i) Rs 6 000 in the case of every Hindu undivided family which as at the end of the previous year satisfies either of the following conditions namely —

(a) that it has at least two members entitled to claim partition who are not less than eighteen years of age or

(b) that it has at least two members entitled to claim partition who are not lineally descended one from the other and who are not lineally descended from any other living member of the family

(ii) Rs 3 000 in every other case

Surcharges on income tax

The amount of income tax computed at the rates herein before specified shall be increased by the aggregate of the surcharges calculated as under —

(a) A surcharge for purposes of the Union equal to the sum of—

(i) five per cent of the amount of income tax and

(ii) where the earned income included in the total income exceeds Rs. 1 00 000 five per cent of the difference between the amount of income tax which would have been payable on the whole of the earned income included in the total income if such earned income had been the total income and the amount of income tax payable on a total income of Rs 1 00 000

(b) A special surcharge at fifteen per cent of the difference between the amount of income tax on the total income and the amount of income tax on the whole of the earned income if any included in the total income if such earned income had been the total income

Provided that—

(i) no surcharge for purposes of the Union shall be payable where the total income does not exceed the limit specified below,

(ii) no special surcharge shall be payable in the case of an assessee whose total income does not include any income from dividend on ordinary shares if his total income does not exceed the limit specified below, and where the total income includes any dividends on ordinary shares, such limit shall be increased by Rs 1,500 or the amount of the said dividends, whichever is less

Provided further that—

(a) where the total income includes any dividends on ordinary shares, the surcharge for purposes of the Union and the special surcharge shall not in each case exceed half the amount by which the total income exceeds the respective limits applicable in either case

(b) the surcharge for purposes of the Union and the special surcharge both together, shall not exceed half the amount by which the total income exceeds the limit specified below.

The limit aforesaid shall be—

(i) Rs. 15,000 in the case of every Hindu undivided family which satisfies as at the end of the previous year either of the following conditions namely —

(a) that it has at least two members entitled to claim partition who are not less than eighteen years of age, or

(b) that it has at least two members entitled to claim partition who are not lineally descended one from the other and who are not lineally descended from any other living member of the family

(ii) Rs 7,500 in every other case.

Explanation —For the purposes of this Paragraph, in the case of every Hindu undivided family governed by the *Mitakshara* law a son shall be deemed to be entitled to claim partition of the coparcenary property against his father, or grand father notwithstanding any custom to the contrary

Paragraph B

In the case of every local authority —

Rate of income-tax

On the whole of the total income .. 30%

Surcharge on income tax

The amount of income tax computed at the rate hereinbefore

specified shall be increased by a surcharge for purposes of the Union of 5 per cent. of the amount of income-tax.

Paragraph C

In every case in which under the provisions of the Income-tax Act, income tax is to be charged at the maximum rate,—

Rate of income-tax

On the whole of the total income 25%

Surcharges on income-tax

The amount of income tax computed at the rate hereinbefore specified shall be increased by the aggregate of the surcharges calculated as under :—

(*a*) a surcharge for purposes of the Union of five per cent. of the amount of income tax , and

(*b*) a special surcharge of fifteen per cent. of the amount of income tax.

Paragraph D

In the case of every company,—

Rate of income-tax

On the whole of the total income ... 20%

Paragraph E

In the case of every registered firm,—

Rates of income-tax

(1)	On the first Rs 40,000 of total income	...	Nil
(2)	On the next Rs 35 000 of total income	...	5%
(3)	On the next Rs 75,000 of total income	...	6%
(4)	On the balance of total income	...	9%

Part II

Super-tax and surcharges on super-tax

Paragraph A

In the case of every individual, Hindu undivided family, unregistered firm and other association of persons, not being a case to which any other Paragraph of this Part applies,—

Rates of super-tax

(1)	On the first Rs. 20,000 of total income	...	Nil
(2)	On the next Rs. 5,000 of total income	...	5%
(3)	On the next Rs. 5,000 of total income	...	15%
(4)	On the next Rs. 10,000 of total income	...	20%
(5)	On the next Rs. 10,000 of total income	...	30%
(6)	On the next Rs 10 000 of total income	...	35%
(7)	On the next Rs. 10,000 of total income	...	40%
(8)	On the balance of total income	...	45%

Surchages on super tax

The amount of super tax computed at the rates hereinbefore specified shall be increased by the aggregate of the surcharges calculated as under :—

(a) A surcharge for purposes of the Union equal to the sum of—

(i) five per cent of the amount of super-tax, and

(ii) where the earned income included in the total income exceeds Rs. 1 00,000, five per cent. of the difference between the amount of super-tax which would have been payable on the whole of the earned income included in the total income, if such earned income had been the total income and the amount of super-tax payable on a total income of Rs. 1,00 000,

(b) A special surcharge at fifteen per cent. of the difference between the amount of super tax on the total income and the amount of super tax on the whole of the earned income, if any, included in the total income, if such earned income had been the total income

Paragraph B

In the case of every local authority,—

Rate of super tax

On the whole of the total income ... 16%

Surcharge on super-tax

The amount of super tax computed at the rate hereinbefore specified shall be increased by a surcharge for purposes of the Union of 12½ per cent. of the amount of super-tax.

Paragraph C

In the case of every association of persons being a co-operative society as defined in clause (5B) of section 2 of the Income tax Act,—

Rates of super-tax

(1) On the first Rs. 25,000 of total income ... Nil

(2) On the balance of total income 16%

Surcharge on super tax

The amount of super-tax computed at the rates hereinbefore specified shall be increased by a surcharge for purposes of the Union of 12½ per cent of the amount of super tax.

Paragraph D

In the case of every company other than the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956,—

Rates of super-tax

On the whole of the total income 55%

Provided that—

(i) a rebate at the rate of 45 per cent. on so much of the total income as consists of dividends from a subsidiary Indian company at the rate of 40 per cent. on so much of the total income as consists of dividends from any other Indian company formed and registered on or after the 1st day of April, 1959 and at the rate of 35 per cent on the balance of the total income shall be allowed in the case of any company which—

(a) in respect of its profits liable to tax under the Income tax Act for the year ending on the 31st day of March 1961, has made the prescribed arrangements for the declaration and payment within India of the dividends payable out of such profits in accordance with the provisions of sub section (3D) of section 18 of that Act, and

(b) is such a company as is referred to in sub section (9) of section 23A of the Income tax Act with a total income not exceeding Rs 25 000,

(ii) a rebate at the rate of 45 per cent on so much of the total income as consists of dividends from a subsidiary Indian company at the rate of 35 per cent on so much of the total income as consists of dividends from any other Indian company formed and registered on or after the 1st day of April 1959, and at the rate of 30 per cent. on the balance of the total income shall be allowed in the case of any company which satisfies condition (a) but not condition (b) of the preceding clause,

(iii) a rebate at the rate of 45 per cent on so much of the total income as consists of dividends from a subsidiary Indian company, at the rate of 22 per cent. on so much of the total income as consists of dividends from

any other Indian company formed and registered on or after the 1st day of April, 1959, and at the rate of 12 per cent. on the balance of the total income shall be allowed in the case of any company not entitled to a rebate under either of the preceding clauses:

Provided further that—

(i) the amount of the rebate under clause (i) or clause (ii) of the preceding proviso shall be reduced by the sum, if any, equal to the amount or the aggregate of the amounts, as the case may be, computed as hereunder —

(a) on the aggregate of the sums computed in the manner provided in clause (i) of the second proviso to Paragraph D of Part II of the First Schedule to the Finance Act, 1959 as reduced by the amount, if any, which is deemed to have been taken into account, in accordance with clause (ii) of the said proviso, for the purpose of reducing the rebate mentioned in clause (i) of the said proviso to nil, and	at the rate of 100%.
(b) on the amount representing the face value of any bonus shares or the amount of any bonus issued to its shareholders during the previous year with a view to increasing the paid-up capital,	at the rate of 30%

(ii) where the sum arrived at in accordance with clause (i) of this proviso exceeds the amount of the rebate arrived at in accordance with clause (i) or clause (ii), as the case may be, of the preceding proviso, only so much of the amounts of reduction mentioned in sub clauses (a) and (b) of clause (i) of this proviso as is sufficient, in that order, to reduce the rebate to nil shall be deemed to have been taken into account for the purpose:

Provided further that the super tax payable by a company, the total income of which exceeds rupees twenty five thousand, shall not exceed the aggregate of—

(a) the super tax which would have been payable by the company if its total income had been rupees twenty five thousand , and

(b) half the amount by which its total income exceeds rupees twenty five thousand.

Explanation.—For the purposes of this Paragraph, where any portion of the profits and gains of a company is not included in its total income by reason of such portion being agricultural income, the amount representing the face value of any bonus shares and the amount of any bonus issued to its shareholders shall each be deemed to be such proportion thereof as the average of the total income of the company in the five previous years in which the company has been in receipt of taxable income immediately preceding the relevant previous year bears to the average of its total profits and gains (excluding capital receipts) for the preceding five years aforesaid reduced by such allowances as may be admissible under the Income tax Act which have not been taken into account by the company in its profit and loss accounts for the preceding five years aforesaid

Paragraph E

In the case of the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 —

	Rate of super tax
On the whole of its profits and gains from life insurance business	22 5%

Part III

Rates for deduction of tax under section 18 of the Income tax Act at the prescribed rates

In every case in which under the provisions of section 18 of the Income tax Act tax is to be deducted at the prescribed rates, deduction shall be made from the income subject to deduction at the following rates,

<table>
<tr><th rowspan="3"></th><th colspan="3">Income tax</th><th colspan="2">Super-tax</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Rate of income-tax</th><th colspan="2">Rates of Surcharges</th><th rowspan="2">Rate of super-tax</th><th rowspan="2">Rates of surcharges</th></tr>
<tr><th>Surcharge for purposes of the Union</th><th>Special surcharge</th></tr>
<tr><td>1. In the case of a person other than a company—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(a) in every case on the whole income (excluding interest payable on any security of the Central Govt issued or declared to be income tax free), and</td><td>25%</td><td>1·25%</td><td>3·75%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(b) in addition where the person is one whom the person responsible for paying the income has no reason to believe to be resident in the taxable territories, on the whole income</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Super tax and surcharges on super tax in accordance with the provisions of clause (b) of sub section (1) of section 17 of the Income tax Act.</td></tr>
</table>

	Rate of Income tax	Rate of Super-tax
2 In the case of a company—		
(*a*) in every case—		
(*i*) on the whole income (excluding interest payable on any security of the Central Government issued or declared to be income tax free), and	20%	
(*ii*) on the whole income (excluding dividends payable by an Indian company referred to in section 56A of the Income tax Act), and		10%
(*b*) in addition, where the company is neither an Indian company nor a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends with in India,—		
(*i*) on the income from dividends (excluding dividends payable by its subsidiary Indian company if any, or by an Indian company referred to in section 56A of the Income tax Act)—		
(*a*) on dividends payable by an Indian company formed and registered *on or* after the 1st day of April, 1959		25%
(*b*) on any other dividend		33%
(*ii*) on any other income, not being income from dividends		33%